KOCHI METRO RAIL LIMITED

A Joint Venture of Government of India and Government of Kerala

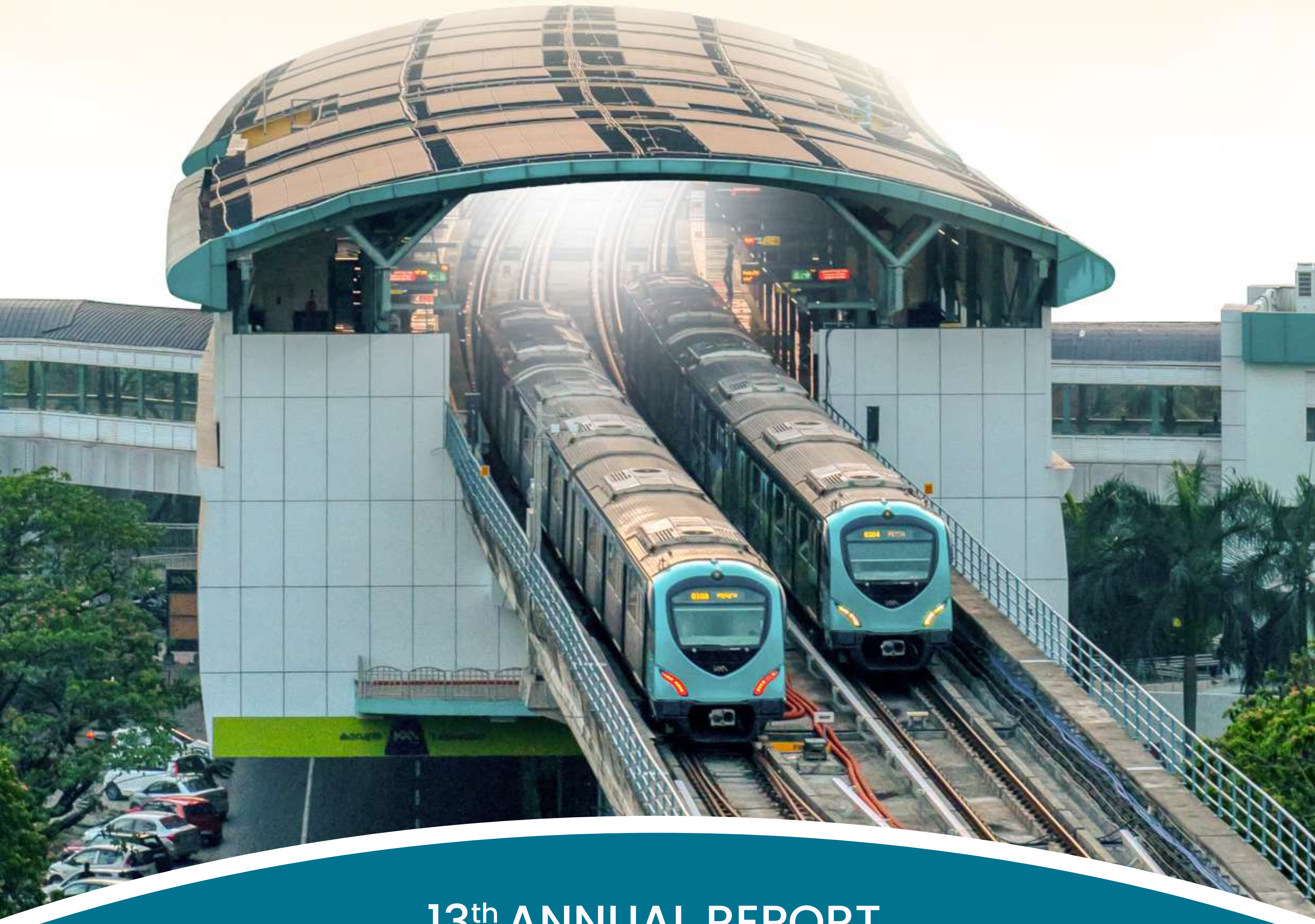

13th ANNUAL REPORT
2023 - 2024

Foundation Stone laying of
IIMK Kochi Campus
13 Oct 2023

First trial run on the new track from
SN Junction to Thripunithura
Kochi Metro- Phase -1B
08 Dec 2023

"Tripunithura Terminal, the last station of Kochi Metro's first phase, dedicated to the nation by
Honourable Prime Minister
06 Mar 2024

विषयवस्तु

		पृष्ठ सं.
1.	अध्यक्ष का संदेश	03
2.	बोर्ड की रिपोर्ट	05
3.	निगमित अभिशासन रिपोर्ट	37
4.	सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट	45
5.	स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट (स्टैंडअलोन)	52
6.	वित्तीय विवरण और टिप्पणियाँ (स्टैंडअलोन)	66
7.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ (स्टैंडअलोन)	142
8.	स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट (समेकित)	145
9.	वित्तीय विवरण और टिप्पणियाँ (समेकित)	154
10.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ (समेकित)	231

पंजीकृत कार्यालय

चौथी मंजिल, जेएलएन मेट्रो स्टेशन, कलूर, कोच्ची. केरल, 682017

फ़ोन: +91 484 2846700/2846770.

www.kochimetro.org

संवैधानिक लेखा परीक्षक

मेसर्स जी जोसेफ एंड एसोसिएट्स

शासनपत्रित लेखाकार,

37/2038, पहली मंजिल, मुट्टत्तिल लेन, कड़वंत्रा, कोच्ची, केरल, 682020

सचिवीय लेखा परीक्षक

मेसर्स विवेक शरत एंड नौफल

प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव,

डोर नंबर 43/4194ए, पहला तल,

स्पैन हाइटे, अपोलो रोड,

तम्मनम, कोच्ची, केरल – 682032

आंतरिक लेखा परीक्षक

मेसर्स सी. के. प्रुस्टी एंड एसोसिएट्स

शासनपत्रित लेखाकार

49/550एफ, प्रशांति लेन,

एलमक्करा, कोच्ची, केरल - 682026

कंपनी सचिव

श्री लिस्टन पेरेरा

हमारे बैंक

केनरा बैंक | यूनियन बैंक ऑफ इंडिया | एक्सिस बैंक लिमिटेड

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड | भारतीय स्टेट बैंक | इंडियन बैंक

केरल राज्य सहकारी बैंक

निदेशक मंडल

(24 जुलाई 2024 तक)

श्री अनुराग जैन	:	अध्यक्ष, कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड सचिव, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, कमरा सं.122 सी, निर्माण भवन, नई दिल्ली
श्री जयदीप	:	ओएसडी (यूटी) एवं पदेन संयुक्त सचिव, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली
श्रीमती नमिता मेहरोत्रा	:	निदेशक वित्त, एनसीआरटीसी, गतिशक्ति भवन, आईएनए नई दिल्ली - 110023
श्री भूपेन्द्र सिंह बोध	:	एसएजी/आईआरएसईई ईडी/आरई, रेलवे बोर्ड सेम.-बी,1008, शिप्रा सृष्टि, इंदिरापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश
डॉ. वेणु वी.	:	मुख्य सचिव, केरल सरकार, सरकारी सचिवालय, तिरुवनंतपुरम
श्री रवीन्द्र कुमार अग्रवाल	:	प्रमुख सचिव (वित्त) केरल सरकार, सरकारी सचिवालय, तिरुवनंतपुरम
श्री बीजु प्रभाकर	:	सचिव, परिवहन, (मेट्रो), केरल सरकार, सरकारी सचिवालय, तिरुवनंतपुरम
श्री उमेश एन.एस.के.	:	जिला कलेक्टर, कलेक्टरेट, एरणाकुलम, काक्कनाड, कोच्ची
श्री लोकनाथ बेहरा	:	प्रबंध निदेशक, कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड, जे.एल.एन मेट्रो स्टेशन, चौथी मंजिल, कलूर, कोच्ची- 682017
श्री संजय कुमार	:	निदेशक (प्रणाली), कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड, जेएलएन मेट्रो स्टेशन, चौथी मंजिल, कलूर, कोच्ची– 682017
श्रीमती अन्नपूरणी एस	:	निदेशक (वित्त), कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड, जेएलएन मेट्रो स्टेशन, चौथी मंजिल, कलूर, कोच्ची- 682017
डॉ. एम. पी. रामनवास	:	निदेशक (परियोजनाएं), कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड, जेएलएन मेट्रो स्टेशन, चौथी मंजिल, कलूर, कोच्ची - 682017

अध्यक्ष का संदेश

श्री अनुराग जैन
अध्यक्ष, कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड
सचिव, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय
भारत सरकार

प्रिय शेयरधारकों,

मुझे आपकी कंपनी की 13वीं वार्षिक आम बैठक में आपका स्वागत करते हुए तथा 13वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है । बोर्ड की रिपोर्ट, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी के लेखा परीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण, उस पर संवैधानिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और साथ ही अनुपूरक लेखा परीक्षा पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सी एंड एजी) की टिप्पणियाँ पहले ही परिचालित की जा चुकी हैं और आपकी अनुमति से, मैं इन्हें पढ़ा हुआ मानता हूँ ।

कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड (के.एम.आर.एल) ने निस्संदेह कोच्ची में सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण प्रगति की है । वर्ष 2017 में अपनी स्थापना से लेकर, कोच्ची मेट्रो यात्रा का एक विश्वसनीय और कुशल तरीका पेश करते हुए शहर की पारगमन प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई है ।

माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दिनांक 6 मार्च 2024 को महामहिम राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान और माननीय मुख्यमंत्री श्री पिणराई विजयन की उपस्थिति में चरण Iबी का उद्घाटन किया और जनता के लिए खोल दिया । कंपनी अब अलुवा से त्रिप्पूनित्तुरा टर्मिनल तक लगभग 28 कि.मी. का नेटवर्क संचालित करती है ।

कोच्ची के छोटे-छोटे हिस्सों और असंगत क्षेत्रों को मेट्रो के मानचित्र पर लाने के उद्देश्य से आपकी कंपनी चरण II (जे.एल.एन स्टेडियम से इन्फोपार्क तक) के रूप में आगे विस्तार के लिए तत्पर है और इस चरण का विस्तार कार्य प्रगति पर है ।

के.एम.आर.एल कोच्ची के लोगों के लिए परिवहन और यात्रा अनुभव को बेहतर बनाने हेतु सुरक्षित, सुलभ और आरामदायक एन.एम.टी बुनियादी ढांचे के माध्यम से, कुशल अंतिम मील कनेक्टिविटी सहित सार्वजनिक परिवहन सेवा को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न स्तरों पर काम कर रहा है ।

पूरे वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड ने एक विश्वसनीय और भरोसेमंद सार्वजनिक परिवहन सेवा के रूप में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है । के.एम.आर.एल ने अपने हाल ही के परिचालन से प्रभावशाली परिणाम हासिल किए हैं । कुल किराया बॉक्स राजस्व 99.70 करोड़ रुपए तक पहुँच गया । यह मजबूत राजस्व सृजन संभवतः यात्रियों की सराहनीय संख्या तक पहुँचने का परिणाम है । वर्ष 2023-24 में आपकी कंपनी का विस्तृत वित्तीय प्रदर्शन भी बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल है ।

आपकी कंपनी कोच्ची वाटर मेट्रो लिमिटेड (के.डब्ल्यू.एम.एल) जो कंपनी के एक सहयोगी कंपनी है, के माध्यम से अद्वितीय कोच्ची वाटर मेट्रो परियोजना के लिए निष्पादन अभिकरण भी है । कोच्ची वॉटर मेट्रो ग्रेटर कोच्ची क्षेत्र में द्वीपों को जोड़ने वाली आधुनिक जल परिवहन बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए परिकल्पित अपनी तरह की एक अनूठी परियोजना है । जल मेट्रो परियोजना का संचालन भारत के माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिनांक 25 अप्रैल 2023 को राष्ट्र को समर्पित किया गया था । वॉटर मेट्रो का वाणिज्यिक संचालन पिछले साल दो मार्गों पर शुरू हुआ और इसे तीन अन्य मार्गों पर विस्तारित किया गया । उच्च न्यायालय - दक्षिण चिट्टूर और दक्षिण चिट्टूर से चेरानल्लूर तक दिनांक 14 मार्च 2024 को और उच्च न्यायालय - फोर्ट कोच्ची तक दिनांक 21 अप्रैल 2024 को, हाई कोर्ट - फोर्ट कोच्ची के बीच का मार्ग शुरू होगा, जिससे 24.8 किलोमीटर की दूरी पर 10 टर्मिनलों को जोड़ने वाले 5 मार्ग बन जाएंगे । पहली वर्षगांठ तक 2 मिलियन से अधिक यात्री यात्रा कर चुके हैं, तथा प्रतिदिन औसतन 5500 यात्री यात्रा करते हैं, अतः यह द्वीप यात्रियों और पर्यटकों दोनों के लिए सबसे अधिक मांग वाला परिवहन साधन बन गया है ।

आपकी कंपनी ने मेट्रो प्रणाली की परिचालन की चिरस्थाईता सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं । निर्माण एवं परिचालन दोनों में उच्च सुरक्षा मानकों को बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता रही है । सुरक्षा के प्रति यह प्रतिबद्धता यह सुनिश्चित करती है कि यात्री सुरक्षित यात्रा के लिए मेट्रो पर भरोसेमंद हो ।

कंपनी अपनी आगामी परियोजनाओं को शुरू करने के लिए उत्सुक है, जिसका उद्देश्य कोच्ची शहर में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को बदलना है । हमारा सतत लक्ष्य हमेशा अपने यात्रियों को एक सहज और परेशानी मुक्त आवागमन अनुभव प्रदान करना रहा है और इस तरह शहर में शहरी परिवहन को बढ़ाना
है । इस दृष्टिकोण को साकार करने के लिए, हम सभी पणधारियों से निरंतर समर्थन का अनुरोध करते हैं ।

मैं भारत सरकार और केरल सरकार के विभिन्न विभागों के साथ-साथ सभी पणधारियों, निदेशक मंडल, बैंकों, शेयरधारकों और प्रिंट, ऑडियो-विजुअल और सोशल मीडिया द्वारा प्रदान किए गए समर्थन और मार्गदर्शन के लिए अपनी गहरी सराहना व्यक्त करता हूँ ।

मैं कंपनी के सभी स्तरों पर कार्यरत कर्मचारियों के समर्पण, कड़ी मेहनत और अटूट प्रतिबद्धता के लिए औपचारिक रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ । के.एम.आर.एल के प्रबंध निदेशक, निदेशकों और अन्य कर्मचारियों के समर्पण और प्रयास ने के.एम.आर.एल को चुनौतियों से उबारा है और वे हमारी प्रेरक शक्ति बने हुए हैं ।

जैसे-जैसे हम अपने मूल्यवान यात्रियों, कोच्ची और केरल के लोगों के दृढ़ विश्वास और समर्थन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, हमें उभरते परिदृश्य से निपटने और अपने वादों को पूरा करने की अपनी क्षमता पर भरोसा है ।

सधन्यवाद,

ह0 /-
(अनुराग जैन)
अध्यक्ष, के.एम.आर.एल
सचिव, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
भारत सरकार

बोर्ड की रिपोर्ट 2023-24

प्रिय सदस्यों,

आपकी कंपनी के निदेशकों को 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के व्यवसाय और संचालन पर 13वीं वार्षिक रिपोर्ट, साथ ही लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण, लेखा परीक्षक की रिपोर्ट और उस पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी) की टिप्पणियां प्रस्तुत करते हुए खुशी हो रही है।

1.0 राजस्व संचालन की स्थिति

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कुल परिचालन राजस्व 151.30 करोड़ रुपए तथा अन्य आय 95.11 करोड़ रुपए रही, जो पिछले वर्ष के 200.99 करोड़ रुपए के मुकाबले कुल 246.41 करोड़ रुपए रही। कुल आय में अलुवा से त्रिपुनिथुरा टर्मिनल तक 28 कि.मी. की कुल दूरी को कवर करने वाली मेट्रो ट्रेन परिचालन से किराया बॉक्स राजस्व, गैर-किराया बॉक्स राजस्व, बाहरी परियोजनाएं, ब्याज आय, भारतीय लेखा मानक समायोजन आदि शामिल हैं।

वर्ष के दौरान कुल व्यय 205.60 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 128.89 करोड़ रुपए) था, जिससे मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय, वित्त लागत, अन्य व्यापक आय और कर व्यय से पहले लाभ 40.81 करोड़ रुपए रहा, जबकि पिछले वर्ष यह 72.09 करोड़ रुपए था।

वर्ष के दौरान मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय, वित्त लागत, अन्य व्यापक आय और कर व्यय के समायोजन के बाद की हानि 433.49 करोड़ (पिछले वर्ष 335.71 करोड़) रुपए हैं।

वित्तीय परिणाम का एक स्नैपशॉट नीचे दिया गया है:

रुपए : लाखों में

विवरण	2023-24	2022-23
सकल आय	246 40.89	200 98.76
परिचालन व्यय	205 59.78	128 89.40
ब्याज और मूल्यह्रास से पहले लाभ/(हानि)	40 81.11	72 09.36
वित्त प्रभार	294 22.31	222 08.39
सकल लाभ/(हानि)	(25 341.20)	(149 99.03)
अन्य व्यापक आय	(54.57)	(75.25)
मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	179 53.69	184 97.35
कर पूर्व शुद्ध लाभ/(हानि)	(433 49.46)	(335 71.63)
कर का प्रावधान	NIL	NIL
कर के बाद शुद्ध लाभ/(हानि)	(433 49.46)	(335 71.63)

1.1 शेयर पूँजी और अधीनस्थ ऋण

चरण I: दिनांक 31 मार्च 2024 को के.एम.आर.एल की कुल भुगतान किया गया शेयर पूँजी 1507.46 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 1507.46 करोड़ रुपए) है। आपकी कंपनी को भारत सरकार तथा केरल सरकार से स्वीकृत इक्विटी-निधि शेयर का 100% प्राप्त हुआ है।

भारत सरकार और केरल सरकार ने केंद्रीय करों के उप ऋण का अपना पूरा हिस्सा प्रत्येक 248.50 करोड़ रु.जारी कर दिया है। केरल सरकार ने राज्य करों की प्रतिपूर्ति के लिए 237.33 करोड़ रुपए और भूमि अधिग्रहण के लिए 672.25 करोड़ रुपए, जिसमें से 366 करोड़ रुपए केरल सरकार की ओर से चरण I परियोजना के लिए केरल राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड से बैक टू बैक ऋण के रूप में व्यवस्थित किए गए हैं।

चरण I विस्तार:

भारत सरकार ने चरण 1 परियोजना के लिए अनुदान के अपने हिस्से के रूप में 46.74 करोड़ रुपए जारी किए।
केरल सरकार ने भूमि अधिग्रहण के लिए उप-ऋण की अपनी पूरी हिस्सेदारी 150.74 करोड़ रुपए जारी कर दी।

चरण II

भारत सरकार ने शेयर आवेदन राशि (लंबित आबंटन) कोच्ची मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण के लिए उनके इक्विटी योगदान का हिस्सा के रूप में 100 करोड़ रुपए जारी किए है।

इसके अलावा, वर्ष के दौरान आपकी कंपनी को केरल सरकार से अधीनस्थ ऋण के रूप में व्यय के विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत 361.64 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई।

1.2 लाभांश

लाभांश के भुगतान योग्य लाभ की अनुपलब्धता के कारण, आपके निदेशक 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए किसी लाभांश की सिफ़ारिश नहीं करते हैं।

1.3 आरक्षित निधि में स्थानांतरण

आपके निदेशक दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए रिज़र्व में कोई राशि स्थानांतरित करने का प्रस्ताव नहीं रखते हैं।

1.4 सावधि ऋण और कार्यशील पूँजी ऋण

दिनांक 31 मार्च, 2024 तक एन.एम.टी परियोजना सहित चरण I के लिए ए.एफ.डी और केनरा बैंक का कुल बकाया ऋण क्रमशः 1019.79 करोड़ रुपए और 1386.97 करोड़ रुपए हैं। दिनांक 31 मार्च, 2024 तक केनरा बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कंसोर्टियम से चरण I विस्तार के लिए कुल बकाया ऋण राशि 672.18 करोड़ रुपए हैं।
उपरोक्त के अलावा, परियोजना कार्य, प्रारंभिक कार्यों के लिए भूमि अधिग्रहण, प्रारंभिक कार्य, चरण I परियोजना के लिए लागत वृद्धि, ब्याज भुगतान और ऋण चुकौती के लिए राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत के रूप में केरल राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड और हड्को से सावधि ऋण लिया गया है। दिनांक 31.03.2024 को केरल राज्य सहकारी बैंक और हड्को से बकाया राशि क्रमशः 141 करोड़ और 577. 61 करोड़ रुपए हैं।

दिनांक 31.03.2024 तक केनरा बैंक से कार्यशील पूँजी मांग ऋण सहित 26.32 करोड़ रुपए की कार्यशील पूँजी ऋण बकाया है।

सरकार द्वारा समय पर धन उपलब्ध नहीं कराने के कारण हडको ऋण की भुगतान में देरी (ऋण चुकौती में 21 दिनों की देरी) की वजह से मेसर्स इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आपकी कंपनी को 2079.67 करोड़ रुपए की बैंक ऋण सुविधा और 90 करोड़ रुपए के कार्यशील पूंजी ऋण के लिए आईएनडी ए-/ स्टेबल से आईएनडी बीबी+ स्टेबल में डाउनग्रेड किया गया है ।

2.0 परियोजना की प्रगति

2.1. कोच्ची मेट्रो रेल चरण Iबी परियोजना

चरण Iबी एस.एन. जंक्शन मेट्रो स्टेशन से एक स्टेशन सहित 1.20 किमी की लंबाई तक त्रिप्पुनित्तुरा टर्मिनल स्टेशन तक जाता है । संशोधित परियोजना लागत 448.33 करोड़ रुपए थी । चरण Iबी खंड के लिए सी.एम.आर.एस (मेट्रो रेल सुरक्षा आयुक्त) निरीक्षण दिनांक 12 और 13 फरवरी 2024 को आयोजित किया गया और तदनुसार सी.एम.आर.एस ने खंड के वाणिज्यिक संचालन के लिए अनुज्ञा पत्र जारी किया । इस खंड का उद्घाटन माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिनांक 06.03.2024 को माननीय राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान और माननीय मुख्यमंत्री श्री पिणराई विजयन की उपस्थिति में किया और इसे जनता के लिए खोल दिया गया ।

2.2. कोच्ची मेट्रो रेल चरण II परियोजना

भारत सरकार के व्यय विभाग ने 1957.05 करोड़ रुपए की लागत से जे.एल.एन स्टेडियम से कक्कनाड होते हुए इन्फोपार्क तक कोच्ची मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण के लिए 'सैद्धांतिक' मंजूरी दे दी थी, जिसकी सूचना दिनांक 26 फरवरी 2019 को आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के पत्र संख्या एफ़.सं..के-14011/08/2015-एमआरटीएस-IV के माध्यम से दी गई । इसके अलावा, प्रस्ताव पर दिनांक 13 मार्च 2020 को सार्वजनिक निवेश बोर्ड (पीआईबी) की बैठक में विचार किया गया ।

भारत के माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दिनांक 01.09.2022 को कोच्ची मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला रखी और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिनांक 07.09.2022 को दूसरे चरण के लिए मंजूरी दे दी । तदनुसार, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के पत्र संख्या एफ़.सं.के-14011/08/2015-एमआरटीएस-IV दिनांक 21.11.2022 द्वारा चरण II परियोजना के लिए मंजूरी आदेश जारी किया गया ।

चरण II के लिए विभिन्न संबद्ध कार्यों की स्थिति निम्नानुसार है:

i. केरल सरकार ने चरण II के प्रारंभिक कार्यों के लिए दिनांक 08/02/2016 स.आ. (एमएस.) संख्या 13/2016/ट्रांस के तहत 189 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है और G.O. (Ms.) 24/2023/TRANS दिनांक 03/04/2023 के तहत 356.21 करोड़ रुपये की संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है । सड़क चौड़ीकरण और पुल निर्माण के लिए 85% भूमि अधिग्रहण पूरा हो चुका है और शेष भूमि अधिग्रहण सितंबर 2024 से पहले पूरा होने की उम्मीद है ।

ii. इसके अलावा, दिनांक 17.12.2018 के जी.ओ. (एमएस) संख्या 73/2018/ट्रांस के तहत केरल सरकार ने चरण II के प्रारंभिक कार्य के रूप में सीपोर्ट-एयरपोर्ट रोड को चार लेन में चौड़ा करने के लिए 74 करोड़ रुपए की प्रशासनिक मंजूरी दी है । सीपोर्ट-एयरपोर्ट रोड (2.5 कि.मी.) का यह प्रारंभिक कार्य प्रगति पर है और सितंबर 2024 तक पूरा होने की उम्मीद है ।

iii. पालारिवट्टम से कुन्नुमपुरम तक के प्रारंभिक कार्य (3.65 कि.मी.) दो पैकेजों में दिया गया है और सितंबर 2024 तक पूरा होने की उम्मीद है ।

iv. जे.एल.एन स्टेडियम से इन्फोपार्क तक द्वितीय चरण की मेट्रो लाइन के संरेखण को दुरुस्त करने के लिए प्राइमरेल इंफ्रालैब्स प्राइवेट लिमिटेड को नियुक्त किया गया है और कार्य पूरा हो चुका है ।

v. चरण II के भू-तकनीकी जांच कार्य पूरा हो गया है ।

vi. स्टेशनों के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए, सरकारी भूमि पर स्टेशन भवन का निर्माण कार्य शुरू करने के लिए केरल सरकार से अनुमोदन प्राप्त हो गया है और निजी भूमि के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य प्रगति पर है और सितंबर 2024 तक पूरा होने की उम्मीद है ।

vii. चरण II के स्टेशन घटकों का डीडीसी कार्य एजिस इंडिया कंसल्टिंग इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड को प्रदान किया गया है ।

viii. विद्युत आपूर्ति वितरण प्रणाली 750 वी डीसी थर्ड रेल ट्रैक्शन इलेक्ट्रिफिकेशन और स्काडा सिस्टम के लिए डीडीसी का कार्य सिस्ट्रा एमवीए कंसल्टिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को प्रदान किया गया है ।

ix. सिस्ट्रा के साथ कंसोर्टियम में सिस्ट्रा एमवीए कंसल्टिंग (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड को चरण II के सामान्य सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है ।

x. काक्कनाड और एसईजेड में 2 प्रवेश/निकास स्टेशन भवनों के सिविल कार्य दिनांक 29.03.2023 को शुरू किया गया और कार्य प्रगति पर है ।

xi. चिट्टेत्तुकरा, किनफ्रा पार्क और इन्फोपार्क में 3 प्रवेश/निकास स्टेशन भवनों के सिविल कार्यों का कार्य आदेश जारी किया गया और कार्य प्रगति पर है ।

xii. दिनांक 30.06.2024 तक चरण II की भौतिक और वित्तीय प्रगति ।

भौतिक प्रगति: - 4.24%
वित्तीय प्रगति: - 4.98%

2.3 गैर-मोटर चालित परिवहन पहल

केएमआरएल सार्वजनिक परिवहन सेवा में सुधार के लिए विभिन्न स्तरों पर काम कर रही है, जिसमें सुरक्षित, सुगम और आरामदायक एनएमटी अवसंरचना के माध्यम से कुशल अंतिम मील कनेक्टिविटी भी शामिल है, ताकि कोच्चि के लोगों के लिए परिवहन और यात्रा अनुभव में सुधार हो सके ।

गैर-मोटर चालित परिवहन पहल के एक भाग के रूप में, के.एम.आर.एल ने निम्नलिखित पैकेजों के तहत पैदल यात्री मार्ग निर्माण और सुधार कार्यों को मान्यता दी है ।

- कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड की गैर-मोटर चालित परिवहन (एन.एम.टी) पहल का विकास/सुधार। पैकेज ए - अलुवा से इडपल्ली जंक्शन तक ।

- कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड के गैर-मोटर चालित परिवहन (एन.एम.टी) पहल का विकास/सुधार। पैकेज बी - मनोरमा जंक्शन से एस.एन. जंक्शन तक ।

- कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड की कलूर-कड़वंतरा रोड पर गैर-मोटर चालित परिवहन (एन.एम.टी) पहल का विकास।

उपरोक्त परियोजनाओं में मेट्रो कॉरिडोर के साथ-साथ मेट्रो स्टेशनों तक जाने वाली प्रमुख मुख्य सड़कों पर पैदल पथों का विकास/सुधार शामिल है।

वॉकवे का डिज़ाइन उन लोगों की ज़रूरतों का ध्यान रखेगा जो पैदल चलते हैं, जो चलने के लिए छड़ी, बैसाखी या व्हीलचेयर जैसे सहायक उपकरण का उपयोग करते हैं, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, दिव्यांग व्यक्ति, दृष्टि बाधित व्यक्ति आदि। प्रमुख विशेषताओं में मौजूदा नाले का जीर्णोद्धार/जहाँ भी आवश्यक हो वहाँ नए नाले का निर्माण, स्पर्शनीय पथ के साथ प्राकृतिक पत्थर के फुटपाथ का निर्माण, मैनहोल, गली ट्रैप, कर्ब, बोलार्ड, वृक्ष ग्रेटिंग, वृक्षारोपण, कियोस्क, स्ट्रीट फर्नीचर, डस्टबिन, लैंडस्केपिंग, एलईडी स्ट्रीट लाइट आदि शामिल हैं। इसके अलावा, ओवरहेड विद्युत लाइन को भूमिगत विद्युत लाइन में परिवर्तित करना भी पहल का एक हिस्सा है।

2.4. तिरुवनंतपुरम तथा कोष़िक्कोड मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना

दिनांक 01.09.2022 के का.आ. सं. 43/2022/ट्रांस के तहत केरल सरकार ने तिरुवनंतपुरम और कोष़िक्कोड में लाइट मेट्रो/मेट्रोलाइट परियोजना और तीन फ्लाईओवरों के निर्माण का कार्य कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड (के.एम.आर.एल) को हस्तांतरित कर दिया है। वर्तमान में, तिरुवनंतपुरम और कोष़िक्कोड के लिए नई व्यापक गतिशीलता योजना (सी.एम.पी) और वैकल्पिक विश्लेषण रिपोर्ट (ए.ए.आर) तैयार कर सरकार को सौंप दी गई है, साथ ही कोच्ची के लिए सी.एम.पी और ए.ए.आर की तैयारी भी प्रगति पर है। तिरुवनंतपुरम मेट्रो के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर) की तैयारी चल रही है। इसके अतिरिक्त, के.एम.आर.एल ने तिरुवनंतपुरम में श्रीकार्यम, पट्टम और उल्लूर में तीन फ्लाईओवर के निर्माण के लिए गतिविधियाँ शुरू कर दी हैं।

3.0 एकीकृत जल परिवहन परियोजना (जल मेट्रो परियोजना)

3.1 सामान्य

कोच्ची जल मेट्रो, विशाल कोच्ची क्षेत्र के द्वीपों को आपस में जोड़ने वाले आधुनिक जल परिवहन, बुनियादी ढाँचे के निर्माण की परिकल्पना के लिए की गई एक अनूठी परियोजना है। इस परियोजना की परिकल्पना 78 बैटरी संचालित इलेक्ट्रिक-हाइब्रिड नौकाओं से 76 किलोमीटर की लंबाई वाली 38 जेटियों को जोड़ने के लिए की गई है। यह माल और यात्रियों दोनों के लिए जेटी, बस टर्मिनल और मेट्रो नेटवर्क का एकीकृत उपयोग सुनिश्चित करता है। यह परियोजना केरल सरकार के स्वामित्व में है। परियोजना की स्वीकृत लागत (नावों की एक तिहाई लागत को छोड़कर) 682.01 करोड़ रुपए हैं, जिसमें से 579.71 करोड़ रुपए के.एफ़.डबल्यू द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा
है। डी.ई.ए के माध्यम से के.एफ.डब्ल्यू के लागत वृद्धि का अनुरोध संसाधित किया जा रहा है।

सरकार ने जून 2021 में केरल सरकार ने 1064.83 करोड़ रुपए की संशोधित परियोजना लागत के लिए मंजूरी प्रदान की। संशोधित वित्तपोषण पैटर्न के अनुसार, केरल सरकार द्वारा156.07 करोड़ रुपए का तथा शेष राशि केएफडब्ल्यू द्वारा वित्तपोषित (अर्थात 85 मिलियन यूरो तथा अतिरिक्त ऋण के रूप में 24.7 मिलियन यूरो) किया जाएगा डी.ई.ए ने जनवरी 2023 में के.एफ.डब्ल्यू को अतिरिक्त धनराशि देने की सिफारिश की। 24.7 मिलियन यूरो के अतिरिक्त ऋण पर हस्ताक्षर करने से पहले डी.ई.ए और के.एफ.डब्ल्यू के बीच अंतिम चर्चा जारी है।

3.2 प्रगति अद्यतन:

जल मेट्रो परियोजना का संचालन दिनांक 25 अप्रैल 2023 को भारत के माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया । जल मेट्रो का वाणिज्यिक परिचालन दो मार्गों - हाई कोर्ट - वाइपिन और वैट्टिला - काक्कनाड - पर क्रमशः दिनांक 26 और 27 तारीख को शुरू हो गया । पहली वर्षगांठ तक 2 मिलियन से अधिक यात्री यात्रा कर चुके हैं ।

सितंबर 2019 तक 23 सं.100 यात्री नौकाएँ कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड को ऑर्डर किया गया था, जिसमें से 14 नाव प्राप्त हुई । 38 में से 10 टर्मिनल पूरी तरह से चालू हैं । उम्मीद है कि अगस्त 2024 तक तीन और नौकाओं की आपूर्ति हो जाएगी । निर्माण के लिए दिए गए 15 टर्मिनलों में से 10 पूरे हो चुके हैं और 5 और पूरे होने वाले हैं, जिनके दिसंबर 2024 तक तैयार होने की उम्मीद है । फ्लोटिंग पोंटून, एकीकृत यातायात प्रबंधन प्रणाली (आईटीएमएस), यात्री नियंत्रण प्रणाली (पीसीएस), ड्रेजिंग आदि जैसे संबद्ध घटक समानांतर रूप से प्रगति पर हैं । 100 यात्री नौकाओं के अगले 15 सेट के लिए निविदा प्रक्रिया प्रगति पर है ।

4.0 एकीकृत शहरी पुनरुद्धार और जल परिवहन प्रणाली (आईयूआरडब्ल्यूटीएस) परियोजना

आपकी कंपनी को आईयूआरडब्ल्यूटीएस परियोजना के अंतर्गत कोचीन शहर में 6 प्रमुख नहरों के पुनर्जनन और कायाकल्प का कार्य सौंपा गया था । परियोजना के तहत प्रस्तावित छह नहरें हैं: इडपल्ली नहर (11.23 कि.मी.), पेरंडूर नहर (9.88 कि.मी.), चिलवन्नूर नहर (11.15 कि.मी.), तेवरा नहर (1.41 कि.मी.), मार्केट नहर (0.66 कि.मी.) और कोंतुरुत्ति' नहर (0.67 कि.मी.) आदि । आपकी कंपनी का लक्ष्य नहर के किनारे को सार्वजनिक संपत्ति के रूप में पुनः प्राप्त करना, इसकी स्थानिक संरचना में सुधार करना और नहरों के साथ शहर के रिश्ते को बहाल करना है । वर्तमान में सभी नहरें घरेलू अपशिष्ट, व्यावसायिक अपशिष्ट, निर्माण अपशिष्ट, खरपतवार वृद्धि और अन्य स्रोतों द्वारा अत्यधिक गादयुक्त एवं प्रदूषित हैं ।

परियोजना के भाग के रूप में, आपकी कंपनी नहरों की सफाई, ड्रेजिंग और चौड़ीकरण, तट संरक्षण, सड़क पुलों का पुनर्निर्माण, स्वच्छता सीवर लाइन और एसटीपी, स्वच्छता सुविधाएं, नाव टर्मिनल आदि जैसी गतिविधियां संचालित करने की योजना बना रही है ।

परियोजनाको क्रियान्वित करने के लिए, आपकी कंपनी ने 41.27 हेक्टेयर निजी भूमि और 2.79 हेक्टेयर सरकारी भूमि के लिए भूमि अधिग्रहण प्रस्ताव प्रस्तुत किया है । राजस्व विभाग ने अपेक्षित भूमि के अधिग्रहण के लिए पहले ही मंजूरी दे दी है और जिला प्रशासन के साथ भूमि अधिग्रहण का कार्य प्रगति पर है । दो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थानों के लिए भूमि सीमांकन और एस.आई.ए अध्ययन पूरा हो चुका है तथा एडापल्ली नहर के लिए भी काफी हद तक अध्ययन पूरा हो चुका है । शेष नहरों के लिए भूमि सीमांकन और एस.आई.ए अध्ययन जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है ।

निष्पादन प्रारंभ करने के लिए सभी वैधानिक मंजूरी जैसे कि सीआरजेड मंजूरी, एमओईएफ और सीसी, वन्य जीवन मंजूरी प्राप्त की जा चुकी है और सभी प्रारंभिक अध्ययन पूरे हो चुके हैं । संपूर्ण परियोजना की संकल्पना डिजाइन पूरी हो चुकी है ।

आपकी कंपनी ने यह स्थापित किया है कि जिन नहरों में नौका प्रणाली के साथ नौवहन की परिकल्पना की गई है, उनकी जीर्ण-शीर्ण स्थिति का मूल कारण इस परियोजना के अंतर्गत नहरों में सीवेज का अनियंत्रित निर्वहन है । आपकी कंपनी ने सिफारिश की है कि जब तक सीवेज का निर्वहन बंद नहीं किया जाता, तब तक नौकाओं का संचालन चिरस्थाई नहीं होगा । चिरस्थाई नहर प्रणाली की खोज में, आपकी कंपनी ने कोच्ची में पहली बार कोच्ची शहर के सीवरेज मास्टर प्लान को शामिल करते हुए सीवर लाइनों के साथ 4 विकेन्द्रीकृत सीवेज उपचार प्रणाली डिजाइन की है । इसके लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, सी.यू.बी.ई (आई.आई.टी मद्रास और जी.ओ.टी.एन का एक संयुक्त उद्यम) द्वारा विधिवत जाँच के बाद केरल सरकार को प्रस्तुत की गई और वित्त पोषण एजेंसी किफ़्बी (केरल इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड) ने 1325.74 करोड़ रुपए की राशि के लिए

वित्त पोषण की मंजूरी प्रदान की । आपकी कंपनी और केरल सरकार सीवरेज परियोजना को हाइब्रिड एन्युटी मॉडल में लागू करने के लिए मिलकर काम कर रही हैं ताकि राज्य के राजकोष पर वित्तीय बोझ कम किया जा सके । आपकी कंपनी भारत सरकार के 'राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम' के तहत सीवरेज परियोजना के लिए धन प्राप्त करने हेतु जल शक्ति मंत्रालय के साथ भी काम कर रही है ।

नियुक्त ठेकेदार द्वारा कार्य न किए जाने के कारण अब मार्केट नहर के लिए नहर उन्मुख विकास कार्यों की पुनः निविदा की गई है । आपकी कंपनी ने एलमकुलम मेट्रो स्टेशन तक पहुंचने के लिए जल मेट्रो नौकाओं को पहुंच प्रदान करने हेतु चिलावनूर नहर के मुहाने पर 90 मीटर लंबे धनुषाकार पुल का निर्माण करने का भी प्रस्ताव दिया है । इससे एलमकुलम में जल मेट्रो और मेट्रो रेल का एकीकरण संभव हो सकेगा । आपकी कंपनी, जहां भी संभव हो, परिवहन के सभी साधनों के निर्बाध एकीकरण की दिशा में काम करती रहती है । उक्त कार्य केरल सरकार और किफ़्बी की मंजूरी से ठेकेदार - उरालुंगल श्रम अनुबंध सहकारी समिति को 38.78 करोड़ रुपए की लागत पर प्रदान किया गया है । प्रारंभिक सर्वेक्षण और अवधारणा डिजाइन पहले ही पूरा हो चुका है और पाइल लोड टेस्ट और विस्तृत डिजाइन प्रगति पर है ।

केरल सरकार के बाढ़ शमन उपायों के एक भाग के रूप में और इडप्पल्ली नहर को नौगम्य बनाने हेतु, आपकी कंपनी ने चेम्बुमुक्कु क्षेत्र के इडप्पल्ली नहर पर 2 पुलों का पुनर्निर्माण करने का प्रस्ताव दिया है । आपकी कंपनी ने बाढ़ न्यूनीकरण उपाय के तहत सुभाष चंद्र बोस रोड पर चिलवन्नूर नहर पर एक पुल का पुनर्निर्माण करने का भी प्रस्ताव दिया है । आपकी कंपनी ने मानसून के दौरान पानी की उचित निकासी सुनिश्चित करने के लिए चिल्लवन्नूर नहर में ड्रेजिंग करने का प्रस्ताव दिया है । आपकी कंपनी को आगामी किफ़ बोर्ड बैठक में इन परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण की मंजूरी मिलने की उम्मीद है ।

5.0 प्रणाली अनुबंध

क. सिग्नलिंग एवं दूरसंचार

वर्ष के दौरान चरण **I**बी खंड चालू किया गया । मौजूदा सीबीटीसी सिग्नलिंग को चरण **I**बी खंड तक विस्तारित किया गया और उपरोक्त सिग्नलिंग एकीकरण के साथ यात्रियों के लिए निर्बाध यात्रा सुनिश्चित की गई ।

कोच्ची जल मेट्रो परियोजना के लिए आईटीएमएस और पीसीएस का काम शुरुआती **5** घाटों (हाई कोर्ट, वैपिन, काक्कनाड, वैटिला और बोलगाट्टी) के अलावा **4** और घाटों (दक्षिण चिट्टूर, चेरानल्लूर, एलूर और उत्तर मुलवुकाड) के लिए पूरा हो चुका है । इसके संचालन का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया गया । यात्रियों की जल मेट्रो दूरसंचार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सीसीटीवी, पीआईडीएस, पीएएस और वीएचएफ संचार जैसे सभी दूरसंचार उपकरण भी चालू कर दिए गए हैं ।

ख. बिजली आपूर्ति और कर्षण और विद्युत और यांत्रिक

त्रिपुनित्तुरा टर्मिनल तक चरण **I**बी के सभी ई एवं एम कार्य, लिफ्ट और एस्कलेटर पूरे हो चुके हैं और राजस्व संचालन दिनाक 06.03.2024 को शुरू हो गया है । त्रिपुनित्तुरा टर्मिनल स्टेशन (2) की पीडी लिफ्टों का कार्य स्थापना एवं कमीशनिंग चरण में है ।

- चरण – Iबी का कर्षण और सहायक विद्युत आपूर्ति कार्य

चरण- Iबी खंड में, 110kV बिजली केएसईबीएल के नए व्यट्टिला सबस्टेशन से डबल सर्किट भूमिगत केबल के माध्यम से ली जाती है । इस 110kV बिजली की आपूर्ति को के.एम.आर.एल के तैक्कूडम रिसीविंग सबस्टेशन पर 33kV तक (2x25 एमवीए) घटा दिया जाता है और फिर सामान्य सेवाओं के लिए 415 वी - 3 चरण प्रणाली में परिवर्तित करने के लिए वयाडक्ट

के साथ 33kV ट्विन सर्किट केबल के माध्यम से प्रत्येक स्टेशन पर सहायक सबस्टेशन तक वितरित किया जाता है। उसी 33kV वितरण प्रणाली से प्राप्त बिजली का उपयोग ट्रैक्शन सबस्टेशनों में ट्रैक्शन आपूर्ति के लिए बिजली को 750V DC में परिवर्तित करने के लिए भी किया जा रहा है। मुट्टम डिपो आर.एस.एस पर 110kV वोल्टेज स्तर पर बिजली का एक वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध है।

ट्रैक्शन सब-स्टेशन (टीएसएस) यह सुनिश्चित करता है कि रेक्टिफायर ट्रांसफार्मर और रेक्टिफायर के उपयुक्त सेट के माध्यम से 33kV बिजली को 750 वी डीसी में परिवर्तित हो। तीसरी रेल एल्युमीनियम बॉडी से बनी है, जिसे 4500 एम्पियर की नाममात्र धारा के लिए डिजाइन किया गया है, तथा कलेक्टर शूज़ में धारा स्थानांतरण के लिए स्टेनलेस स्टील संपर्क पथ भी है।

सभी केबल अग्निरोधी कम धुआँ (एफ़आरएलएस) श्रेणी के हैं और इन्हें ट्रैक के साथ वायडक्ट पर उपलब्ध केबल डक्ट/पथ के अंदर बिछाया गया है।

दिनांक 06.01.2017 के रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या 2015/प्रोज./कोच्ची/30/10 के तहत बिजली आपूर्ति प्रणाली के लिए तकनीकी मंजूरी प्राप्त की गई है।

विद्युत प्रतिष्ठानों और तीसरी रेल कर्षण प्रणाली के ऊर्जीकरण के लिए ईआईजी मंजूरी निम्नानुसार प्राप्त की गई है:

I. केएमआरएल/ईआईजी-3/प्रोज./एएसएसटीएसएस/2023/002 दिनांकित 18/11/2023
II. केएमआरएल/ईआईजी/प्रोज./3rd रेल/2023/02 दिनांकित 07/12/2023

निरीक्षण खंड में निम्नलिखित विद्युत आपूर्ति संस्थापन चालू किए गए हैं:

क्रम सं.	सबस्टेशन का प्रकार	स्थान	स्तर
1	सहायक सह कर्षण सबस्टेशन (एएसएस/टीएसएस)		
	त्रिप्पुनित्तुरा (टीपीएचटी)	त्रिप्पुनित्तुरा	कॉन्कोर्स स्तर

- **स्काडा**

पर्यवेक्षी नियंत्रण और डेटा अधिग्रहण (स्काड़ा) प्रणाली सामान्य और आउटेज दोनों परिदृश्यों में 110kV, 33kV और 750V DC उपकरणों को नियंत्रित और मॉनिटर करने में सक्षम है। इसके अतिरिक्त, इस खंड में आपातकालीन ट्रिप प्रणाली, भटकाव धारा सुरक्षा एवं निगरानी प्रणाली तथा ऊर्जा अवधारणा निगरानी प्रणाली भी शामिल है।

ग. सौर संयंत्र

केएमआरएल ने अपनी स्थापना के समय ही केएमआरएल ट्रेन संचालन के लिए पूर्ण ऊर्जा तटस्थता प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ सौर ऊर्जा क्षमता का दोहन करने की योजना बनाई है। सौर ऊर्जा उपलब्ध कराकर, के.एम.आर.एल ने कार्बन उत्सर्जन में कमी के साथ गो ग्रीन अवधारणा के अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है, तथा सौर ऊर्जा उत्पादन केंद्र के रूप में अग्रणी स्थान प्राप्त किया है। कई सौर परियोजनाएं जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के भारत सरकार के साझा लक्ष्य/योजना के अनुरूप हैं। मुट्टम डिपो के निकट बंजर दलदली भूमि को सौर ऊर्जा उत्पादन भूमि में परिवर्तित कर दिया गया है। सौर परियोजना के चरणबद्ध दृष्टिकोण के आधार पर, के.एम.आर.एल ने सौर परियोजना को एस.पी.वी 01, एस.पी.वी 02 और एस.पी.वी 03 नामक तीन खंडों या परियोजनाओं में चिह्नित किया है।

सभी परियोजनाएं आरईएससीओ मॉडल पर संचालित की जा रही हैं, जिसमें 25 वर्ष तक विफलता मुक्त संचालन का दायित्व

उन विद्युत उत्पादकों के पास है जिनके साथ पीपीए पर हस्ताक्षर हो चुके हैं । ऊर्जा तटस्थता के लक्ष्य को चरणबद्ध तरीके से उपरोक्त परियोजनाओं के माध्यम से प्राप्त करने की परिकल्पना की गई है ।

1. सौर परियोजना का चरण I

सौर परियोजना के प्रथम चरण के अंतर्गत, 2018 में प्रति वर्ष लगभग **37** लाख यूनिट उत्पादन के साथ मेट्रो स्टेशनों और डिपो भवनों की छतों पर **2.**7MWp की स्थापित क्षमता के रूफटॉप सौर परियोजना लागू की गई । इस परियोजना को रेसको (नवीकरणीय ऊर्जा सेवा कंपनी) मॉडल के माध्यम से विक्रेता द्वारा पूंजी निवेश और एमएनआरई, भारत सरकार से सब्सिडी सहायता के साथ कार्यान्वित किया गया और इस संयंत्र को मार्च 2018 में चालू किया गया । इस संयंत्र से उत्पादन उस समय के कुल ऊर्जा आवश्यकता का लगभग 18% था ।

2. सौर परियोजना का चरण II

उपरोक्त के अलावा, 2019 में, के.एम.आर.एल के डिपो में **2.7** मेगावाट क्षमता वाली एक ग्राउंड माउंटेड सौर ऊर्जा परियोजना चालू की गई । यह भूमि बंजर दलदली असमान भूमि थी, जिसे सौर ऊर्जा उत्पादक बनाने के लिए बाड़ लगाकर सुरक्षित किया गया । यह परियोजना विक्रेता द्वारा पूर्ण पूंजी निवेश के साथ रेसको (नवीकरणीय ऊर्जा सेवा कंपनी) मॉडल के माध्यम से कार्यान्वित की गई और मार्च 2019 में सफलतापूर्वक चालू किया गया, जिससे प्रति वर्ष लगभग 44 लाख यूनिट का औसत उत्पादन हुआ, जिससे सौर ऊर्जा क्षमता 30% तक ऊर्जा तटस्थता के साथ 5.4 MWp तक बढ़ गई । तत्पश्चात, फरवरी 2018 में आयोजित 29वीं बोर्ड बैठक में, वर्ष 2018-2019 तक 10MWp हरित ऊर्जा प्राप्त करने का अनुमान लगाया गया, जिसके लिए चरण III के रूप में एक सौर परियोजना स्थापित की गई ।

3. सौर परियोजना का चरण III

इसके अलावा, केएमआरएल ने 5.19 MWp की कुल क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना के तीसरे चरण चालू किया, जिसमें तीन प्रकार के सौर अर्थात अर्थात डिपो ट्रैक स्थान पर छत पर स्थापित, जमीन पर स्थापित और संरचनात्मक रूप से स्थापित । इस परियोजना की एक अनूठी विशेषता यह है कि इसमें बैलस्टेड डिपो ट्रैक स्थान पर 2.4 MWp क्षमता का सौर संयंत्र स्थापित किया गया है, जो भारत में मेट्रो ट्रेन डिपो स्थान पर अपनी तरह का एक अनूठा संयंत्र है । सौर परियोजना का यह तीसरा चरण अगस्त 2022 में चालू किया गया और इससे के.एम.आर.एल का सौर योगदान 10.57 MWp तक पहुँच गया और इससे के.एम.आर.एल के सौर से कुल वार्षिक उत्पादन 137 लाख यूनिट हो गया । इस प्रकार 29वीं बोर्ड बैठक का वर्ष 2022 तक 10 MWp प्राप्त करने का लक्ष्य पूरा हो गया और परियोजना को पूरा करने में देरी उस समय के गंभीर महामारी के कारण हुई ।

ये हरित ऊर्जा पहल प्रतिवर्ष लगभग 13,090 टन CO2 उत्सर्जन को कम करके पर्यावरणीय स्थितियों में सुधार करने में योगदान देती है, जो परियोजना के जीवनकाल में 5,18,371 सागौन के पेड़ लगाने के बराबर है ।

4. **भविष्य का प्रस्ताव**

के.एम.आर.एल के पास चार स्थानों से 735 किलोवाट पावर प्राप्त करने का प्रस्ताव है, जिनमें से दो स्थान चरण **1** विस्तार स्टेशनों से हैं तथा अन्य 10 मेगावाट पावर कासरगोड स्थान से प्राप्त करने का प्रस्ताव है । 735KWp सौर परियोजना के लिए रेसको में ठेकेदार की पहचान पहले ही कर ली गई है । कासरगोड परियोजना प्रस्ताव अपने प्रारंभिक चरण में है ।

एक बार जब यह परियोजना स्थापित हो जाएगी और के.एस.ई.बी.एल से इसकी कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए उचित मान्यता मिल जाएगी, तो के.एम.आर.एल अपने चरण-I मेट्रो परिचालन में सहायक भार की पूर्ति सहित 100% ऊर्जा तटस्थता

हासिल कर लेगा । भूमि की पहचान कर ली गई है और सरकार से भूमि सौंपे जाने का इंतजार है । इस परियोजना रेस्को के लिए प्रस्तावित है । इस सौर ऊर्जा को जोड़ने से कोच्ची मेट्रो ट्रेन परिचालन के व्यय में और अधिक बचत होगी ।

घ. स्वचालित किराया संग्रह प्रणाली

स्वचालित किराया संग्रह सुविधा चरण Iबी (एसएनजेएन-टीपीएचटी) खंड के त्रिपुनित्तुरा टर्मिनल मेट्रो स्टेशन तक विस्तारित किया गया, जिसका उद्घाटन माननीय प्रधान मंत्री द्वारा किया गया । यात्री परिचालन के लिए टीवीएम और आरसीटीएम सहित एएफसी सुविधाएं उपलब्ध थीं । कोच्ची वॉटर मेट्रो में, स्वचालित टिकटिंग सुविधा (एएफसी) को प्रारंभिक 5 घाटों अर्थात् हाई कोर्ट, वैपिन, काक्कनाड, वैटिला और बोलगाट्टी के अलावा 4 और घाटों (दक्षिण चिट्टूर, चेरानल्लूर, एलूर और मुलवुकाडु उत्तर) तक बढ़ा दिया गया है । इसके संचालन का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया गया । सामान्य अवधि पास भी पेश किया गया, जो मेट्रो के साथ-साथ जल मेट्रो में एकीकृत यात्रा की सुविधा प्रदान करता है । डिजिटल टिकटिंग की पहुंच बढ़ाने की एक पहल के रूप में, वर्ष के दौरान व्हाट्सएप टिकटिंग, कोच्ची1ऐप पर ग्रुप टिकटिंग की शुरुआत की गई । कोच्ची मेट्रो ओ.एन.डी.सी प्लेटफॉर्म पर डिजिटल टिकटिंग उपलब्ध कराने वाली दूसरी मेट्रो है । ओ.एन.डी.सी प्लेटफॉर्म पर डिजिटल टिकटिंग का उद्घाटन 5 क्रेता अनुप्रयोगों अर्थात् नम्मा यात्री, पेटीएम, रेडबस, रैपिडो और फोनपे के साथ किया गया । कोच्ची मेट्रो टिकटिंग को गूगल वॉलेट पर भी उपलब्ध करा दिया गया है ।

ङ प्रमुख आईटी पहल

- **वर्चुअल वास्तविकता और विस्तारित वास्तविकता:** ग्राहक संतुष्टि और मल्टीमॉडल एकीकरण पर कोच्ची मेट्रो और कोच्ची वाटर मेट्रो के लिए इमर्सिव वीआर, ईआर अनुभव नई दिल्ली में आयोजित अर्बन मोबिलिटी इंडिया (यूएमआई), तिरुवनंतपुरम में आयोजित केरलीयम, और मुंबई में आयोजित वैश्विक समुद्री शिखर सम्मेलन भारत में जारी और प्रदर्शित किया गया ।

- **रोबोट:** कोच्ची में उभरती इंजीनियरिंग प्रतिभाओं के सहयोग से के.एम.आर.एल, ने एक रोबोट विकसित किया है, जिसे त्रिप्पुनित्तुरा टर्मिनल पर प्रदर्शित किया गया, जिसकी व्यापक रूप से प्रशंसा हुई ।प्रोटोटाइप यात्रियों का स्वागत करता है और यात्रियों को बुनियादी जानकारी प्रदान करता है ।

- **के.डब्ल्यू.एम.एल कॉर्पोरेट वेबसाइट:** केएमआरएल ने इलाहिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की युवा प्रतिभाओं के साथ मिलकर नेक्स्टजेएस, एडब्ल्यूएस एम्पलीफाई और स्ट्रैपी सीएमएस जैसी तकनीकों का उपयोग करके वाटर मेट्रो कॉर्पोरेट वेबसाइट विकसित की । इसका उद्घाटन वाटर मेट्रो के साथ दिनांक 24 अप्रैल 2023 को केरल के उद्योग, कानून और कॉयर मंत्री श्री पी. राजीव ने किया ।

6.0 परिचालन

के.एम.आर.एल ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अपनी सेवा आवृत्ति में उल्लेखनीय वृद्धि की है । इस नेटवर्क पर अब 14 रेलगाड़ियाँ हैं जो 7 मिनट और 45 सेकंड की गति से चल रही हैं । इस बढ़ी हुई आवृत्ति से यह सुनिश्चित होता है कि यात्रियों को ट्रेन के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, जिससे 28.144 किलोमीटर मार्ग पर और 25 स्टेशनों पर सुविधाजनक और आरामदायक यात्रा का अनुभव प्राप्त होगा ।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड ने एक विश्वसनीय और भरोसेमंद सार्वजनिक परिवहन सेवा के रूप में अपनी स्थिति मज़बूत कर ली है । के.एम.आर.एल ने यात्री सुरक्षा को प्राथमिकता दी है । के.एम.आर.एल ने अपने हालिया

परिचालन में प्रभावशाली परिणाम हासिल किए हैं । कुल किराया राजस्व ₹99,69,92,600 तक पहुँच गया । यह मज़बूत राजस्व सृजन संभवतः यात्रियों की संख्या 3,23,23,249 तक पहुंचने का परिणाम है । इसके अलावा, के.एम.आर.एल ने 99.98% की असाधारण समयनिष्ठता दर कायम रखी, जो प्रणाली की विश्वसनीयता और दक्षता को उजागर करती है ।

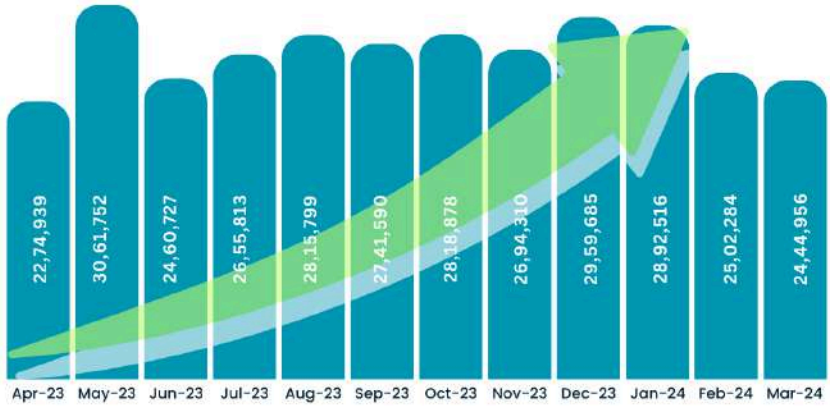

वर्ष 2023-24 के लिए मासिक राइडरशिप

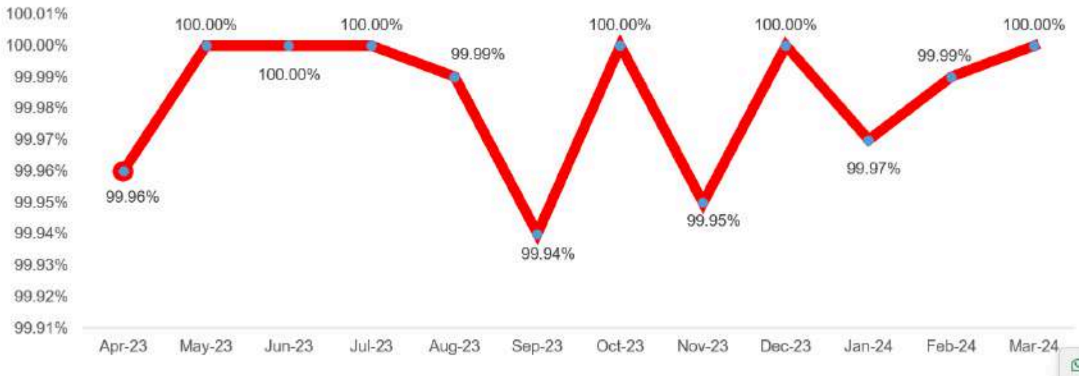

वर्ष 2023-24 के समय की पाबंदी

इसके अलावा, के.एम.आर.एल ने विशेष अवसरों पर अतिरिक्त यात्राएं संचालित करके यात्रियों की आवश्यकताओं के प्रति अपनी संवेदनशीलता प्रदर्शित की । इसमें त्यौहार, इंडियन सुपर लीग मैच और यूपीएससी परीक्षाएं शामिल थीं । कुल 87,869 यात्राएँ प्रदान करके, के.एम.आर.एल ने इन आयोजनों में भाग लेने वाले या व्यस्त अवधि के दौरान परिवहन की आवश्यकता वाले लोगों के लिए एक सुविधाजनक यात्रा विकल्प सुनिश्चित किए । इस लचीलेपन के साथ-साथ समय की पाबंदी की उच्च दर ने निस्संदेह के.एम.आर.एल की राइडरशिप में योगदान दिया है ।

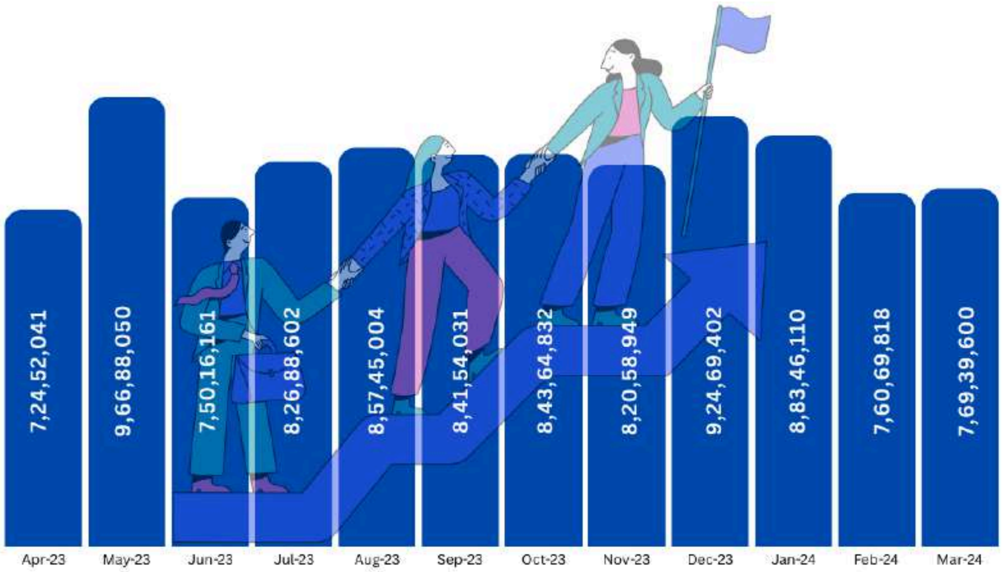

वर्ष 2023-24 के मासिक राजस्व (रुपए में)

6.1 सीएमआरएस निरीक्षण और पीएच-Iबी का सफल परीक्षण और कमीशनिंग

हाल ही का एक मील का पत्थर था कोच्ची मेट्रो के चरण Iबी में परीक्षण का सफलतापूर्वक पूरा होना, जिसके बाद 12 और 13 मार्च को सीएमआरएस निरीक्षण । इस निरीक्षण के दौरान दो ट्रेनें और चार ऑपरेटर सक्रिय रूप से शामिल होते हुए ट्रेन संचालन ने एक अहम भूमिका निभाई । स्पीड प्रोफ़ाइल सत्यापन, रोलबैक परीक्षण, रोलिंग स्टॉक और सिग्नलिंग सिस्टम के बीच इंटरफ़ेस का मूल्यांकन और पावर ट्रैक्शन जाँच सहित महत्वपूर्ण परीक्षणों की एक श्रृंखला आयोजित की गई । निरीक्षण सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद सेवा परीक्षण आयोजित किए गए ।

6.2 सुरक्षा प्रबंधन

के.एम.आर.एल अपने कर्मचारियों और यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देता है । सभी परिचालन एवं रखरखाव (ओ एंड एम) कार्यालय परिसरों में सुरक्षित कार्य वातावरण बनाए रखने के लिए, सुरक्षा विभाग द्वारा एक व्यापक निरीक्षण कार्यक्रम स्थापित किया गया है । प्रत्येक निरीक्षण को मानकीकृत प्रारूप का उपयोग करके सावधानीपूर्वक प्रलेखित किया जाता है, जिसमें महत्वपूर्ण विवरण और अवलोकन शामिल होते हैं । इन रिपोर्टों को आगे की समीक्षा और विश्लेषण हेतु शाखा प्रमुख सुरक्षा को भेजा जाता है । इस समीक्षा के बाद, शाखा प्रमुख सुरक्षा के.एम.आर.एल के अंतर्गत संबंधित विभागों को रिपोर्ट भेजता है । इससे यह सुनिश्चित होता है कि किसी भी पहचानी गई सुरक्षा चिंता का तुरंत समाधान किया जाएगा । इसके अतिरिक्त, इन निरीक्षणों से उत्पन्न सभी सुधारात्मक और निवारक कार्रवाइयों (सीए/पीए) को भविष्य के संदर्भ और प्रवृत्ति विश्लेषण के लिए एक समर्पित लॉग में सावधानीपूर्वक दर्ज किया जाता है । यह व्यापक दृष्टिकोण के.एम.आर.एल में एक सक्रिय सुरक्षा संस्कृति को बढ़ावा देता है, दुर्घटनाओं के जोखिम को कम करता है तथा सभी कर्मियों के लिए सुरक्षित कार्य वातावरण को बढ़ावा देता है ।

6.2.1 सुरक्षा सप्ताह समारोह

कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड द्वारा वर्ष 2024 के राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह दिनांक 4 मार्च से 10 मार्च तक मनाया गया, जिसका उद्देश्य जागरूकता, तत्परता को बढ़ाना और सभी पहलुओं में सुरक्षा की संस्कृति को बढ़ावा देना है । राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह 2024 का विषय "पर्यावरण, सामाजिक और अभिशासन (ईएसजी) उत्कृष्टता के लिए सुरक्षा नेतृत्व पर ध्यान केंद्रित करना" था । किसी संगठन की ईएसजी कार्यनीति के मुख्य घटक के रूप में सुरक्षा संबंधी विचारों को शामिल करना । इसमें सुरक्षा लक्ष्यों को पर्यावरणीय प्रबंधन, सामाजिक उत्तरदायित्व और निगमित अभिशासन प्रथाओं के साथ संरेखित करना आदि है । सुरक्षा सप्ताह अभियान की शुरुआत मुख्य महाप्रबंधक (ओ एंड एम) की अध्यक्षता में ध्वजारोहण समारोह और सुरक्षा शपथ के साथ हुई । सभी कर्मचारियों ने विभिन्न स्थानों से इस कार्यक्रम में भाग लिया ।

इस सुरक्षा सप्ताह के उद्देश्य “शिक्षित करें और प्रशिक्षित करें” के तहत बुनियादी प्राथमिक चिकित्सा, एर्गोनॉमिक्स सुरक्षा और व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरणों के महत्व पर प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए । सुरक्षा संस्कृति के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु कर्मचारियों के बीच सुरक्षा प्रश्नोत्तरी, पोस्टर निर्माण और सुरक्षा नारे लेखन जैसे विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किया गया ।

के.एम.आर.एल के माननीय प्रबंध निदेशक श्री लोकनाथ बेहरा ने निदेशकों की उपस्थिति में समापन समारोह का फ्लाग ऑफ किया । राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह अभियान और समारोह के दौरान आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में कर्मचारियों को उनकी उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया ।

कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड सदैव सक्रिय सुरक्षा नेतृत्व के माध्यम से ईएसजी उत्कृष्टता का प्रदर्शन करने, चिरस्थाई विकास में योगदान देने और कर्मचारियों, समुदायों और पर्यावरण की भलाई सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है ।

6.3 सुरक्षा मॉक ड्रिल

के.एम.आर.एल ने अपने सुरक्षा कर्मियों की आपातकालीन तैयारियों को मज़बूत करने तथा स्थानीय प्राधिकारियों के साथ निर्बाध सहयोग को बढ़ावा देने के लिए वैटिला स्टेशन पर एक व्यापक सुरक्षा मॉक ड्रिल का आयोजन किया । इस अभ्यास में पुलिस, अग्निशमन एवं बचाव सेवाओं तथा चिकित्सा दलों की सक्रिय भागीदारी के साथ विभागीय सीमाओं को पार किया गया । सिमुलेशन अभ्यास का उद्देश्य सुरक्षा घटना के दौरान प्रतिक्रिया समय, संचार प्रोटोकॉल और समग्र समन्वय का मूल्यांकन करना है । एक कृत्रिम वातावरण में एक साथ काम करके, सुरक्षाकर्मी और विभिन्न सरकारी एजेंसियों के प्रतिनिधि अपनी प्रतिक्रिया कार्यनीतियों को परिष्कृत करने में सक्षम हुए तथा वास्तविक आपातकाल की स्थिति में यात्रियों और कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए एकीकृत दृष्टिकोण सुनिश्चित करने में सफल रहे ।

6.4 कौशल उन्नयन एवं सशक्तीकरण: प्रशिक्षण केंद्र

प्रशिक्षण का दायरा केएमआरएल के अपने कर्मचारियों के अलावा दूसरों को भी देता है । एक सर्वांगीण शिक्षण वातावरण को बढ़ावा हेतु केंद्र ने विभिन्न कॉलेजों से आउटसोर्स किए गए कर्मियों और प्रशिक्षुओं को सेवा प्रदान करता है । वर्ष 2023-24 में, केंद्र ने उल्लेखनीय 147 प्रशिक्षण बैच आयोजित किए, जिनमें कुल 1,115 व्यक्तियों को बहुमूल्य ज्ञान से सुसज्जित किया गया । इन व्यापक कार्यक्रमों में विविध विषयों में कुल 11,223 प्रशिक्षण घंटे लिए गए । एक उल्लेखनीय पहल था, के.एम.आर.एल के आठ अधिकारियों के लिए आपातकालीन ट्रेन ऑपरेटर प्रशिक्षण देना । इस विशेष कार्यक्रम का उद्देश्य उन्हें आवश्यक कौशल और ज्ञान के साथ अप्रत्याशित आपात स्थितियों के दौरान ट्रेनों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन और संचालन करने हेतु सुसज्जित करना है ।

6.5 तकनीकी विकास

6.5.1 यूपीएस सिस्टम अनुकूलन प्रस्ताव

मौजूदा व्यवस्था में ई &एम और एस&टी प्रणालियों के लिए अलग-अलग निर्माताओं की अलग-अलग यूपीएस प्रणालियों का उपयोग किया जाता है । यह प्रस्ताव ई&एम यूपीएस लोड को मौजूदा एस&टी यूपीएस सिस्टम में स्थानांतरित करने की योजना की रूपरेखा प्रस्तुत करता है । ईएंडएम लो टेंशन (एलटी) पैनल में आवश्यक संशोधन करके, इस माइग्रेशन को निर्बाध रूप से प्राप्त किया जा सकता है ।

एएटीके और ईआरएसएच स्टेशनों पर ई&एम लोड को एस&टी यूपीएस प्रणालियों में स्थानांतरित करने का परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया है, जो इस दृष्टिकोण की व्यवहार्यता को प्रदर्शित करता है । पूर्ण पैमाने पर कार्यान्वयन से लागत में महत्वपूर्ण बचत होने की उम्मीद है । अनुमानित बचत में ई&एम यूपीएस बैटरी बैंकों के लिए प्रति स्टेशन लगभग छह लाख रुपए और 22 स्टेशनों पर ई&एम यूपीएस व्यापक वार्षिक रखरखाव अनुबंधों के लिए प्रति स्टेशन तेरह लाख रुपए शामिल हैं । अर्थात् कुल 1,45,00,000/- रुपए (केवल एक करोड़ पैंतालीस लाख रुपए) की संभावित लागत बचत ।

6.5.2 ट्रेन विज्ञापन अपलोड को सुव्यवस्थित करना: कोच्ची मेट्रो के लिए समय बचाने वाला समाधान

कोच्ची मेट्रो, ट्रेन विज्ञापन वीडियो के लिए एक नई, एकल-बिंदु अपलोड प्रणाली के साथ परिचालन दक्षता में एक महत्वपूर्ण छलांग लगा रही है । यह अभिनव समाधान प्रत्येक ट्रेन में मैन्युअल रूप से सामग्री अपलोड करने की पहले की समय लेने वाली प्रक्रिया से निपटता है ।

प्रथानुकूल, विज्ञापन वीडियो अपलोड करने में प्रति ट्रेन 90 मिनट का समय लगता था । नई एकल-बिंदु अपलोड प्रणाली के साथ, प्रत्येक अपलोड के लिए इस समय प्रतिबद्धता प्रभावशाली रूप से घटकर 15 मिनट से भी कम कर दिया है । अर्थात् पूरे कोच्ची मेट्रो बेड़े में प्रतिवर्ष 45,000 मिनट से अधिक समय की बचत होगी । सुव्यवस्थित प्रक्रिया से न केवल कर्मचारियों का बहुमूल्य समय बचाती है, बल्कि विज्ञापन शेड्यूल के प्रबंधन में भी अधिक लचीलापन लाता है । यह पहल आंतरिक परिचालन को अनुकूलतम बनाने तथा अपने साझेदारों के लिए अधिक कुशल विज्ञापन मंच बनाने के प्रति कोच्ची मेट्रो की प्रतिबद्धता को दर्शाती है ।

6.5.3 ट्रेन की विश्वसनीयता बढ़ाना: बेहतर एंटी-कंपाउंड वाल्व डिज़ाइन

ट्रेन की आवाजाही के दौरान अनपेक्षित ब्रेक लगाने की संभावित समस्या के समाधान के लिए, ट्रेन ब्रेक यूनिट (टीबीयू) में एंटी-कंपाउंड वाल्व (एसीवी) के डिजाइन में एक अभिनव संशोधन किया गया है ।

इससे पहले, एसीवी पूरी तरह से वाल्व कप इकाई के उचित प्राइमिंग और वल्केनाइजेशन पर निर्भर था, जिसकी दीवार की मोटाई एक समान होती थी । इस डिजाइन से वाल्व कप इकाई के अलग हो जाने और अनपेक्षित ब्रेक लगाने का खतरा उत्पन्न हुआ था । इस चिंता को दूर करने के लिए, नए एसीवी डिजाइन में दो-आयामी दृष्टिकोण शामिल किया गया है । सबसे पहले, युक्ततम सीलिंग के लिए उचित प्राइमिंग के साथ वल्केनाइजेशन प्रक्रिया जारी रहती है । दूसरा, इसमें एक सकारात्मक लॉकिंग तंत्र जैसे एक महत्वपूर्ण सुरक्षा विशेषता जोड़ी गई है । यह तंत्र वाल्व ब्रास्स स्लीव के अंदर एक कम व्यास का उपयोग करता है, जो एक सुरक्षित फिट बनाता है और वाल्व कप को अलग होने से रोकता है । इसके अतिरिक्त, वाल्व कप इकाई में पहले से प्रयुक्त एनबीआर रबर कोर को अधिक मज़बूत सिलिकॉन सामग्री से प्रतिस्थापित किया गया है, जिससे समग्र प्रदर्शन और विश्वसनीयता में वृद्धि हुई है । यह उन्नत एसीवी डिजाइन अनजाने में ब्रेक लगाने के जोखिम को न्यूनतम करता है, तथा सभी

यात्रियों के लिए सुचारू एवं सुरक्षित रेल परिचालन सुनिश्चित करता है ।

6.5.4 सिग्नलिंग लैब बचत और चिरस्थाईता को बढ़ावा देती है

कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड (केएमआरएल) ने एक इन-हाउस सिग्नलिंग लैब की स्थापना करके पर्यावरणीय और वित्तीय स्थिरता की दिशा में एक सराहनीय कदम उठाया है । यह सुविधा प्रभावित घटकों को प्रतिस्थापित करके दोषपूर्ण, गैर-महत्वपूर्ण सिग्नलिंग पुर्जों की मरम्मत पर केंद्रित है । महत्वपूर्ण बात यह है कि मरम्मत किए गए पुर्जों को पुनः सेवा में लाने से पहले पूर्ण कार्यक्षमता सुनिश्चित करने हेतु कठोर परीक्षण से गुज़रना पड़ता है ।

यह अभिनव दृष्टिकोण बहुत अधिक लाभ प्रदान करता है । सबसे पहले, यह के.एम.आर.एल के लिए पर्याप्त लागत बचत प्रदान करता है । आंतरिक रूप से पुर्जों की मरम्मत करने से नए पुर्जे खरीदने पर निर्भरता कम हो जाती है । रिपोर्ट में एक विशिष्ट उदाहरण पर प्रकाश डाला गया है, जहां लगभग 10,200 रुपए की लागत वाली आंतरिक मरम्मत के परिणामस्वरूप कुल 20,00,000 रुपए की बचत हुई है । इसके अलावा, यह प्रक्रिया के.एम.आर.एल कर्मचारियों के बीच के कौशल विकास को बढ़ावा देती है, तथा उन्हें महत्वपूर्ण सिग्नलिंग उपकरणों के रखरखाव में विशेषज्ञता प्रदान करती है । अंततः, पुर्जों के पुनः उपयोग से इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट कम होता है, जिससे कार्बन उत्सर्जन कम होता है और मेट्रो प्रणाली के चिरस्थाईता बढ़ती है ।

6.5.5 अतिरिक्त सेल चार्जर के लिए बेहतर दक्षता और सुरक्षा

कोच्ची मेट्रो ने अपने अतिरिक्त सेल चार्जर में डिज़ाइन की कमी को दूर किया है, जिससे सुरक्षा और परिचालन दक्षता दोनों में वृद्धि हुई है । पहले, इन चार्जरों पर वोल्टेज समायोजित करने के लिए पूरी यूनिट को खोलना पड़ता था, जिससे गलत सेटिंग और संभावित क्षति का जोखिम बना रहता था ।

इस समस्या को सुधारने के लिए, एक सरल संशोधन लागू किया गया । डिज़ाइन में अब वोल्टेज समायोजन के लिए एक बाहरी पोटेंशियोमीटर शामिल है, जिससे चार्जर को अलग करने की आवश्यकता नहीं होती है । इससे कई फायदे होते हैं. सबसे पहले, यह समायोजन के दौरान आकस्मिक गलत कॉन्फ़िगरेशन के जोखिम को कम करता है । दूसरा, तकनीशियन यूनिट को खोले बिना समायोजन कर सकने के कारण रखरखाव का समय काफी कम हो जाता है । अंत में, उक्त विचारशील संशोधन से अतिरिक्त सेल चार्जर्स के जीवनकाल को बढ़ाने की उम्मीद है । 30 चार्जर में पहले ही सुधारे जा चुके हैं और अन्य 16 के संशोधन की प्रक्रिया चालू है ।

6.5.6 एस.टी.सी विभाग के लिए इन्वेंटरी प्रबंधन को सुव्यवस्थित करना

एस.टी.सी विभाग ने एस.टी.सी इन्वेंटरी प्रबंधन एप्लिकेशन के साथ आंतरिक दक्षता में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है । यह अभिनव सॉफ्टवेयर एस.टी.सी विभाग के भीतर सभी इन्वेंट्री-संबंधी ज़रूरतों को पूरा करता है । कोर कस्टडी स्टोर गतिविधियों को केंद्रीकृत करने के अलावा, यह एप्लीकेशन व्यापक इन्वेंट्री ट्रैकिंग की सुविधा प्रदान करता है, तथा स्टोर के अंदर और बाहर स्टॉक की गतिविधियों को सावधानीपूर्वक रिकॉर्ड करता है ।

उपयोगकर्ता-मित्रता के लिए डिज़ाइन किया गया यह एप्लिकेशन विंडोज़ प्लेटफॉर्म पर काम करता है और इसमें एक स्पष्ट उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस (यूआई) की सुविधा है । डेटा को के.एम.आर.एल नेटवर्क के भीतर रिमोट कंप्यूटर पर स्थित एक समर्पित डेटाबेस में सुरक्षित रूप से संग्रहीत किया जाता है । यह उपयोगकर्ता-अनुकूल इंटरफ़ेस कर्मचारियों को स्टॉक में वृद्धि और निष्कासन को रिकॉर्ड करना, रिपोर्ट तैयार करना, महत्वपूर्ण मुद्दे और वापसी अनुरोध प्रस्तुत करना, और वर्तमान स्टॉक स्थिति की जांच करना आदि सहित विभिन्न इन्वेंट्री संचालन आसानी से करने में सक्षम बनाता है । यह एप्लिकेशन पर्याप्त मात्रा में डेटे

को संभालने के लिए बनाया गया है और एक साथ कई उपयोगकर्ता प्रश्नों का समर्थन करता है । भावी संवर्द्धनों में स्टॉक एनालिटिक्स शामिल है, जो स्थापित उपभोग पैटर्न और न्यूनतम इन्वेंट्री स्तरों के आधार पर स्पेयर पार्ट पुनर्खरीद के लिए स्वचालित सूचनाएं उत्पन्न करेगा । यह डेटा-संचालित दृष्टिकोण इष्टतम स्टॉक स्तर सुनिश्चित करेगा, स्टॉक खत्म होने के जोखिम को कम करेगा और एसटीसी विभाग के लिए आंतरिक परिचालन को सुव्यवस्थित करेगा ।

6.5.7 स्वचालित ट्रेन संचालन के माध्यम से ऊर्जा बचत हेतु बहु-चरणीय दृष्टिकोण

परियोजना को कई सुस्पष्ट चरणों में पूरा किया गया । सबसे पहले, सिग्नलिंग सॉफ्टवेयर की बेसलाइन में कई एटीओ ड्राइविंग संदर्भ और संबंधित स्पीड प्रोफाइल को शामिल किया गया । इससे एक बहुआयामी ए.टी.ओ प्रणाली स्थापित हुई जो विविध परिचालन परिदृश्यों के लिए अनुकूलनीय थी । इसके बाद, सिग्नलिंग ठेकेदार और के.एम.आर.एल की ओ & एम सिग्नलिंग टीम सहित प्रमुख पणधारियों के साथ एक विचार-मंथन सत्र आयोजित किया गया, ताकि ए.टी.ओ स्पीड प्रोफाइल को लागू करने के संभावित लाभों को अधिकतम करने की पहचान की जा सके और उन्हें अधिकतम किया जा सके ।

इन प्रारंभिक चरणों के बाद, एक व्यवस्थित परीक्षण चरण शुरू हुआ । प्रत्येक परिदृश्य के लिए प्रति किलोमीटर शुद्ध ऊर्जा उपभोग निर्धारित करने के लिए एकीकृत ए.टी.ओ ड्राइविंग संदर्भों और गति प्रोफाइल का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन किया गया । इस डेटा ने आगे के विश्लेषण और सूचित निर्णय लेने के लिए आधार प्रदान किया । इसके बाद ओ & एम सिग्नलिंग टीम ने विभिन्न अंतर-स्टेशन खंडों के लिए ग्रेडिएंट डेटा प्राप्त करने के लिए ट्रैक टीम के साथ सहयोग किया । इस डेटा का उपयोग एक अनुकूलन समस्या तैयार करने और उसे हल करने के लिए किया गया, जिससे अंततः प्रत्येक खंड के लिए सबसे अधिक ऊर्जा-कुशल गति प्रोफ़ाइल की पहचान की जाती है ।

अनुकूलन प्रक्रिया से सभी अंतर-स्टेशन खंडों के लिए एक युक्ततम गति प्रोफ़ाइल की पहचान जैसे एक महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त हुआ । तुलनात्मक विश्लेषण से पता चला कि गति पर कोई सीमा न होने की स्थिति की तुलना में इन अनुकूलित प्रोफाइलों का उपयोग करने पर ऊर्जा खपत में 10.15% की महत्वपूर्ण कमी आई ।

सफल सत्यापन के बाद, इन अनुकूलित गति प्रोफाइलों को आधिकारिक तौर पर जनवरी **2024** में राजस्व समय सारिणी में लागू किया गया । यह मेट्रो प्रणाली के दैनिक परिचालन में ऊर्जा-बचत उपायों को एकीकृत करने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है । इसके कार्यान्वयन से के.एम.आर.एल के लिए लगभग 85.77 लाख रुपए की वार्षिक ऊर्जा लागत बचत होगी । ऊर्जा खपत में उल्लेखनीय 10.15% की कमी ट्रैक ढाल पर आधारित अनुकूलित गति प्रोफाइल की प्रभावशीलता को दर्शाते हैं ।

6.5.8 प्लेटफ़ॉर्म पीली लाइन क्रॉसिंग का पता लगाना और चेतावनी प्रणाली

इन-हाउस स्टाफ की मदद से विकसित प्लेटफॉर्म येलो लाइन क्रॉसिंग पता लगाने और चेतावनी प्रणाली को अब **4** स्टेशनों पर शुरू किया गया है और इसके निष्पादन की निगरानी की जा रही है । अब तक प्रणाली उच्च विश्वसनीयता और उपलब्धता के साथ बहुत आशाजनक रूप से प्रदर्शित हो रही है । यह देखा गया है कि यात्री धीरे-धीरे इस प्रणाली से परिचित हो रहे हैं तथा अलार्म और इसके उद्देश्य को समझ रहे हैं ।

6.6 यात्री जुड़ाव और प्रथम एवं अंतिम मील कनेक्टिविटी

वर्ष के दौरान कोच्ची मेट्रो के अंतिम और प्रथम मील कनेक्टिविटी बेड़े में **105** इलेक्ट्रिक ऑटो जोड़े गए । इनमें से 75 इलेक्ट्रिक ऑटो के.एम.आर.एल के स्वामित्व में हैं और अन्य 30 के.एम.आर.एल द्वारा जारी फीडर लाइसेंस पर हैं । यात्रियों को

कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए इन इलेक्ट्रिक ऑटो को विभिन्न स्टेशनों पर तैनात किया गया है । ये ई-ऑटो क्रेडिट, डेबिट कार्ड और यूपीआई का उपयोग करके ई-पीओएस भुगतान भी स्वीकार करते हैं ।

इन ई-ऑटो की चार्जिंग के लिए विभिन्न स्टेशनों पर 3.3 किलोवाट के 25 चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं । भुगतान का आधार पर शुल्क ली जाती है ।

सियाल-अलुवा मेट्रो स्टेशन मार्ग के फीडर बस सेवाओं में 1200-1300 यात्री सफर कर रहे हैं । हमने सियाल से अलुवा तक फीडर सेवाएं प्रदान करने के लिए सियाल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किया है । एन.एम.टी (इलेक्ट्रिक मोबिलिटी) परियोजना के अंतर्गत ए.एफ.डी समर्थन के तहत 15 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद का कार्य प्रगति पर है ।

7.0 ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी आय एवं व्यय

7.1 ऊर्जा संरक्षण पर उठाए गए कदम या प्रभाव

सभी मेट्रो स्टेशनों, कार्यालयों, डिपो क्षेत्रों, पुल, पार्किंग क्षेत्रों, संपत्ति विकास क्षेत्रों, ट्रेनों के आंतरिक और बाहरी भाग तथा जहां भी प्रकाश की आवश्यकता होती है, वहाँ ऊर्जा कुशल एलईडी प्रकाश व्यवस्था का उपयोग किया जाता है, जिससे नवनिर्मित चरण-1ए खंड में प्रकाश व्यवस्था में ऊर्जा की बचत होती है ।

नए प्रतिष्ठानों में ऊर्जा कुशल बीएलडीसी पंखों का उपयोग किया जाता है ।

चरण-I के विस्तार स्टेशनों में एस्केलेटरों में ऊर्जा बचत मोड सक्षम करके ऊर्जा की बचत बढ़ाई गई है ।

लिफ्टों और एस्केलेटरों के लिए वीवीवीएफ़ (वैरिएबल वोल्टेज वैरिएबल फ्रीक्वेंसी) ड्राइव का इस्तेमाल किया गया है, जो लिफ्टों के लिए स्लीप मोड और यात्रियों का पता न चलने पर एस्केलेटर को निष्क्रिय या धीमी गति मोड प्रदान करता है । उक्त सुविधा चरण-I के विस्तार स्टेशनों में भी प्रदान की गई है ।

कर्षण ऊर्जा उपभोग को कम करने के लिए एटीओ मोड में अनुकूलित ऊर्जा प्रोफाइल को क्रियान्वित किया जाता है ।

प्रकाश व्यवस्था के अनुकूलन के साथ-साथ ऊर्जा की बचत के लिए एलडीआर को ईडीएपी लिंक ब्रिज पर स्थापित किया गया है ।

7.2 वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के उपयोग के लिए कंपनी द्वारा उठाए गए कदम

के.एम.आर.एल ने सौर ऊर्जा नीति अपनाई है और पूर्ण ऊर्जा तटस्थता प्राप्त करने का प्रयास कर रही है । केएमआरएल ने पहले ही सौर ऊर्जा परियोजनाओं के तीन चरण चालू कर दिए हैं; अर्थात, (i) 2670 kWp के रूफ टॉप सौर ऊर्जा परियोजना, (ii) 5191 किलोवाट की क्षमता वाले सौर संयंत्र को स्थापित करने के लिए संरचना सहित 2719 kWp के ग्राउंड माउंटेड प्रकार और सौर परियोजना मुट्टम डिपो ट्रैक स्थान, खुली स्टेबलिंग लाइनें इत्यादि है । के.एम.आर.एल के अब तक चालू सौर ऊर्जा संयंत्र की कुल क्षमता 10,580 kWp है ।

के.एम.आर.एल ने चार स्थानों से 735 KWp की सौर क्षमता के लिए एल.ओ.ए दिया है, जिनमें से दो स्थान चरण1 विस्तार स्टेशनों से हैं । इससे 7% की अतिरिक्त वृद्धि होगी और इस प्रकार ऊर्जा तटस्थता 58% तक पहुँच जाएगी ।

7.3 ऊर्जा संरक्षण उपकरणों पर पूंजी निवेश

प्रौद्योगिकी में आधुनिकीकरण और सुधार के प्रयास संगठन का लक्ष्य रहे हैं और उन क्षेत्रों में निवेश और जहां भी इसकी आवश्यकता आवश्यक हो, किया गया है । सौर ऊर्जा परियोजनाएं आरईएससीओ मॉडल पर कार्यान्वित की जाती हैं, जिसमें

के.एम.आर.एल का पूँजी निवेश शून्य है ।

7.4 प्रौद्योगिकी अधिग्रहण

(i) प्रौद्योगिकी अधिग्रहण की दिशा में किए गए प्रयास:

(क) चरण-I विस्तार में बिजली की बचत करने के लिए गैर-राजस्व घंटों के दौरान प्लेटफॉर्म और कॉन्कोर्स पर पीआईडीएस (यात्री सूचना प्रदर्शन प्रणाली) जैसी दूरसंचार वस्तु स्वचालित रूप से बंद रखी जाती है ।

(ख) अप्रयुक्त समय स्लॉट या खाली क्षेत्रों के दौरान बिजली क्षति को कम करने के लिए चरण-I विस्तार स्टेशनों में शौचालयों में ऑक्यूपेंसी सेंसर-आधारित प्रकाश व्यवस्था और सार्वजनिक क्षेत्रों में प्रकाश नियंत्रण प्रणालियां स्थापित की गई हैं ।

(ii) उत्पाद सुधार, लागत में कमी, उत्पाद विकास या आयात प्रतिस्थापन जैसे लाभ हासिल किए :

के.एम.आर.एल ने पहले ही सौर ऊर्जा परियोजनाओं के तीन चरण चालू कर दिए हैं, अर्थात 2670 kWp रूफ टॉप सौर ऊर्जा परियोजना, 2719 kWp ग्राउंड माउंटेड प्रकार और 5191 kWp, इन सभी को मिलाकर कुल विद्युत क्षमता 10580 kWp हो गई है ।

के.एम.आर.एल चरण-I और चरण-Iए विद्युत नेटवर्क में सक्रिय फिल्टर और शंट रिएक्टर प्रदान किए गए हैं ।

(क) सिस्टम पावर फैक्टर को एक समान रखना
(ख) आई.ई.ई.ई-519 की अनुमेय सीमा के भीतर सिस्टम हार्मोनिक्स बनाए रखना
(ग) प्रणाली में नुकसान कम करना ।

सक्रिय फिल्टर और शंट रिएक्टरों के प्रावधान ने के.एम.आर.एल की पीएफ को 0.4 -0.5 से 0.9 - यूनिटी रेंज तक सुधारने में मदद मिली । प्रतिक्रियाशील विद्युत क्षतिपूर्ति प्रणाली का प्रावधान ने के.एम.आर.एल को घाटे और मांग शुल्क को कम करने में मदद की ।

(iii) आयातित प्रौद्योगिकी के मामले में (वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से गणना करते हुए पिछले तीन वर्षों के दौरान आयातित):

प्रौद्योगिकी में आधुनिकीकरण और सुधार के प्रयास संगठन का लक्ष्य रहे हैं और उन लाइनों में निवेश और जहां भी आवश्यक हो, किया गया है।सौर ऊर्जा परियोजनाएं रेस्को मॉडल पर कार्यान्वित की जाती हैं, जिसमें के.एम.आर.एल की पूँजी निवेश शून्य है ।

(क) आयातित प्रौद्योगिकी का ब्यौरा:

चरण-I विस्तार परियोजना के अनुबंध चरण में ही, प्रौद्योगिकी समावेशन के लिए आवश्यक प्रावधान किए गए हैं और तदनुसार के.एम.आर.एल के लिए क्रमशः लगभग 80% और 51% स्थानीय सामग्री का उपयोग करके लिफ्ट और एस्केलेटर भारत में निर्मित किए गए हैं, जिससे लिफ्ट और एस्केलेटर की लागत में काफी कमी आई है । स्पेयर पार्ट्स और घटकों के स्वदेशीकरण के प्रयास जारी हैं ।

(ख) आयात का वर्ष: 2021-2022 (केवल स्पेयर पार्ट्स)

(ग) क्या प्रौद्योगिकी पूरी तरह से अधिग्रहीत की गई है: कुछ घटक ऐसे हैं जो अभी भी आयात पर निर्भर हैं ।

(घ) यदि पूर्णतः अधिग्रहीत नहीं हुआ है, तो वे क्षेत्र जहां अधिग्रहण नहीं हुआ है, तथा उसके कारण: विनिर्माताओं की अनुपलब्धता ।

(iv) अनुसंधान एवं विकास पर किया गया व्यय: लागू नहीं ।

8.0 मेट्रो प्रोमो सेंटर और सवारियों की संख्या बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम

आपकी कंपनी ने एक संवर्धन केंद्र की स्थापना की है, जो कंपनी के ब्रांड मूल्य को बढ़ाने के साथ-साथ यात्रियों की संख्या बढ़ाने के लिए विभिन्न संवर्धनात्मक गतिविधियों और पहलों के संचालन के लिए समर्पित है ।

आपकी कंपनी ने कोच्ची मेट्रो का उपयोग करने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से कई पहलों को लागू किया है । ये प्रयास राजस्व बढ़ाने और अधिक आत्मनिर्भर मेट्रो प्रणाली की ओर बढ़ने पर केंद्रित हैं । यह रिपोर्ट इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उठाए गए विशिष्ट उपायों का विवरण देती है ।

8.1 ब्रांडिंग और विज्ञापन पहल

आपकी कंपनी की ब्रांडिंग और दृश्यता बढ़ाने के लिए, कई विज्ञापन कार्ययोजनाएँ नियोजित की गईं । मेट्रो पिल्लरों पर विज्ञापन प्रकाशित किए गए हैं और शहर भर के विभिन्न थिएटरों में प्रचार विज्ञापन दिखाए गए हैं । इसके अतिरिक्त, मेट्रो स्टेशनों के पास के आवासीय फ्लैटों की लिफ्टों में ब्रांड विज्ञापन लगाए गए हैं । छूट और मेट्रो-संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अन्य संगठनों और संस्थाओं के साथ सहयोगात्मक सह-ब्रांडिंग गतिविधियाँ भी की गईं ।

8.2 छात्र सहभागिता और विशेष पहल

आपकी कंपनी ने छात्रों के दैनिक आवागमन के लिए मेट्रो के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए विद्या 45 कार्ड पेश किया है, जो छात्रों के लिए डिज़ाइन किया गया एक विशेष कार्ड है । छात्रों के बीच मेट्रो के उपयोग को और बढ़ावा देने के लिए मई 2023 में एक दिवसीय छात्र अभियान आयोजित किया गया । पर्यावरण अनुकूल आवागमन विकल्पों की सुविधा के लिए विद्या कार्ड को एकीकृत करते हुए माई बैक साइकिल्स के साथ सहयोग शुरू किया गया । नियमित अनुवर्ती कार्रवाई और प्रयासों के परिणामस्वरूप जनवरी 2024 में व्हाट्सएप टिकटिंग शुरू की गई, जिससे यात्रियों के लिए टिकटिंग अधिक सुलभ और सुविधाजनक हो गई । जेएलएन स्टेडियम में महिला उद्यमियों की बैठक और अखिल केरल निवासी संघ की वार्षिक बैठक जैसे विभिन्न प्रदर्शनियों और आयोजनों में प्रचार स्टाल लगाए गए । संभावित यात्रियों को सूचित करने और आकर्षित करने के लिए ब्रोशर तैयार किए गए और मेट्रो स्टेशनों के आसपास की दुकानों में वितरित किए गए । इसके अतिरिक्त, कलमश्शेरी मेडिकल कॉलेज के छात्रों और अस्पताल के कर्मचारियों की आसान पहुँच के लिए कलमश्शेरी मेडिकल कॉलेज में कोच्ची 1 कार्ड और आरपीटी कार्ड बेचने वाले स्टॉल लगाए गए ।

8.3 बढ़ी हुई सवारियों के लिए विशेष कार्ड और कार्यक्रम

मेट्रो सेवा की अपील को बढ़ाते हुए, विभिन्न व्यावसायिक और छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए विशेष कार्ड जारी किए गए । ब्रांड दृश्यता और सवारियों की संख्या बढ़ाने के लिए व्यावसायिक टीमों और आयोजकों के सहयोग से साइक्लोथॉन, मैराथन और अन्य गतिविधियों सहित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए । राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता और राष्ट्रीय बाल चिकित्सा डॉक्टर सम्मेलन जैसे बड़े आयोजनों के लिए थोक टिकटिंग को प्रोत्साहित करने के लिए पहल की गई । कलमश्शेरी मेट्रो स्टेशन से कलमस्सेरी मेडिकल कॉलेज तक अंतिम-मील कनेक्टिविटी समाधान पेश किए गए, जिससे मेडिकल कॉलेज के छात्रों और

अस्पताल के कर्मचारियों के लिए मेट्रो का उपयोग करना अधिक सुविधाजनक हो गया ।

8.4 सामुदायिक जुड़ाव और भागीदारी

आपकी कंपनी राजगिरी स्कूल, कलमश्शेरी पॉलिटेक्निक कॉलेज, साउथ गर्ल्स हाई स्कूल, भवन्स स्कूल, केवी कड़वंतरा, एक्सआईएमई कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट, काप्पन्स एसीसीए कॉलेज और प्रेस क्लब सहित विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों में आयोजित जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से समुदाय के साथ सक्रिय रूप से जुड़ी हुई है । केडबल्यूएमएल के तहत ब्रांडेड चैंपियंस बोट रेस की शुरुआत और केडबल्यूएमएल नाव ने बोट रस जीत लेने के कारण सामुदायिक संबंधों को और मज़बूत किया । ओणम और क्रिसमस जैसे त्योहारों के दौरान, आपकी कंपनी ने विभिन्न कार्यक्रमों में आस-पास के समुदायों को शामिल किया और इसमें सहभागिता बढ़ाने के लिए स्टॉल लगाया गया । इसके अतिरिक्त, सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने और मेट्रो सेवाओं को बढ़ावा देने हेतु मेट्रो स्टेशनों पर विषु चंदा, अक्वा शो और मैंगो फेस्ट जैसे कार्यक्रमों का समन्वय और संचालन किया गया ।

आपकी कंपनी ने कोच्ची मेट्रो में यात्रियों की संख्या बढ़ाने के लिए एक व्यापक और बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है । इन पहलों का उद्देश्य न केवल यात्रियों की संख्या और राजस्व को बढ़ावा देना है बल्कि सामुदायिक जुड़ाव और ब्रांड दृश्यता को भी बढ़ाना है । कार्ययोजना साझेदारी, विशेष आयोजनों, लक्षित अभियानों और समुदाय-केंद्रित गतिविधियों के माध्यम से आपकी कंपनी अधिक चिरस्थाई और व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली मेट्रो प्रणाली बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति कर रही है ।

9.0 विदेशी मुद्रा आय और व्यय

वर्ष के दौरान 4.83 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा की आय हुई । चालू वर्ष में विदेश यात्रा का कुल खर्च 12.46 लाख रुपए है । ठेकेदारों को भुगतान और विदेशी मुद्रा में अन्य विविध व्यय के लिए 588.56 लाख रुपए के बराबर राशि खर्च की गई ।

10.0 मानव संसाधन

I. कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड (के.एम.आर.एल) में मानव संसाधन कार्य प्रगति पर एक रणनीतिक भागीदार है और के.एम.आर.एल की वृद्धि और उन मूल्यों को बनाए रखने का प्रयास करता है जो के.एम.आर.एल की के दृष्टिकोण का समर्थन और संचालन करते हैं ।

II. के.एम.आर.एल के मिशन और विशन के प्रति सच्चे रहते हुए, एचआर लोगों की क्षमताओं, वर्तमान चुनौतियों और के.एम.आर.एल के भविष्य के दीर्घकालिक लक्ष्यों के बीच अंतर को पाटने की सुविधा प्रदान करता है । मानव संसाधन 'कर्मचारी सशक्तिकरण' के मूल्य को मूर्त रूप देता है और कार्य संस्कृति में सुधार, कर्मचारी सहभागिता बढ़ाने, उत्पादकता में वृद्धि, दक्षता एवं प्रभावशीलता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता है । इसके अलावा, कोच्ची मेट्रो में मानव संसाधन कार्य भी सही प्रकार के सीखने और विकास के अवसरों को सुविधाजनक बनाने पर जोर देता है, जिससे कर्मचारियों की व्यक्तिगत दक्षताओं और क्षमताओं में वृद्धि होती है ।

III. दिनांक 31 मार्च 2024 तक, के.एम.आर.एल के पास 538 की समर्पित जनशक्ति है - जिसमें सहायक कार्यों सहित परियोजना विंग में एक सौ चौबीस (124), संचालन और रखरखाव विंग में चार सौ एक (401) और जल परिवहन विंग में तेरह (13) शामिल हैं ।

IV. अनेक चालू परियोजना गतिविधियों और हाल ही में मेट्रो रेल परिचालन विस्तार योजनाओं के साथ, सही जनशक्ति उपलब्ध कराना तथा कर्मचारियों के कौशल और योग्यता को बढ़ाना मानव संसाधन कार्य के लिए एक सतत चुनौती है । इस प्रयास को जारी रखने और निरंतर सीख को बढ़ावा देने के लिए, मानव संसाधन विभाग कार्यात्मक निदेशकों सहित सभी ग्रेडों और पदों के सभी कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण और विकास की सुविधा प्रदान कर रहा है । पिछले कुछ वर्षों में, मानव संसाधन ने वरिष्ठ प्रबंधन सहित कई अधिकारियों को आईआईटी, आईआईएम, एमडीआई गुड़गांव, अरुण जेटली वित्तीय प्रबंधन संस्थान आदि जैसे प्रीमियम संस्थानों में तकनीकी, रणनीतिक और कार्यात्मक प्रशिक्षण और कार्यशालाओं में भाग लेने की सुविधा प्रदान की है । दिनांक 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष में, 450 से अधिक कर्मचारियों ने विभिन्न प्रशिक्षण और क्षमता विकास कार्यशालाओं में भाग लिया ।

V. इस वर्ष भी, के.एम.आर.एल ने प्रशिक्षु अधिनियम 1961 के तहत चौरासी (84) से अधिक प्रशिक्षुओं को नियुक्त किया है, इस हमने प्रकार सरकार की कौशल विकास पहल में योगदान दिया है ।

VI. इसके अलावा, मानव संसाधन विभाग पूरे राज्य के विभिन्न इंजीनियरिंग/कानून एवं प्रबंधन संस्थानों से व्यावसायिक पाठ्यक्रम करने वाले छात्रों को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण एवं इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने में अपना योगदान देता है । पिछले वर्ष लगभग सौ छात्रों को कोच्ची मेट्रो के विभिन्न विभागों के तहत इंटर्नशिप प्रदान की गई ।

VII. एक अनूठी पहल के रूप में, गरीबी उन्मूलन और महिला सशक्तिकरण की दिशा में कोच्ची मेट्रो रेल ने मेट्रो स्टेशनों पर सुविधा प्रबंधन का कार्य मेसर्स कुडुम्बश्री को-केरल सरकार की एक पहल को सौंपा है । तदनुसार, मेट्रो स्टेशनों पर संपूर्ण सुविधा प्रबंधन - टिकटिंग, ग्राहक इंटरफेस, हाउसकीपिंग पूरी तरह से कुडुम्बश्री के 631 कर्मचारियों (607 महिलाएं और 10 ट्रांसजेंडर) द्वारा प्रबंधित किया जाता है ।

समान रूप से महत्वपूर्ण एक सौ उन्नीस (119) महिला सुरक्षा गार्ड हैं - जो मेट्रो स्टेशनों पर चौबीसों घंटे तैनात रहने वाले कुल तीन सौ तिरपन (353) सुरक्षा कर्मियों का लगभग 34% हैं ।

VIII. इस प्रकार कोच्ची मेट्रो में कार्यरत महिलाओं का प्रतिशत सभी मेट्रो में सबसे अधिक है - प्रबंधन पदानुक्रम के सभी स्तरों से लेकर दुकान के फर्श तक । ट्रेन संचालकों से लेकर टिकट काउंटरों पर काम करने वालों तक, स्टेशनों के समग्र नियंत्रण से लेकर हाउसकीपिंग तक, सुरक्षा कर्मियों से लेकर इंजीनियरों तक, यहां महिलाओं की उपस्थिति ने सीमाओं को पार कर लिया है, के.एम.आर.एल के कार्यबल में 60 प्रतिशत से अधिक महिलाएं होने के नाते कोच्ची मेट्रो महिला सशक्तीकरण, लैंगिक समानता और समावेशी विकास में एक प्रकाशस्तंभ बन गया है ।

IX. नियोक्ता-कर्मचारी संबंध पूरे वर्ष सौहार्दपूर्ण बने रहे और के.एम.आर.एल समय पर लक्ष्य पूरा कर सका - जैसा कि इस तथ्य से स्पष्ट है कि किसी भी कर्मचारी असंतोष के कारण सेवाओं में कोई घटना / व्यवधान नहीं हुआ है ।

X. के.एम.आर.एल का प्रबंधन हमेशा यह महसूस करता है कि एक प्रेरित और संतुष्ट कार्यबल संगठनात्मक लक्ष्यों की सफल प्राप्ति की कुंजी है । इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, कर्मचारियों को प्रेरित रखने और उनकी क्षमता को

साकार करने में मदद करने के लिए कई नई मानव संसाधन विकास पहलें शुरू की जा रही हैं ।

क. ऋण/अग्रिम देने के लिए एक कल्याण निधि स्थापित किया गया है ।
ख. कर्मचारी आवास में एक पुस्तकालय शुरू किया गया ।
ग. कर्मचारियों के क्वार्टर्स में क्रेच की स्थापना ।
घ. क्वार्टर परिसर में छोटे बच्चों के लिए खेल का मैदान बनाया जा रहा है ।

10.1 डीआईई के मूल्यों को कायम रखना – विविधता, समावेशिता और समानता

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/विकलांगों/अन्य पिछड़ा वर्गों आदि के लिए रोज़गार के अवसरों और सेवाओं में आरक्षण के संबंध में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन किया जा रहा है और सभी भर्ती अभियानों के दौरान उनका पालन और अनुपालन किया जा रहा है । दिनांक 31 मार्च 2024 तक के.एम.आर.एल में अनुसूचित जाति के 71, अनुसूचित जनजाति के 7 और अन्य पिछड़ा वर्ग के 227 कर्मचारी कार्यरत हैं । 7 भूतपूर्व सैनिक भी हमारे साथ हैं ।

कोच्ची मेट्रो सभी क्षेत्रों के व्यक्तियों को रोज़गार के अवसर प्रदान करने और सुविधा प्रदान करने में अग्रणी रही है । सभी मेट्रो संगठनों में, कोच्ची मेट्रो पहला संगठन था जिसने विभिन्न मेट्रो स्टेशनों पर टिकटिंग और ग्राहक सुविधा जैसे विभिन्न ग्राहक इंटरफेस कार्यों को संभालने के लिए ट्रांसजेंडर को नियुक्त किया ।

के.एम.आर.एल की मानव संसाधन नीतियाँ हमारे मूल मूल्यों के रूप में विविधता और समावेशिता को प्रदर्शित करती रहती हैं और यह मानव संसाधन, वित्त और विपणन कार्यों में कार्यरत छह (6) दिव्यांग व्यक्तियों की उपस्थिति से स्पष्ट है (यह जोड़ा गया है कि अधिकांश नौकरियां तकनीकी प्रकृति की हैं, जिनमें केवल आईटीआई/डिप्लोमा वाले व्यक्तियों को ही काम पर रखा जा सकता है - मेट्रो/रेल भर्ती नियमों द्वारा निर्धारित मानदंडों और मानकों के अनुसार) ।

11.0 सूचना का अधिकार

नागरिकों को कंपनी में अपनाई जाने वाली जवाबदेही और पारदर्शिता पर उन्हें प्रबुद्ध करने की दृष्टि से जानकारी तक पहुंच प्रदान करके आपकी कंपनी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (इसके बाद "आरटीआई अधिनियम" के रूप में संदर्भित) लागू किया है । उपयुक्त अधिकारियों को केंद्रीय जन सूचना अधिकारी (सीपीआईओ), सहायक जन सूचना अधिकारी (एपीआईओ) और प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है यह सुनिश्चित करने के लिए कि आरटीआई अधिनियम के विभिन्न सक्षम प्रावधानों को अक्षरश: लागू किया गया है । वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी को कुल 92 आरटीआई आवेदन, साथ ही 7 प्रथम अपीलें प्राप्त हुई । उपरोक्त संदर्भित सभी आरटीआई आवेदनों साथ ही प्रथम अपीलों का निपटारा संबंधित अधिकारियों द्वारा आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन करते हुए निपटान किया गया ।

12.0 ऋण, गारंटी और निवेश का विवरण

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने –

(क)किसी व्यक्ति या अन्य निगमित निकाय को कोई ऋण नहीं दिया है;
(ख) किसी अन्य निकाय, निगमित निकाय या व्यक्ति को किसी भी ऋण के संबंध में कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की गई है; तथा
(ग) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के तहत निर्धारित किसी अन्य निगमित निकाय की प्रतिभूतियों को, सदस्यता, खरीद या किसी अन्य माध्यम से हासिल नहीं किया गया है ।

13.0 संबंधित पार्टी लेनदेन

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने दिनांक 4 सितंबर 2023 को कोच्ची वाटर मेट्रो लिमिटेड (के.डब्ल्यू.एम.एल) के साथ के.एम.आर.एल द्वारा कोच्ची वाटर मेट्रो लिमिटेड के साथ संसाधन साझा करने के संबंध में एक समझौता किया है ।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188(1) में संदर्भित संबंधित पक्षों के साथ अनुबंधों या समझौतों का विवरण निर्धारित प्रारूप एओसी-2 में अनुलग्नक के रूप में रिपोर्ट में संलग्न किया गया है ।

के.एम.आर.एल कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार सहयोगी कंपनी के.डब्ल्यू.एम.एल को सरकार के साथ समझौता ज्ञापन के अनुसार परिचालन के प्रारंभिक चरण में सहायता प्रदान कर रही है तथा के.एम.आर.एल के संसाधनों का उपयोग जल मेट्रो परियोजना के कार्यान्वयन के लिए किया गया है ।

14.0 महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धताएँ

वित्तीय वर्ष के अंत और रिपोर्ट की तारीख के बीच की अवधि के दौरान, कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन या प्रतिबद्धताएँ नहीं हुई हैं ।

15.0 केंद्र सरकार को रिपोर्ट करने योग्य लेखा परीक्षकों द्वारा रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी के संबंध में विवरण ।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (12) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत, कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों और सचिवीय लेखा परीक्षकों ने लेखा परीक्षा समिति या निदेशक मंडल को किसी भी धोखाधड़ी की सूचना नहीं दी है ।

16.0 सावधि जमा

आपकी कंपनी ने कंपनी अधिनियम, **2013** के अध्याय **V** के तहत जनता से कोई सावधि जमा स्वीकार नहीं किया है ।

17.0 जोखिम प्रबंधन नीति

जोखिम प्रबंधन की शुरुआत जोखिम की पहचान, जोखिम कारकों का विश्लेषण, जोखिम का आकलन और जोखिम का शमन करने से होती है । बेहतर जोखिम प्रबंधन तकनीकें प्रारंभिक चेतावनी संकेत प्रदान करती हैं ताकि समय रहते उनका समाधान किया जा सके । आपकी कंपनी इस तथ्य को पूरी तरह से पहचानती है । जोखिम प्रबंधन नीति के एक भाग के रूप में, कंपनी ने एक जोखिम प्रबंधन उप-समिति बनाई है जिसमें तीन कार्यात्मक निदेशक सदस्य के रूप में, एक एचओडी जोखिम प्रबंधन अधिकारी और कंपनी सचिव संयोजक के रूप में शामिल हैं । कंपनी के लिए आई.आई.एम कोझिक्कोड द्वारा एक जोखिम प्रबंधन नीति भी तैयार की गई है ।

उप-समिति की समय-समय पर बैठक होगी और यह सुनिश्चित करेगी कि कंपनी के व्यवसाय से जुड़े जोखिमों की निगरानी और मूल्यांकन के लिए उपयुक्त कार्यप्रणाली, प्रक्रिया और प्रणाली मौजूद हो । वित्तीय वर्ष 2023-24 में समिति की बैठक एक बार दिनांक 16 दिसंबर 2023 को आयोजित की गई ।

उप-समिति जोखिम प्रबंधन नीति के कार्यान्वयन की निगरानी भी करेगी, जिसमें जोखिम प्रबंधन प्रणालियों की पर्याप्तता का मूल्यांकन भी शामिल होगा ।

18.0 कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और स्थिरता पहल

18.1 कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

चूँकि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों/अनुसूची के अनुसार आपकी

कंपनी लाभ अर्जित नहीं कर रही है, इसलिए यह सीएसआर पर खर्च करने के लिए बाध्य नहीं है, इसलिए इस शीर्ष के तहत कोई व्यय नहीं की है । हालांकि, एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट नागरिक होने के नाते, आपकी कंपनी बड़े पैमाने पर अपने हितधारकों जैसे शेयरधारकों, कर्मचारियों, प्रबंधन, आपूर्तिकर्ताओं, ग्राहकों और समाज के प्रति प्रतिबद्ध है । एक पर्यावरण के अनुकूल मेट्रो संगठन के रूप में,आपकी कंपनी समाज के प्रति कंपनी की जिम्मेदारी को स्वीकार करते हुए, जीवन स्तर में सुधार लाने और कोच्ची के लोगों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने हेतु नई पहल की जा रही है ।

आपकी कंपनी ने स्वेच्छा से एक कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का गठन किया है जिसमें प्रासंगिक प्रावधानों के अनुपालन में 5 (पांच) निदेशक शामिल हैं । सीएसआर समिति की संरचना का विवरण निगमित अभिशासन की रिपोर्ट में दिया गया है, जो इस रिपोर्ट का हिस्सा है ।

18.2 चिरस्थाईता

आपकी कंपनी ने कंपनी की परिचालन, आर्थिक और वित्तीय चिरस्थाईता को बढ़ाने के लिए कई रणनीतिक उपाय लागू किए हैं । इन पहलों ने सवारियों की संख्या बढ़ाने, राजस्व बढ़ाने और उच्च परिचालन मानकों को बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है । यह रिपोर्ट इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपकी कंपनी द्वारा उठाए गए कदमों की रूपरेखा प्रस्तुत करती है ।

18.3 आर्थिक और वित्तीय चिरस्थाईता

कंपनी की वित्तीय चिरस्थाईता सुनिश्चित करने के लिए, आपकी कंपनी ने विभिन्न नवीन उपाय शुरू किए हैं । प्रमुख पहलों में से एक, छात्रों के लिए विद्या 45 कार्ड की शुरुआत थी, जिसने छात्रों के लिए एक लागत प्रभावी आवागमन समाधान प्रदान किया और मेट्रो सेवाओं के दैनिक उपयोग को प्रोत्साहित किया । इसके अतिरिक्त, आपकी कंपनी ने मेट्रो प्रणाली की सुविधा और पहुंच को बढ़ाने के उद्देश्य से मेट्रो स्टेशनों से विभिन्न गंतव्यों तक फीडर सेवाएं स्थापित कीं ।

व्यावसायिक टीमों और आयोजकों के साथ सहयोग करते हुए, के.एम.आर.एल ने ब्रांड दृश्यता और सवारियों की संख्या बढ़ाने के लिए साइक्लोथॉन, मैराथन और अन्य गतिविधियों सहित कई कार्यक्रमों का आयोजन किया । इन आयोजनों ने न केवल स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा दिया, बल्कि विविध प्रकार के प्रतिभागियों और दर्शकों को भी आकर्षित किया, जिससे मेट्रो के उपयोग को बढ़ावा मिला । यात्रियों की संख्या में और वृद्धि करने के लिए, आपकी कंपनी ने राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता और राष्ट्रीय बाल चिकित्सा डॉक्टर सम्मेलन जैसे बड़े आयोजनों के लिए थोक टिकटिंग को प्रोत्साहित करने की पहल की ।

इन प्रयासों के परिणामस्वरूप, आपकी कंपनी ने वर्ष 2023-24 के अपने वित्तीय लक्ष्य को पार कर लिया । लक्ष्य 90 करोड़ रुपए रखा गया था, लेकिन कंपनी ने 99 करोड़ रुपए का किराया बॉक्स राजस्व हासिल किया । राजस्व में यह वृद्धि पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में उच्च परिचालन लाभ में योगदान करती है, जो आपकी कंपनी की वित्तीय कार्ययोजनाओं की प्रभावशीलता को प्रदर्शित करती है ।

18.4 परिचालन चिरस्थाईता

आपकी कंपनी ने मेट्रो प्रणाली की परिचालन चिरस्थाईता सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं । निर्माण एवं परिचालन दोनों में उच्च सुरक्षा मानकों को बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता रही है । सुरक्षा के प्रति यह प्रतिबद्धता यह सुनिश्चित करती है कि यात्री सुरक्षित यात्रा के लिए मेट्रो पर भरोसा कर सकते हैं ।

मेट्रो सेवाओं की विश्वसनीयता और समय की पाबंदी सुनिश्चित करना परिचालन चिरस्थाईता का एक और महत्वपूर्ण पहलू है ।

आपकी कंपनी ने यह सुनिश्चित करने के लिए कुशल परिसंपत्ति प्रबंधन प्रथाओं को लागू किया है कि सभी मेट्रो परिसंपत्तियां अच्छी तरह से अनुरक्षित हों और युक्ततम रूप से कार्य कर रही हों । इससे डाउनटाइम को कम करने और मेट्रो परिचालन की समग्र दक्षता बढ़ाने में मदद मिली है ।

अप्रत्याशित स्थितियों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करने के लिए व्यापक आपातकालीन प्रतिक्रिया और आपदा तैयारी योजनाएं विकसित करना आवश्यक है । आपकी कंपनी ने ये योजनाएं इसलिए बनाई हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मेट्रो प्रणाली किसी भी आपात स्थिति में तुरंत और प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया दे सके, जिससे यात्रियों और कर्मचारियों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित हो सके ।

उच्च परिचालन मानकों को बनाए रखने के लिए कर्मचारियों का निरंतर प्रशिक्षण और विकास एक अभिन्न अंग है । आपकी कंपनी अपने कर्मचारियों के कौशल और दक्षता में सुधार के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं । कर्मचारी विकास पर यह ध्यान सुनिश्चित करता है कि मेट्रो प्रणाली सुचारू रूप से और कुशलतापूर्वक संचालित हो तथा यात्रियों को उच्च गुणवत्ता वाली सेवा प्रदान की जा सके ।

आपकी कंपनी की रणनीतिक पहलों ने कंपनी की परिचालनात्मक, आर्थिक और वित्तीय स्थिरता में महत्वपूर्ण योगदान दिया है । छात्र कार्ड की शुरूआत, फीडर सेवाओं की स्थापना, तथा प्रचार कार्यक्रमों के आयोजन से यात्रियों की संख्या और राजस्व में वृद्धि हुई है । वर्ष 2023-24 के वित्तीय लक्ष्य को पार करना इन उपायों की प्रभावशीलता का प्रमाण है । इसके अतिरिक्त, उच्च सुरक्षा मानक बनाए रखना, विश्वसनीयता और समय की पाबंदी सुनिश्चित करना, कुशल परिसंपत्ति प्रबंधन प्रथाओं को लागू करना, आपातकालीन प्रतिक्रिया योजनाएं विकसित करना और कर्मचारियों के प्रशिक्षण में निवेश करना, इन सभी ने मेट्रो प्रणाली की परिचालन चिरस्थाईता में योगदान दिया है । ये प्रयास कुल मिलाकर यह सुनिश्चित करते हैं कि आपकी कंपनी चिरस्थाईता के उच्च स्तर पर बनी रहे तथा समुदाय को विश्वसनीय और कुशल मेट्रो सेवाएं प्रदान करती रहे ।

19.0 वैकल्पिक राजस्व पहल

19.1 कार्यालय एवं खुदरा स्थान आबंटन

वित्तीय वर्ष 2023-24 में, के.एम.आर.एल ने अपनी बाजार पहुँच को बढ़ाया और ई-टेंडरिंग प्रक्रिया के माध्यम से विभिन्न खुदरा कियोस्क और कार्यालय स्थानों के लिए नए ग्राहक प्राप्त किए । इस पहल से महत्वपूर्ण परिणाम सामने आए, के.एम.आर.एल ने कुल 11,394 वर्ग फुट कियोस्क और वाणिज्यिक/कार्यालय स्थलों का सफलतापूर्वक लाइसेंस जारी किया, जिससे 25 मेट्रो स्टेशनों पर 27 नए लाइसेंसधारी जुड़े ।

19.2 अर्ध नामकरण अधिकारों का आबंटन

के.एम.आर.एल ने 11 मेट्रो स्टेशनों के लिए विभिन्न ब्रांडों/कंपनियों को अर्ध नामकरण अधिकार/सह-ब्रांडिंग प्रदान की है और ये ब्रांड अपने ब्रांड नाम के साथ मेट्रो स्टेशनों के बाहरी हिस्से को उनकी पसंद के रंग का ताज़ा कोट देकर मेट्रो स्टेशनों का पूरा कायापलट करेंगे ।

वैकल्पिक राजस्व सृजन के एक भाग के रूप में अर्ध नामकरण अधिकार निविदा प्रक्रिया के माध्यम से प्रदान किए जाते हैं । यह आबंटन 5 वर्ष की अवधि के लिए है । सहयोगी ब्रांडों को स्टेशनों के अंदर और बाहर ब्रांडिंग की जगह मिलेंगे । इसके अलावा, ब्रांडों को प्रति ट्रेन प्रतिदिन 30 सेकंड के कुल 5 विज्ञापन स्लॉट दिए जाते हैं, जिन्हें ट्रेन के अंदर लगी 9 एलसीडी स्क्रीन पर दिखाया जाता है, साथ ही ट्रेन के अंदर स्टेशन के साथ उनके नाम की घोषणा भी की जाती है ।

19.3 मेट्रो स्टेशनों के अंदर/बाहर विज्ञापन के लिए अधिकार

मेट्रो स्टेशनों के अंदर और बाहर विज्ञापन अधिकारों का अनुबंध 6 वर्ष की अवधि के लिए दिया गया ।

19.4 ट्रेनों के अंदर/बाहर विज्ञापन अधिकार

कोच्ची मेट्रो ट्रेनों के विशेष ब्रांडिंग अधिकार 5 वर्षों के लिए प्रदान किए गए हैं। के.एम.आर.एल को मेट्रो ट्रेनों के आंतरिक और बाहरी दोनों हिस्सों के लिए विज्ञापन अधिकार प्रदान किए गए ।

19.5 अर्ध-निर्मित स्थान का मुद्रीकरण

के.एम.आर.एल ने इन्फोपार्क परिसर में एक विस्तारित सुविधा स्थापित करने के लिए दिनांक **20** दिसंबर, **2023** को मेसर्स इन्फोपार्क्स केरल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए । एरणाकुलम साउथ मेट्रो स्टेशन भवन में स्थित यह परिसर 45,228 वर्ग फुट क्षेत्रफल में फैला है और इसका विकास एवं प्रबंधन मेसर्स इन्फोपार्क्स केरल द्वारा 20 वर्षों की अवधि के लिए किया जाएगा ।

19.6 भूमि मुद्रीकरण

कलमश्शेरी में भूमि पट्टे पर देने के लिए दिनांक 24 नवंबर, 2023 को भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) के साथ एक पट्टा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए ।

19.7 के.एम.आर.एल के साथ प्रतिष्ठानों का एकीकरण

के.एम.आर.एल ने दिनांक **23** सितंबर, **2023** को कलूर मेट्रो स्टेशन को लिसी मेडिसिटी से जोड़ने वाले लिंक ब्रिज के निर्माण के लिए लिसी अस्पताल से रुचि की अभिव्यक्ति स्वीकार कर ली ।

19.8 एटीएम

अलुवा मेट्रो स्टेशन पर मेसर्स फेडरल बैंक को एटीएम स्थान प्रदान किया गया ।

20.0 सतर्कता तंत्र

आपके बोर्ड ने दिनांक 18 जनवरी 2016 को आयोजित अपनी 23वीं बैठक में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177(9) के अनुरूप सतर्कता तंत्र/व्हिसल ब्लोअर नीति लागू की है । व्हिसल ब्लोअर नीति के.एम.आर.एल की वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है: https://kochimetro.org/about-us/.

21.0 निदेशक मंडल

दिनांक 31.03.2024 तक आपकी कंपनी के बोर्ड में 13 निदेशक शामिल हैं, जिनमें से 5 निदेशक भारत सरकार के नामित हैं, 5 निदेशक केरल सरकार के नामित हैं और 3 कार्यात्मक निदेशक हैं। अध्यक्ष, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के सचिव हैं, जबकि प्रबंध निदेशक केरल सरकार द्वारा नामित हैं । निदेशक मंडल पर एक विस्तृत टिप्पणी 'निगमित अभिशासन की रिपोर्ट' में दिया गया है ।

21.1 बोर्ड की बैठकों की संख्या

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, आपकी कंपनी के निदेशक मंडल की चार बार बैठक हुई, दिनांक 27 जुलाई 2023, 29 सितंबर 2023, दिनांक 12 जनवरी 2024 और दिनांक 28 मार्च 2024 को ।

21.2 निदेशक और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, नामित निदेशकों, जो स्थानांतरित/सेवामुक्त/सेवानिवृत्त हो गए, के स्थान पर निम्नलिखित निदेशकों की नियुक्ति की गई:

दिनांक 31 मार्च, 2024 तक हुए निदेशकीय परिवर्तन:

- भारत सरकार ने दिनांक 16 मार्च 2024 के जी.ओ.एफ. संख्या के - 14011/39/2005-UT-II (Vol. III) के तहत श्री अनुराग जैन, सचिव, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार, श्री मनोज जोशी के स्थान पर, जो अपने स्थानांतरण के परिणामस्वरूप दिनांक 16 मार्च 2024 से भारत सरकार के अध्यक्ष और नामित निदेशक नहीं रहे, को के.एम.आर.एल के बोर्ड में भारत सरकार के अध्यक्ष और नामित निदेशक के रूप में नामित किया ।
- भारत सरकार ने दिनांक 17 अगस्त 2023 के अपने जी.ओ.एफ. संख्या के-14011/37/2005-एमआरटीएस-IV (बीओडी) के तहत श्री डी.के. सैनी, निदेशक (परियोजनाएं), डी.एम.आर.सी, जो अपनी सेवानिवृत्ति के परिणामस्वरूप भारत सरकार के नामित निदेशक नहीं रहे, के स्थान पर श्री किशोर कुमार - निदेशक (सिस्टम, इलेक्ट्रिकल और रोलिंग स्टॉक) गुजरात मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (जीएमआरसीएल) को के.एम.आर.एल के बोर्ड में भारत सरकार के नामित निदेशक के रूप में नामित किया है ।
- दिनांक 25 जुलाई 2023 के जी.ओ. (आरटी.) संख्या 322/2023/ट्रान्स के तहत केरल सरकार के मुख्य सचिव डॉ. वेणु वी. आईएएस को डॉ. वी. पी. जॉय आईएएस के स्थान पर, जो सेवानिवृत्त हो गए हैं, केरल सरकार की ओर से नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है ।
- दिनांक 18 जुलाई 2023, के जी.ओ. (आरटी.) संख्या 302/2023/ट्रान्स के तहत श्री रवीन्द्र कुमार अग्रवाल आईएएस, प्रमुख सचिव (वित्त) विभाग, भारत सरकार,को श्री विश्वनाथ सिन्हा, आईएएस, जिनका स्थानांतरण हो गया है, के स्थान पर केरल सरकार की ओर से नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है ।
- दिनांक 19 मई 2023 से श्री संजय कुमार को निदेशक (सिस्टम) के रूप में नियुक्त किया गया है ।
- केरल सरकार ने दिनांक 12 अप्रैल 2023 के जी.ओ. (आरटी.) संख्या 149/2023/ट्रान्स के तहत डॉ. रेनू राज आईएएस, जिनका स्थानांतरण हो गया है, के स्थान पर श्री. उमेश एन.एस.के. आईएएस, जिला कलेक्टर, एरणाकुलम को केरल सरकार की ओर से नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है ।

वित्तीय वर्ष के दौरान निम्नलिखित निदेशकों का पद अपरिवर्तित रहा:

- श्री जयदीप
- श्री भूपेन्द्र सिंह बोध
- श्रीमती अन्नपूरणी एस.
- श्री बीजू प्रभाकर
- डॉ. एम. पी. रामनवास
- श्री लोकनाथ बेहरा
- श्रीमती नमिता मेहरोत्रा

21.3 दिनांक 31 मार्च 2024 के बाद और इस रिपोर्ट की तिथि तक निदेशक पद में परिवर्तन:

- श्री किशोर कुमार – निदेशक (प्रणाली, इलेक्ट्रिकल और रोलिंग स्टॉक) गुजरात मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (जीएमआरसीएल) जो भारत सरकार के नामित निदेशक थे, वे उनके सेवानिवृत्ति के परिणामस्वरूप भारत सरकार के

नामित निदेशक नहीं रहे ।

बोर्ड ने निदेशक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान श्री मनोज जोशी आईएएस, श्री किशोर कुमार, श्री डी. के. सैनी, श्री बिश्वनाथ सिन्हा आईएएस, और डॉ. वी. पी. जॉय आईएएस, डॉ. रेणु राज आईएएस की सेवाओं की सराहना की ।

आपकी कंपनी के पास आज की तारीख में निम्नलिखित प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक हैं:

- श्री लोकनाथ बेहरा - प्रबंध निदेशक
- श्रीमती अन्नपूरणी एस. - निदेशक - वित्त एवं सीएफओ
- डॉ. एम. पी. रामनवास - निदेशक - परियोजनाएं
- श्री संजय कुमार - निदेशक - प्रणाली
- श्री लिस्टन परेरा - कंपनी सचिव

21.4 निदेशकों का कार्यनिष्पादन मूल्यांकन

के.एम.आर.एल एक सरकारी कंपनी होने के नाते भारत सरकार के कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 05.06.2015 की अधिसूचना के मद्देनज़र कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(पी) के प्रावधान और प्रासंगिक नियम लागू नहीं होते हैं ।

हालाँकि, कंपनी वार्षिक आधार पर अपने तीनों कार्यात्मक निदेशकों का प्रदर्शन मूल्यांकन करती है । समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, तीनों कार्यात्मक निदेशकों ने अपने प्रत्येक क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन किया । नामित निदेशकों के मामले में, कार्यनिष्पादन मूल्यांकन जिन्हें नामित किए गए संबंधित सरकारों द्वारा किया जाता है ।

22.0 सहायक, संयुक्त उद्यम और सहयोगी कंपनियों का विवरण

कंपनी अधिनियम **2013** की धारा **2(6)**(ए) के अनुसार आपकी कंपनी के पास "महत्वपूर्ण प्रभाव" के माध्यम से एक सहभागी कंपनी है, अर्थात् कुल मतदान शक्ति का कम से कम बीस (20%) प्रतिशत पर नियंत्रण, या किसी समझौते के तहत व्यावसायिक निर्णयों पर नियंत्रण या भागीदारी । दिनांक 14 जुलाई 2021 से कोच्ची वाटर मेट्रो लिमिटेड (के.डब्ल्यू.एम.एल) की एक सहयोगी कंपनी बन गई है और के.डब्ल्यू.एम.एल की 26% इक्विटी के.एम.आर.एल के पास है ।

23.0 लागत अभिलेखों का रखरखाव

केंद्र सरकार ने कंपनी से संबंधित किसी भी सेवा के लिए अधिनियम की धारा **148(1)** के तहत लागत रिकॉर्ड के रखरखाव को निर्धारित नहीं किया है ।

24.0 वार्षिक रिटर्न

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(ए) के प्रावधानों के अनुसार, एमजीटी-7 के रूप में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 की उप-धारा (3) के तहत प्रदान की गई वार्षिक रिटर्न की प्रति कंपनी की वेबसाइट www.kochimetro.org में दिया गया है ।

25.0 निगमित अभिशासन

आपकी कंपनी निगमित अभिशासन मानकों का पालन करती है और अपनी सभी गतिविधियों में पारदर्शिता, सत्यनिष्ठा और

जवाबदेही का अनुसरण करती है । इस रिपोर्ट के साथ 'निगमित अभिशासन की रिपोर्ट' नामक एक अलग खंड संलग्न किया गया है ।

26.0 आईसीएसआई के सचिवीय मानक

कंपनी बोर्ड की बैठकों पर 'एसएस-1 सचिवीय मानक सामान्य बैठकों पर निदेशकों और 'एसएस-2' सचिवीय मानक का अनुपालन कर रही है ।

27.0 लेखा परीक्षक

27.1 संवैधानिक लेखा परीक्षक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अनुसार मेसर्स जी. जोसेफ एंड एसोसिएट्स, शासनपत्रित लेखाकार को भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सी & एजी) द्वारा कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया है, जो वार्षिक आम बैठक के समापन तक उक्त पद पर बने रहेंगे ।

वार्षिक रिपोर्ट के एक भाग के रूप में सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट इसके साथ संलग्न है ।

27.2 सचिवीय लेखा परीक्षक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 के प्रावधानों के अनुसार, मेसर्स विवेक सरथ और नौफल, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिवों के संकाय, को वर्ष 2023-24 के लिए आपकी कंपनी की सचिवीय लेखा परीक्षा आयोजित करने हेतु नियुक्त किया गया है । सचिवीय लेखा परीक्षक की रिपोर्ट और कंपनी सचिव द्वारा अपनी सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट में दिए गए प्रत्येक अवलोकन/योग्यता पर टिप्पणियाँ इस रिपोर्ट के साथ संलग्न हैं ।

27.3 आंतरिक लेखा परीक्षक

मेसर्स सी के प्रस्टी एंड एसोसिएट्स शासनपत्रित लेखाकार, कोच्ची, को आंतरिक लेखा परीक्षा और कंपनी के आंतरिक लेखा परीक्षकों के कर्तव्यों की निगरानी आदि के लिए आपकी कंपनी के आंतरिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया, उनकी रिपोर्ट की लेखापरीक्षा समिति द्वारा समय-समय पर समीक्षा की जाती है ।

28.0 निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण

वित्तीय विवरण, हिस्टोरिकल कोस्ट कन्वेन्शन के तहत, प्रोद्भवन आधार पर, भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए अन्य लेखांकन सिद्धांत और कुछ वित्तीय लिखतों को उचित मूल्य पर मापने के सिवाय, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत समय-समय पर संशोधित निर्धारित भारतीय लेखा मानकों (Ind AS) के अनुसार कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के साथ पठित, के अनुसार तैयार किए गए हैं ।

कंपनी ने सभी लागू भारतीय लेखा मानकों और नीतियों को अपनाया है । यदि लेखा मानक प्रारंभ में एक नया अधिनियमित अपनाया जाता है, या मौजूदा लेखा मानक में संशोधन, यदि आवश्यक हो तो तदनुसार, लेखांकन नीतियों को तब तक लागू किया जाता है जब तक कि लेखांकन नीति में परिवर्तन नहीं किया जाता है ।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) के अनुपालन में, निदेशकों का कहना है कि:

- 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक लेखा तैयार करने में, सामग्री विचलन के लिए उचित स्पष्टीकरण के साथ लागू लेखा मानकों का पालन किया गया है;

- निदेशक लेखांकन नीतियों का चयन करते हैं और उन्हें लगातार लागू करते हैं और वित्तीय वर्ष के अंत में आपकी कंपनी की स्थिति और उस अवधि के दौरान आपकी कंपनी के नुकसान और लाभ का सही और निष्पक्ष जानकारी देने के लिए उचित और विवेकपूर्ण निर्णय और अनुमान लगाए गए हैं ।
- निदेशकों ने आपकी कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी बरती है;
- निदेशकों ने वार्षिक लेखा गोइंग-कंसर्न आधार पर तैयार किया है;
- निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की हैं और यह कि ऐसी प्रणालियां पर्याप्त हैं और यह प्रभावी ढंग से काम कर रही हैं ।

29.0 व्यवसाय की प्रकृति में परिवर्तन

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी के व्यवसाय की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं आया है ।

30.0 लेखापरीक्षकों द्वारा की गई प्रत्येक योग्यता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी या अस्वीकरण पर बोर्ड द्वारा स्पष्टीकरण या टिप्पणियाँ

समीक्षा अवधि के दौरान लेखा परीक्षकों से कोई योग्यता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई ।

31.0 सतर्कता जागरूकता सप्ताह

आपकी कंपनी ने दिनांक 30 अक्टूबर 2023 से 5 नवंबर 2023 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जिसका विषय था: "भ्रष्टाचार को ना कहें; राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्ध रहें।" दिनांक 3 नवंबर 2023 को श्रीमती सूर्य तंकप्पन आईपीएस - सीवीओ, फैक्ट को सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा लेने के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया । कंपनी के सभी कर्मचारियों ने सत्यनिष्ठा की शपथ ली । कर्मचारियों के लिए प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया ।

32.0 अन्य प्रकटीकरण - कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए कंपनी की एक नीति है । कंपनी ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध, निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामलों की जांच करने और यौन उत्पीड़न से मुक्त सुरक्षित कार्य वातावरण की सुविधा के लिए एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन के.एम.आर.एल में शुरुआत से ही (2014 से) किया है और सभी कर्मचारियों को संवेदनशील बनाने और जागरूकता फैलाने के लिए हर साल सभी वैधानिक उपाय किए जा रहे हैं ।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान यौन उत्पीड़न के कोई मामले दर्ज नहीं किए गए ।

मौजूदा आंतरिक शिकायत समिति के सदस्य हैं:

- श्रीमती. मिनी छाबड़ा, जीएम (एचआर, प्रशासन एवं प्रशिक्षण) - पीठासीन अधिकारी
- श्रीमती पी. के. षाईबी- संस्थापक और मुख्य संरक्षक (स्पिनाच इंडिया) - बाहरी सदस्य
- श्री प्रवीण सी., डीजीएम (आरएस) - सदस्य
- श्रीमती प्रतिभा जी. नायर, प्रबंधक (वित्त/ओ एंड एम) - सदस्य
- श्रीमती रेणू सी. पॉल, सहायक। प्रबंधक (कानून) - सदस्य

प्रोत्साहित करने और पोषण करने तथा सकारात्मक झुकाव वाले कार्यस्थल वातावरण को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण के साथ,कोच्ची मेट्रो का मानव संसाधन कार्य के.एम.आर.एल की व्यावसायिक आवश्यकताओं और व्यक्तिगत आकांक्षाओं के बीच सही संतुलन बनाने में मदद करता है ।

आभारोक्ति

निदेशक मंडल आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, एमसीए तथा अन्य केन्द्रीय एवं राज्य सरकार एजेंसियों, स्थानीय प्राधिकरणों, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय, सांविधिक लेखा परीक्षकों, सचिवीय लेखा परीक्षकों, आंतरिक लेखा परीक्षकों, एएफडी, केएफडब्ल्यू, केनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, केरल राज्य सहकारी बैंक, हुडको तथा अन्य वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रदान की गई सलाह, सहायता और मार्गदर्शन के लिए अपनी सराहना व्यक्त करता है । के.एम.आर.एल के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने में उनके योगदान के लिए प्रिंट और विजुअल मीडिया, ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओं, विक्रेताओं, सलाहकारों, सलाहकारों, ग्राहकों और कंपनी से जुड़े विभिन्न हितधारकों के प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं ।

आपके निदेशक के.एम.आर.एल की स्वीकृति और समर्थन के लिए कोच्ची के लोगों की गहरी सराहना भी व्यक्त करना चाहते हैं ।

निदेशक मंडल भी कंपनी के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की कड़ी मेहनत, प्रतिबद्धता और पूरे दिल से सहयोग के लिए सभी लोगों के प्रति अपनी सराहना भी दर्ज करना चाहते हैं ।

स्थान : कोच्ची
दिनांक: 20.09.2024

कृते निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

ह0/
लोकनाथ बेहरा
प्रबंध निदेशक

ह0/
अन्नपूरणी एस
निदेशक (वित्त)

निगमित अभिशासन की रिपोर्ट

किसी भी संगठन की सफलता और चिरस्थाईता में निगमित अभिशासन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह नियमों, प्रक्रियाओं और कानूनों के एक समूह को संदर्भित करता है जो निगमों के प्रबंधन, विनियमन और नियंत्रण को नियंत्रित करता है। इसमें पणधारियों के हितों को प्रभावित करने वाले आंतरिक और बाह्य दोनों कारक शामिल

हैं। इसके अतिरिक्त, निगमित अभिशासन कानूनी अनुपालन सुनिश्चित करने में मदद करता है। प्रभावी शासन ढांचा जोखिमों की शीघ्र पहचान और प्रबंधन करके उन्हें कम करता है, जिससे दीर्घकालिक और चिरस्थाई विकास को बढ़ावा मिलता है।

कुल मिलाकर, कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड (केएमआरएल) की कॉर्पोरेट प्रशासन प्रथाएँ प्रक्रियाओं और निर्णय लेने को सुव्यवस्थित करती हैं, जिससे अधिक कुशल और प्रभावी संचालन होता है। यह पारदर्शिता, जवाबदेही, उच्च नैतिक मानकों पर ज़ोर देता है और इसका उद्देश्य एक सुरक्षित, विश्वसनीय, कुशल, व्यवहार्य और ग्राहक-अनुकूल मेट्रो प्रणाली प्रदान करने के निगमित लक्ष्य को प्राप्त करना है। के.एम.आर.एल अपने संपूर्ण परिचालन के दौरान उच्चतम नैतिक मानकों और अखंडता और विश्वास के मूल मूल्यों को बनाए रखने के लिए समर्पित है।

यह रिपोर्ट कंपनी द्वारा अपनाई गई निगमित अभिशासन प्रथाओं को रेखांकित करती है और बताती है कि कंपनी ने प्रभावी निगमित अभिशासन के सिद्धांतों और प्रथाओं को कैसे लागू किया है।

निदेशक मंडल

कंपनी के आर्टिकिल्स ऑफ असोशिएशन के अनुसार, सरकारी कंपनियों पर लागू छूट को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड के निदेशकों की संख्या 3 से कम नहीं होनी चाहिए तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 के तहत निर्धारित संख्या से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये निदेशक या तो नामित निदेशक हो सकते हैं, या पूर्णकालिक कार्यात्मक निदेशक हो सकते हैं।

निदेशक मंडल की संरचना

इस रिपोर्ट की तिथि पर, के.एम.आर.एल के निदेशक मंडल में 13 निदेशक हैं, जिनमें से 5 निदेशक भारत सरकार द्वारा नामित हैं और 5 निदेशक केरल सरकार द्वारा नामित हैं और 3 कार्यात्मक निदेशक हैं। अध्यक्ष, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव है और प्रबंध निदेशक केरल सरकार द्वारा नामित व्यक्ति हैं।

कंपनी के निदेशक मंडल में कंपनी के लक्ष्यों के लिए प्रतिबद्ध प्रशासनिक और कार्यकारी कौशल वाले पेशेवर शामिल हैं, जो कंपनी के उद्देश्यों के लिए प्रतिबद्ध हैं और वे संयुक्त रूप से कंपनी के संचालन कार्य भी करते हैं।

निदेशकों की उपस्थिति रिकॉर्ड:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	निदेशक के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान 2023-24 के दौरान आयोजित बैठकें	भाग लिया गया बैठक	वार्षिक आम बैठक भाग लिया/नहीं
1.	श्री मनोज जोशी	3	3	हाँ
2.	श्री अनुराग जैन	1	1	लागू नहीं

3.	डॉ. वेणु वी.	4	2	नहीं
4.	श्री जयदीप	4	4	हाँ
5.	श्री भूपेन्द्र सिंह बोध	4	3	हाँ
6.	श्री किशोर कुमार	3	2	नहीं
7.	श्रीमती नमिता मेहरोत्रा	4	4	हाँ
8.	श्री लोकनाथ बेहरा	4	4	हाँ
9.	श्री रवीन्द्र कुमार अग्रवाल	4	1	नहीं
10.	श्री बीजु प्रभाकर	4	3	नहीं
11.	श्रीमती अन्नपूरणी एस.	4	3	हाँ
12.	डॉ. एम. पी. रामनवास	4	4	हाँ
13.	श्री संजय कुमार	4	4	हाँ
14.	श्री उमेश एन.एस.के.	4	0	नहीं

बोर्ड को दी गई जानकारी

कंपनी के संचालन से संबंधित विभिन्न मामलों पर जिन पर बोर्ड के विचार की आवश्यकता है, बोर्ड को अपनी प्रत्येक बैठक से पहले प्रासंगिक जानकारी और प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाते हैं, विशेष रूप से जिनके लिए उच्च स्तरीय विचार-विमर्श की आवश्यकता होती है । कार्यात्मक निदेशकों द्वारा समय-समय पर परियोजना की प्रगति, कानूनी अनुपालन और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुतीकरण भी दी जाती हैं ।

बोर्ड की प्रक्रियाएँ

बोर्ड की बैठकें कंपनी के प्रदर्शन का आलोचनात्मक मूल्यांकन तथा समीक्षा और प्रबंधन निर्णयों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए आयोजित की जाती हैं । वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी के निदेशक मंडल की चार बार बैठक हुई; 27 जुलाई 2023, 29 सितंबर 2023, 12 जनवरी 2024 और 28 मार्च 2024 को ।

कंपनी ने बोर्ड और बोर्ड उप समिति की बैठकें आयोजित करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया है, जैसा कि नीचे बताया गया है:

क) संस्थागत निर्णय लेने की प्रक्रिया

सभी निगमित मामलों को संस्थागत बनाने और बोर्ड द्वारा चर्चा और सामूहिक निर्णयों के पूर्व-नियोजन के लिए आवश्यक प्रणालियों और प्रक्रियाओं की व्यवस्था करने के लिए कंपनी के पास निदेशक मंडल और समितियों की बैठकें आयोजित करने के

लिए सुव्यवस्थित प्रक्रियाएँ हैं, जिससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि सूचना का प्रचार-प्रसार एक अवगत और कुशल तरीके से किया जाता है ।

ख) बोर्ड/बोर्ड उप-समिति की बैठकों के लिए कार्यसूची मदों का निर्धारण और चयन

- बोर्ड के अध्यक्ष का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, उचित सूचना देकर बैठकें बुलाई जाती हैं । विशिष्ट तत्काल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, कम समय की सूचना पर भी बैठकें बुलाई जाती हैं । बोर्ड परिचालन द्वारा भी संकल्प पारित करता है, केवल ऐसे मामलों के लिए, जो अत्यंत आवश्यक हैं और जो कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार अनुमेय हैं; प्रासंगिक वर्ष में परिचालन द्वारा एक प्रस्ताव का अनुमोदित किया गया ।
- कार्यसूची, संबंधित विभागाध्यक्षों द्वारा तैयार किए जाते हैं और संबंधित कार्यकारी निदेशक की सहमति प्राप्त करने के बाद, अनुमोदन के लिए प्रबंध निदेशक को प्रस्तुत किए जाते हैं । विधिवत अनुमोदित विस्तृत कार्यसूची टिप्पणी, व्यापक पृष्ठभूमि जानकारी द्वारा समर्थित प्रबंधन रिपोर्ट और अन्य व्याख्यात्मक विवरण आदि बैठकों में सार्थक, सूचनात्मक और केंद्रित निर्णयों को सुविधाजनक बनाने के लिए सदस्यों के बीच पहले से ही परिचालित किए जाते हैं;
- जहाँ किसी दस्तावेज़ संलग्न करना अवांछनीय है या यदि कार्यसूची संवेदनशील है, तो उसे प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष के अनुमोदन से बैठक में रखा जाता है । विशेष और असाधारण परिस्थितियों में,अतिरिक्त या अनुपूरक मद जो कार्यसूची में नहीं हैं, को अध्यक्ष की अनुमति से चर्चा के लिए लिया जाता है;
- बोर्ड को महत्वपूर्ण घटनाओं/मदों और आवश्यकता पड़ने पर लिए गए अनुमोदनों के बारे में भी सूचित किया जाता है । प्रबंध निदेशक बोर्ड की बैठकों में कंपनी के समग्र प्रदर्शन के बारे में बोर्ड को अवगत कराते रहते हैं;
- कार्यसूची के एक भाग के रूप में, की गई कार्रवाई रिपोर्ट, पिछली बैठकों में बोर्ड के निर्देशों पर की गई कार्रवाई की स्थिति की समीक्षा, भौतिक और वित्तीय प्रगति, समिति की बैठकों के कार्यवृत्त आदि शामिल हैं ।
- बोर्ड के सदस्यों को कंपनी के सभी जानकारी तक पूरी प्राप्य है;
- बोर्ड की बैठकें आम तौर पर लागू सचिवीय मानकों के अनुरूप आयोजित की जाती हैं ।

ग) प्रबंध निदेशक द्वारा संक्षिप्त विवरण देना

बोर्ड की प्रत्येक बैठक की शुरुआत में, प्रबंध निदेशक बोर्ड के सदस्यों को परियोजना की वर्तमान स्थिति और विभिन्न क्षेत्रों में कंपनी से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धियों/विकास सहित महत्वपूर्ण विकासों के बारे में जानकारी देते हैं ।

घ) बोर्ड बैठक की कार्यवाही का विवरण दर्ज करना

बैठकों के कार्यवृत्त कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और लागू सचिवीय मानकों के अनुसार परिचालित किए जाते हैं । प्रत्येक बोर्ड की बैठकों के कार्यवृत्त को अध्यक्ष द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित करके कार्यवृत्त पुस्तिका में दर्ज किया जाता है । बोर्ड की बैठकों के कार्यवृत्त अगली बैठक में पुष्टि के लिए प्रस्तुत किये जाते हैं । इसी प्रकार, बोर्ड की उप-समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त भी सूचनार्थ बोर्ड के समक्ष रखे जाते हैं ।

ङ) अनुपालन

विभागाध्यक्ष, कार्यसूची टिप्पणी तैयार करते वक्त, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों, आर्टिकिल्स ऑफ अस्सोसियेशन और सी.वी.सी दिशानिर्देशों सहित सभी लागू वैधानिक आवश्यकताओं का पालन सुनिश्चित करते हैं ।

कंपनी के कर्मचारी उन्हें सौंपे गए कर्तव्यों और ज़िम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए, कंपनी द्वारा अनुमोदित और अपनाई गई आचार संहिता के सिद्धांतों का पालन करते हैं । वे अभिशासन के कार्य में योगदान देने में हमेशा उच्च नैतिक मानकों और मूल्यों को बनाए रखते हैं और प्रबंधन से प्राप्त उचित और समय पर मार्गदर्शन उन्हें बेहतर शासन प्रथाओं को सुनिश्चित करने में मदद करता है ।

अन्य बातों के साथ-साथ बोर्ड के समक्ष रखी गई जानकारी में शामिल हैं:

- विस्तृत बजट अनुमान और राजस्व संचालन की स्थिति ।
- वार्षिक वित्तीय विवरण और बोर्ड की रिपोर्ट ।
- बोर्ड की उप समितियों की बैठकों के निर्णय/ कार्यवृत्त ।
- चरण II, चरण III, एकीकृत जल परिवहन परियोजना, आईयूआरडबल्यूटीएस आदि की अद्यतन स्थिति सहित नए प्रस्ताव/परियोजनाएँ ।
- डीपीआर में विचार किए गए प्रस्तावों के अलावा प्रौद्योगिकी/प्रौद्योगिकी मानकों में परिवर्तन सहित सभी प्रस्ताव ।
- मानव संसाधन और प्रमुख परिसंपत्ति विकास मामलों में कोई महत्वपूर्ण विकास ।
- सावधि ऋण और कार्यशील पूंजी ऋण, अन्य वित्तीय सहायता प्राप्त करना ।
- आंतरिक लेखा परीक्षकों, सांविधिक लेखा परीक्षकों और सचिवीय लेखा परीक्षकों की नियुक्ति ।
- प्रमुख कानूनी विवादों से संबंधित जानकारी ।
- अन्य महत्वपूर्ण जानकारी ।
- बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्देशित/सलाह दिए गए अन्य मामले ।

बोर्ड की समितियाँ

बोर्ड ने कंपनी के संचालन के आकार और प्रकृति के आधार पर आठ उप-समितियों का गठन किया है । ये हैं :

i. लेखा परीक्षा समिति
ii. निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति
iii. मानव संसाधन विकास एवं नामांकन तथा पारिश्रमिक समिति
iv. संचालन और अनुरक्षण समिति
v. परियोजना प्रबंधन समिति
vi. निवेश समिति
vii. अधिप्राप्ति समिति
viii. संपत्ति विकास समिति

इनमें से प्रत्येक समिति बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित संदर्भ की शर्तों को स्पष्ट रूप से बताया गया है । ये समितियाँ समय-समय पर कंपनी की आवश्यकताओं के अनुसार बैठक बुलाती है । बोर्ड की उप-समितियों का विवरण निम्नलिखित है:

1. लेखा परीक्षा समिति

31 मार्च, 2024 की संरचना :

1. श्री रवीन्द्र कुमार अग्रवाल - अध्यक्ष
2. श्री जयदीप - सदस्य
3. श्री बीजु प्रभाकर - सदस्य
4. श्रीमती नमिता मेहरोत्रा - सदस्य

वर्ष 2023-24 के दौरान, लेखापरीक्षा समिति की बैठक दो बार हुई, अर्थात् दिनांक 21 जुलाई 2023 और 20 दिसंबर 2023 को । इन बैठकों में लेखापरीक्षा समिति के सदस्यों के अलावा निदेशक, वित्त और समिति को जानकारी प्रदान करने के लिए आवश्यक अधिकारी भी शामिल थे । बोर्ड द्वारा अनुमोदित लेखा परीक्षा समिति की संदर्भ शर्तें कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुरूप है ।

कंपनी सचिव ने लेखापरीक्षा समिति के सचिव के रूप में कार्य किया ।

सदस्यों की उपस्थिति रिकॉर्ड:

क्रम सं.	सदस्य का नाम	वर्ष 2023-24 में उनकी सदस्यता कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	भाग लिए गए बैठक
1.	श्री रवीन्द्र कुमार अग्रवाल	1	1
2.	श्री जयदीप	2	1
3.	श्री बीजु प्रभाकर	2	--
4.	श्रीमती नमिता मेहरोत्रा	2	2

2. निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सी.एस.आर) समिति

31 मार्च, 2024 की संरचना:

1. श्री लोकनाथ बेहरा - अध्यक्ष
2. श्री उमेश एन.एस.के. - सदस्य
3. श्रीमती अन्नपूरणी एस - सदस्य
4. श्री संजय कुमार - सदस्य
5. डॉ. एम. पी. रामनवास - सदस्य

चूँकि आपकी कंपनी लाभ नहीं कमा रही है, इसलिए सी.एस.आर गतिविधियों के तहत व्यय करना अनिवार्य नहीं है, अतः चालू वर्ष के दौरान सी.एस.आर समिति की कोई बैठक नहीं हुई ।

3. परियोजना प्रबंधन समिति

31 मार्च, 2024 की संरचना:

1. श्री लोकनाथ बेहरा - अध्यक्ष

2. श्री जयदीप - सदस्य
3. श्रीमती अन्नपूरणी एस - सदस्य
4. डॉ. एम. पी. रामनवास - सदस्य

वर्ष के दौरान परियोजना प्रबंधन समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई ।

4. निवेश समिति

31 मार्च, 2024 की संरचना:

1. श्री रवीन्द्र कुमार अग्रवाल - अध्यक्ष
2. श्री लोकनाथ बेहरा - सदस्य
3. श्री बीजु प्रभाकर - सदस्य
4. श्रीमती अन्नपूरणी एस - सदस्य

वर्ष के दौरान निवेश समिति की कोई बैठक नहीं हुई ।

5. अधिप्राप्ति समिति

31 मार्च, 2024 की संरचना:

1. श्री लोकनाथ बेहरा - अध्यक्ष
2. श्री उमेश एन.एस.के. - सदस्य
3. श्रीमती अन्नपूरणी एस - सदस्य
4. डॉ. एम. पी. रामनवास - सदस्य
5. श्री संजय कुमार - सदस्य

वर्ष के दौरान अधिप्राप्ति समिति की कोई बैठक नहीं हुई ।

6. संचालन और अनुरक्षण समिति

31 मार्च, 2024 की संरचना:

1. श्री लोकनाथ बेहरा -अध्यक्ष
2. श्रीमती नमिता मेहरोत्रा -सदस्य
3. श्रीमती अन्नपूरणी एस -सदस्य
4. डॉ. एम. पी. रामनवास -सदस्य

वर्ष के दौरान परिचालन एवं अनुरक्षण समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई ।

7. संपत्ति विकास समिति

31 मार्च, 2024 की संरचना:

1. श्री लोकनाथ बेहरा - अध्यक्ष
2. श्री उमेश एन.एस.के - सदस्य

3. श्री संजय कुमार - सदस्य
4. श्रीमती अन्नपूरणी एस - सदस्य
5. डॉ. एम. पी. रामनवास - सदस्य

वर्ष 2023-24 के दौरान, संपत्ति विकास समिति की बैठक एक बार, दिनांक 25 मार्च 2024 को हुई ।

सदस्यों की उपस्थिति रिकॉर्ड:

क्रम सं.	सदस्य का नाम	वर्ष 2023-24 में उनकी सदस्यता कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	भाग लिए गए बैठक
1.	श्री लोकनाथ बेहरा	1	1
2.	श्री उमेश एन.एस.के	1	1
3.	श्री संजय कुमार	1	1
4.	श्रीमती अन्नपूरणी एस	1	0
5.	डॉ. एम. पी. रामनवास	1	1

8. मानव संसाधन विकास एवं नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

31 मार्च, 2024 की संरचना:

1. श्री लोकनाथ बेहरा - अध्यक्ष
2. श्रीमती नमिता मेहरोत्रा - सदस्य
3. श्री बीजु प्रभाकर - सदस्य
4. श्री उमेश एन एस के - सदस्य
5. डॉ. एम. पी. रामनवास - सदस्य

वर्ष 2023-24 के दौरान, समिति की बैठक एक बार, दिनांक 5 जून 2023 को हुई ।

सदस्यों की उपस्थिति रिकॉर्ड:

क्रम सं.	सदस्य का नाम	वर्ष 2023-24 में उनकी सदस्यता कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	भाग लिए गए बैठक
1.	श्री लोकनाथ बेहरा	1	1
2.	श्रीमती नमिता मेहरोत्रा	1	1
3.	श्री बीजु प्रभाकर	1	-शून्य-
4.	डॉ. एम. पी. रामनवास	1	1

9. आम बैठकें:

पिछले तीन वर्षों में आयोजित आम बैठकें:

एजीएम/ ईजीएम	10वीं एजीएम	11वीं एजीएम	12वीं एजीएम
तिथि और समय	29.09.2021 05.30 P.M.	16.11.2022 12.45 P.M.	29.09.2023 05.30 P.M.
स्थान	**पंजीकृत कार्यालय**	**पंजीकृत कार्यालय**	**पंजीकृत कार्यालय**
विशेष संकल्प (यदि कोई है तो)	-	-	-

कंपनी की वेबसाइट

कंपनी की वेबसाइट www.kochimetro.org है । परियोजनाएँ, निदेशक मंडल, नवीनतम समाचार अपडेट, अनुबंध, निविदाएँ और नौकरी भर्ती प्रक्रियाएँ आदि सहित कंपनी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी वेबसाइट पर प्रकाशित की जाती है । इसके अलावा, कंपनी सामान और सेवाओं की खरीद के बारे में समय पर सूचना प्रसारित करने के लिए वेबसाइट पर अपनी सभी निविदाएं पोस्ट करती है । वेबसाइट मेट्रो रेल परियोजना की अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं, गतिविधियों, प्रगति और अन्य महत्वपूर्ण विकास के बारे में भी जानकारी प्रदान करती है तथा इसे लगातार अद्यतन किया जाता है ।

स्थान : कोच्ची
दिनांक: 20.09.2024

कृते निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

ह0/
लोकनाथ बेहरा
प्रबंध निदेशक

ह0/
अन्नपूरणी एस
निदेशक (वित्त)

प्रपत्र संख्या. एम.आर - 3
सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट
दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (नियुक्ति एवं पारिश्रमिक कार्मिक) नियम, 2014 के नियम 9 के अनुसार]

सेवा में,
सदस्य,
कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड
सीआईएन: U60100KL2011SGC029003
जेएलएन मेट्रो स्टेशन, चौथी मंजिल, कलूर, कोच्ची – 682017

हमने लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन और कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड (जिसे आगे कंपनी कहा जाएगा) द्वारा बेहतर कॉर्पोरेट प्रथाओं के पालन के लिए सचिवीय लेखा परीक्षा आयोजित की है । सचिवीय लेखापरीक्षा इस प्रकार की गई कि जो हमें कॉर्पोरेट आचरण/सांविधिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए एक उचित आधार प्रदान करती है ।

कंपनी की पुस्तकें, कागज़ात, कार्यवृत्त पुस्तक, प्रपत्र और दाखिल दिया गया रिटर्न और कंपनी द्वारा बनाए गए अन्य रिकॉर्डों तथा सचिवीय लेखा परीक्षा के दौरान कंपनी, उसके अधिकारी, एंजेंटों, और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के सत्यापन के आधार पर हम एतदद्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में, कंपनी ने लेखापरीक्षा अवधि के **31 मार्च, 2024** को समाप्त वित्त वर्ष (लेखा परीक्षा अवधि) नीचे सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि कंपनी ने बोर्ड प्रक्रियाओं का पालन किया है और इसके बाद की गई रिपोर्टिंग के अधीन और तरीके से आवश्यक अनुपालन तंत्र मौजूद है:

हम ने निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड द्वारा रखे गए पुस्तकों, कागज़ातों, कार्यवृत्त पुस्तकों, प्रपत्रों और दाखिल किए गए रिटर्न और अन्य अभिलेखों की जाँच की हैं :

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके तहत बनाए गए नियम;

(ii) प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एस.सी.आर.ए') और उसके तहत बनाए गए नियम;
(कंपनी एक असूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी होने के कारण यह खंड लागू नहीं है)

(iii) डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 और उसके तहत बनाए गए विनियम और उपनियम;
(कंपनी एक असूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी होने के कारण यह खंड लागू नहीं है)

(iv) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा तक विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और उसके तहत बनाए गए नियम और विनियम, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और बाहरी वाणिज्यिक उधार;
(लेखा परीक्षा अवधि के दौरान यह खंड लागू नहीं है)

(v) निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के तहत निर्धारित है;

(कंपनी एक असूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी होने के कारण, खंड (v) और इसके उप खंड (क) से (ज) लागू नहीं हैं)

(क)भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अंशों का सब्स्टेंशियल अधिग्रहण और टेकोवर) विनियम, 2011;

(ख)भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अंतरंगी व्यापार का निषेध) विनियम, 1992;

(ग)भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी को जारी करना और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2009;

(घ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना और कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना) दिशानिर्देश, 1999.

(ङ)भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2008;

(च) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (किसी निर्गम के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट) विनियम, 1993 कंपनी अधिनियम और ग्राहक के साथ व्यवहार के संबंध में;

(छ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों को असूचीबद्ध करना) विनियम, 2009; और

(ज) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों का पुनर्खरीद) विनियम, 1998 ।

हमने संबंधित अनुपालनों की भी जांच की है:

(i) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक, एसएस-1 और एसएस-2 और निगमित मामलों के मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया है, और यह रिपोर्ट किया जाता है कि कंपनी ने प्रायः उक्त मानकों का अनुपालन किया है ।

(ii) कंपनी द्वारा बीएसई लिमिटेड, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और लंदन स्टॉक एक्सचेंज के साथ किए गए लिस्टिंग समझौता ।

(कंपनी एक असूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी होने के कारण यह खंड लागू नहीं है ।)

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने निम्नलिखित अवलोकन के अधीन उपर्युक्त अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों और मानकों के प्रावधानों का अनुपालन किया है:

(क) दिनांक 27 मार्च, 2023 और 27 जुलाई, 2023 को आयोजित बोर्ड बैठकों के बीच का अंतराल सचिवीय मानक-1 के खंड 2.1 के अनुसार अनिवार्य एक सौ बीस दिन के अधिकतम अनुमेय अंतर से अधिक है ।

(ख) अधिनियम की धारा 177(2) और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार,लेखा परीक्षा समिति में स्वतंत्र निदेशकों के बहुमत के साथ तीन निदेशक होंगे और अधिनियम की धारा 178(1) और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार, नामांकन और पारिश्रमिक समिति में तीन या अधिक गैर-कार्यकारी निदेशक शामिल होने चाहिए, जिनमें कम से कम आधे स्वतंत्र निदेशक होंगे ।

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जी.एस.आर 839 (ई) दिनांकित 05/07/2017 ने गैर-सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनियों, जो एक संयुक्त उद्यम है, को अपने बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति से छूट दी है । अतः लेखापरीक्षा समिति और मानव संसाधन विकास और नामांकन और पारिश्रमिक समिति की बैठकें स्वतंत्र निदेशकों के बिना ही आयोजित की जाती हैं ।

हम, आगे रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी पर इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर और प्रबंधन से प्राप्त जानकारी और अनुरक्षित अभिलेखों के अनुसार, कंपनी ने, हमारी राय में, आम तौर पर निम्नलिखित उद्योग विशिष्ट कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन उस सीमा तक किया है; जहाँ तक ये लागू होते हैं :

(i) आयकर अधिनियम, 1961;

(ii) माल और सेवा कर अधिनियम, 2017;

(iii) वित्त अधिनियम, 1994;

(iv) कंपनी के कर्मचारियों को अभिशासित करने वाले निम्नलिखित श्रम कानूनों के प्रावधान अर्थात्;

  (क) न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम, 1948

  (ख) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948

  (ग) कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952

  (घ) मज़दूरी भुगतान अधिनियम, 1936

  (ङ) कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, 1923

(v) ठेका श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970;

(vi) अंतर राज्यीय प्रवासी कामगार (रोज़गार का विनियमन और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1979;

(vii) भवन और अन्य निर्माण श्रमिक (रोज़गार का विनियमन और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1996;

(viii) सूचना अधिकार अधिनियम, 2005;

(ix) कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013;

(x) मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में रोज़गार का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013;

(xi) बाल और किशोर श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 और

(xii) भारतीय विद्युत नियम, 1956 ।

कंपनी के संबंधित विभाग पर्यावरण संरक्षण कानूनों और उसके तहत बनाए गए नियमों सहित सभी आवश्यकताओं के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए संबंधित ठेकेदार(ओं) के साथ संपर्क बनाए हुए हैं ।

नए अनुबंधों के लिए, लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया कथित तौर पर चल रही है । ओ एंड एम विभाग सहित के.एम.आर.एल के सभी विभाग, संबंधित ठेकेदारों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करके सभी आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित कर रहे हैं। के.एम.आर.एल में कार्यान्वयन विभागों द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए किसी भी प्रकार की कमी को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है ।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

कंपनी के निदेशक मंडल का गठन कार्यकारी निदेशकों, गैर-कार्यकारी निदेशकों और महिला निदेशक के उचित संतुलन के साथ किया गया है । लेखापरीक्षा अवधि के दौरान हुए निदेशक मंडल की संरचना में परिवर्तन अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किया गया ।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान बोर्ड बैठकें निर्धारित करने के लिए सभी निदेशकों को कम से कम सात दिन पहले पर्याप्त सूचना दी जाती है। कार्यसूची और कार्यसूची पर विस्तृत टिप्पणियाँ कम से कम सात दिन पहले भेजे जाते हैं और इसके लिए एक प्रणाली मौजूद है –

बैठक से पहले कार्यसूची मदों पर आगे की जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करना, बैठक में सार्थक भागीदारी सुनिश्चित करना ।

बोर्ड की बैठकों में लिए गए निर्णयों को निदेशक मंडल की बैठकों के कार्यवृत्त में दर्ज किया जाता है । वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या अन्य ऑडियो-विज़ुअल माध्यमों से आयोजित बैठकों की रिकॉर्डिंग कंपनी सचिव की अभिरक्षा में रखे जाते हैं ।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और संचालन के अनुरूप कंपनी में पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं हैं ।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर महत्वपूर्ण प्रासंगिकता वाली निम्नलिखित कार्रवाई हुई है:

(क) कंपनी ने समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक (प्रणाली) के पद के लिए चयन समिति की सिफारिश की स्वीकृति हेतु एक परिपत्र प्रस्ताव पारित किया है, जिस पर दिनांक 27.07.2023 को आयोजित बोर्ड की अगली बैठक में ध्यान दिया गया ।

(ख) बोर्ड ने दिनांक 29.09.2023 को हुई अपनी बैठक में संसाधन साझा करने के लिए कंपनी और कोच्ची वाटर मेट्रो लिमिटेड के बीच दिनांक 4 सितंबर 2023 को हुए समझौते को मंजूरी दे दी ।

स्थान : कोचीन
तारीख: 01.08.2024
यूडीआईएन: F011592F000872749

कृते विवेक शरथ एवं नौफल कंपनी सचिव

ह0/-
शरथ एस
सहभागी |M. No. F11592 | CP No. 17466

अनुलग्नक -क

सेवा में,
सदस्य,
कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड
सीआईएन: U60100KL2011SGC029003
जेएलएन मेट्रो स्टेशन, चौथी मंजिल, कलूर, कोच्ची – 682017

सम तारीख की रिपोर्ट को इस अनुलग्नक के साथ पढ़ें ।

1. सचिवीय रिकॉर्ड का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है । हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवीय अभिलेखों पर एक राय व्यक्त करना हमारी जिम्मेदारी है ।

2. हमने सचिवीय अभिलेखों की सामग्री की शुद्धता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन किया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सचिवीय अभिलेखों में सही तथ्य परिलक्षित हों, परीक्षण के आधार पर सत्यापन किया गया । हम मानते हैं कि जिन प्रक्रियाओं और प्रथाओं का पालन किया गया, वे हमारी राय के लिए एक उचित आधार प्रदान करती हैं ।

3. हमने कंपनी के किसी भी वित्तीय रिकॉर्ड और खाता बही की शुद्धता और उपयुक्तता को सत्यापित नहीं किया है ।

4. जहाँ कहीं भी आवश्यक हो, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और घटनाओं आदि के बारे में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है ।

5. कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है । हमने लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी द्वारा प्रस्तुत सूचना/अभिलेखों के आधार पर अपनी राय प्रस्तुत की है और रिपोर्टिंग उस सीमा तक सीमित है ।

6. सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में कोई आश्वासन है न ही उस प्रभावकारिता या प्रभावशीलता की जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है ।

कृते : विवेक शरथ एवं नौफल कंपनी सचिव
ह0/-
शरथ एस
सहभागी| सदस्य संख्या F11592 | सी.पी. संख्या 17466

स्थान : कोचीन
दिनांक: 01.08.2024

फॉर्म एओसी-1

(कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 5 के साथ पठित धारा 129 की उप-धारा (3) के पहले परंतुक के अनुसार)

सहायक कंपनियों या सहयोगी कंपनियों या संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरण की मुख्य विशेषताओं से युक्त विवरण

भाग ए सहायक कंपनियाँ: लागू नहीं

भाग बी सहयोगी और संयुक्त उद्यम

सहयोगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (3) के अनुसार वक्तव्य

सहयोगी या संयुक्त उद्यमों का नाम	कोच्ची जल मेट्रो लिमिटेड
1. नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन पत्र तिथि	31.03.2023
2. तारीख जिस पर सहयोगी या संयुक्त उद्यम संबद्ध या अधिग्रहित किया गया	14.07.2021
3. वर्ष के अंत में कंपनी द्वारा धारित सहयोगी या संयुक्त उद्यम के शेयर	
4. संख्या	1,27,400 इक्विटी शेयर
5. सहयोगी या संयुक्त उद्यम में निवेश की राशि	127.40 लाख रुपए
6. होल्डिंग की सीमा (प्रतिशत में)	26%
7. महत्वपूर्ण प्रभाव कैसे होता है इसका विवरण	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(6) के अनुसार
8. सहयोगी/संयुक्त उद्यम समेकित न होने का कारण	लागू नहीं
9. नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन पत्र के अनुसार शेयरधारिता के कारण निवल मूल्य	(8.59) लाख रुपए
10. वर्ष के लिए लाभ या हानि	
i. समेकन में विचारणीय	(26.49) लाख रुपए
ii. समेकन में विचार न किया गया	Not Applicable

1.उन सहयोगियों या संयुक्त उद्यमों के नाम जिनका संचालन शुरू होना बाकी है । **शून्य**

2.सहयोगियों या संयुक्त उद्यमों के नाम जिनका वर्ष के दौरान परिसमापन या बिक्री की गई है । **शून्य**

कृते जी जोसफ एवं एसोसिएट्स
शासनपत्रित लेखाकार
एफ़आरएन: 006310S
यूडीआईएन: 24211364BJZWMD5962

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

ह0/-	**ह0/-**	**ह0/-**
उमेश एल भट्ट	**लोकनाथ बेहरा**	**अन्नपूर्णी.एस**
साझेदार	**प्रबंध निदेशक**	**निदेशक (वित्त) एवं सीएफ़ओ**
सदस्यता सं: 211364	**(डीआईएन:09406020)**	**(डीआईएन:09662978)**

ह0/-
लिस्टन पेरेरा
कंपनी सचिव

स्थान: कोच्ची
दिनांक: 24.07.2024

स्थान: कोच्ची
दिनांक: 24.07.2024

फॉर्म एओसी– 2

(कंपनी (लेखा) नियम, 2014 की अधिनियम और नियम 8(2) के धारा 134 की उप-धारा (3) का खंड (एच) के अनुसार)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट संबंधित पार्टियों के साथ कंपनी द्वारा किए गए अनुबंधों/व्यवस्थाओं के विवरणों के प्रकटीकरण के लिए प्रपत्र, जिसमें उसके तीसरे परंतुक के तहत कुछ आर्म्स लेंग्थ लेन-देन शामिल हैं।

1. आर्म्स लेंग्थ आधार पर किए गए अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेनदेन का विवरण

(क)	संबंधित पार्टी का नाम और रिश्ते का प्रकार।	लागू नहीं
(ख)	अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेनदेन का प्रकार।	लागू नहीं
(ग)	अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेनदेन की अवधि	लागू नहीं
(घ)	मूल्य सहित, अनुबंध या व्यवस्था या लेनदेन की मुख्य शर्तें, यदि कोई हो।	लागू नहीं
(ङ)	ऐसे अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेनदेन में शामिल होने का कारण।	लागू नहीं
(च)	बोर्ड द्वारा अनुमोदित तिथि।	लागू नहीं
(छ)	अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो।	लागू नहीं
(ज)	धारा 188 के पहले परंतुक के तहत अनुरोधानुसार आम बैठक में विशेष संकल्प पारित करने की तिथि।	लागू नहीं

2. आर्म्स लेंग्थ आधार पर किए गए महत्वपूर्ण अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेनदेन का विवरण :

(क)	संबंधित पार्टी का नाम और रिश्ते का स्वरूप।	कोच्ची वाटर मेट्रो लिमिटेड के साथ, संबंध का स्वरूप कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (76) के खंड (viii) के अनुसार है।
(ख)	अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेनदेन का प्रकार	संसाधनों और अनुबंधों को साझा करके परिचालन के प्रारंभिक चरण के दौरान कंपनी को सहायता प्रदान करने के लिए समझौता
(ग)	अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेनदेन की अवधि	दोनों पक्षों द्वारा समाप्ति तक वैध
(घ)	मूल्य सहित, अनुबंध या व्यवस्था या लेनदेन की मुख्य शर्तें, यदि कोई हो।	साझा सेवाओं के लिए केडब्ल्यूएमएल द्वारा 10,000 रुपये प्रति माह का सेवा शुल्क देय है
(ङ)	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि।	29 सितंबर 2023
(च)	अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो।	लागू नहीं

स्थान: कोच्ची
दिनांक: 20.09.2024

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से,

ह0/-
श्रीमती अन्नपूरणी एस
निदेशक (वित्त)

ह0/-
लोकनाथ बेहरा
प्रबंध निदेशक

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट
कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड के सदस्यों के लिए
स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

राय

हमने कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड ('कंपनी') के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों का लिखापरीक्षा किया है, जिसमें दिनांक 31 मार्च, 2024 तक के तुलन पत्र, लाभ और हानि विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन तथा नकदी प्रवाह का विवरण, और वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ, लेखांकन नीतियों का सारांश और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी शामिल हैं।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपरोक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") द्वारा अपेक्षित तरीके से आवश्यक जानकारी प्रदान करते हैं, और दिनांक 31 मार्च, 2022 तक कंपनी के मामलों की स्थिति, और इसके हानि (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए इसके नकद प्रवाह के बारे में कंपनी (इंड एएस) नियम, 2015 के साथ पठित यथा संशोधित ("इंड एएस") अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानक, भारत में आम तौर पर स्वीकार किए जाने वाले अन्य लेखांकन सिद्धांत के अनुरूप एक सच्चा और निष्पक्ष दृष्टिकोण देता है।

राय का आधार

हमने स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा (एसएएस) मानकों के अनुसार किया है। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों के बारे में हमारी रिपोर्ट के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण खंड की लेखापरीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारियों में वर्णित है। हम भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान ('आईसीएआई') द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, साथ ही नैतिक आवश्यकताओं के साथ अधिनियम के प्रावधानों और उसके अंतर्गत नियमों के तहत स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

मदों का महत्व

1. हम, 1,022.97 लाख रुपए की परिसंपत्तियों के पूंजीकरण के संबंध में वित्तीय विवरणों के टिप्पणी संख्या 34.3 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। डी.एम.आर.सी और कंपनी के बीच हुए समझौता ज्ञापन के खंड 6.1.20 के अनुसार दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ('डी.एम.आर.सी') के आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा प्रमाणीकरण लंबित होने तक, कंपनी ने इन परिसंपत्तियों के पूंजीकरण के लिए डी.एम.आर.सी द्वारा प्रस्तुत किए गए बयान पर भरोसा किया है

इन मामलों के संबंध में वित्तीय विवरणों पर हमारी राय संशोधित नहीं है।

अन्य जानकारी

कंपनी के प्रबंधन और निदेशक मंडल अन्य जानकारी के लिए जिम्मेदार हैं। अन्य जानकारी में कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में दिए गए जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण और उस पर हमारे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है। इस लेखापरीक्षक रिपोर्ट की तारीख के बाद कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है।

हमारी राय में, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम उनके बारे में कोई आश्वासन या निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं ।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य सूचनाओं को पढ़ने की है और ऐसा करते समय, हम केवल इस बात पर विचार करते हैं कि क्या अन्य जानकारी स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के साथ महत्वपूर्ण रूप से असंगत है, या हमारी लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त जानकारी के आधार पर अन्यथा महत्वपूर्ण रूप से गलत बताया गया है ।

यदि, हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी में कोई गलत विवरण दिया गया है, तो हमें इस तथ्य की रिपोर्ट करना जरूरी है । इस संबंध में हमें रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है ।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का निदेशक मंडल इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में अधिनियम की धारा 134(5) में निर्दिष्ट मामलों के लिए जिम्मेदार है, जो भारतीय लेखा मानक और भारत में आम तौर पर स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, अन्य व्यापक आय, नकद प्रवाह और इक्विटी में परिवर्तन सहित वित्तीय प्रदर्शन का सही और निष्पक्ष विवरण देते हैं । उक्त ज़िम्मेदारी में कंपनी की परिसंपत्ति की सुरक्षा के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड का रखरखाव, धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं की रोकथाम और पता लगाना; उपयुक्त लेखा नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; निष्पक्ष और विवेकपूर्ण मूल्यांकन; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से कार्य करते हैं, जो स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति जो एक सही और निष्पक्ष परिदृश्य देते हैं और धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हुए ठोस गलत विवरण से मुक्त हैं ।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण तैयार करते समय, कंपनी की एक ऑन गोइंग कंसर्न के रूप में जारी रखने की क्षमता, प्रकटीकरण, जैसा लागू हो, गोइंग कंसर्न से संबंधित मामले का आकलन करने के लिए प्रबंधन जिम्मेदार है लेखांकन के ऑन गोइंग कंसर्न आधार का उपयोग तब किया जाता है जब प्रबंधन कंपनी को समाप्त करने या संचालन बंद करने का इरादा नहीं रखता है, या ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प नहीं है ।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार है ।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक के उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हुए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण समग्र रूप से महत्वपूर्ण गलत विवरणों से मुक्त हैं कि नहीं, और हमारी राय सहित एक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट जारी करना है । उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार आयोजित एक लेखापरीक्षा हमेशा एक महत्वपूर्ण गलत विवरण का पता लगाएगा जब वह मौजूद हो । गलत विवरण धोखाधड़ी या त्रुटि से हो सकते हैं, लेकिन यह गलती व्यक्तिगत और समग्र रूप से है तो, उन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है, इन वित्तीय विवरणों के आधार पर किए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की अपेक्षा की जा सकती है ।

लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा के एक हिस्से के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे लेखापरीक्षा में पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं । इसके अलावा हम:

• धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हुए वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों की पहचान और मूल्यांकन, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करना, और हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना । धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली महत्वपूर्ण गलत विवरणों का पता नहीं लगाने का जोखिम, त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिम से उच्चतर होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में साजिश, जालसाजी, जानबूझकर की गई चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण का निरसन आदि शामिल हो सकता है ।

• परिस्थितियों के लिए उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण की जानकारी प्राप्त करता है । कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3)(i) के अनुसार, हम इस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशील है ।

• प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरणों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करता है ।

• लेखांकन के चालू प्रतिष्ठान के आधार पर प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता और हमें प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर यह निष्कर्ष निकालें कि क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों के संबंध में कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है, जो कंपनी की एक ऑन गोइंग कंसर्न के रूप में जारी रखने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है । यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि एक महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में संलग्न प्रकटीकरणों की ओर ध्यान आकर्षित करना होगा या, यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को संशोधित करने की आवश्यकता है । हमारे निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षण की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों पर आधारित हैं । हालांकि, भविष्य की घटनाओं या शर्तों के कारण कंपनी ऑन गोइंग कंसर्न के आधार पर काम करना बंद कर सकती है ।

• प्रकटीकरण सहित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करना, और क्या स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस तरह से दर्शाते हैं, जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त होती है ।

मेटीरियालिटी स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में गलत बयानों का परिमाण है, जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, यह स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के एक उचित ज्ञानवाले उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की संभावना । हम (i) अपने लेखापरीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और हमारे कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने में; और (ii) स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में पहचाने गए किसी भी गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करने में मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं ।

हम अन्य मामलों के साथ-साथ, लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय तथा महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के बारे में, जिनमें लेखापरीक्षा के दौरान पहचानी गई आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण कमी भी शामिल है, शासन के लिए जिम्मेदार लोगों के साथ संवाद करते हैं ।

हम शासन के लिए जिम्मेदार लोगों को यह कथन भी देते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, तथा उनसे उन सभी संबंधों और अन्य मामलों के बारे में संवाद करते हैं, जो उचित रूप से हमारी स्वतंत्रता पर प्रभाव डालने वाले माने जा सकते हैं, तथा जहां लागू हो, वहां संबंधित सुरक्षा उपायों के बारे में भी बताते हैं ।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. जैसा कि अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा 11 के संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2016 ("आदेश") द्वारा आवश्यक है, अनुच्छेद 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों का विवरण आदेश की, लागू सीमा तक, हमारे द्वारा "अनुलग्नक ए" में प्रस्तुत किया गया है।

2. कंपनी के रिकॉर्ड के सत्यापन और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, हम "अनुबंध बी" में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप-धारा (5) के संदर्भ में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों पर एक रिपोर्ट देते हैं।

3. अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा अपेक्षित है, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

क) हमने अपने सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा हेतु आवश्यक सभी जानकारी और स्पष्टीकरण का अनुरोध किया है और प्राप्त किया है।

ख) हमारी राय में, खाता बहियों की जाँच से, यह स्पष्ट है कि कंपनी ने कानून द्वारा अपेक्षित उचित खाताबहियों को बनाया रखा है;

ग) इस रिपोर्ट के अंदर आने वाले तुलन पत्र, अन्य व्यापक आय सहित लाभ और हानि का विवरण, नकद प्रवाह विवरण और इक्विटी में परिवर्तन का विवरण खाता बहियों के साथ सामंजस्य रखते हैं;

घ) हमारी राय में, उपरोक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण यथा संशोधित कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के साथ पठित,अधिनियम की धारा 133 के तहत, भारातीय लेखा मानक की अनुपालन करते हैं ;

ङ) कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जी.एस.आर 463 (ई) दिनांकित 5 जून, 2015 के अनुसरण में एक सरकारी कंपनी होने के नाते,अधिनियम, 2013 की धारा 164 (2) निदेशकों की अयोग्यता से संबंधित नियम कंपनी पर लागू नहीं है।

च) इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता से संबन्धित मद इस रिपोर्ट के “अनुलग्नक सी” में दिए गए हमारी अलग रिपोर्ट का संदर्भ लें;

छ) कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 463 (ई) दिनांकित 5 जून, 2015 के अनुसरण में, एक सरकारी कंपनी होने के नाते, निदेशकों के पारिश्रमिक के संबंध में अधिनियम की धारा 197 कंपनी पर लागू नहीं होती है।कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने अधिनियम की धारा 197(16) के तहत अन्य विवरण निर्धारित नहीं किए हैं, जिन पर हमें टिप्पणी करने की आवश्यकता है।

ज) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार संशोधित के रूप में, लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, जैसा कि हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों केअनुसार, हम:

i) कंपनी ने अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का खुलासा अपने स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में किया है - स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए की टिप्पणी सं. 34.29 देखें;

ii) कंपनी के पास व्युत्पन्न अनुबंधों सहित कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था, जिसके लिए कोई भी पूर्वानुमानित हानि हुई हो;

iii) ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में स्थानांतरित करने की आवश्यकता थी।

iv) क) प्रबंधन ने ऐसा पेश किया है कि, अपने सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा कोई निधि का अग्रिम या उधार या निवेश नहीं किया गया है (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या निधि के प्रकार से) या विदेशी संस्थाओं ("मध्यस्थ") सहित किसी भी अन्य व्यक्ति या संस्थाओं में, इस समझ के साथ कि चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में किसी भी तरह से पहचान या निवेश करेगा, चाहे जो भी हो कंपनी द्वारा या उसकी ओर से ("अंतिम लाभार्थी") या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगी;

ख) प्रबंधन ने पेश किया है कि, उसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा विदेशी संस्थाओं ("निधीकरण पार्टियों") सहित किसी भी व्यक्ति या संस्थाओं से कोई धन प्राप्त नहीं किया गया है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि कंपनी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, फंडिंग पार्टी ("अंतिम लाभार्थियों") द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार या निवेश करेगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगी;

ग) परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना गया लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिसने हमें यह विश्वास दिलाया है कि उपखंड (ए) और (बी) के तहत अभ्यावेदन में कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण हो ।

v) परीक्षण जांच सहित हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने दिनांक 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अपने खाता बहियों को बनाए रखने के लिए एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है, जिसमें ऑडिट ट्रेल (एडिट लॉग) सुविधा रिकॉर्ड करने की सुविधा है और सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी प्रासंगिक लेनदेन के लिए पूरे वर्ष यही सुविधा संचालित होती रही है । इसके अलावा, हमारे लेखापरीक्षा के दौरान हमें लेखापरीक्षा ट्रेल सुविधा के साथ छेड़छाड़ का कोई मामला नहीं मिला ।

चूंकि कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 3(1) का प्रावधान 1 अप्रैल, 2023 से लागू है, इसलिए रिकॉर्ड प्रतिधारण के लिए वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार ऑडिट ट्रेल के संरक्षण पर कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11(जी) के तहत रिपोर्टिंग दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लागू नहीं है ।

vi) चूंकि कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई लाभांश घोषित या भुगतान नहीं किया है, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 के अनुसार लाभांश घोषित या भुगतान किया गया है या नहीं, इस पर टिप्पणी का प्रश्न ही नहीं उठता ।

स्थान : कोच्ची
दिनांक: 24/07/2024

कृते जे जोसफ एण्ड एसोसिएट्स
शासनपत्रित लेखाकार
(फर्म पंजीकरण संख्या 006310S)
ह0
उमेश एल भट्ट
साझेदार
सदस्य सं. 211364
यूडीआईएन: 22211364BJZWMC7340

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(11) के संदर्भ में स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक 'क'

(i) (क) (i) कंपनी ने संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।

(ii) कंपनी ने अमूर्त संपत्तियों का पूरा विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।

(ख) प्रबंधन द्वारा वर्ष के दौरान संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया, सत्यापन की वार्षिक योजना के अनुसार, जो हमारी राय में कंपनी के आकार और संपत्ति संयंत्र और उपकरण तथा उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए उचित है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, इस तरह के सत्यापन में कोई भौतिक विसंगतियां नहीं देखी गईं।

(ग) हमें दिए गए स्पष्टीकरण और वित्तीय विवरणों के टिप्पणी संख्या 2.4 के अनुसार ऐसी संपत्ति पर स्वामित्व प्रदान करते हुए उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा पारित निर्णयों के आधार पर कंपनी अपने नाम पर भूमि को मान्यता देती है। हमारी राय में, इस तरह के निर्णयों के साथ-साथ पंजीकृत दस्तावेजों के आधार पर, नीचे दिए गए को छोड़कर सभी स्थाई परिपत्तियों के शीर्षक कार्य कंपनी के नाम पर है:

संपत्ति का विवरण	सकल वहन मूल्य	के नाम पर	क्या प्रमोटर, निदेशक या उनके रिश्तेदार या कर्मचारी	धारित अवधि - जहां उपयुक्त हो, सीमा सूचित करें	कंपनी के नाम पर न होने का कारण
भूमि	25,44,000 रुपए	सुश्री फरीदा अहमद मूसा पटेल	नहीं	दिनांक 31-03-2021 से अब तक	कंपनी ने संपत्ति पर कब्जा कर लिया है, लेकिन स्वामित्व विलेख/अवार्ड के पंजीकरण की प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हुई है।

(घ) कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (परिसंपत्ति के उपयोग के अधिकार सहित) या अमूर्त संपत्ति या दोनों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

(ङ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जाँच के आधार पर, बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम, 1988 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत, किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू या लंबित नहीं है।

(ii) (क) वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा इन्वेंट्री का भौतिक सत्यापन किया गया है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार भौतिक स्टॉक और बुक रिकॉर्ड के बीच सत्यापन में कोई विसंगति नहीं देखी गई, जो कि इन्वेंट्री के प्रत्येक वर्ग के लिए कुल मिलाकर 10% या अधिक थी।

(ख) कंपनी को चालू परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर वर्ष के दौरान बैंकों और वित्तीय संस्थानों से कुल मिलाकर पाँच करोड़ रुपए से अधिक की कार्यशील पूँजी सीमा स्वीकृत की गई है । हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण तथा मंजूरीआदेश के अनुसार, कंपनी को ऐसे बैंकों और वित्तीय संस्थानों के साथ तिमाही विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है और अतः हमारे पास इस खंड के तहत रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है ।

(iii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई निवेश नहीं किया है, गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की है या ऋण के रूप में कोई ऋण या अग्रिम प्रदान नहीं किया है, कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या किसी अन्य पक्ष को सुरक्षित या असुरक्षित रूप से ऋण प्रदान नहीं किया है । अतः, खंड 3 (iii)(क), (iii)(ख), (iii)(ग), (iii)(घ), (iii)(ङ) और (iii)(च) के तहत रिपोर्टिंग आदेश कंपनी पर लागू नहीं होती है ।

(iv) हमारी राय में, और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने ऋण और निवेश, तथा इसके द्वारा प्रदान की गई गारंटी और सुरक्षा, जैसा लागू हो, के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 के प्रावधानों का अनुपालन किया है ।

(v) कंपनी ने धारा 73 से 76 या कंपनी अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के किसी भी अन्य प्रासंगिक प्रावधान के तहत जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं किया है । तदनुसार, आदेश के खंड 3(v) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता लागू नहीं होती है ।

(vi) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, केंद्र सरकार ने कंपनी द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के तहत लागत रिकॉर्ड का रखरखाव निर्धारित नहीं किया है । तदनुसार, आदेश का खंड 3(vi) लागू नहीं होता है ।

(vii) (क) कंपनी के रिकॉर्ड के अनुसार, माल एवं सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर सहित निर्विवाद वैधानिक बकाया, उपकर और किसी भी अन्य वैधानिक देय राशि को आम तौर पर उपयुक्त अधिकारियों के पास नियमित रूप से जमा किया जाता है । हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन पर उनके देय होने की तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए कोई वैधानिक बकाया नहीं था ।

(ख) हमें दी गई जानकारी के अनुसार, किसी भी विवाद के कारण निम्नलिखित वैधानिक बकाया जमा नहीं किया गया है: -

कानून की प्रकृति	देय राशि की प्रकृति	राशि (रु.)	अवधि से संबंधित राशि	फोरम जहाँ विवाद लंबित है
वित्त अधिनियम, 1994	सेवा कर	81,06,225 रु.	2013-14, 2014-15 & 2015-16	आयुक्त, केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क (अपील)

वित्त अधिनियम, 1994	सेवा कर पर ब्याज	10,20,888 रु.	2015-16	आयुक्त, केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क (अपील)

(viii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण तथा हमारे द्वारा जाँच किए गए कंपनी के रिकॉर्ड के अनुसार, आयकर अधिनियम, 1961 के तहत, वर्ष के दौरान कर निर्धारण में आय के रूप में सरेंडर या खुलासा किए गए के रूप में रोकड़ बही में कोई लेनदेन नहीं है, जिसे रोकड़ बही में दर्ज नहीं किया गया हो ।

(ix) (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण तथा रिकार्डों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान एक वित्तीय संस्थान को ऋण की अदायगी और ब्याज के भुगतान में चूक की है। देरी का विवरण इस प्रकार है ।

उधार की प्रकृति	**ऋणदाता का नाम**	**भुगतान न की गई राशि (रु. में)**	**क्या मूलधन/ब्याज**	**विलंब के दिनों की संख्या**	**टिप्पणी यदि कोई हो**
सावधि ऋण	आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड (हडको)	18,07,00,000 रु.	मूलधन	22	-
सावधि ऋण	आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड (हडको)	12,00,79,154 रु.	ब्याज	22	-

(ख) कंपनी को किसी भी बैंक, वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा इरादतन चूककर्ता (विलफुल डिफॉल्टर) घोषित नहीं किया गया है ।

(ग) हमारी राय में, तथा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, सावधि ऋण का उपयोग, समग्र आधार पर, उन उद्देश्यों के लिए लागू किए गए हैं जिनके लिए उन्हें प्राप्त किया गया था ।

(घ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण तथा कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जाँच के आधार पर, कंपनी द्वारा अल्पकालिक आधार पर जुटाई गई किसी भी निधि का उपयोग दीर्घकालिक प्रयोजनों के लिए नहीं किया गया है ।

(ङ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की समग्र जाँच के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों, सहयोगियों या संयुक्त उद्यमों के दायित्वों को पूरा करने के लिए किसी भी संस्था या व्यक्ति से कोई राशी नहीं ली है ।

(च) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण और हमारे द्वारा निष्पादित प्रक्रियाओं के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों या सहयोगी कंपनियों में रखी प्रतिभूतियों की गिरवी पर ऋण नहीं लिया है ।

(x) (क) कंपनी ने प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश या आगे सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण लिखतों सहित) के माध्यम से कोई धन नहीं जुटाया है । तदनुसार, आदेश का खंड 3(x)(ए) लागू नहीं होता है ।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा किए गए लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने कोई अधिमान्य आबंटन, शेयरों का निजी प्लेसमेंट या पूर्ण या आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर नहीं बनाया है । तदनुसार, आदेश का खंड 3(x)(बी) लागू नहीं होता है।

(xi) (क) कंपनी की पुस्तकों और अभिलेखों की हमारी जांच के दौरान, भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखा परीक्षा प्रथाओं के अनुसार, और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमें वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा धोखाधड़ी का कोई भी मामला नहीं मिला है, न ही प्रबंधन द्वारा ऐसे किसी मामले की जानकारी दी गई है, जिसके कारण वित्तीय विवरण में गलत जानकारी दी गई हो ।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप-धारा (12) के तहत लेखापरीक्षकों द्वारा केंद्र सरकार के साथ कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत निर्धारित के अनुसार प्रपत्र एडीटी-4 में कोई रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई है ।

(ग) भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखा परीक्षा प्रथाओं के अनुसार की गई, कंपनी की पुस्तकों और अभिलेखों की हमारी जाँच पर, और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को वर्ष के दौरान कोई मुखबिर शिकायत (व्हिसलब्लोअर कम्प्लेंट) प्राप्त नहीं हुई है ।

(xii) कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है और अतः, आदेश के खंड 3 (xii) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं ।

(xiii) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, संबंधित पार्टियों के साथ किए गए लेनदेन जहाँ लागू हो, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 के अनुपालन में हैं, तथा संबंधित पार्टी लेनदेन के ब्योरे को लागू भारतीय लेखा मानकों द्वारा अपेक्षित के रूप में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है ।

(xiv) (क) हमारी राय में और हमारी जाँच के आधार पर, कंपनी के पास अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप एक आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली है ।

(ख) हमने लेखापरीक्षा के तहत के अवधि के लिए कंपनी की आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर विचार किया है।

(xv) हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने अपने निदेशकों या अपने निदेशकों से जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद लेनदेन नहीं किया है और इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं ।

(xvi) क. कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45-Iए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है ।

ख. जैसा कि हमें बताया गया है, कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई भी गैर-बैंकिंग वित्तीय या आवास वित्त गतिविधियां संचालित नहीं की हैं ।

ग. जैसा कि हमें बताया गया है, कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए विनियमों में परिभाषित कोर निवेश कंपनी (सीआईसी) नहीं है, इसलिए उप खंड (सी) और (डी) लागू नहीं होते हैं ।

(xvii) कंपनी को वित्तीय वर्ष में 25,356.55 लाख रु पएऔर ठीक पिछले वित्तीय वर्ष में 15,017.81 लाख रुपये (पुनर्घोषित) का नकद घाटा हुआ है ।

(xviii) वर्ष के दौरान सांविधिक कोई लेखापरीक्षकों द्वारा कोई त्यागपत्र नहीं दिया है और तदनुसार आदेश का खंड 3 (xviii) लागू नहीं होता है ।

(xix) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा वित्तीय अनुपात के आधार पर, वित्तीय परिसंपत्तियों की प्राप्ति और वित्तीय देयताओं के भुगतान की परिपक्वन और अपेक्षित तिथियाँ, वित्तीय विवरणों के साथ दी गई अन्य जानकारी, निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के बारे में हमारा ज्ञान और विभिन्न सरकारी आदेश और मान्यताओं का समर्थन करने वाले साक्ष्य पर हमारी जाँच के आधार पर, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें विश्वास हो जाता है कि लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि पर कोई भी महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है कि कंपनी अपने मौजूदा दायित्वों को, जब वे देय होते हैं, यानि तुलन पत्र की तारीख से एक साल की अवधि तक पूरा करने में सक्षम नहीं है । हालांकि, हम कहते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में कोई आश्वासन नहीं है । हम आगे कहते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग, लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि तुलनपत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होने वाली सभी देयताओं को कंपनी द्वारा चुका दिया जाएगा ।

(xx) (क) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (5) के तहत किसी भी परियोजना के लिए कोई अव्ययित राशि नहीं है । तदनुसार, आदेश के खंड 3(xx)(ए) और 3(xx)(बी) लागू नहीं होते हैं ।

स्थान: कोच्ची
दिनांक: 24-07-2024

कृते जी जोसफ एवं एसोसिएट्स
शासनपत्रित लेखाकार
(फर्म पंजीकरण सं. 006310S)
ह0/-
उमेश एल भट्ट
साझेदार
सदस्यता सं.211364
यूडीआईएन: 24211364BJZWMC7340

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक ख

दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लेखाओं पर कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड के सदस्यों के लिए हमारी रिपोर्ट के "अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" शीर्षक के तहत अनुच्छेद 2 में संदर्भित

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत सी व एजी के निर्देशों के अनुसार दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लेखाओं पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट

क्रम सं.	**सी व एजी निर्देश**	**सांविधिक लेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ**
1	क्या आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए कंपनी के पास व्यवस्था है ? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभावों के साथ-साथ खातों की अखंडता पर आईटी प्रणाली के अलावा लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के निहितार्थ, यदि कोई हो, निर्दिष्ट करें ।	हमारी राय में, आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए कंपनी के पास एक प्रणाली है । हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण और हमारे द्वारा निष्पादित प्रक्रियाओं के आधार पर, हमारी राय है कि आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण को रोकने और पता लगाने हेतु कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है । हमें प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के ऐसे कोई उदाहरण नहीं हैं ।
2	क्या ऋण चुकाने में कंपनी की असमर्थता के कारण ऋणदाता द्वारा मौजूदा ऋण के लिए कोई छूट/बट्टे खाते में डालने/ऋण/ब्याज आदि के मामले पर पुनर्गठन किया गया ? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव के बारे में निर्दिष्ट करें ।	खाता बहियों और अन्य दस्तावेज़ों की हमारी जाँच के आधार पर और प्रस्तुत जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार,वर्ष के दौरान कंपनी को एक ऋणदाता द्वारा मौजूदा ऋण के लिए छूट/ऋण को बट्टे खाते में डालने/ऋण/ब्याज आदि के मामले पर पुनर्गठन की कोई मामला नहीं है ।

3	क्या केंद्र/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य निधियों को इसके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखा/उपयोग किया गया ? विचलन के मामलों को निर्दिष्ट करें ।	हमारी राय में, और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, केंद्र/राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्त करने योग्य निधियों को कंपनी के खाता बहियों में उचित रूप से शामिल किया गया है । विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त निधियों के उपयोग के मामले में, हम रिपोर्ट करते हैं कि, चूंकि विशिष्ट योजनाओं के लिए निधियों को सीधे निर्दिष्ट खातों में स्थानांतरित नहीं किया जाता है, हम यह सुनिश्चित करने में असमर्थ हैं कि क्या वर्ष के दौरान, विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त धनराशि का उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया गया है जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की गई थी । हालाँकि, वर्ष के अंत में, विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त धन के अप्रयुक्त हिस्से को बैंक खाते में शेष राशि द्वारा दर्शाया गया है ।

स्थान: कोच्ची
दिनांक: 24-07-2024

कृते जी जोसफ एवं एसोसिएट्स
शासनपत्रित लेखाकार
(फर्म पंजीकरण सं. 006310S)
ह0/-
उमेश एल भट्ट
साझेदार
सदस्यता सं. 211364
यूडीआईएन: 24211364BJZWMC7340

कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक की सम तारीख की रिपोर्ट के अनुलग्नक 'ग'

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने दिनांक 31 मार्च, 2024 तक के कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड ("कंपनी") की वित्तीय रिपोर्टिंग पर उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के हमारे लेखापरीक्षा के साथ आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखापरीक्षा की है ।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर प्रबंधन की ज़िम्मेदारी

भारतीय शासनपत्रित लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के मार्गदर्शन टिप्पणी में कथित के अनुसार आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण मानदंड के आधार पर कंपनी का प्रबंधन आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है । कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत अपेक्षित जिम्मेदारियों में, पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव जो कंपनी की नीतियों के पालन सहित,अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से चल रहे थे, अपनी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों का पता लगाना और रोकथाम, लेखा अभिलेखों की शुद्धता और पूर्णता और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी आदि शामिल हैं ।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय विवरणों पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक राय व्यक्त करना है । हमने अपना लेखा-परीक्षण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा-परीक्षा पर मार्गदर्शन नोट ("मार्गदर्शन नोट") और आईसीएआई द्वारा जारी लेखा-परीक्षा के मानकों के अनुसार किया, जिसे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्धारित माना जाता है, जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा-परीक्षा के लिए लागू सीमा तक है, दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा-परीक्षा के लिए लागू हैं और दोनों ही भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी किए गए हैं। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करें तथा इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजना बनाएं और लेखा परीक्षा करें कि क्या इन वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया और यदि ऐसे नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं ।

हमारी लेखापरीक्षा में इन वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए निष्पादन प्रक्रियाएं शामिल हैं । वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, यदि एक महत्वपूर्ण कमजोरी मौजूद है तो, जोखिम का आकलन करना और मूल्यांकन किए गए जोखिमों के आधार पर आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना आदि शामिल है। चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण वित्तीय विवरणों में हुए महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों के मूल्यांकन सहित, चुनी गई प्रक्रियाएं लेखापरीक्षकों के निर्णय पर निर्भर करती हैं ।

हम मानते हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किया है वह पर्याप्त और उपयुक्त है ।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का तात्पर्य

वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने और आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए डिज़ाइन किया गया है । वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियाँ और प्रक्रियाएँ शामिल हैं जो (1) रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंध में, जो उचित विवरण में, कंपनी की परिसंपत्ति के लेनदेन और स्वभाव को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाया जाता है; (2) लेनदेन को आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देने हेतु आवश्यक रूप से दर्ज किया गया है, और कंपनी की प्राप्तियाँ और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार किए जा रहे हैं, इस पर उचित आश्वासन प्रदान करना; और (3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करते हैं, जो वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं ।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएँ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत की संभावना या नियंत्रणों के अनुचित प्रबंधन ओवरराइड शामिल हैं, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गलत विवरण हो सकते हैं और इसका पता नहीं लगाया जा सकता है । इसके अलावा, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान जोखिम के अधीन हैं जोकि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में बदलाव के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या यह कि नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री खराब हो सकता है ।

राय

हमारी राय में, सभी महत्वपूर्ण मामलों के लिए कंपनी के पास वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली हैं और भारतीय शासनपत्रित लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन टिप्पणी में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए, कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण दिनांक 31 मार्च, 2022 से प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे हैं ।

स्थान: कोच्ची
दिनांक: 24-07-2024

कृते जी जोसफ एवं एसोसिएट्स
शासनपत्रित लेखाकार
(फर्म पंजीकरण सं. 006310S)
ह0/-
उमेश एल भट्ट
साझेदार
सदस्यता सं.211364
यूडीआईएन: 24211364BJZWMC7340

कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड

दिनांक 31 मार्च, 2024 तक स्टैंडअलोन तुलन पत्र

राशि (रुपए लाखों में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31.03.2024 को	31.03.2023 को
परिसंपत्तियाँ			
(I) गैर-चालू परिसंपत्तियाँ			
(क) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	2.ए	6003 45.25	5849 11.61
(ख) पूंजीगत कार्य प्रगति पर	2.बी	77 64.02	266 34.73
(ग) निवेश संपत्ति		7 58.34	28.00
(घ) अन्य अमूर्त परिसंपत्तियाँ	3	38 17.39	38 01.02
(ङ) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ		5.31	-
(च) वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
(i) निवेश	4	1 27.40	127.40
(ii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	5	600 16.88	584 10.87
(झ) अन्य गैर - चालू परिसंपत्तियाँ	6	166 19.31	110 07.42
कुल गैर - चालू परिसंपत्तियाँ (I)		**6894 53.90**	**6849 21.05**
(II) चालू परिसंपत्तियाँ			
(क) इन्वेंट्री	7	3 72.25	3 59.68
(ख) वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
(i) व्यापार प्राप्तियाँ	8	7 31.47	13 45.31
(ii) नकद एवं नकद के समतुल्य	9	110 35.75	233 28.50
(iii) अन्य बैंक बकाया	10	45 32.26	38 57.88
(iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	11	239 96.29	201 66.91
(ग) अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	12	63 58.15	43 44.94
कुल चालू परिसंपत्तियाँ (II)		**470 26.17**	**534 03.22**
(III) बिक्री हेतु रखी गई परिसंपत्तियाँ	13	**2 60.00**	**1.31**
कुल परिसंपत्तियाँ (I) +(II)+(III)		**7367 40.07**	**7383 25.58**
इक्विटी एवं देयताएँ			
(I) इक्विटी			
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	14	1507 46.00	1507 46.00
(ख) अन्य इक्विटी	15	653 23.20	900 53.43
कुल इक्विटी (I)		**2160 69.20**	**2407 99.43**
देयताएँ			
(II) गैर-चालू देयताएँ			
(क) वित्तीय देयताएँ			
(i) ऋण	16.A	4403 19.90	4232 82.02
(iक) पट्टा देयताएँ	16.B	4.13	9.59
(ii) अन्य वित्तीय देयताएँ	17	31 52.60	42 34.48
(ख) प्रावधान	18	25 55.88	21 00.25
(ग) अमूर्त कर देयताएँ	19	-	-
(घ) अन्य गैर चालू देयताएँ	20	19 08.93	16 22.20
कुल गैर चालू देयताएँ (II)		**4479 41.44**	**4312 48.54**
(III) चालू देयताएँ			
(क) वित्तीय देयताएँ			
(i) ऋण	21.A	238 95.59	231 22.88
(iक) पट्टा देयताएँ	21.B	5.46	4.98
(ii) व्यापार देयताएँ	22		
- सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों का कुल बकाया		11.70	1.36
- सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के अलावा अन्य ऋणदाताओं का कुल बकाया		11 98.10	12 63.31
(iii) अन्य वित्तीय देयताएँ	23	456 06.14	401 62.11
(ख) अन्य चालू देयताएँ	24	17 24.83	14 88.48
(ग) प्रावधान	25	2 87.61	2 34.49
कुल चालू देयताएँ (III)		**727 29.43**	**662 77.61**
कुल इक्विटी और देयताएँ (I) + (II) + (III)		**7367 40.07**	**7383 25.58**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीति सूचना	1		
स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न टिप्पणी पर ध्यान दें	2-34		

समसंख्यक तारीख के हमारे रिपोर्ट के संदर्भ में
कृते जी जोसेफ एंड एसोसिएट्स
शासनपत्रित लेखाकार
एफ़आरएन . 006310S
यूडीआईएन: 24211364BJZWMC7340

कृते एवं निदेशक मण्डल की ओर से

ह()/-
उमेश एल भट्ट
सहभागी
सदस्य सं. 211364

ह()/-
लोकनाथ बेहेरा
प्रबंध निदेशक
(डीआईएन:09406020)

ह()/-
अन्नपूरनी एस
निदेशक (वित्त) एवं सीएफ़ओ
(डीआईएन:09662978)

ह()/-
लिस्टन परेरा
कंपनी सचिव

स्थान : कोचीन
तिथि : 24.07.2024

स्थान : कोचीन
तिथि : 24.07.2024

कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड

दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लाभ और हानि का स्टैंडअलोन विवरण

राशि (रुपए लाखों में)

	विवरण	टिप्पणी सं.	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
I	परिचालन से राजस्व	26	151 30.10	118 84.44
II	अन्य आय	27	95 10.79	82 14.32
III	**कुल आय (I + II)**		**246 40.89**	**200 98.76**
IV	**व्यय:**			
	परिचालन व्यय	28	56 76.87	50 43.39
	कर्मचारी लाभ व्यय	29	54 05.32	48 87.01
	वित्त लागत	30	294 22.31	222 08.39
	मूल्यहास और परिशोधन व्यय	31	179 53.69	184 97.35
	अन्य व्यय	32	94 77.59	29 59.00
	कुल व्यय (IV)		**679 35.78**	**535 95.14**
V	**कर पूर्व लाभ/(हानि) (III - IV)**		**(432 94.89)**	**(334 96.38)**
VI	कर व्यय:			
	(1) कर पूर्व समायोजन		-	-
	(2) आस्थगित कर		-	-
			-	-
VII	**अवधि के दौरान लाभ/(हानि) (V - VI)**		**(432 94.89)**	**(334 96.38)**
VIII	**अन्य व्यापक आय**			
	मदें जो लाभ या हानि के लिए पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा।			
	- रोजगार के बाद के लाभ दायित्वों का पुनः मूल्यांकन		(54.57)	(75.25)
	उन मदों से संबंधित आयकर जो लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं होंगे		-	-
			(54.57)	**(75.25)**
IX	**वर्ष के लिए कुल व्यापक आय (VII+ VIII) (वर्ष के लिए लाभ/हानि और व्यापक आय शामिल है)**		**(433 49.46)**	**(335 71.63)**
X	**प्रति इक्विटी शेयर आय:**	33		
	(1) मूल		**(28.76)**	**(22.27)**
	(2) डायल्यूटिव		**(26.97)**	**(22.12)**
	महत्वपूर्ण लेखांकन नीति जानकारी	1		
	स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न टिप्पणी पर ध्यान दें	2-34		

समसंख्यक तारीख के हमारे रिपोर्ट के संदर्भ में
कृते जी जोसेफ एंड एसोसिएट्स
शासनपत्रित लेखाकार
एफ़आरएन . 006310S
यूडीआईएन: 24211364BJZWMC7340

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

ह()/-
उमेश एल भट्ट
सहभागी
सदस्य सं. 211364

ह()/-
लोकनाथ बेहेरा
प्रबंध निदेशक
(डीआईएन:09406020)

ह()/-
अन्नपूरनी एस
निदेशक (वित्त) एवं सीएफ़ओ
(डीआईएन:09662978)

ह()/-
लिस्टन परेरा
कंपनी सचिव

स्थान : कोचीन
तिथि : 24.07.2024

स्थान : कोचीन
तिथि : 24.07.2024

कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड

दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का स्टैंडअलोन विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
वर्ष के आरंभ में बकाया राशि	1507 46.00	1507 46.00
पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूँजी में परिवर्तन	-	-
वर्ष के आरंभ में पुन: घोषित शेष राशि	1507 46.00	1507 46.00
चालू वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूँजी में परिवर्तन	-	-
वर्ष के अंत में बकाया राशि	1507 46.00	1507 46.00

ख. अन्य इक्विटी

राशि (रुपए लाखों में)

विवरण	शेयर आवेदन राशि लंबित आवंटन	आस्थगित आय - मौद्रिक अनुदान				आस्थगित आय - गैर मौद्रिक अनुदान	आरक्षित एवं अधिशेष	अन्य व्यापक आय	कुल
		ब्याज मुक्त उप ऋण - भारत सरकार	ब्याज मुक्त उप ऋण - केरल सरकार	राज्य करों की प्रतिपूर्ति - केरल सरकार	चरण 1ए अनुदान - भारत सरकार	केरल सरकार	प्रतिधारित कमाई		
अप्रैल 1, 2022 को बकाया	-	201 24.17	1976 84.18	204 58.51	-	139 30.43	(1479 08.44)	(54.82)	1042 34.03
लेखांकन नीति या पूर्व अवधि की त्रुटियों में परिवर्तन	-	-	-	-	-	-	(1 47.12)		(147.12)
1 अप्रैल 2022 को बकाया राशि (पुन: कथित)	-	**201 24.17**	**1976 84.18**	**204 58.51**	**-**	**139 30.43**	**(1480 55.56)**	**(54.82)**	**1040 86.91**
जोड़ें: वर्ष के लिए व्यापक लाभ/(हानि) बहाल	-	-	-	-	-	-	(334 96.38)	(75.25)	(335 71.63)
जोड़ें : वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन	10,000.00	-	114 34.24	-	4,674.00	-	-	-	261 08.24
कम करें : वर्ष के दौरान के लाभ में हस्तांतरण	-	(4 85.19)	(52 13.38)	(7 78.72)	(92.80)	-	-	-	(65 70.09)
31 मार्च 2023 को बकाया राशि (पुन: कथित)	**100 00.00**	**196 38.98**	**2039 05.04**	**196 79.79**	**4,581.20**	**139 30.43**	**(1815 51.94)**	**(1 30.07)**	**900 53.43**
1 अप्रैल 2023 को बकाया राशि (पुन: कथित)	10,000.00	196 38.98	2039 05.04	196 79.79	4,581.20	139 30.43	(1815 51.94)	(1 30.07)	900 53.43
लेखांकन नीति या पूर्व अवधि की त्रुटियों में परिवर्तन	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100 00.00	**196 38.98**	**2039 05.04**	**196 79.79**	**4,581.20**	**139 30.43**	**(1815 51.94)**	**(1 30.07)**	**900 53.43**
जोड़ें: वर्ष के लिए व्यापक लाभ/(हानि) बहाल	-	-	-	-	-	-	(432 94.89)	(54.57)	(433 49.46)
जोड़ें : वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन		-	263 33.31	-	-	-	-	-	263 33.31
कम करें : वर्ष के दौरान के लाभ में हस्तांतरण	-	(5 35.09)	(62 98.97)	(7 20.37)	(159.65)	-	-	-	(77 14.08)
31 मार्च, 2024 को बकाया	**100 00.00**	**191 03.89**	**2239 39.38**	**189 59.42**	**44 21.55**	**139 30.43**	**(2248 46.83)**	**(1 84.64)**	**653 23.20**

सम तारीख के हमारे रिपोर्ट के संदर्भ में
कृते जी जोसेफ एंड एसोसिएट्स
शासनपत्रित लेखाकार
एफ़आरएन . 006310S
यूडीआईएन: 24211364BJZWMC7340

कृते एवं निदेशक मण्डल की ओर से

ह()/-
उमेश एल भट्ट
सहभागी
सदस्य सं. 211364

ह()/-
लोकनाथ बेहेरा
प्रबंध निदेशक
(डीआईएन:09406020)

ह()/-
अन्नपूरनी एस
निदेशक (वित्त) एवं सीएफ़ओ
(डीआईएन:09662978)

ह()/-
लिस्टन परेरा
कंपनी सचिव

स्थान : कोचीन
तीथी : 24.07.2024

स्थान : कोचीन
तीथी : 24.07.2024

कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड

दिनांक 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन नकदी प्रवाह विवरण

राशि (रुपए लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
ए. परिचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह		
अवधि के दौरान शुद्ध लाभ/(हानि)	(433 49.46)	(335 71.63)
समायोजन		
(लाभ) /परिसंपत्ति की बिक्री पर हानि (निवल)	.01	.25
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	179 53.69	184 97.35
लेखा नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि त्रुटियाँ	.00	1 47.12
संदिग्ध व्यापार और अन्य प्राप्य, ऋण और अग्रिम के लिए क्षति भत्ता (शुद्ध)	3 41.31	96.46
ब्याज आय	(12 54.36)	(7 20.13)
वित्तीय लागत	224 93.63	163 97.90
विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव	(4.83)	6.20
वित्तीय परिसंपत्तियों पर होने वाला शुद्ध लाभ एफवीटीपीएल पर मापा गया है।	(8 90.39)	(8 85.76)
कार्यशील पूँजी परिवर्तन से पहले परिचालन लाभ/(हानि)	**(47 10.40)**	**(32.24)**
परिचालन परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी के लिए समायोजन		
परिचालन परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी	(110 34.90)	5 58.27
अन्य गैर-चालू\ परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी	14 45.77	(13 89.60)
अन्य परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी	(27 00.16)	(24 25.93)
प्रावधानों में (वृद्धि)/कमी	5 08.75	4 21.07
अन्य देय राशि में (वृद्धि)/कमी	23 29.00	(65 84.38)
परिचालन गतिविधियों (क) से / (में प्रयुक्त) से शुद्ध नकदी प्रवाह	**(141 61.94)**	**(94 52.81)**
बी.निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त परिसंपत्ति के अधिग्रहण के लिए भुगतान	(81 97.49)	(1 87.38)
पूँजी अग्रिम सहित पूँजी डब्ल्यूआईपी के लिए भुगतान	(107 05.55)	(148 42.32)
प्राप्त ब्याज आय	12 70.66	6 59.35
निवेश गतिविधियों (ख) से / (में प्रयुक्त) से शुद्ध नकदी प्रवाह	**(176 32.38)**	**(143 70.35)**
सी. वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
प्राप्तियाँ शेयर आवेदन राशि होंगी - भारत सरकार	.00	100 00.00
बैंकों और वित्तीय संस्थानों से प्राप्त दीर्घकालिक ऋण से प्राप्ति	216 43.96	178 82.59
केरल सरकार से प्राप्ति	383 44.43	340 18.77
बैंक से कार्यशील पूँजी ऋण के रूप में प्राप्ति	(9 13.29)	3 11.95
सरकारी अनुदान से प्राप्तियाँ (भारत सरकार)	.00	46 74.00
पट्टा देयताओं का भुगतान	(4.98)	(4.54)
वित्त लागत का भुगतान	(266 17.83)	(255 96.27)
वर्ष के दौरान चुकाया गया ऋण	(129 50.72)	(156 06.93)
वित्तीय गतिविधियों (सी) से / (में प्रयुक्त) से शुद्ध नकदी प्रवाह	**195 01.57**	**256 79.57**
नकद और नकद समकक्ष में शुद्ध वृद्धि / (कमी) (ए) + (बी) + (सी)	**(122 92.75)**	**18 56.41**
वर्ष की शुरुआत में नकद और नकद समकक्ष	**233 28.50**	**214 72.09**
वर्ष के अंत में नकद और नकद समकक्ष	**110 35.75**	**233 28.50**
को शामिल करना		
अथ शेष	34.33	22.39
बैंकों में बकाया :		
-चालू और स्वीप-इन खाते	16 13.42	85 45.11
- सावधि जमा (बारह महीने से कम की परिपक्वता के साथ)	93 88.00	147 61.00
कुल	**110 35.75**	**233 28.50**

सम तारीख के हमारे रिपोर्ट के संदर्भ में
कृते जी जोसेफ एंड एसोसिएट्स
शासनपत्रित लेखाकार
एफ़आरएन . 006310S
यूडीआईएन: 24211364BJZWMC7340

कृते एवं निदेशक मण्डल की ओर से

ह()/-
उमेश एल भट्ट
सहभागी
सदस्य सं. 211364

ह()/-
लोकनाथ बेहेरा
प्रबंध निदेशक
(डीआईएन:09406020)

ह()/-
अन्नपूरनी एस
निदेशक (वित्त) एवं सीएफ़ओ
(डीआईएन:09662978)

ह()/-
लिस्टन परेरा
कंपनी सचिव

स्थान : कोचीन
तिथि : 24.07.2024

स्थान : कोचीन
तिथि : 24.07.2024

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के हिस्सा बनने वाली टिप्पणियाँ

निगमित जानकारी

कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड (जिसे आगे "कंपनी" या "केएमआरएल" कहा जाएगा) भारत में अधिवासित और निगमित है (सीआईएन: U60100KL2011SGC029003) जिसमें भारत सरकार (जीओआई) और केरल सरकार (जीओके) की बराबर के इक्विटी भागीदारी है, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के अर्थ में एक सरकारी कंपनी है । कंपनी का पंजीकृत कार्यालय जेएलएन स्टेडियम मेट्रो स्टेशन, चौथी मंजिल, कलूर, कोच्चि -682 017 पर स्थित है । कंपनी मुख्य रूप से कोच्ची और तिरुवनंतपुरम शहर में मेट्रो रेल परियोजना की अवधारणा और संचालन में शामिल है । शहर में एक मल्टी मॉडल परिवहन प्रणाली के स्थाई संचालन और कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु कंपनी को मेट्रो नेटवर्क के बाद के विस्तार कार्य, इसका संचालन, रखरखाव और संबद्ध गतिविधियों के कार्यों को भी सौंपा गया है ताकि टिकाऊ संचालन सुनिश्चित किया जा सके और कोच्चि शहर में मल्टी मॉडल परिवहन प्रणाली को लागू किया जा
सके । कंपनी ने अपनी वाणिज्यिक परिचालन दिनांक 19.06.2017 को शुरू किया । कंपनी की राजस्व स्रोतों में यात्रियों से किराया संग्रह, संपत्तियों और विज्ञापन स्थानों का लाइसेंस/पट्टे पर देना और अन्य संगठनों को परामर्श सेवाएं प्रदान करना आदि शामिल है ।

दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों को निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 24.07.2024 को आयोजित बैठक में जारी करने के लिए अनुमोदित किया गया है ।

1. महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ

1.1 अनुपालन का विवरण

ये स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखांकन मानकों (जिन्हें "इंड एएस" कहा जाता है) के अनुसार तैयार किए गए हैं, जिन्हें समय-समय पर संशोधित कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 के साथ पढ़ा गया है और भारत में आमतौर पर प्रोद्भवन के आधार पर स्वीकार किए गए अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार तैयार किया गया है।

1.1. क. तैयारी का आधार

ये स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण निम्नलिखित परिसंपत्तियों और देयताओं को छोड़कर, जिन्हें उचित मूल्य राशि पर मापा गया है; प्रोद्भवन के आधार पर हिस्टोरिकल कोस्ट कन्वेन्शन पर तैयार किए गए हैं:

क. वित्तीय परिसंपत्तियाँ और देयताएँ और आकस्मिक विचार उचित मूल्य पर मापी गई है;

ख. परिभाषित लाभ योजनाएँ - योजना परिसंपत्तियाँ उचित मूल्य पर मापी गई है;

कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण भारतीय लेखा मानकों ('इंड एएस') के अनुपालन के अनुरूप और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत अधिसूचित नियमों सहित तैयार किए गए हैं ।

लेखांकन नीतियों को लगातार लागू किया गया है, सिवाय इसके कि जहाँ एक नए प्रकार जारी किया गया लेखांकन मानक को शुरू में अपनाया गया हो या मौजूदा लेखा मानक में संशोधन के लिए अब तक उपयोग में लेखांकन नीति में बदलाव की आवश्यकता हो। कंपनी ने आम तौर पर उद्योग में प्रचलित नीति और सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन किया है।

1.2 अनुमानों और प्रबंधन निर्णयों का उपयोग

भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) की मान्यता और माप सिद्धांतों के अनुरूप स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को कुछ अनुमान और मान्यताओं को बनाने की आवश्यकता होती है, जो लेखांकन नीतियों के अनुप्रयोग और परिसंपत्ति की रिपोर्ट की गई मात्रा, देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) और समेकित वित्तीय विवरणों की तारीख के अनुसार प्रकटीकरण और वर्ष के दौरान रिपोर्ट की गई आय और व्यय को प्रभावित करते हैं। कुछ अनुमानों को दूसरों की तुलना में लागू करने के लिए उच्च स्तरीय निर्णय की आवश्यकता होती है। प्रबंधन उपलब्ध जानकारी और उसके अनुभव के आधार पर लगातार अपने सभी अनुमानों और निर्णयों का मूल्यांकन करता है और मानता है कि समेकित वित्तीय विवरणों को तैयारी में उपयोग किए गए अनुमान विवेकपूर्ण एवं उचित हैं। भविष्य के परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं और वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच के अंतर को उस अवधि में पहचाना जाता है जिसमें परिणाम ज्ञात या महत्वपूर्ण रूप होते हैं।

निवेश की हानि, संपत्ति के उपयोगी जीवन, संयंत्र और उपकरण, आस्थगित कर परिसंपत्तियों के मूल्यांकन, प्रावधानों और आकस्मिक देयताओं से संबन्धित समेकित वित्तीय विवरणों की तारीख पर अनिश्चितता के आकलन के प्रमुख स्रोत, जो अगले वित्तीय वर्ष के भीतर परिसंपत्तियों और देयताओं की अग्रणीत राशियों में एक महत्वपूर्ण समायोजन का कारण बन सकता है।

क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का उपयोगी जीवन

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के अनुमानित उपयोगी जीवन और अवशिष्ट मूल्यों की समीक्षा करती है। यह भी अनुमान लगाया जाता है कि क्या कोई मद परिसंपत्ति के विवरण को पूरा करती है ताकि पूंजीकरण की गारंटी दी जा सके और परिसंपत्ति के किस घटक को पूंजीकृत किया जा सके। उपयोगी जीवन का पुनर्मूल्यांकन के परिणामस्वरूप भविष्य की अवधि में मूल्यह्रास व्यय में परिवर्तन कर सकता है। यदि पिछले अनुमानों से महत्वपूर्ण बदलाव हैं, तो भविष्य की अवधि के लिए मूल्यह्रास/परिशोधन को संशोधित किया है।

ख) आस्थगित कर परिसंपत्तियों/देयताओं का मूल्यांकन

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में आस्थगित कर परिसंपत्तियों/देयताओं की वहन राशि की समीक्षा करती है। आस्थगित कर मदों के तत्वों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण निर्णय शामिल होते हैं। उक्त नीति टिप्पणी सं. 1.25 के तहत स्पष्ट किया गया है।

ग) पट्टे

कंपनी मूल्यांकन यह करती है कि क्या कोई व्यवस्था भारतीय लेखा मानक 116 की आवश्यकताओं के अनुसार पट्टे के योग्य है। पट्टे की पहचान के लिए महत्वपूर्ण निर्णय की आवश्यकता होती है। पट्टा अवधि का आकलन करने में (प्रत्याशित नवीनीकरण सहित) और लागू छूट दर पर कंपनी महत्वपूर्ण निर्णय लेती है।

पट्टे की व्यवस्था का का वर्गीकरण वित्तीय पट्टे या परिचालन पट्टे के रूप में कई कारकों के आकलन पर आधारित है, जैसेकि पट्टे की अवधि के अंत में पट्टे पर दी गई परिसंपत्ति के स्वामित्व के हस्तांतरण, पट्टेदार के खरीद का विकल्प और ऐसे विकल्प के प्रयोग की अनुमानित निश्चितता, परिसंपत्ति के आर्थिक जीवन के लिए पट्टे की अवधि का अनुपात, पट्टे पर दी गई संपत्ति के उचित मूल्य के लिए न्यूनतम पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य का अनुपात और पट्टे पर दी गई संपत्ति की विशेष प्रकृति की सीमा आदि शामिल है।

उक्त नीति टिप्पणी 1.30 के तहत स्पष्ट की गई है ।

घ) अग्रिमों/प्राप्तियों की वसूलीयोग्यता

कंपनी व्यापार और अन्य प्राप्तियों की वसूली योग्यता के आकलन के आधार पर अपेक्षित ऋण हानि के लिए प्रावधान करती है । निर्णय और अनुमानों के उपयोग पहचान के लिए आवश्यकता होती है । प्रबंधन, प्रत्येक तुलन पत्र के तिथि पर, अपेक्षित जीवन काल में देखी गई हिस्टोरिकल डिफ़ॉल्ट दरों के आधार पर, बकाया प्राप्तियों और अग्रिमों पर अपेक्षित ऋण हानि का आकलन करता है ।

ङ) प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियाँ

एक प्रावधान को मान्यता तब दी जाती है जब पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप कंपनी का वर्तमान दायित्व होता है और यह संभव है कि दायित्व को निपटाने के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी, जिसके संबंध में एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है । प्रावधान (एक्चुरियल मूल्यांकन के अनुसार कर्मचारी लाभों को छोड़कर) को इसके वर्तमान मूल्य में छूट नहीं दी जाती है और तुलन पत्र के तारीख पर दायित्व को निपटाने के लिए आवश्यक सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर निर्धारित किया गया है । प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख पर इनकी समीक्षा की जाती है और चालू सर्वोत्तम अनुमानों को दर्शाने के लिए समायोजित किया जाता है ।

वित्तीय विवरणों में आकस्मिक देयताओं को मान्यता नहीं दी जाती है । प्रबंधन/स्वतंत्र विशेषज्ञों के निर्णय के आधार पर आकस्मिक देयताओं का प्रकटीकरण किया जाता है । एक आकस्मिक परिसंपत्ति मान्यता प्राप्त नहीं है लेकिन वित्तीय विवरणों में एक टिप्पणी के रूप में इसका प्रकटीकरण किया है ।

च) रोज़गार के बाद के हितलाभ योजनाएँ

कर्मचारी लाभ दायित्वों को परियोजना इकाई क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके एक्चुरियल मान्यताओं के आधार पर मापा जाता है जिसमें नाश का दर और निकासी दर के साथ-साथ छूट दरों में भविष्य के विकास के संबंध में मान्यता, वेतन वृद्धि दर और मुद्रास्फीति दर आदि शामिल हैं । कंपनी का मानना है कि अपने दायित्वों को मापने के लिए इस्तेमाल की गई मान्यताएँ उपयुक्त और प्रलेखित हैं । हालाँकि, इन मान्यताओं में किसी भी परिवर्तन का परिणामी गणनाओं पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है ।

छ) गैर-उद्धृत निवेशों की हानि

कंपनी अपने निवेशों के वहन मूल्य की समीक्षा सालाना करती है, या हानि के संकेत मिलने पर अधिक बार समीक्षा करती है। यदि वसूली योग्य राशि उसकी वहन राशि से कम है, क्षति हानि का हिसाब लगाया जाता है ।

झ) गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति परीक्षण

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) और अमूर्त परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि तकनीकी विशेषज्ञों की मान्यताओं के निर्णय के आधार पर निर्धारित की जाती है । इन मान्यताओं में कोई भी परिवर्तन वसूली योग्य राशि के मापन पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है और इसके परिणामस्वरूप क्षति हो सकती है ।

ज) प्राप्य व्यापार और ऋण तथा अग्रिम

संदिग्ध व्यापार प्राप्ति/ऋण और अग्रिम के प्रावधान को मान्यता तब दी जाती है, जब बकाया राशि की अवधि के बावजूद वसूली की अनिश्चितता होती है, तथा जब वसूली न हो पाने की पुष्टि हो जाती है, तो उसे बट्टे खाते में डाल दिया जाता है ।

1.3. कार्यात्मक और प्रस्तुति मुद्रा

ये वित्तीय विवरण भारतीय रुपए (₹) में प्रस्तुत किए जाते हैं, जो कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा है ।

1.4. राशियों का पूर्णांकन

वित्तीय विवरणों और टिप्पणियों में दिए गए सभी राशियों को निकटतम लाखों में पूर्णांकित किया गया है, सिवाय इसके कि जब अन्यथा संकेत दिया गया हो ।

1.5 राजस्व मान्यता

क) किराया संग्रह से होने वाली आय को टिकटों की बिक्री, यात्रा पास की बिक्री, स्मार्ट कार्ड के मामले में वास्तविक उपयोग के मौद्रिक मूल्य और अन्य प्रत्यक्ष किराया संग्रह के आधार पर मान्यता दी जाती है । राजस्व के रूप में प्रकट की गई राशि रिटर्न, व्यापार भत्ते, छूट और रियायतों के निवल राशि है ।

ख) परिसंपत्ति के लाइसेंस से आय /भूमि सहित संपत्ति से किराए की आय को लाइसेंसधारी/पट्टेदार के साथ अनुबंध के नियमों और शर्तों के अनुसार मान्यता दी जाती है और लाइसेंस के शर्तों के अनुसार प्रोद्भवन के आधार पर मान्यता प्राप्त है ।

ग) रद्दीमाल की बिक्री से प्राप्त राजस्व को प्राप्त या प्राप्य प्रतिफल के उचित मूल्य पर मापा जाता है । राजस्व के रूप में प्रकट की गई राशियाँ, रिटर्न, व्यापार भत्ते, छूट, माल तथा सेवा कर और तीसरे पक्ष की ओर से एकत्र की गई राशि आदि का शुद्ध होती है । कंपनी राजस्व का प्रकटीकरण तब करता है जब राजस्व की मात्रा को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है, और भविष्य में इकाई को आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है ।

घ) प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करके ब्याज आय को प्रोद्भवन के आधार पर पहचाना जाता है ।

ङ.) परामर्श सेवाओं से प्राप्त आय को निष्पादित कार्य की वास्तविक प्रगति/तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है, अन्यथा जहां अनुबंध प्रदान करने वाले मामलों को छोड़कर मान्यता प्राप्त है ।

च) अन्य आय को प्रोद्भवन के आधार पर मान्यता प्राप्त है ।

छ) खाता बहियों में देय अदा न की गई बयाना राशि (ईएमडी) जो तीन वर्ष से अधिक पुरानी है, उसे आय के रूप में मान्यता दी जाती है ।

1.6. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (फ्रीहोल्ड भूमि को छोड़कर) को उनकी अधिग्रहण लागत/हिस्टोरिकल लागत संचित मूल्यह्रास और हानि, यदि कोई हो, घटाकर दर्शाया गया है । कंपनी सकल वहन राशि निर्धारित करने के लिए लागत मॉडल अपना रही है । स्थाई परिसंपत्ति की लागत में किसी भी आयात शुल्क और अन्य कर वसूली योग्य करों का शुद्ध सहित इसकी खरीद मूल्य और परिसंपत्ति को इसके इच्छित उपयोग के लिए तैयार करने पर कोई प्रत्यक्ष आरोपणीय व्यय आदि शामिल है ।

निष्पादन एजेंसियों से प्राप्त लेखा विवरण के आधार पर जमा कार्यों/अनुबंधों को और उसके अभाव में निष्पादित कार्य के तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर पूंजीकृत किया जाता है । लागत में उस तारीख तक की अर्हक स्थाई परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के कारण उधार पर ब्याज भी शामिल है, जिस तारीख तक परिसंपत्ति अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार है और किसी भी व्यापार बट्टा और छूट और अन्य आकस्मिक खर्चों का शुद्ध और निराकरण की लागत का एक प्रारंभिक अनुमान, यदि कोई हो, मदों को हटाने और उस साइट पर पुनर्स्थापित करना जिस पर यह स्थित है, भी शामिल है । उपयोग में लाई गई परिसंपत्ति के मामले में, जहां बिलों का अंतिम निपटान अभी किया जाना है, पूंजीकरण अंतिम निपटान के वर्ष में आवश्यक समायोजन के अधीन अनंतिम आधार पर किया जाता है ।

एक वर्ष से अधिक के उपयोगी जीवन वाले पुर्जों को संबंधित शीर्षों के अंतर्गत पूंजीकृत किया जाता है ।

जब किसी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के किसी मद के अलग उपयोगी जीवन हैं, तो उन्हें अलग-अलग मदों (प्रमुख घटकों) के रूप में लेखाकृत किया जाता है । संपत्ति, संयंत्र और उपकरण से संबंधित प्रतिस्थापन पुर्जों /प्रमुख निरीक्षण की लागत केवल पूंजीकृत तभी किया जाता है जब यह संभावना हो कि इनसे जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे और मद की लागत को विश्वासपूर्वक मापा जा सकता है ।

सार्वजनिक रूप से खोले जाने वाले नए खंड के लिए परिसंपत्तियों का पूंजीकरण प्रशासनिक औपचारिकताओं के अनुसार, सभी प्रकार की पूर्णता सुनिश्चित करने के बाद और इस तरह के खंड के उद्घाटन के लिए "मेट्रो रेलवे सुरक्षा आयुक्त" द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार किया जाता है ।

प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर बकाया संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अधिग्रहण के लिए भुगतान किए गए अग्रिमों को "अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियों" के तहत "पूंजीगत अग्रिम" के रूप में वर्गीकृत किया गया है और ऐसी तारीख से पहले इस्तेमाल न की जाने वाली परिसंपत्तियों की लागत "पूंजीगत कार्य प्रगति पर" के तहत मान्यता दी जाती है । संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों से संबंधित बाद के व्ययों का पूंजीकरण केवल तभी किया जाता है जब यह संभावना हो कि इनसे जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे और वस्तु की लागत को विश्वासपूर्वक मापा जा सकता हो । प्रत्येक वर्ष बकाया संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अधिग्रहण के लिए भुगतान किए गए अग्रिमों को, अन्य सभी मरम्मत और रखरखाव को, उस रिपोर्टिंग अवधि के दौरान जिसमें वे व्यय किये जाते हैं।लाभ और हानि विवरण में शामिल किया जाता है, जिसमें वे व्यय किए हों ।

परिसंपत्ति की बिक्री या समापन पर समेकित वित्तीय विवरणों से लागत और संबंधित संचित मूल्यह्रास को हटा दिया जाता है, और परिणामी लाभ या हानि को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है ।

1.7. अमूर्त परिसंपत्तियाँ

अमूर्त परिसंपत्तियों को लागत कम संचित परिशोधन और हानि पर निर्दिष्ट है । अमूर्त परिसंपत्तियों को उस तारीख से जब वे उपयोग के लिए उपलब्ध हैं, उनके संबंधित व्यक्तिगत अनुमानित उपयोगी जीवन पर एक सीधी रेखा पद्धति के आधार पर परिशोधित किया जाता है ।

ब्रांडिंग लागत को अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में पूंजीकृत किया जाता है और पाँच वर्ष की अवधि में एक सीधी रेखा के आधार पर परिशोधित किया जाता है ।

रेलवे को मारगे-छूट प्रभार होने के नाते, उपयोग के अधिकार (अनुमति) के लिए रेलवे को भुगतान की गई राशि,अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में पूंजीकृत है और सत्तर वर्षों की अवधि में एक सीधी रेखा के आधार पर परिशोधित किया गया ।

आरईएससीओ मॉडल के तहत 4.367 मेगावाट क्षमता के रूफ टॉप सौर संयंत्र की स्थापना के लिए उपलब्धि से जुड़े प्रोत्साहन को सौर ऊर्जा खरीद अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है और 25 वर्षों की अवधि में सीधी रेखा पद्धति पर परिशोधित किया गया है ।

सॉफ्टवेयर की लागत जो आंतरिक उपयोग के लिए अधिग्रहित हार्डवेयर का अभिन्न अंग नहीं है, जिसे अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में पूंजीकृत किया जाता है और पांच वर्ष की अवधि में एक सीधी रेखा के आधार पर परिशोधित किया जाता है ।

1.8 निवेश संपत्ति

निवेश संपत्तियाँ वे संपत्तियाँ हैं जो किराया कमाने और/या पूंजी वृद्धि (ऐसे उद्देश्यों के लिए निर्माणाधीन संपत्ति सहित) के लिए रखी जाती हैं । निवेश संपत्तियों को शुरू में उसकी लागत पर मापा जाता है, जिसमें लेनदेन लागत भी शामिल होगी । प्रारंभिक मान्यता के बाद, निवेश संपत्तियों को भारतीय लेखा मानक 16 की लागत मॉडल की आवश्यकताओं के अनुसार अर्थात लागत में से संचित मूल्यह्रास और क्षति हानि घटा कर मापा जाता है । निवेश संपत्ति को निपटान के समय या जब निवेश संपत्ति को स्थायी रूप से

उपयोग से हटा लिया जाता है और निपटान से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद नहीं होती है, तब उसे मान्यता से हटा दिया जाता है । संपत्ति की मान्यता रद्द करने पर होने वाला कोई भी लाभ या हानि (निपटान आय और परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि के बीच अंतर के रूप में गणना की जाती है) उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में शामिल की जाती है, जिस अवधि में संपत्ति की मान्यता रद्द की जाती है । सेवाओं के प्रावधान में उपयोग के लिए और प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए तथा किराया कमाने के लिए किराये पर दी गई संपत्ति (भूमि और भवन) के मामले में, इसे निवेश संपत्ति तभी माना जाएगा जब इसका एक छोटा सा हिस्सा सेवाओं के प्रावधान में उपयोग के लिए या प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए रखा गया हो या इसे अलग से बेचा जा सकता हो ।

निष्पादित परियोजनाओं के लिए प्रगति पर कार्य को जमा कार्यों/अनुबंधों के रूप में मान्यता दी जाती है, जो निष्पादन एजेंसी से प्राप्त व्यय विवरण के आधार पर होती है और इसके अभाव में निष्पादित कार्य के तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर होती है ।

निर्माण अवधि से संबंधित आय, निर्माण अवधि से संबंधित आय, निर्माण अवधि से संबंधित आय, जैसे कि अल्पकालिक जमा पर अर्जित ब्याज (इक्विटी और ब्याज मुक्त अधीनस्थ ऋण के माध्यम से प्राप्त धन की अस्थायी तैनाती के अलावा), ठेकेदार को मोबिलाइजेशन अग्रिम पर ब्याज, निविदा दस्तावेजों की बिक्री आदि को सीडब्ल्यूआईपी के लिए व्यय के खिलाफ समायोजित किया जाता है ।

परियोजना से सीधे संबंधित प्रशासनिक और सामान्य उपरिव्यय (आय घटाकर) को पूंजीकृत परिसंपत्तियों की लागत और सीडब्ल्यूआईपी की कुल लागत के अनुपात में आबंटित किया जाता है ।

1.9. पूंजीगत कार्य प्रगति पर (सीडबल्यूआईपी) और विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्ति

तुलन पत्र की तारीख में निर्माणाधीन परिसंपत्तियों को पूंजीगत कार्य प्रगति पर (सीडब्ल्यूआईपी) के रूप में दिखाया गया है । निर्माण गतिविधि से सीधे संबंधित व्यय पूंजीकृत किया गया है । परियोजना के विभिन्न घटकों के फलस्वरूप होने वाले सभी प्रत्यक्ष व्यय सीडब्ल्यूआईपी के रूप में लेखाबद्ध किया जाता है । सामान्य व्यय और बाहरी उधार पर ब्याज जो सीधे निर्माण गतिविधियों से संबंधित हैं, लेकिन कार्यों के एक से अधिक घटकों के कारण सीडब्ल्यूआईपी के तहत निर्माण के दौरान खर्च के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जिसे पूरा होने पर विभिन्न परिसंपत्तियों में आबंटित किया जाता है । मूल्य परिवर्तन सहित दावों को प्राप्ति पर लेखांकित किए जाते हैं ।

निक्षेप कार्य/अनुबंध के रूप में निष्पादित परियोजनाओं के जो कार्य प्रगति पर है, उसे निष्पादन एजेंसी से प्राप्त व्यय विवरण के आधार परऔर इसके अभाव में निष्पादित कार्य के तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर मान्यता प्राप्त हैं ।

निर्माण अवधि से संबंधित आय, जैसे कि अल्पावधि जमा पर अर्जित ब्याज (इक्विटी और ब्याज मुक्त अधीनस्थ ऋण के माध्यम से प्राप्त निधियों की अस्थाई परिनियोजन के अलावा), ठेकेदार को अग्रिम जुटाने पर ब्याज, निविदा दस्तावेजों की बिक्री आदि को सीडब्ल्यूआईपी के लिए व्यय के विरुद्ध समायोजित किया जाता है ।

परियोजना के लिए प्रत्यक्ष रूप से संबन्धित प्रशासनिक और सामान्य उपरिव्यय (आय का शुद्ध) सीडब्ल्यूआईपी की कुल लागत के लिए पूंजीकृत परिसंपत्तियों की लागत के अनुपात में आबंटित किए जाते हैं ।

1.10. भूमि

भूस्वामियों द्वारा सौंपी गई और कंपनी द्वारा जिला कलेक्टर के माध्यम से ली गई भूमि का मूल्य जिला कलेक्टर के तत्वावधान में कार्यरत भूमि कंपनी के नाम पर टाइटल डीड के पंजीकरण की प्रतीक्षा किए बिना अधिग्रहण इकाई द्वारा प्रस्तुत विवरण के आधार पर पूंजीकृत किया गया है । अस्थायी रूप से किए गए भुगतान/लागत के लिए प्रदान की गई देयता या कब्जे में भूमि से संबंधित मुआवजे को भूमि की लागत के रूप में माना जाता है । निर्माण के लिए सौंपी गई विभिन्न सरकारी निकायों और विभागों से संबंधित भूमि का मूल्य का पूंजीकरण नहीं किया गया है क्योंकि देय राशि और अन्य शर्तों को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है अतः निर्धारित

नहीं किया गया है ।

वर्धित क्षतिपूर्ति , यदि कोई हो, “भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास अधिनियम, 2013 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार” के तहत जब भुगतान किया जाता है, तब दर्ज किया जाएगा और राशि का अनुमान नहीं लगाया जा सकने के कारण भूमि की लागत के रूप में माना जाएगा । भूमि में संरचनाओं के अधिग्रहण की लागत और भूमि भरने का व्यय भूमि की लागत में प्रभारित किया जाता है ।

राज्य सरकार की ओर से निःशुल्क प्राप्त भूमि, जिसका स्वामित्व कंपनी के पास निहित है, को सरकारी आदेश के आधार पर भूमि के बाजार मूल्य पर मान्यता प्राप्त है, जिसकी गणना "भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास अधिनियम, 2013 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार" की धारा 26 के आधार पर की जाती है और भूमि का कब्जा सौंपते समय भारतीय लेखा मानक 20 के अनुसार गैर-मौद्रिक अनुदान के रूप में माना जाता है ।

1.11. परिसंपत्तियों की हानि

प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख में परिसंपत्तियों के वहन मूल्यों की हानि के लिए, यदि कोई हो । यदि ऐसी हानि का कोई संकेत मौजूद है, तो ऐसी परिसंपत्तियों की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाया जाता है और हानि को मान्यता दी जाती है । मान्यता प्राप्त हानि को उस वर्ष के लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त परिसंपत्ति को क्षतिग्रस्त के रूप में पहचाना जाता है । वसूली योग्य राशि किसी परिसंपत्ति के उचित मूल्य से निपटान की लागत कम करके और उपयोग में मूल्य में से जो अधिक हो, मानी जाती है । हानि के बाद, परिसंपत्ति के शेष उपयोगी जीवन पर संशोधित अग्रणीत राशि पर मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है । परिस्थितियों में परिवर्तन के आधार पर पहले से मान्यता प्राप्त क्षतिग्रस्तता हानि बढ़ जाती है या उलट जाती है । हालांकि, उलटने के बाद के वहन मूल्य को वहन मूल्य से अधिक नहीं बढ़ाया जाता है, यदि कोई हानि नहीं होती तो सामान्य मूल्यह्रास लगाकर लागू होता है ।

1.12. इन्वेंटरी

ढीले उपकरणों सहित इन्वेंटरी का मूल्यांकन भारित औसत आधार पर निर्धारित लागत और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य में से जो कम हो, पर किया जाता है ।

1.13. संदिग्ध ऋणों और अग्रिमों के लिए प्रावधान

संदिग्ध ऋणों/अग्रिमों के लिए प्रावधान तब किया जाता है जब बकाया राशि की अवधि पर ध्यान दिए बिना वसूली की अनिश्चितता होती है और अप्राप्ति सिद्ध होने पर बट्टे खाते में डाल दिया जाता है ।

1.14. बीमा दावे

बीमा दावों को बीमा कंपनी द्वारा दावों की स्वीकृति के आधार मान्यता दी जाती है ।

1.15. मूल्यह्रास और परिशोधन

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्धारित परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन के अनुसार और कुछ परिसंपत्तियों/संपत्ति के घटकों के मामले को छोड़कर जहाँ तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर उपयोगी जीवन निर्धारित किया जाता है, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यह्रास स्ट्रेट-लाइन आधार पर प्रदान किया जाता है ।

(ii) उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन के अंत में या पट्टे की अवधि के समाप्ति में उपयोग के अधिकार की संपत्ति का मूल्यह्रास प्रारंभ तिथि से एक सीधी रेखा के आधार पर किया जाता है ।

(iii) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की कोई वस्तु और प्रारंभिक रूप से मान्यता प्राप्त किसी भी महत्वपूर्ण हिस्से को निपटान पर या जब इसके उपयोग से कोई भविष्य में कोई आर्थिक लाभ अपेक्षित न हो, तब मान्यता रद्द कर दी जाती है । परिसंपत्ति की मान्यता रद्द होने पर, उत्पन्न होने वाले कोई भी लाभ/हानि को लाभ और हानि के विवरण में शामिल किया जाता है जब संपत्ति की पहचान नहीं की जाती है ।

(iv) कंपनी द्वारा चरण I की परिसंपत्तियों को सौंपते समय, परिसंपत्ति का अनुमानित उपयोगी जीवन का अनुमान डीएमआरसी द्वारा किए गए तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर लगाया जाता है, जो निम्नानुसार है :

परिसंपत्ति का विवरण	संपत्ति का उपयोगी जीवन (वर्षों में)
बिल्डिंग थीमिंग (उप परिसंपत्ति)	10
रोलिंग स्टॉक	30
रोलिंग स्टॉक के घटक	18
एस्केलेटर और लिफ्ट	
एलेवेटर	30
एलेवेटर के अन्य घटक	20
एस्केलेटर	30
एस्केलेटर के अन्य घटक	15
यूपीएस बैटरी के घटक	10
ए टाइप की सीढ़ी-4 मीटर ऊंचाई	2
एससीएडीए सर्वर (मुख्य और स्टैंडबाय)	3
कम मूल्य की परिसंपत्ति (प्रति व्यक्तिगत आइटम 5,000 रुपये से कम)	1
रेलवे के लिए वे लीव शुल्क *	70
ब्रांडिंग	5
वायाडक्ट, पुल, सुरंग और पुलिया	60
सीसीटीवी	6
सोलर पैनल	25
पेवर ब्लॉक रोड/बिटुमिन रोड, (आंतरिक)	10
सोलर पावर खरीद अधिकार **	25

(v) सभी परिसंपत्तियों (सड़कों और अमूर्त परिसंपत्तियों को छोड़कर) के लिए 5% का अवशिष्ट मूल्य बरकरार रखा गया है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के प्रावधानों के अनुरूप है ।

(vi) 5,000/- या उससे कम कीमत वाली संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त परिसंपत्तियों (कम मूल्य की परिसंपत्तियाँ) का खरीद के वर्ष में पूरी तरह से मूल्यह्रास/परिशोधित किया जाता है ।

(vii) घटकों का अधिकतम जीवन मुख्य परिसंपत्ति के जीवन तक सीमित कर दिया गया है ।

(viii) मदों पर व्यय, जिसका स्वामित्व कंपनी के पास नहीं है, ऐसे व्यय के वर्ष में राजस्व पर लगाया जाता है ।

(xi) अमूर्त परिसंपत्तियों का उपयोग के लिए उपलब्ध होने की तारीख से, उसके उपयोगी जीवन के सर्वोत्तम अनुमान पर व्यवस्थित आधार पर परिशोधन किया जाता है ।

(x) रेलवे को भुगतान किए गए मार्ग-अवकाश प्रभार अमूर्त परिसंपत्तियों के रूप में मान्यता प्राप्त हैं और 70 वर्षों (*) की अवधि में सीधी रेखा पद्धति पर परिशोधित किया गया है ।

(xi) आरईएससीओ मॉडल के अंतर्गत 4.367 मेगावाट क्षमता के रूफ टॉप सौर संयंत्र की स्थापना के लिए उपलब्धि से जुड़े प्रोत्साहन को सौर ऊर्जा क्रय अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है तथा 25 वर्ष की अवधि में सीधी रेखा पद्धति पर परिशोधित किया गया है। **

(xii) कार्यालय उपकरण के अंतर्गत वर्गीकृत मोबाइल फोन का उपयोगी जीवन, तीन साल तक अनुमानित किया है ।

(xiii) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्तियों के उपयोगी जीवन, अवशिष्ट मूल्य और मूल्यह्रास की विधि की प्रत्येक वित्तीय वर्ष में समीक्षा की जाती है और यदि उपयुक्त हो तो संभावित रूप से समायोजित किया जाता है ।

1.16. सरकारी अनुदान

सरकार से अनुदानों को उनके उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है जहां एक उचित आश्वासन दिया जाता है कि अनुदान प्राप्त होंगे और कंपनी सभी संलग्न शर्तों का पालन करेगी । आय से संबंधित सरकारी अनुदानों को आस्थगित किया जाता है और लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है ताकि उन्हें उन लागतों के साथ मिलान किया जा सके जिनकी वे क्षतिपूर्ति करने और अन्य आय के भीतर प्रस्तुत किया गया है ।

जब कंपनी को गैर-मौद्रिक परिसंपत्तियों का अनुदान प्राप्त होता है, परिसंपत्ति और अनुदान को उचित मूल्य राशि पर दर्ज किया जाता है और अंतर्निहित परिसंपत्ति के लाभ के उपभोग के पैटर्न में अपेक्षित उपयोगी जीवन पर लाभ या हानि के विवरण में जारी किया जाता है ।

जब ऋण या इसी तरह की सहायता सरकारों या संबंधित संस्थानों द्वारा वर्तमान लागू बाजार दर से कम ब्याज दर या ब्याज मुक्त के साथ प्रदान की जाती है, तो बाजार दर से कम/ब्याज मुक्त के लाभ को भारतीय लेखा मानक 109 के साथ पठित भारतीय लेखा मानक 113 के अनुसार निर्धारित ऋण के प्रारंभिक वहन मूल्य और प्राप्त लेनदेन मूल्य के बीच अंतर के रूप में मापा जाता है । "अन्य इक्विटी" के तहत आस्थगित आय के रूप में आर्थिक अनुदान को स्थापित करके तुलन पत्र में प्रस्तुत किया है और उस अवधि के दौरान व्यवस्थित आधार पर लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त है, जिसके दौरान भारतीय लेखा मानक 20 के अनुसार ऋण बकाया है । ऋण को बाद में वित्तीय देयताओं पर लागू लेखांकन नीति के अनुसार मापा जाता है ।

1.17. चालू बनाम गैर-चालू वर्गीकरण

तुलन पत्र में परिसंपत्तियाँ और देयताएँ चालू/गैर-चालू वर्गीकरण के आधार पर निम्नानुसार प्रस्तुत किए गए हैं;

किसी परिसंपत्ति को चालू के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा जब यह निम्नलिखित में से किसी भी मानदंड को पूरा करता है:

- सामान्य परिचालन चक्र में साकार होने या बेचे जाने या उपभोग किए जाने की अपेक्षा, या

- मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य से आयोजित, या
- रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर प्राप्त होने की उम्मीद है, या
- नकद या नकद समकक्ष, जब तक कि रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीनों तक किसी देयता का निपटान करने के लिए विनिमय या उपयोग करने से प्रतिबंधित न हो ।

  अन्य सभी परिसंपत्तियों को गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा ।

किसी देयता को चालू रूप में वर्गीकृत किया जाएगा जब वह निम्नलिखित मानदंडों में से किसी एक को पूरा करती है:

- सामान्य परिचालन चक्र में व्यवस्थित होने की उम्मीद है, या
- मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य से आयोजित, या
- रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीने के भीतर निपटारा होने के कारण, या
- रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीनों के लिए देयता के निपटान को स्थगित करने का कोई बिना शर्त अधिकार नहीं है ।

अन्य सभी देयताओं को गैर-चालू माना जाएगा ।

1.18. बिक्री के लिए राखी गई गैर चालू परिसंपत्तियाँ

कंपनी किसी गैर-वर्तमान परिसंपत्ति को बिक्री के लिए निर्धारित के रूप में वर्गीकृत करती है यदि इसकी वहन राशि मुख्य रूप से बिक्री लेनदेन के माध्यम से वसूल की जाएगी । यह शर्त को तभी पूरा माना जाता है जब परिसंपत्ति अपनी वर्तमान स्थिति में तत्काल बिक्री के लिए उपलब्ध हो और इसकी बिक्री अत्यधिक संभावित हो ।

बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत बंद संचालन सहित गैर-वर्तमान संपत्ति को अग्रणीत राशि और उचित मूल्य कम बिक्री लागत पर मापा जाता है और समेकित वित्तीय विवरणों में अलग से प्रस्तुत किया जाता है । एक बार बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत होने के बाद, परिसंपत्ति मूल्यह्रास या परिशोधन के अधीन नहीं हैं ।

बंद किए गए परिचालनों की बिक्री या पुन: माप से उत्पन्न कोई लाभ या हानि को लाभ और हानि के विवरण में एकल पंक्ति वस्तु के भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है ।

1.19. परिचालन चक्र

कंपनी की परिचालन गतिविधियों की प्रकृति के आधार पर और परिसंपत्तियों के अधिग्रहण और नकद या नकद समकक्षों में उनकी वसूली के बीच सामान्य समय को देखते हुए कंपनी ने अपनी परिसंपत्ति और देयताओं को चालू और गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत करने के उद्देश्य से अपने परिचालन चक्र को 12 महीने के रूप में निर्धारित किया है ।

1.20 वित्तीय उपकरण

क) प्रारंभिक मान्यता, माप और गैर-मान्यता

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं को तब मान्यता दी जाती है जब कंपनी उपकरणों के संविदात्मक प्रावधानों का पक्षकार बन जाती है ।

प्रारंभ में लाभ और हानि (एफवीटीपीएल) के माध्यम से उचित मूल्य पर वर्गीकृत उन सभी वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं को छोडकर, सभी वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं को लेनदेन लागतों द्वारा समायोजित उचित मूल्य पर प्रारंभिक रूप से मापा जाता है ।

वित्तीय परिसंपत्तियों की मान्यता तब समाप्त हो जाती है जब वित्तीय परिसंपत्तियों से नकद प्रवाह के संविदात्मक अधिकार समाप्त हो जाते हैं या जब वित्तीय परिसंपत्ति और सभी महत्वपूर्ण जोखिम और कार्य हस्तांतरित हो जाते हैं । एक वित्तीय देयता को मुक्त, समाप्त, रद्द या समाप्त होने पर अमान्य कर दिया जाता है ।

ख) वित्तीय परिसंपत्तियों का वर्गीकरण और अनुवर्ती मापन

अनुवर्ती मापन के उद्देश्य के लिए, प्रारंभिक माप/मान्यता के आधार पर; वित्तीय परिसंपत्तियों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

- परिशोधन लागत पर मापा जाना और;
- उचित मूल्य पर अनुवर्ती रूप से मापे जाने हेतु (या तो अन्य व्यापक आय के माध्यम से या लाभ और हानि के विवरण के माध्यम से) ।

ग) वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि

व्यापार प्राप्तियों पर हानि की पहचान अपेक्षित ऋण हानि मॉडल का उपयोग करके की जाती है, जिसमें भारतीय लेखा मानक 109 के तहत अनुमत हिस्टोरिकल ऋण हानि अनुभव के आधार पर निर्मित प्रावधान मैट्रिक्स का उपयोग शामिल है और इसे अग्रगामी जानकारी के लिए समायोजित किया जाता है । निवेश पर हानि की पहचान तब की जाती है जब वहन राशि इसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है । अन्य सभी वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए, अपेक्षित क्रेडिट हानि को संविदात्मक नकदी प्रवाह और सभी अपेक्षित नकदी प्रवाह के बीच अंतर के आधार पर मान्यता दी जाती है ।

घ) वित्तीय देयताओं का वर्गीकरण और अनुवर्ती मापन

लाभ और हानि के विवरण के माध्यम से उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय देयताओं को छोड़कर, वित्तीय देयताओं को बाद में प्रभावी ब्याज दर का उपयोग करके परिशोधन लागत पर मापा जाता है ।

1.21 निवेश

ऐसे निवेश जो आसानी से वसूली योग्य हैं और जिस तारीख से वे बने हैं, उस तारीख से एक वर्ष से अधिक के लिए रखने करने का इरादा नहीं है, उसे चालू निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है । अन्य सभी निवेशों को दीर्घकालिक निवेश के रूप में वर्गीकृत किया गया है । चालू निवेश कम लागत और व्यक्तिगत निवेश के आधार पर निर्धारित उचित मूल्य पर किए जाते हैं । दीर्घकालिक अवधि के निवेश लागत पर किए जाते हैं । हालांकि, अस्थायी के अलावा, निवेश के मूल्य में कमी के प्रावधान को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी गई है । सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों में निवेश को भारतीय लेखा मानक एएस 27 - अलग वित्तीय विवरण के अनुसार लागत पर मापा जाता है ।

1.22. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियाँ

एक प्रावधान को तभी मान्यता दी जाती है जब,

क) पिछली घटना के परिणामस्वरूप कंपनी का वर्तमान दायित्व (कानूनी या रचनात्मक) हो ।

ख) यह संभव है कि दायित्व को निपटाने के लिए आर्थिक लाभों को शामिल करने वाले संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी ।

ग) दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है ।

प्रावधानों को तुलन पत्र की की तारीख पर दायित्व को व्यवस्थित करने के लिए आवश्यक व्यय के प्रबंधन के सर्वोत्तम अनुमान के

वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है और वर्तमान मूल्य पर छूट नहीं दी जाती है ।

निम्न परिस्थिति में आकस्मिक देयताओं को प्रकट किया जाता है,

क) पिछली घटनाओं से उत्पन्न एक वर्तमान दायित्व, जब यह संभव नहीं है कि दायित्व को निपटाने के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी ।
ख) पिछली घटनाओं से उत्पन्न एक वर्तमान दायित्व, जब कोई विश्वसनीय अनुमान संभव नहीं है ।

आकस्मिक देयताओं का आकलन प्रबंधन/स्वतंत्र विशेषज्ञों के निर्णय के आधार पर किया जाता है । प्रत्येक तुलन पत्र के तिथि पर इनकी समीक्षा की जाती है और वर्तमान प्रबंधन अनुमान को प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजित किया जाता है । ऐसी देयताओं का प्रकटीकरण टिप्पणियों में किया जाता है, लेकिन वित्तीय विवरणों में उनका प्रावधान नहीं किया जाता है । यद्यपि कानूनी कार्यवाही के अंतिम परिणाम के बारे में कोई आश्वासन नहीं दिया जा सकता है, लेकिन कंपनी को उम्मीद नहीं है कि इससे हमारी वित्तीय स्थिति या लाभप्रदता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा । कंपनी आकस्मिक देयता को मान्यता नहीं देती है, लेकिन वित्तीय विवरणों में इसके अस्तित्व का प्रकटीकरण करती है ।

आकस्मिक परिसंपत्ति एक संभावित परिसंपत्ति है जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होती है और जिसका अस्तित्व केवल एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के घटित होने या न घटित होने से ही पुष्ट होगा जो इकाई के पूर्ण नियंत्रण में नहीं हैं । कंपनी आकस्मिक परिसंपत्ति को मान्यता नहीं देती है, लेकिन समेकित वित्तीय विवरणों में इसके अस्तित्व का खुलासा करती है जहाँ आर्थिक लाभ का प्रवाह संभावित है ।

1.23. प्रतिबद्धताएँ

प्रतिबद्धताएँ संविदात्मक व्यय के लिए भविष्य की देयताएं हैं । प्रतिबद्धताओं को निम्नानुसार वर्गीकृत और प्रकट किया जाता है:
क) पूंजी खाते पर निष्पादित होने वाली शेष संविदाओं का अनुमानित मूल्य, जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है ।
ख) अन्य गैर-रद्द करने योग्य प्रतिबद्धताएँ, यदि कोई हों, जिस हद तक उन्हें प्रबंधन की राय में महत्वपूर्ण और प्रासंगिक माना जाता है।

1.24. पूर्व अवधि समायोजन

त्रुटियों के कारण पूर्व अवधि के समायोजन, कंपनी के वित्तीय मामलों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हुए, पूर्वव्यापी रूप से प्रस्तुत की गई पूर्ववर्ती अवधि के लिए तुलनात्मक राशि को पुन: प्रस्तुत करके जिसमें त्रुटि हुई थी या यदि त्रुटि प्रस्तुत की गई प्रारंभिक अवधि से पहले हुई थी, तो इक्विटी में परिवर्तन के विवरण में वित्तीय स्थिति के प्रारंभिक विवरण को पुन: स्थापित करके ठीक किया जाता है ।

1.25. कराधान

आयकर

आयकर व्यय में चालू कर व्यय और वर्ष के दौरान आस्थगित कर परिसंपत्ति या देयता में शुद्ध परिवर्तन शामिल हैं । लाभ और हानि के विवरण में चालू और आस्थगित करों को मान्यता दी जाती है, सिवाय इसके कि जब वे अन्य व्यापक आय में या सीधे इक्विटी में मान्यता प्राप्त मदों से संबंधित हैं, इस मामले में, क्रमशः चालू और आस्थगित कर को अन्य व्यापक आय में या सीधे इक्विटी में भी मान्यता दी जाती है ।

वर्तमान कर

वर्तमान अवधि के लिए आय पर कर आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार गणना की गई कर योग्य आय और कर क्रेडिट के आधार पर और आकलन/अपील के अपेक्षित परिणाम के आधार पर निर्धारित किया जाता है ।

आस्थगित कर

आस्थगित कर को तुलन पत्र विधि का उपयोग करके मान्यता दी जाती है, जो वित्तीय रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए परिसंपत्तियों और देयताओं की अग्रणी राशि और कराधान उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली राशियों के बीच अस्थायी अंतर प्रदान करता है । आस्थगित कर को उन कर दरों पर मापा जाता है, जो रिपोर्टिंग तिथि तक अधिनियमित या पर्याप्त रूप से अधिनियमित किए गए कानूनों के आधार पर अस्थायी अंतरों पर लागू होने की उम्मीद की जाती हैं । आस्थगित कर परिसंपत्ति को केवल उस सीमा तक मान्यता दी जाती है, जहां तक भविष्य में कर लाभ प्राप्त होने की संभावना हो ।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देयताओं की समायोजन तब की जाती है जब मौजूदा कर परिसंपत्तियों और देयताओं को समायोजन करने का कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार होता है और जब आस्थगित कर शेष एक ही कराधान प्राधिकारी से संबंधित हैं ।

चालू कर परिसंपत्तियों और कर देयताओं का समायोजन वहाँ किया जाता है जहाँ इकाई के पास समायोजन करने का कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार होता है और या तो शुद्ध आधार पर निपटान करने का इरादा रखता है, या परिसंपत्ति को स्पष्ट करने और देयता को एक साथ निपटाने का इरादा रखता है ।

1.26. विदेशी मुद्रा लेनदेन/ परिवर्तन

संस्था के वित्तीय विवरणों में शामिल मदों का आकलन प्राथमिक आर्थिक वातावरण की मुद्रा का उपयोग करके किया जाता है जिसमें इकाई संचालित होती ("कार्यात्मक मुद्रा") है । वित्तीय विवरण भारतीय रुपए ("आईएनआर") में प्रस्तुत किए जाते हैं, जो कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा और प्रस्तुति मुद्रा है ।

संबंधित लेनदेन की तारीखों पर प्रचलित विनिमय दर को अपनाते हुए कार्यात्मक मुद्रा में विदेशी मुद्रा लेनदेन दर्ज किए जाते हैं ।

वर्ष के अंत में, विदेशी मुद्राओं में मूल्यवर्गित और विदेशी मुद्रा अनुबंधों द्वारा कवर नहीं की गई मौद्रिक वस्तुओं को "वर्ष के अंत की विनिमय दरों" में अनुवादित किया जाता है, जबकि अग्रिम विनिमय अनुबंधों द्वारा कवर किए गए उनके संबंधित अनुबंधों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं । दीर्घावधि विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों सहित सभी विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों के परिवर्तन/निपटान पर उत्पन्न होने वाले किसी भी विनिमय अंतर को उस अवधि के लिए लाभ और हानि के विवरण में आय या व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है, जिसमें वे उत्पन्न होते हैं, भारतीय लेखा मानक 101 में दी गई स्वैच्छिक छूट के आधार पर भारतीय लेखा मानक 21 के तहत प्रदान किए गए दायरे को छोड़कर लाभ और हानि के विवरण में आय या व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है ।

1.27 कर्मचारी लाभ

भविष्य निधि और पेंशन निधि: कंपनी के पात्र कर्मचारी भविष्य निधि योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं, जिसमें कर्मचारी और कंपनी दोनों कवर किए गए कर्मचारियों के वेतन के निर्दिष्ट प्रतिशत पर मासिक योगदान करते हैं । अंशदान का भुगतान क्षेत्रीय भविष्य निधि खाते में किया जाता है ।

भविष्य निधि योजनाओं के तहत कंपनी के सभी पात्र कर्मचारी भी भविष्य निधि पेंशन योजना के अंतर्गत आते हैं । उपरोक्त भविष्य निधि पेंशन योजना के तहत, कर्मचारियों से कोई योगदान नहीं लिया जाता है और नियोक्ता के योगदान से भुगतान किया जाता है ।

उपदान : चालू वर्ष के दौरान पात्र कर्मचारियों के लिए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर उपदान के लिए प्रावधान किया गया है ।

अर्जित और अर्ध-वेतन छुट्टी: कंपनी कर्मचारियों को अर्जित छुट्टी लाभ और अर्ध-वेतन छुट्टी प्रदान करती है । संबंधित देयता को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है । संबंधित देयताओं की पहचान बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर की जाती है ।

छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी): कंपनी के अनुमोदित नीति के अनुसार कर्मचारियों को उनके गृहनगर के साथ-साथ भारत में किसी भी स्थान पर वास्तविक यात्रा के व्यय लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है । संबंधित देयता को अक्च्यूरियल मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है ।

प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों को रोज़गार लाभ

अन्य सरकारी विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारी लाभ का भुगतान विदेश सेवा अंशदान (एफ़एससी) के रूप में उनके निर्देश के आधार पर उनके संबंधित मूल संगठन नियोक्ता को किया जाता है । वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर देय ऐसे लाभों के लिए आवश्यक प्रावधान का अनुमान लगाया जाता है और इसके लिए प्रावधान किया जाता है ।

भारतीय लेखा मानक 19 के तहत - इसकी परिभाषित लाभ योजना के संबंध में तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त देयता या परिसंपत्ति रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिभाषित लाभ दायित्व का चालू मूल्य है । परिभाषित लाभ दायित्व की वार्षिक गणना अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके अक्चुरीस के आधार पर की जाती है ।

उक्त दायित्व का वर्तमान मूल्य अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह को घटाकर निर्धारित किया जाता है ।

ब्याज आय / (व्यय) की गणना शुद्ध परिभाषित लाभ देयता या परिसंपत्ति पर छूट दर लागू करके की जाती है । शुद्ध परिभाषित लाभ देयता या परिसंपत्ति पर शुद्ध ब्याज आय/ (व्यय) को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त है ।

अक्च्युरियल मान्यताओं और अनुभव समायोजनों में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले पुन: माप लाभ और हानि को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें वे सीधे अन्य व्यापक आय में होते हैं ।

1.28 वित्त लागत

वित्त लागत में लाभ और हानि के विवरण के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों के पुन: माप पर उत्पन्न होने वाले उधार, लाभ या हानि पर ब्याज लागत और विदेशी मुद्रा उधार से उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर को उस सीमा तक शामिल किया जाता है, जिसे उन्हें ब्याज लागत के समायोजन के रूप में माना जाता है ।

धन उधार लेने के संबंध में लागत अर्हक परिसंपत्तियों के अधिग्रहण से सीधे संबंधित अर्हक परिसंपत्तियों को आबंटित किया जाता है, जो अर्हक परिसंपत्तियों के अधिग्रहण/निर्माण/विकास से संबंधित गतिविधियों के प्रारंभ से लेकर ऐसी परिसंपत्ति के पूंजीकरण की तारीख तक की अवधि से संबंधित है । ऐसे उधारों के अस्थायी निवेश पर अर्जित ब्याज आय, अर्हक परिसंपत्तियों पर उनके व्यय को लंबित रखते हुए, पूंजीकरण के लिए पात्र उधार लागत से घटाया जाता है । इसके बाद, उधार लेने की लागत को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है ।

एक अर्हक परिसंपत्ति एक ऐसी परिसंपत्ति है जिसे अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार होने में पर्याप्त समय लेती है ।

1.29 निर्माण के दौरान ब्याज का आबंटन

उधार लेने की लागत, उधार पर ब्याज होने के नाते जो सीधे तौर पर एक योग्य परिसंपत्ति के निर्माण/उत्पादन के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदाई होते हैं, भारतीय लेखा मानक 23 के अनुसार उस परिसंपत्ति की लागत के हिस्से के रूप में पूंजीकृत किया जाता है । वर्ष

के दौरान चालू की गई योग्य परिसंपत्तियों के संबंध में निर्माण के दौरान ब्याज, कमीशन की गई परिसंपत्तियों के मूल्य के अनुपात में के महीने के अंत में अर्हक पूंजी कार्य प्रगति के मूल्य के अनुपात में आबंटित किया जाता है ।

1.30 पट्टे

पट्टेदार के रूप में:

पट्टे के आरंभ की तिथि पर, कंपनी उन सभी पट्टा व्यवस्थाओं के लिए पट्टा देयता और संगत उपयोग-अधिकार ("आरओयू") परिसंपत्ति को मान्यता देती है, बारह महीने या उससे कम अवधि वाले पट्टों (अल्पकालिक पट्टे) और कम मूल्य की परिसंपत्तियों के पट्टों को छोड़कर, जिनमें वह पट्टेदार है । इन अल्पावधि और कम मूल्य की परिसंपत्तियों के पट्टों के लिए, कंपनी पट्टे के भुगतान को पट्टे की अवधि के दौरान सीधी रेखा के आधार पर या किसी अन्य व्यवस्थित आधार पर परिचालन व्यय के रूप में मान्यता देती है । उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों को शुरू में लागत पर मान्यता दी जाती है, जिसमें पट्टा देयता की प्रारंभिक राशि शामिल होती है, जिसे लीज़ की आरंभ तिथि पर या उससे पहले किए गए किसी भी पट्टा भुगतान के लिए समायोजित किया जाता है, साथ ही किसी भी आरंभिक प्रत्यक्ष लागत में से किसी भी पट्टा प्रोत्साहन को घटा दिया जाता है । बाद में उन्हें लागत में से संचित मूल्यह्रास और क्षति हानि, यदि कोई हो, घटाकर मापा जाता है । उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों का पट्टा अवधि के कम होने और अंतर्निहित परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर सीधी रेखा के आधार पर प्रारंभ तिथि से मूल्यह्रास किया जाता है ।

पट्टा देयता को शुरू में भविष्य के पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है । पट्टे के भुगतान को पट्टे में निहित ब्याज दर का उपयोग करके या, यदि आसानी से निर्धारित नहीं किया जा सकता है, तो वृद्धिशील उधार दरों का उपयोग करके छूट दी जाती है। बाद में पट्टे की देयताओं पर ब्याज को प्रतिबिंबित करने के लिए वहन राशि को बढ़ाकर और किए गए पट्टे के भुगतान को प्रतिबिंबित करने के लिए वहन राशि को कम करके पट्टे की देयता को फिर से मापा जाता है । पट्टे की अवधि में बदलाव या पट्टे के भुगतान को निर्धारित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले सूचकांक या दर में बदलाव जैसे कुछ घटनाओं के घटित होने पर पट्टे की देयता को फिर से मापा जाता है । पुनर्माप आम तौर पर पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों को भी समायोजित करता है । पट्टा देयता और आरओयू परिसंपत्ति को तुलन पत्र में अलग से प्रस्तुत किया गया है और पट्टा भुगतान को वित्तपोषण नकदी प्रवाह के रूप में वर्गीकृत किया गया है ।

पट्टादाता के रूप में:

जिन पट्टे के लिए कंपनी पट्टादाता है, उन्हें वित्त या परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है । जब भी पट्टे की शर्तें पट्टेदार को स्वामित्व के सभी जोखिम और प्रतिफल हस्तांतरित करती हैं, तो अनुबंध को वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अन्य सभी पट्टें संचालनशील पट्टों के रूप में वर्गीकृत हैं । परिचालन पट्टों के लिए, किराये की आय को संबंधित पट्टे की अवधि के दौरान सीधी रेखा के आधार पर या किसी अन्य व्यवस्थित आधार पर पहचाना जाता है ।

1.31 खंड रिपोर्टिंग

कंपनी के पास केवल एक रिपोर्ट करने योग्य व्यवसाय खंड है, जो है मेट्रो रेल प्रणाली का विकास, संचालन और रखरखाव और सेवाओं की प्रकृति, जोखिम और रिटर्न, संगठन संरचना और आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग सिस्टम के आधार पर एकल ऑपरेटिंग सेगमेंट में काम करता है ।

1.32.नकद और नकद समकक्ष (नकद प्रवाह विवरण के प्रयोजन के लिए)

नकद प्रवाह विवरण के प्रयोजन के राशि में हाथ में बकाया, सरकारी कोष और बैंकों के पास डिमांड जमा आदि शामिल हैं। नकद समतुल्य तीन महीने या उससे अधिक की मूल परिपक्वता लेकिन अधिग्रहण की तारीख से बारह महीने से कम, के साथ अल्पकालिक शेष राशि हैं, लेकिन अधिग्रहण की तारीख से बारह महीने से कम, अत्यधिक लिक्विड निवेश जो आसानी से नकदी की ज्ञात मात्रा में परिवर्तनीय हैं और जो मूल्य में परिवर्तन के महत्वहीन जोखिम के अधीन हैं।

1.33. नकदी प्रवाह विवरण

नकद प्रवाह विवरण भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) - 7 'नकदी प्रवाह विवरण' पर निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार तैयार किया जाता है।

1.34 प्रति शेयर आय

प्रति शेयर मूल आय की गणना अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से इक्विटी शेयरधारकों को निर्धारित अवधि के लिए शुद्ध लाभ या हानि को विभाजित करके की जाती है।

प्रति शेयर लिक्विड आय की गणना के उद्देश्य से, इक्विटी शेयरधारकों को निर्धारित अवधि के लिए शुद्ध लाभ या हानि और अवधि के दौरान बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या सभी डाइल्यूटिव संभावित इक्विटी शेयरों के प्रभावों के लिए समायोजित किया जाता है।

राशि (रुपए लाखों में)

टिप्पणी 2क: संपत्ति, संयंत्र, उपकरण										
विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास/परिशोधन/कमी				Net Block	
	1 अप्रैल 2023 तक	वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन	वर्ष के दौरान निपटान/ समायोजन	31 मार्च 2024 तक	1 अप्रैल 2023 तक	वर्ष के लिए	कटौती/समायोजन	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2024 तक	As at 31st March 2023
भूमि *(फ्रीहोल्ड) (टिप्पणी 2.1 देखें)*	1056 80.49	-13 51.31	258.01	1040 71.17	-	-	-	-	1040 71.17	1056 80.49
मकान	1512 48.16	127 66.48	-	1640 14.64	111 78.02	27 61.41	-	139 39.43	1500 75.21	1400 70.14
अस्थायी संरचनाएँ	6.89	1.41	-	8.30	6.76	0.09	-	6.85	1.45	.13
वायडक्ट, पुल, सुरंग और पुलिया	2311 21.78	15,845.15	-	2469 66.93	257 82.91	35 08.48	-	292 91.39	2176 75.54	2053 38.87
संयंत्र एवं यंत्र	91 05.25	182.37	0.30	92 87.32	39 92.13	8 35.52	0.07	48 27.58	44 59.74	51 13.12
रोलिंग स्टॉक	783 74.13	-	-	783 74.13	138 22.02	28 55.25	-	166 77.27	616 96.86	645 52.11
एस्केलेटर एवं लिफ्ट	123 49.95	386.41	-	127 36.36	24 54.45	5 14.91	-	29 69.36	97 67.00	98 95.50
सिग्नलिंग और दूरसंचार उपकरण	219 56.00	1,406.38	-	233 62.38	68 93.47	16 14.10	-	85 07.57	148 54.81	150 62.53
सड़कें	12 80.73	-	-	12 80.73	7 14.49	1 28.07	-	8 42.56	4 38.17	5 66.24
फेंसेस, कुएं, ट्यूबवेल	1 90.58	-	-	1 90.58	1 44.39	24.09	-	1 68.48	22.10	46.19
कंप्यूटर	78 28.92	301.78	-	81 30.70	61 09.95	3 34.82		64 44.77	16 85.93	17 18.97
विद्युत उपकरण	391 68.13	2,224.08	-	413 92.21	166 05.30	37 29.96	-	203 35.26	210 56.95	225 62.83
केबल और नलिकाएं	116 04.98	956.58	-	125 61.56	27 75.47	6 16.09	-	33 91.56	91 70.00	88 29.51
स्विचिंग केंद्र	33 15.31	262.44	-	35 77.75	10 02.23	2 43.61	-	12 45.84	23 31.91	23 13.08
फर्नीचर व फिक्सचर	14 40.06	95.05	1.06	15 34.05	6 01.79	1 29.43	0.64	7 30.58	8 03.47	8 38.27
कार्यालय उपकरण	44 70.32	65.62	1.45	45 34.49	21 88.83	4 21.15	1.37	26 08.61	19 25.88	22 81.49
कम मूल्य की परिसंपत्ति	6 12.41	8.75	-	6 21.16	6 12.41	8.75	-	6 21.16	-	-
वाहन	98.07	301.04	-	399.11	69.24	29.10	-	98.34	300.77	28.83
उपयोग का अधिकार	25.08	-	-	25.08	11.77	5.02	-	16.79	8.29	13.31
कुल	**6798 77.24**	**334 52.23**	**2 60.82**	**7130 68.65**	**949 65.63**	**177 59.85**	**2.08**	**1127 23.40**	**6003 45.25**	**5849 11.61**
गत वर्ष ((पुनः वर्णित)	**6325 44.94**	47,343.07	**10.77**	**6798 77.24**	**767 00.27**	**182 74.46**	**9.10**	**949 65.63**	**5849 11.61**	**5558 44.67**

टिप्पणी 2. ख पूंजी कार्य प्रगति पर					
विवरण	1 अप्रैल 2020 तक	वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन	कुल	वर्ष के दौरान पूंजीकृत	31 मार्च 2024 तक
चरण 1ए & 1बी	252 23.87	142 05.93	394 29.80	345 20.20	49 09.60
चरण II (टिप्पणी सं. 34.4 देखें)	6 51.50	13 34.01	19 85.51	-	19 85.51
अन्य	7 59.36	1 35.14	8 94.50	25.59	8 68.91
कुल	**266 34.73**	**156 75.08**	**423 09.81**	**345 45.79**	**77 64.02**
गत वर्ष ((पुनः वर्णित)	**472 74.34**	**242 06.75**	**714 81.09**	**448 46.36**	**266 34.73**

राशि (रुपए लाखों में)

टिप्पणी 3. अन्य अमूर्त परिसंपत्तियाँ										
विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास/परिशोधन/कमी				सकल ब्लॉक	
	1 अप्रैल 2023 तक	वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन	वर्ष के दौरान निपटान/ समायोजन	31 मार्च 2024 तक	1 अप्रैल 2023 तक	वर्ष के लिए	कटौती/समायोजन	1 मार्च 2024 तक	1 मार्च 2023 तक	1 मार्च 2024 तक
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	19 97.43	2 10.20	-	22 07.63	15 54.33	1 29.87	-	16 84.20	5 23.43	4 43.10
ब्रांडिंग कोच्ची मेट्रो	61.60	-	-	61.60	61.60	-	-	61.60	-	-
सौर ऊर्जा क्रय अधिकार	426.66	-	-	4 26.66	10.05	17.07	-	27.12	399.54	416.61
रेलवे को रास्ता छोड़ने का शुल्क	32 82.00	-	-	32 82.00	3 40.69	46.89	-	3 87.58	28 94.42	29 41.31
कुल	**57 67.69**	**2 10.20**	**-**	**59 77.89**	**19 66.67**	**1 93.83**	**-**	**21 60.50**	**38 17.39**	**38 01.02**
गत वर्ष	**51 06.72**	**6 60.97**	**-**	**57 67.69**	**17 43.78**	**2 22.89**	**-**	**19 66.67**	**38 01.02**	**33 62.94**

टिप्पणी : विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्ति					
विवरण	1 अप्रैल 2023 तक	वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन	कुल	वर्ष के दौरान पूंजीकृत	31 मार्च 2024 तक
एसएपी	-	5.31	5.31	-	5.31
कुल	-	5.31	5.31	-	5.31
गत वर्ष ((पुनः वर्णित)	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**

टिप्पणी :

2.1. कंपनी ने दिनांक 31 मार्च 2024 तक 38.085 हेक्टेयर निजी भूमि (गत वर्ष 38.275 हेक्टेयर) पर कब्जा कर लिया है।

2.2. पूंजीकृत भूमि मूल्य भूमि मालिकों और जिला स्तरीय खरीद समिति के बीच सहमत खरीद मूल्य है या "भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" के तहत पारित अधिनिर्णय के अनुसार है।पंजीकरण शुल्क और स्टांप शुल्क की लागत पर विचार नहीं किया गया है, क्योंकि केरल सरकार ने दिनांक 25 सितंबर 2014 के सरकारी आदेश संख्या जी.ओ. (पी) संख्या 164/2014/टीडी/2353 और 2354 के तहत इन शुल्कों के भुगतान से छूट प्रदान की है और कंपनी ने इन मदों पर कोई व्यय नहीं किया है।

2.3.पंजीकरण शुल्क और स्टांप शुल्क की लागत पर विचार नहीं किया गया है, क्योंकि केरल सरकार ने दिनांक 25 सितंबर 2014 के सरकारी आदेश संख्या जी.ओ. (पी) संख्या 164/2014/टीडी/2353 और 2354 के तहत इन शुल्कों के भुगतान से छूट प्रदान की है और कंपनी ने इन मदों पर कोई व्यय नहीं किया है।

2.4. 161,63.77 लाख रुपए मूल्य की 2.541 हेक्टेयर भूमि के संबंध में सरकारी अभिलेखों में कंपनी के नाम निजी भूमि के पंजीकरण की प्रक्रिया प्रक्रियाधीन है। 395,92.128 रुपए मूल्य के 23.356 हेक्टेयर भूमि अधिनिर्णय के बाद अधिग्रहण किया है।

2.5. केरल सरकार के जीओ (एमएस) संख्या 140/2019/आरडी दिनांकित 22 मई 2019 के तहत रजिस्ट्री पर मुफ्त में लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के कब्जे में केएमआरएल को 17.430 एकड़ भूमि को दर्ज किया है। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 26 के अनुसार के अनुसार भूमि को वर्तमान बाजार मूल्य 139,30.43 लाख रुपये पर दिखाया गया है।

2.6. विभिन्न सरकारी निकायों/विभागों/एनएच की 6.343 हेक्टेयर भूमि पर मेट्रो का कार्य पूर्ण/प्रगति पर है। मूल्य, हस्तांतरण औपचारिकताओं और अन्य नियमों और शर्तों को अंतिम रूप दिए जाने तक, इन भूमि को स्थाई परिसंपत्तियों में शामिल नहीं किया गया है।

2.7. कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान रेलवे भूमि पर कोच्ची मेट्रो रेल परियोजना के वियाडक्ट के निर्माण के लिए दक्षिण रेलवे को रेलवे की भूमि को पार करने की अनुमति के लिए शुल्क के रूप में 27.76 करोड़ रुपये का भुगतान किया। यह अनुमति 2014-15 में भूमि की मौजूदा बाजार कीमत के 99% के बराबर एकमुश्त भुगतान के बदले 35 साल की प्रारंभिक अवधि के लिए ली गई है। अनुमति की अवधि को लागू नाममात्र शुल्क के भुगतान पर 35 वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। एक औपचारिक समझौते के लंबित निष्पादन, 70 वर्षों की अवधि के लिए रेलवे को किए गए 27.76 करोड़ रुपए की राशि अमूर्त परिसंपत्ति और परिशोधन के तहत दिखाया गया है।

2.8. कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान रेलवे भूमि पर कोच्ची मेट्रो रेल परियोजना के वियाडक्ट के निर्माण के लिए दक्षिण रेलवे को रेलवे की भूमि को पार करने की अनुमति के लिए शुल्क के रूप में 5.06 करोड़ रुपये का भुगतान किया। यह अनुमति 2021-22 में भूमि की मौजूदा बाजार कीमत के 99% के बराबर एकमुश्त भुगतान के बदले 35 साल की प्रारंभिक अवधि के लिए ली गई है। अनुमति की अवधि को लागू नाममात्र शुल्क के भुगतान पर 35 वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। रेलवे को भुगतान की गई 5.06 करोड़ रुपये की राशि को अमूर्त परिसंपत्ति के तहत दिखाया गया है और 70 वर्षों की अवधि के लिए परिशोधन किया गया है।

2.9. वसूली, यदि कोई हो, अध्यक्ष, गांधी भवन समिति से लिए गए भवन (भाग) के पुनर्मूल्यांकन प्रमाण पत्र के आधार पर, भूमि अधिग्रहण विभाग से भूमि के संशोधित मूल्यांकन विवरण प्राप्त होने पर प्रभावी की जाएगी। भूमि के मूल्य में संभावित कमी 49.93 लाख रुपये है।

2.10. 3.33 एकड़ की सीमा तक की भूमि के संबंध में स्वामित्व विलेख कंपनी के नाम पर गलती से पंजीकृत हैं और इसको कंपनी की स्थाई परिसंपत्तियों में शामिल नहीं किया है। कोच्ची मेट्रो रेल परियोजना के प्रारंभिक कार्यों को शुरू करने के लिए भूमि अधिग्रहण इकाई द्वारा भूमि अधिग्रहण कर लिया गया है और इस लागत को केरल सरकार की प्रारंभिक निधियों से पूरा किया जा रहा है।

2.11. कार्यालय उपकरण के अंतर्गत समूहीकृत मोबाइल फोन के मामले में, इसका अनुमानित उपयोगी जीवन तीन साल है।

2.12. वर्ष के दौरान, कंपनी ने 33662.43 लाख रुपए मूल्य के मूर्त और अन्य अमूर्त परिसंपत्तियों का पूंजीकरण किया।

2.13. सरकार ने चरण I, चरण Iए और चरण Iबी के लिए संयुक्त व्यापक प्रशासनिक मंजूरी के लिए अनुमोदन प्रदान करते समय, यह संकेत दिया कि, चरण Iए और चरण Iबी के सभी परिसंपत्तियाँ राज्य सरकार के पास निहित हैं। इसके अलावा दिनांक 24.05.2022 के पत्र सं. ट्रांस-सी2/43/2020-ट्रांस के तहत यह सूचित किया गया है कि चरण 1ए और 1बी के लिए भारत सरकार से अनुदान प्राप्त होने के बाद शर्त में संशोधन किया जाएगा। चरण 1ए के लिए भारत सरकार द्वारा अनुदान जारी किया गया है तथा चरण 1बी के लिए अनुदान विचाराधीन है।

2.14. रेस्को मॉडल के अंतर्गत 4.367 मेगावाट क्षमता के रूफ टॉप सौर संयंत्र की स्थापना के लिए उपलब्धि से जुड़े प्रोत्साहन को सौर ऊर्जा क्रय अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है तथा 25 वर्ष की अवधि में सीधी रेखा पद्धति पर परिशोधित किया गया है।

2.15. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित 0.0315 हेक्टेयर भूमि को बिक्री हेतु रखी गई परिसंपत्तियों के अंतर्गत दर्शाया गया है।

2.16. अतिरिक्त मुआवजे के रूप में 14.68.64 लाख रुपये की राशि को फ्रीहोल्ड भूमि के रूप में पूंजीकृत किया गया है, जिसे वर्ष 2017 के एलएआर 15 के विरुद्ध निर्णय के आधार पर वर्ष के दौरान अमान्य घोषित कर दिया गया है तथा इसे वर्ष के दौरान भूमि के सकल ब्लॉक (फ्रीहोल्ड) में समायोजन के तहत दर्शाया गया है।

राशि (रुपए लाखों में)

टिप्पणी 4 : अन्य गैर चालू परिसंपत्तियाँ - निवेश	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
कोच्ची वाटर मेट्रो लिमिटेड में इक्विटी उपकरण (गैर उद्धृत) (कृपया टिप्पणी संख्या 34.36 देखें) 100 रुपये प्रति शेयर के 1,27,400 इक्विटी शेयर को पूरी तरह से प्रदत्त किया है।	1 27.40	1 27.40
कुल	**1 27.40**	**1 27.40**

राशि (रुपए लाखों में)

टिप्पणी 5 : अन्य गैर चालू परिसंपत्तियाँ - वित्तीय परिसंपत्तियाँ	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
बैंकों और वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋण के प्रति केरल सरकार से प्राप्य (कृपया टिप्पणी संख्या 34.12 देखें)	598 78.96	582 93.57
सुरक्षा जमा (असुरक्षित और बेहतर माना जाता है)	1 37.92	1 17.30
कुल	**600 16.88**	**584 10.87**

राशि (रुपए लाखों में)

टिप्पणी 6 : अन्य गैर चालू परिसंपत्तियाँ	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
पूंजीगत अग्रिम - परियोजना के लिए (असुरक्षित और बेहतर मानने वाला) ;		
- जिलाधीश को भूमि अधिग्रहण के लिए (टिप्पणी सं. 34.9 देखें)	118 00.79	54 72.52
- पूंजीगत अग्रिम	7 29.39	.00
पूंजीगत अग्रिम - प्रारंभिक कार्यों के लिए (असुरक्षित और बेहतर माना जाता है);		
- जिलाधीश को भूमि अधिग्रहण के लिए (टिप्पणी संख्या 34.9 देखें)	32 15.93	52 18.39
प्रीपेड व्यय	73.25	77.00
प्राप्य कर वापसी	7 82.51	2 22.07
प्राप्य एमएटी क्रेडिट	17.44	17.44
कुल	**166 19.31**	**110 07.42**

राशि (रुपए लाखों में)

टिप्पणी 7 : इन्वेंटरी	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
औजारों का स्टॉक	325.61	373.14
कम करें: मूल्य में ह्रास के लिए प्रावधान	(42.99)	(47.53)
	282.62	325.61
पुर्जों का भंडार और स्टॉक	89.63	34.07
कुल	**3 72.25**	**3 59.68**

राशि (रुपए लाखों में)

टिप्पणी 8 : व्यापार प्राप्तियाँ [चालू] वित्तीय परिसंपत्तियाँ	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
असुरक्षित- बेहतर मानने वाला (टिप्पणी सं. 34.31.2.ग देखें)	7 31.47	13 45.31
ऋण क्षति (टिप्पणी सं. 34.31.2.ङ देखें)	5 26.05	1 84.74
कम करें: क्षतिग्रस्त ऋण व्यापार प्राप्य के लिए भत्ता	(5 26.05)	(1 84.74)
	.00	.00
कुल	**7 31.47**	**13 45.31**

राशि (रुपए लाखों में)

टिप्पणी 9 : नकद और नकद समकक्ष [चालू]	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
नकद शेष	34.33	22.39
बैंकों में बकाया (चालू और स्वीप खातों में)	16 13.42	85 45.11
बैंकों में सावधि जमा (मूल परिपक्वता अवधि 3 महीने या उससे कम)	93 88.00	147 61.00
	110 35.75	**233 28.50**

राशि (रुपए लाखों में)

टिप्पणी 10 : अन्य बैंक बकाया [चालू]	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
बैंकों में सावधि जमा (मूल परिपक्वता अवधि 3 महीने से अधिक तथा 12 महीने में परिपक्व होने वाली)	6 75.56	6 39.18
बैंकों के साथ विशेष प्रयोजन के लिए निर्दिष्ट बकाया *	38 56.70	32 18.70
कुल	**45 32.26**	**38 57.88**

* केरल वाणिज्यिक कर/ऋण सेवा आरक्षित खाते के साथ बैंकों में गिरवी रखे गए सावधि जमा

राशि (रुपए लाखों में)

टिप्पणी 11 : अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ [चालू]	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
केरल सरकार से प्राप्य		
-बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋण के बदले (टिप्पणी संख्या 34.12 देखें)	195 10.96	184 04.83
- अन्य	14 80.32	.00

असुरक्षित, बेहतर माना गया , जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो		
- अर्जित ब्याज	1 14.39	1 30.69
- अर्जित आय, किन्तु देय नहीं	50.70	20.35
- सुरक्षित जमा	22 63.60	13 72.42
- अन्य कर्मचारी अग्रिम	1.07	2.88
- अन्य (केरल सरकार से प्राप्त वित्तीय सहायता सहित - टिप्पणी सं. 34.19 देखें)	5 75.25	2 35.74
असुरक्षित, संदिग्ध माना जाने वाला		
- अन्य	84.69	84.69
कम करें : अग्रिम - ऋण क्षति (टिप्पणी संख्या 34.31.2.ङ देखें)	(84.69)	(84.69)
	.00	.00
कुल	**239 96.29**	**201 66.91**

राशि (रुपए लाखों में)

टिप्पणी 12 : अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	**31 मार्च 2024 को**	**31 मार्च 2023 को**
प्रीपेड व्यय	150.95	199.10
अन्य अग्रिम	60 37.84	40 56.40
जीएसटी इनपुट क्रेडिट	169.36	89.44
कुल	**63 58.15**	**43 44.94**

टिप्पणी 13 : बिक्री हेतु रखी गई परिसंपत्तियाँ	**31 मार्च 2024 को**	**31 मार्च 2023 को**
निपटान हेतु रखी गई परिसंपत्तियाँ (टिप्पणी संख्या 34.39 देखें)	260.00	1.31
	2 60.00	**1.31**

टिप्पणी 14 : इक्विटी शेयर पूंजी				
विवरण	31 मार्च 2024 तक		31 मार्च 2023 तक	
	शेयरों की संख्या	राशि (रुपए लाखों में)	शेयरों की संख्या	राशि (रुपए लाखों में)
प्राधिकृत				
प्रत्येक 100 रुपये के इक्विटी शेयर	21 00 00 000	2100 00.00	21 00 00 000	2100 00.00
जारी, अभिदत्त और पूर्ण भुगतान किया गया				
प्रत्येक 100 रुपये के इक्विटी शेयर पूरी तरह से भुगतान किए गए	**15 07 46 000**	**1507 46.00**	**15 07 46 000**	**1507 46.00**

शेयरों की संख्या और बकाया राशि का समाधान				
विवरण	31 मार्च 2024 तक		31 मार्च 2023 तक	
	शेयरों की संख्या	राशि (रुपए लाखों में)	शेयरों की संख्या	राशि (रुपए लाखों में)
वर्ष के आरंभ में बकाया इक्विटी शेयर	15 07 46 000	1507 46.00	15 07 46 000	1507 46.00
जोड़ें : वर्ष के दौरान जारी किए गए शेयर	-	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया इक्विटी शेयर	**15 07 46 000**	**1507 46.00**	**15 07 46 000**	**1507 46.00**

14.1 कंपनी में 5% से अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारकों का विवरण

शेयरधारक का नाम	31 मार्च 2024 तक		31 मार्च 2023 तक	
	शेयरों की संख्या	होल्डिंग का %	शेयरों की संख्या	होल्डिंग का %
भारत के राष्ट्रपति	7 53 73 000	50.00	7 53 73 000	50.00
केरल के राज्यपाल	7 53 73 000	50.00	7 53 73 000	50.00

14.2 कंपनी के पास इक्विटी शेयरों की एक श्रेणी है जिसका सममूल्य 100 रुपये प्रति शेयर है। प्रत्येक शेयरधारक समय-समय पर घोषित लाभांश प्राप्त करने का हकदार है और कंपनी की बैठक में प्रति शेयर एक वोट के लिए भी हकदार है। परिसमापन की स्थिति में, इक्विटी शेयरधारक सभी अधिमान्य राशि, यदि कोई हो, के वितरण के बाद उनके पास मौजूद शेयरों की संख्या के अनुपात में कंपनी की शेष परिसंपत्ति प्राप्त करने के पात्र हैं। भारत के माननीय राष्ट्रपति और केरल के माननीय राज्यपाल ने क्रमशः पाँच और चार नामांकित निदेशकों को नामित किया है।

राशि (रुपए लाखों में)

टिप्पणी सं. 15 : अन्य इक्विटी	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
आस्थगित आय		
मौद्रिक अनुदान		
ब्याज मुक्त उप ऋण (टिप्पणी संख्या 34.5 देखें)		
भारत सरकार	191 03.89	196 38.98
केरल सरकार	2239 39.38	2039 05.04
केरल सरकार - राज्य करों की प्रतिपूर्ति (टिप्पणी संख्या 34.6 देखें)	189 59.42	196 79.79
भारत सरकार (चरण 1ए) (टिप्पणी संख्या 34.7 देखें)	44 21.55	45 81.20
	2664 24.24	**2478 05.01**
गैर-मौद्रिक अनुदान		
केरल सरकार - फ्रीहोल्ड भूमि (टिप्पणी संख्या 34.8 देखें)	139 30.43	139 30.43
शेयर आवेदन राशि आवंटन लंबित		
भारत सरकार *	100 00.00	100 00.00
लाभ और हानि विवरण में अधिशेष		
वर्षारंभ में बकाया राशि	(1815 51.94)	(1479 08.44)
जोड़ें: लेखांकन नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि की त्रुटियाँ	-	(1 47.12)
जोड़ें: चालू वर्ष के कुल व्यापक आय	(432 94.89)	(334 96.38)
घटाएँ: प्रारंभिक शेष राशि में पूर्व अवधि समायोजन		
वर्ष के अंत तक शेष राशि	**(2248 46.83)**	**(1815 51.94)**
अन्य व्यापक आय		
वर्ष के प्रारंभ में बकाया राशि	(1 30.07)	(54.82)
जोड़ें: चालू वर्ष के कुल व्यापक आय	(54.57)	(75.25)
घटाएँ: प्रारंभिक बकाया राशि में पूर्व अवधि समायोजन		
वर्ष के अंत तक शेष राशि	**(1 84.64)**	**(1 30.07)**
कुल	**653 23.20**	**900 53.43**

* 31.03.2024 तक जारी किये जाने वाले शेयरों की संख्या 1,00,00,000 शेयर (गत वर्ष 1,00,00,000 शेयर) है, जिसका मूल्य 100/- रुपये प्रति शेयर है।
केरल सरकार से समतुल्य अंशदान प्राप्त होने पर शेयर जारी किए जाएंगे।
आज की तिथि तक अधिकृत शेयर पूंजी की शेष राशि 592.54 लाख रुपये (592.54 लाख रुपये) है।

राशि (रुपए लाखों में)

टिप्पणी 16.क : उधार [गैर चालू]	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
सावधि ऋण (सुरक्षित)		
बैंकों से (टिप्पणी संख्या 34.11 देखें)	2101 67.74	2077 54.69
सावधि ऋण (असुरक्षित)		
वित्तीय संस्थाओं से (टिप्पणी संख्या 34.11 देखें)	505 33.11	459 37.83
पास-थ्रू सहायता - भारत सरकार (टिप्पणी संख्या 34.13 देखें)	953 44.21	1019 79.75
ब्याज मुक्त उप ऋण (असुरक्षित) (टिप्पणी संख्या 34.5 देखें)		
भारत सरकार	57 46.11	52 11.02
केरल सरकार	785 28.73	623 98.73
कुल	**4403 19.90**	**4232 82.02**

राशि (रुपए लाखों में)

टिप्पणी 16.ख : पट्टा देयताएं [गैर चालू]	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
पट्टा देयता (टिप्पणी संख्या 34.26.1 देखें)	4.13	9.59
	4.13	**9.59**

राशि (रुपए लाखों में)

टिप्पणी 17 : अन्य वित्तीय देयताएं [गैर चालू]	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
अवधारण	5 08.96	4 36.66
सुरक्षा जमा	6 28.74	7 75.46
केरल राज्य सहकारी बैंक ऋण पर देय ब्याज	20 14.90	30 22.36
कुल	**31 52.60**	**42 34.48**

राशि (रुपए लाखों में)

टिप्पणी 18 : प्रावधान [गैर चालू]	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान (टिप्पणी संख्या 34.14 और 34.15 देखें)		
उपदान का प्रावधान	11 26.78	9 12.80
अर्जित छुट्टी का प्रावधान	10 38.51	8 52.16
अर्धवेतन छुट्टी का प्रावधान	3 11.36	2 60.06
छुट्टी यात्रा रियायत का प्रावधान	79.23	75.23
कुल	**25 55.88**	**21 00.25**

राशि (रुपए लाखों में)

टिप्पणी 19 : आस्थगित कर देयताएं [गैर चालू]	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
आस्थगित कर देयताएं (टिप्पणी संख्या 34.21 देखें)		
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण और अमूर्त परिसंपत्तियों के बही शेष और कर शेष के बीच अंतर पर	-	-
आस्थगित कर परिसंपत्ति (टिप्पणी संख्या 34.21 देखें)		
अनवशोषित मूल्यह्रास और हानि	-	-
कुल	**-**	**-**

राशि (रुपए लाखों में)

टिप्पणी 20 : अन्य गैर चालू देयताएं	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम राशि	3 78.44	4 16.11
आस्थगित उचित मूल्यांकन - लाभ (सुरक्षा जमा)	15 30.49	12 06.09
कुल	**19 08.93**	**16 22.20**

राशि (रुपए लाखों में)

टिप्पणी 21.ए : उधार [चालू]	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
चालू एवं देय नहीं :		
सावधि ऋण (सुरक्षित)		
बैंकों से (टिप्पणी संख्या 34.11 देखें)	74 00.00	57 14.00
सावधि ऋण (असुरक्षित)		
वित्तीय संस्थाओं से (टिप्पणी संख्या 34.11 देखें)	72 28.00	72 28.00
पास-थ्रू सहायता - भारत सरकार (टिप्पणी संख्या 34.13 देखें)	66 35.54	66 35.54
कार्यशील पूंजी ऋण - केनरा बैंक (सुरक्षित) (टिप्पणी संख्या 34.11 देखें)	26 32.05	35 45.34
कुल	**238 95.59**	**231 22.88**

राशि (रुपए लाखों में)

टिप्पणी 21.बी : पट्टा देयताएं [चालू]	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
पट्टा देयता (टिप्पणी संख्या 34.26.1 देखें)	5.46	4.98
कुल	**5.46**	**4.98**

राशि (रुपए लाखों में)

टिप्पणी 22 : व्यापार देयताएं [चालू]	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
व्यापार देयताएं (टिप्पणी संख्या 34.35 देखें)		
- सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों का कुल बकाया	11.70	1.36
- सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के अलावा अन्य ऋणदाताओं का कुल बकाया	11 98.10	12 63.31
कुल	**12 09.80**	**12 64.67**

राशि (रुपए लाखों में)

टिप्पणी 23 : अन्य वित्तीय देयताएं [चालू]	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
चालू एवं देय नहीं :		
उधार पर ब्याज अर्जित हुआ लेकिन देय नहीं	20 91.74	19 14.10
असुरक्षित		
- अवधारण	20 07.36	12 74.89
- व्यापार / सुरक्षा जमा प्राप्त	5 53.77	6 46.83
- भूमि अधिग्रहण और संरचनात्मक मूल्यांकन	58 81.33	79 03.60
- अन्य;		
- परियोजना संबंधी देयताएं (बाह्य परियोजना देयताओं सहित)	170 59.98	132 14.87
- भारत सरकार (टिप्पणी संख्या 34.13 देखें)	62 24.39	50 23.14
- केरल सरकार (टिप्पणी संख्या 34.18 देखें)	74 56.98	79 73.00
- अन्य	43 30.59	22 11.68
कुल	**456 06.14**	**401 62.11**

राशि (रुपए लाखों में)

टिप्पणी 24 : अन्य चालू देयताएं	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
वैधानिक भुगतान	5 65.36	4 94.08
ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम राशि	11 58.76	8 93.94
आस्थगित उचित मूल्यांकन लाभ (सुरक्षा जमा)	.71	1 00.46
कुल	**17 24.83**	**14 88.48**

राशि (रुपए लाखों में)

टिप्पणी 25 : प्रावधान [वर्तमान]	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान (टिप्पणी संख्या 34.14 और 34.15 देखें)		
उपदान का प्रावधान	88.09	57.94
अर्जित छुट्टी का प्रावधान	1 49.32	1 34.05
अर्धवेतन छुट्टी का प्रावधान	29.14	22.50
छुट्टी यात्रा रियायत का प्रावधान	21.06	20.00
कुल	**2 87.61**	**2 34.49**

राशि (रुपए लाखों में)

टिप्पणी 26 : परिचालन से राजस्व	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
रेल परिचालन से राजस्व	99 88.14	75 48.62
गैर किराया बॉक्स राजस्व	51 41.96	43 35.82
कुल	**151 30.10**	**118 84.44**

राशि (रुपए लाखों में)

टिप्पणी 27 : अन्य आय	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
सरकारी अनुदान (भारत सरकार और जम्मू-कश्मीर से ब्याज मुक्त अधीनस्थ ऋणों के ऊपर लाभ)	68 34.06	56 98.57
सरकारी अनुदान (भारत सरकार और केरल सरकार से)	8 80.02	8 71.52
बाह्य परियोजना परामर्श आय	2 23.30	4 17.85
बैंक जमा पर ब्याज	12 54.36	7 20.13
अन्य गैर-परिचालन आय (टिप्पणी संख्या 27.1 देखें)	2 15.20	3 81.67
सुरक्षा जमा की वापसी से आय	1 03.85	1 24.58
कुल	**95 10.79**	**82 14.32**

27.1 अन्य गैर परिचालन आय :

आवेदन/निविदा प्रसंस्करण शुल्क	33.06	17.68
अन्य ब्याज	8.84	35.52
अन्य	1 73.30	3 28.47
कुल	**2 15.20**	**3 81.67**

राशि (रुपए लाखों में)

टिप्पणी 28 : परिचालन व्यय	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
ग्राहक सुविधा व्यय	15 26.29	14 02.22
बिजली और पानी का शुल्क	21 44.11	18 73.12
सुरक्षा एवं अन्य आउटसोर्स व्यय	12 50.76	11 59.01
दलाली	4 71.44	3 56.34
अन्य परिचालन व्यय	2 84.27	2 52.70
कुल	**56 76.87**	**50 43.39**

राशि (रुपए लाखों में)

टिप्पणी 29 : कर्मचारी लाभ व्यय	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
वेतन और मज़दूरी	45 68.61	41 85.70
भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में अंशदान	3 82.98	3 48.01
उपदान व्यय (टिप्पणी संख्या 34.14 और 34.15 देखें)	1 56.18	1 37.05
कर्मचारी कल्याण व्यय	2 97.55	2 16.25
कुल	**54 05.32**	**48 87.01**

राशि (रुपए लाखों में)

टिप्पणी 30 : वित्तीय लागत	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
क) पास-थ्रू सहायता पर ब्याज - भारत सरकार		
सकल ब्याज (ए)	56 45.67	24 93.47
लाभ और हानि विवरण (ए) में कुल स्थानांतरण	**56 45.67**	**24 93.47**
ख) बैंकों से ऋण पर ब्याज		
सकल ब्याज (ए)	**185 65.91**	**157 52.06**
घटाएँ: निर्माण के दौरान व्यय (बी)	(18 54.29)	(19 84.92)
लाभ और हानि विवरण (ए-बी) में कुल स्थानांतरण	**167 11.62**	**137 67.14**
ग) अधीनस्थ ऋण पर ब्याज (टिप्पणी संख्या 34.5 देखें)		
अधीनस्थ ऋण पर ब्याज व्यय की समाप्ति (ए)	68 34.06	56 98.57
लाभ और हानि विवरण में कुल स्थानांतरण (ए)	**68 34.06**	**56 98.57**
घ) प्रतिधारण धन और सुरक्षा जमा के उचित मूल्यांकन पर ब्याज		
प्रतिधारण धन जमा पर ब्याज व्यय की समाप्ति (ए)	97.12	1 25.40
घटाएँ: निर्माण के दौरान व्यय (बी)	(2.18)	(7.27)
घटाएँ: केरल सरकार को देय (सी)	(1.46)	(7.79)
लाभ और हानि विवरण में कुल स्थानांतरण (ए-बी-सी)	**93.48**	**1 10.34**
ई) पट्टा देयता पर ब्याज		
पट्टा देयता पर ब्याज व्यय (ए)	1.14	1.58
लाभ और हानि विवरण में कुल स्थानांतरण (ए)	**1.14**	1.58
ई) गारंटी कमीशन		
केरल सरकार को देय गारंटी कमीशन (ए)	1 36.34	1 37.29
लाभ और हानि विवरण में कुल स्थानांतरण (ए)	**1 36.34**	**1 37.29**
कुल योग- लाभ और हानि विवरण में स्थानांतरण	**294 22.31**	**222 08.39**

राशि (रुपए लाखों में)

टिप्पणी 31 : मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
मूर्त परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास (टिप्पणी सं.1.14 और 2ए देखें)	177 54.84	182 69.44
उपयोग के अधिकार पर मूल्यह्रास	5.02	5.02
अमूर्त परिसंपत्ति का परिशोधन (टिप्पणी संख्या 1.14 और 3 देखें)	1 93.83	2 22.89
कुल	**179 53.69**	**184 97.35**

राशि (रुपए लाखों में)

टिप्पणी 32 : अन्य व्यय	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
मरम्मत और रखरखाव	15 26.59	10 19.15
बीमा	4 39.24	7 20.59
सड़क निर्माण/स्टेशन उन्मुख निर्माण	60 46.63	2 89.11
कानूनी और पेशेवर	84.86	2 58.57
कार्यालय और अन्य विविध व्यय	1 05.03	1 35.40
बाहरी परियोजना परामर्श	1 37.21	2 96.10
विज्ञापन और प्रचार व्यय	93.52	79.29
यात्रा और परिवहन व्यय	95.74	82.04
बाढ़ के बाद बहाली व्यय	4 16.33	17.85
किराया, दरें और कर *	1 53.53	12.96
बैंक शुल्क	35.07	21.98
विनिमय उतार-चढ़ाव हानि / (लाभ) (टिप्पणी संख्या 34.2.2 देखें)	(4.83)	6.20
व्यापार प्राप्तियों पर अपेक्षित क्रेडिट हानि	3 41.31	11.77
लेखा परीक्षकों को भुगतान (टिप्पणी संख्या 32.1 देखें)	7.36	7.99
कुल	**94 77.59**	**29 59.00**

राशि (रुपए लाखों में)

32.1 लेखा परीक्षकों को भुगतान	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
लेखा परीक्षा शुल्क *	6.32	6.64
अन्य सेवाएँ	0.85	0.89
व्यय की प्रतिपूर्ति	0.19	0.46
कुल	**7.36**	**7.99**

* इसमें सीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 42 के अनुसार जीएसटी आईटीसी रिवर्सल शामिल है

टिप्पणी 33 : प्रति इक्विटी शेयर आय	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
आय		
कर के बाद शुद्ध लाभ/(हानि) (लाख रुपए में)	(433 49.46)	(335 71.63)
शेयर		
वर्ष के आरंभ में जारी एवं भुगतान किए गए शेयरों की संख्या	1507460 00.00	1507460 00.00
वर्ष के प्रारंभ में आवंटन हेतु लंबित शेयर आवेदन राशि के संबंध में समतुल्य शेयरों की संख्या	100000 00.00	10136 99.00
बेसिक ईपीएस के लिए वर्ष के दौरान बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या	1507460 00.00	1507460 00.00
वर्ष के दौरान डिलूटेड ईपीएस के लिए बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	1607460 00.00	1517596 99.00
प्रति शेयर आय		
100/- रुपये प्रति सममूल्य के इक्विटी शेयर		
- मूल राशि (रु.)	**(28.76)**	**(22.27)**
डिलूटेड (रु.)	**(26.97)**	**(22.12)**

टिप्पणी सं. 34 स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के अतिरिक्त जानकारी

34.1 विदेशी मुद्रा में व्यय

राशि (रुपए लाखों में)

विवरण	दिनांक 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	दिनांक 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
के.एम.आर.एल द्वारा व्यय		
- अनुबंध	5 88.56	2 48.85
- अन्य	12.46	5.78
डी.एम.आर.सी द्वारा अनुबंधों पर व्यय (*)	6 39.89	2 45.32

* वर्ष 2023-24 के लिए डीएमआरसी से प्राप्त पुष्टि के आधार पर।

34.2 विदेशी विनिमय दर भिन्नता

34.2.1 भारत सरकार द्वारा कंपनी को प्रदान की जाने वाली पास थ्रू सहायता (पीटीए), ऋणदाता के रूप में जेंसफ्रैंसेज डी डेवलपमेंट (एएफडी) और उधारकर्ता के रूप में भारत सरकार (भारत सरकार) के बीच चरण I के लिए 180 मिलियन यूरो के ऋण सुविधा समझौते पर आधारित है। चरण I के लिए पीटीए निधि भारत सरकार द्वारा भारतीय रुपए में बजटीय प्रावधानों के माध्यम से कंपनी को जारी किए गए। पीटीए के रूप में 1327,10.77 लाख रुपए (180 मिलियन यूरो के बराबर) की संपूर्ण ऋण राशि को कई किस्तों में पीटीए के रूप में कंपनी को भारतीय रुपए में हस्तांतरित की गई। कंपनी की देयताएँ भारत सरकार के साथ है। कंपनी की पुनर्भुगतान दायित्व प्राप्त पीटीए की राशि के बराबर भारतीय रुपए तक सीमित है। तदनुसार, संबंधित तुलन पत्र की तारीख के अनुसार कंपनी ने भारत सरकार से प्राप्त पीटीए से विदेशी विनिमय दर भिन्नता हानि/लाभ को मान्यता नहीं दी है।

भारत सरकार ने केएमआरएल की गैर-मोटर चालित परिवहन (एनएमटी) पहलों के लिए 27 मिलियन यूरो के लिए ऋण सुविधा समझौता किया है। भारत के राज्यों को विकास सहायता के लिए भारत सरकार की मानक प्रक्रियाओं के अनुसार ये निधियाँ भारत सरकार को भारतीय रुपए में हस्तांतरित की जाती हैं। वर्ष 2023-24 तक भारत सरकार से पीटीए के रूप में केएमआरएल को 24.46.67 लाख रुपये (2.84 मिलियन यूरो के बराबर) की राशि हस्तांतरित की गई। कंपनी का पुनर्भुगतान दायित्व पीटीए की राशि के बराबर भारतीय रुपये तक सीमित है। तदनुसार, संबंधित तुलन पत्र की तारीख के अनुसार कंपनी ने भारत सरकार से प्राप्त पीटीए से विदेशी विनिमय दर भिन्नता हानि/लाभ को मान्यता नहीं दी है। पीटीए के तहत के देयता को भारतीय रुपये में मान्यता दी जाती है।

इसके अलावा, भारत सरकार, केरल सरकार और कंपनी के बीच दिनांक 4 नवंबर 2013 को हुए समझौता ज्ञापन के खंड 12.1 के अनुसार, विनिमय दर में होने वाले बदलावों को केरल सरकार द्वारा पूरा किया जाएगा/व्यवस्थित किया जाएगा। इसके अलावा, सामान्य वित्तीय नियम 2017 के नियम 273 के अनुसार, भारत सरकार विदेशी विनिमय दर में होने वाले बदलावों को तभी मान्यता देगी जब ऋण पूरी तरह से चुका दिया गया हो, न कि ऋण अवधि के दौरान और विनिमय दर में होने वाले बदलावों का लेखा-जोखा "8680 विविध सरकारी खातों" में समायोजित/बट्टे खाते में डाल दिया जाएगा।

विनिमय दर में इस तरह के बदलाव के कारण होने वाले अंतर का निपटान एमओयू के अनुसार सरकार द्वारा किया जाएगा । तदनुसार, क्रमशः डी.ओ. सं.के-14011/03/2023-यूटी-वी दिनांकित 31.05.2023 और पत्र सं. के-14011/37/2005-एमआरटीएस-IV दिनांकित 11 अक्तूबर, 2023 के तहत 47 60.00 लाख रुपये और 12 18.23 लाख रुपये, जो भारत सरकार द्वारा भुगतान की गई राशि और कंपनी द्वारा भारत सरकार को भारतीय रुपये में चुकाई गई राशि के बीच का अंतर है, क्रमशः सरकार द्वारा वहन किया जाता है ।

34.2.2 भारतीय लेखा मानक -21, "विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन का प्रभाव" के संबंध में प्रकटीकरण । वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव (पीटीए से संबंधित लेनदेन के अलावा) का प्रभाव निम्नानुसार है:

चालू वर्ष के लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त विनिमय अंतर (शुद्ध विदेशी मुद्रा) की कुल राशि 4.83 लाख रुपए (पि. वर्ष 2022-23, 6.20 लाख रुपए की हानि) का लाभ है ।

34.3 सीडब्ल्यूआईपी से परिसंपत्तियों का पूंजीकरण

वर्ष के दौरान, कंपनी ने पिछले वर्षों के दौरान पहले से पूंजीकृत परिसंपत्ति के मूल्य में 22.97 लाख रुपए के अंतर को मान्यता दी है । दिनांक 23 मई 2013 को डी.एम.आर.सी और के.एम.आर.एल के बीच हुए समझौता ज्ञापन के खंड 6.1.20 के अनुसार डी.एम.आर.सी के आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा प्रमाणित स्थाई परिसंपत्ति रजिस्टर प्राप्त करने में देरी की प्रत्याशा में, के.एम.आर.एल ने डी.एम.आर.सी द्वारा सौंपे गए बयान पर भरोसा किया है । आंतरिक लेखापरीक्षकों द्वारा जारी किए जाने वाले प्रमाणपत्रों के आधार पर, स्थाई परिसंपत्तियों के मूल्यांकन पर यदि कोई अंतर हैं तो, उसको वर्ष 2024-25 में मान्यता दी जाएगी ।

विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों सहित सीडब्ल्यूआईपी की चालू वर्ष की अनुसूची

राशि (रुपए लाखों में)

विवरण	अथशेष	वर्ष के दौरान हुए जोड़	23-24 में पूँजीकृत	रोकड़ बाकी
चरण Iए & Iबी *	252 23.87	142 05.93	345 20.20	49 09.60
चरण II	6 51.50	13 34.01	0.00	19 85.51
अन्य	7 59.36	1 40.45	25.59	8 74.22
कुल योग	266 34.73	156 80.39	345 45.79	77 69.33

*चरण I, चरण Iए और चरण Iबी के लिए संयुक्त व्यापक प्रशासनिक मंजूरी के लिए अनुमोदन प्रदान करते हुए, केरल सरकार ने यह ह संकेत दिया गया था कि, चरण Iए और चरण Iबी के सभी परिसंपत्तियाँ राज्य सरकार के पास निहित हो जाएँ । केरल सरकार के दिनांक 24.05.2022 के पत्र संख्या ट्रांस-सी2/43/2020-ट्रांस के तहत केरल सरकार ने यह जानकारी दी है, भारत सरकार से अनुदान प्राप्त होने के बाद शर्त में संशोधन किया जाएगा । भारत सरकार द्वारा चरण 1ए तथा चरण 1बी के लिए जारी अनुदान पर विचार किया जा रहा है । केरल सरकार से संशोधन लंबित होने तक, कंपनी ने प्रचलित लेखांकन नीति के अनुसार चरण 1ए और 2बी परिसंपत्तियों का पूंजीकरण किया ।

34.4 पूंजीगत कार्य प्रगति पर (सीडब्ल्यूआईपी)

तुलन पत्र की तिथि पर निर्माणाधीन या स्थापित परियोजना के विभिन्न घटकों से संबंधित सभी प्रत्यक्ष व्यय को सीडब्ल्यूआईपी के तहत मान्यता दी जाती है । किसी योग्य परिसंपत्ति के अधिग्रहण और निर्माण के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार उधार लेने की लागत

उन परिसंपत्तियों की लागत में जोड़ दी जाती है, जब तक कि परिसंपत्तियां अपने इच्छित उपयोग या बिक्री के लिए काफी हद तक तैयार न हो जाएं । उधार लेने की लागत का विवरण नीचे दिया गया है;

राशि (रुपए लाखों में)

विवरण	लाभ और हानि विवरण में दर्शाई गई उधार लेने की लागत	वर्ष के दौरान पूंजीकृत उधार लागत	वर्ष के दौरान कुल उधार लागत
चालू वर्ष	224 93.63	18 54.29	243 47.92
गत वर्ष	163 97.90	19 84.92	183 82.82

आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, शहरी परिवहन प्रभाग के पत्र एफ.सं.के-14011/08/2015-एमआरटीएस-IV दिनांकित 21 नवंबर, 2022 के माध्यम से 1957 05.00 लाख रुपये की राशि के लिए जेएलएन स्टेडियम से इन्फोपार्क से लेकर कक्कानाड तक के कोच्ची मेट्रो रेल परियोजना- चरण II को मंजूरी दी । केरल सरकार ने भी का. आ. (एमएस) संख्या 23/2023/ट्रांस दिनांकित 03.04.2023 के माध्यम से अनुमति प्रदान की । परियोजना के क्रियान्वयन के लिए नियम व शर्तों का विवरण देने वाले समझौता ज्ञापन पर 10 फरवरी 2023 को भारत सरकार, केरल सरकार और कंपनी के बीच हस्ताक्षर किए गए ।

विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की तैयारी, यातायात अध्ययन और विस्तार के लिए कंपनी द्वारा किए गए निर्माण संबंधी व्यय को सीडब्ल्यूआईपी- चरण II के तहत समूहीकृत किया गया है ।

कोच्ची मेट्रो विस्तार कार्यों के हिस्से के रूप में अलुवा से अंगमाली (एयरपोर्ट लिंक के साथ) तक चरण III परियोजना के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है ।

सीडबल्यूआईपी का आयु निर्धारण अनुसूची

राशि (रुपए लाखों में)

सीडबल्यूआईपी	अवधि	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
परियोजनाएं प्रगति पर हैं	31.03.2024 को	24 36.37	41 90.17	1 11.58	10 25.90	77 64.02
	31.03.2023 को	177 56.51	63 15.86	14 24.40	11 37.96	266 34.73

सीडब्ल्यूआईपी अमूर्त परिसंपत्तियों की आयु निर्धारण अनुसूची

राशि (रुपए लाखों में)

सीडबल्यूआईपी	अवधि	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
परियोजनाएं प्रगति पर हैं	31.03.2024 को	5.31	0.00	0.00	0.00	5.31
	31.03.2023 को	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

34.5 सरकारी ऋण लेखांकन (अधीनस्थ ऋण) और संबंधित वित्त लागत

34.5.1 शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या के-14011/37/2005-एमआरटीएस-IV दिनांकित 12 जुलाई 2012 के तहत कोच्ची मेट्रो रेल परियोजना का अनुमोदन करते हुए, यह संकेत दिया गया कि अधिग्रहित भूमि की लागत के लिए 67200 लाख रुपए की राशि केरल सरकार से ब्याज मुक्त अधीनस्थ ऋण के रूप में प्रदान की जाएगी। तदनुसार, केरल सरकार ने दिनांक 31 मार्च 2017 को भूमि अधिग्रहण के लिए अधीनस्थ ऋण के रूप में 306,25 लाख रुपए जारी किए । शेष राशि के लिए, केरल सरकार ने कंपनी को सरकार की ओर से सावधि ऋण लेने का निर्देश दिया।

केरल सरकार द्वारा जारी आदेश संख्या (एमएस) 20/2015/ट्रांस दिनांकित 25.03.2015 के तहत निर्देशित के अनुसार, कंपनी ने भूमि अधिग्रहण के लिए "केरल स्टेट कोऑपरेटिव बैंक" जिसे पहले "एरणाकुलम डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (ईडीसीबी)" के नाम से जाना जाता था, से 470,00 लाख रुपए की एक सावधि ऋण ले लिया। कुल 470,00 लाख रुपए में से 366,00 लाख रुपए चरण I के भूमि अधिग्रहण के लिए है और 104,00 लाख रुपए कुन्नरा पार्क से पेट्टा तक के वैट्टिला-पेट्टा रोड के लिए है। केरल सरकार द्वारा बैक-टू-बैक आधार पर ऋण की चुकौती और ब्याज सेवा कार्य की गई है। वित्तीय विवरणों में उक्त ऋण को उधार के रूप में दर्शाया गया है।

संक्षेप में, केरल बैंक से लिया गया ऋण परियोजना अनुमोदन आदेश के अनुसार केरल सरकार से प्राप्त होने वाले अधीनस्थ ऋण के विशेषता को दर्शाता है। तदनुसार, 366,00 लाख रुपए की राशि को दिनांक 01.04.2016 से केरल सरकार से प्राप्य अधीनस्थ ऋण के रूप में मान्यता दी गई है।

वर्ष 2023-24 के दौरान, केरल सरकार ने जी.ओ संख्या 408/2023/ट्रांस दिनांकित 23.09.2023 के तहत जो चरण I की भूमि से संबंधित एलएआर-29/17 के डिक्री ऋण का भुगतान हेतु 5.44 लाख रुपये जारी किए।

34.5.2 शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या के -14011/37/2005-एमआरटीएस-IV दिनांकित 12 जुलाई 2012 के तहत कोच्ची मेट्रो रेल परियोजना का अनुमोदन करते हुए, यह संकेत दिया गया था कि प्रत्येक 248,50 लाख रुपए की राशि, केंद्रीय करों की तरफ़ भारत सरकार और केरल सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। तदनुसार, भारत सरकार और केरल सरकार द्वारा जारी की गई निधियों को अनुमोदित निधिकरण पैटर्न के अनुसार अधीनस्थ ऋण के रूप में मान्यता दी गई है।

34.5.3 भारत सरकार, केरल सरकार और कंपनी के बीच दिनांक 4 नवंबर 2013 के समझौता ज्ञापन के खंड 11.1 के अनुरूप में, पार्टियों के बीच यह सहमति हुई है कि परियोजना की समयावधि के भीतर या उसके बाद किसी भी प्रकार की लागत वृद्धि को राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त ब्याज मुक्त अधीनस्थ ऋण के माध्यम से पूरी तरह से पूरा किया जाएगा। तदनुसार, केरल सरकार द्वारा निर्देशित जीओ (आरटी) संख्या 215/2020/ट्रांस 22.06.2020 के तहत, कंपनी ने कोच्ची मेट्रो रेल परियोजना के पहले चरण के लिए गैप निधीकरण की दिशा में 390,00 लाख रुपए की राशि के लिए मेसर्स आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड (हडको) के साथ एक सावधि ऋण समझौता किया है। समझौते की शर्तों के अनुसार, ऋण को केरल सरकार की गारंटी द्वारा सुरक्षित किया जाएगा।

वर्ष के दौरान मैसर्स हडको से निकाली गई राशि शून्य है (पिछले वर्ष 331,23 लाख रुपए) , उक्त का समझौता ज्ञापन की शर्तों के अनुसार केरल सरकार से अधीनस्थ ऋण के रूप में मान्यता प्राप्त है। कोच्ची मेट्रो रेल परियोजना के प्रथम चरण के लिए दूसरी लागत वृद्धि केरल सरकार के हिस्से की ओर, वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान क्रमशः 51,91 लाख रुपए की राशि

(सरकारी आदेश (आरटी) संख्या 353/2020/ट्रांस दिनांकित 28.10.2020) और 88,44 लाख रुपए (सरकारी आदेश (आरटी) संख्या 358/2021/ट्रांस दिनांकित 26.10.20) 2021) के तहत प्राप्त हुआ, जिसका समझौता ज्ञापन की शर्तों के अनुसार, केरल सरकार से अधीनस्थ ऋण के रूप में मान्यता प्राप्त है ।

34.5.4 केरल सरकार ने पेट्टा से एस एन जंक्शन तक मेट्रो लाइन के चरण I के विस्तार के लिए सरकारी आदेशा (एमएस) संख्या 73/2014/ट्रांस दिनांकित 17/10/2014 के तहत 359,00 लाख रुपए की प्रशासनिक मंजूरी प्रदान की । दिनांक 15.7.2019 के जी.ओ. (एमएस) सं. 36/2019/ट्रांस के तहत 97,38 लाख रुपए के भूमि लागत सहित परियोजना लागत को संशोधित कर 710,92 लाख रुपए कर दिया गया है ।

सरकारी आदेश (एमएस) संख्या 63/2018/ट्रांस दिनांकित 23.10.2018 के तहत 97.38 लाख रुपए में से 58.11 लाख रुपए केरल सरकार ने भूमि अधिग्रहण के लिए सीधे विशेष तहसीलदार एल.ए. को जारी किए गए, जिसका अधीनस्थ ऋण के रूप में मान्यता प्राप्त है ।

केरल सरकार के भूमि अधिग्रहण के लिए आवश्यक शेष राशि के लिए सरकारी आदेश (आरटी) संख्या 112/2020/ट्रांस दिनांकित 17.03.2020 के द्वारा निर्देशित कंपनी ने मैसर्स हडको से ऋण लिया । वर्ष 2020-21 के दौरान मैसर्स हडको से लिए गए 39.27 लाख रुपए के ऋण के बराबर राशि को स्वीकृत परियोजना निधीकरण पैटर्न के हिस्से के रूप में, अधीनस्थ ऋण का केरल सरकार का हिस्सा होने के नाते केरल सरकार से अधीनस्थ ऋण के रूप में मान्यता प्राप्त है ।

34.5.5 केरल सरकार ने सरकारी आदेश सं. (एमएस) 27/2019/ट्रांस दिनांकित 14/06/2019 के तहत एस.एन जंक्शन से त्रिपुनित्तुरा रेलवे स्टेशन/बस डिपो तक के मेट्रो लाइन के चरण I के विस्तार के लिए 356.00 लाख रुपए की प्रशासनिक मंजूरी प्रदान की । सरकारी आदेश सं. (एमएस) 2/2021/ट्रांस, दिनांकित 16.01.2021 के तहत, 135.86 लाख रुपए की भूमि लागत सहित परियोजना लागत को संशोधित कर 448.33 लाख रुपए किया गया है ।

दिनांक 11.10.2021 के सरकारी आदेश सं. (आरटी) 347/2021/ट्रांस के तहत केरल सरकार ने भूमि अधिग्रहण के लिए 135.86 लाख रुपए में से, 92.63 लाख रुपए जारी किए गए, जिसका केरल सरकार से अधीनस्थ ऋण के रूप में मान्यता प्राप्त है । भूमि अधिग्रहण के लिए आवश्यक शेष निधि के लिए, केरल सरकार द्वारा दिनांक 17.03.2020 के सरकारी आदेश (आरटी) सं.112/2020/ट्रांस के तहत जारी निर्देश के अनुसार, कंपनी ने मेसर्स हडको से ऋण लिया । 2021-22 के दौरान मैसर्स हडको से 43.23 लाख रुपए के ऋण के समतुल्य राशि को अनुमोदित परियोजना वित्तपोषण पैटर्न के हिस्से के रूप में अधीनस्थ ऋण में केरल सरकार का हिस्सा होने के नाते इसे केरल सरकार से अधीनस्थ ऋण के रूप में मान्यता प्राप्त है ।

34.5.6 केरल सरकार ने सरकारी आदेश (आरटी) संख्या 24 /2021/ट्रांस दिनांकित 16.01.2011 के तहत, कंपनी की गैर-मोटर चालित परिवहन पहल के लिए 239.00 लाख रुपए की राशि के लिए संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की यानि, भारत सरकार से पास थ्रू सहायता के रूप में 202 54 लाख रुपए और केरल सरकार से अधीनस्थ ऋण के रूप में 36 46 लाख रुपए । कंपनी ने 31 मार्च, 2024 तक अधीनस्थ ऋण के रूप में कंपनी की गैर-मोटर चालित परिवहन (एनएमटी) पहलों के लिए केरल सरकार से अधीनस्थ ऋण के रूप में प्राप्त रु.36.45 लाख रुपए (पिछले वर्ष रु.36.45 लाख तक) की संचयी राशि को मान्यता दी ।

34.5.7 दिनांक 4 नवंबर 2013 को भारत सरकार, केरल सरकार और कंपनी के बीच हुए के समझौता ज्ञापन के खंड 12.26 के अनुसार, नकद घाटे के कारण, यदि कंपनी वह वरिष्ठ अवधि ऋण (जैसा भी देय हो) को चुकाने का दायित्व केरल सरकार का है।

कंपनी ने दिनांक 31 मार्च, 2022 तक केनरा बैंक और यूनियन बैंक को ब्याज चुकाने के लिए केरल सरकार से प्राप्त 695.55.76 लाख रुपए (पिछले वर्ष 511.94.76 लाख रुपये तक) की संचयी राशि को अधीनस्थ ऋण के रूप में मान्यता दी।

कंपनी ने 31 मार्च, 2024 तक, एएफडी, फ्रांस के लिए भारत सरकार को ब्याज और मूलधन की अदायगी के लिए केरल सरकार से प्राप्त 397 87.91 लाख रुपये (पिछले वर्ष 289 59 लाख रुपये) की संचयी राशि को केरल सरकार से अधीनस्थ ऋण के रूप में मान्यता दी है।

34.5.8 भारत सरकार, केरल सरकार और कंपनी के बीच दिनांक 4 नवंबर 2013 को हुए समझौता ज्ञापन के खंड 12.19 के अनुसार, यदि कंपनी नकद घाटे के कारण वरिष्ठ अवधि ऋण चुकाने में सक्षम नहीं है, तो नकद घाटे के कारण वरिष्ठ अवधि ऋण (जब भी देय हो) चुकाना केरल सरकार का दायित्व है।

कंपनी ने दिनांक 31 मार्च, 2022 तक केरल सरकार से अधीनस्थ ऋण के रूप में शुद्ध परिचालन नकदी हानि की ओर प्राप्त 199.48 लाख रुपए (पिछले वर्ष तक रु.199.48 लाख) की संचयी राशि को मान्यता दी।

अधीनस्थ ऋण को उचित मूल्य पर मापा जाता है और सरकारी अनुदान, लाभ होने के नाते, भारतीय लेखा मानक 109- वित्तीय साधनों और उचित मूल्य के अनुसार निर्धारित प्रारंभिक वहन मूल्यों के बीच अंतर के रूप में मापा जाता है और भारतीय लेखा मानक 20-अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स के अनुसार अनुदान के रूप में मान्यता प्राप्त है।

34.5.9 भारत सरकार ने एफ.सं.के-14011/08/2015-एमआरटीएस-IV दिनांकित 21 नवंबर, 2022 के तहत जेएलएन स्टेडियम से इन्फोपार्क से होकर कक्कानाड तक मेट्रो लाइन के दूसरे चरण के लिए 1957 05 लाख रुपये की प्रशासनिक मंजूरी प्रदान की । केरल सरकार ने जी ओ (एमएस) सं.23/2023/ट्रांस दिनांकित 03/04/2023 के तहत चरण II के लिए 1957 05 लाख रुपये की संशोधित प्रशासनिक मंजूरी प्रदान की।

1957 05 लाख रुपये में से 82.68 लाख रुपये आर एंड आर लागत सहित भूमि अधिग्रहण लागत के लिए हैं। दिनांक 17.03.2020 के जी ओ (आरटी) सं. 112/2020/ट्रांस के तहत केरल सरकार के निर्देशानुसार कंपनी ने मेसर्स हडको से ऋण लिया। वर्ष 2023-24 के दौरान मेसर्स हडको से लिए गए ऋण के बराबर की राशि, जो कि रु. 69 69 लाख है, को अनुमोदित परियोजना निधीकरण पैटर्न के हिस्से के रूप में, केरल सरकार से अधीनस्थ ऋण के रूप में मान्यता दी गई है, जो अधीनस्थ ऋण में केरल सरकार का हिस्सा है।

34.6 राज्य करों की प्रतिपूर्ति

भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय के आदेश संख्या के-14011/37/2005-एमआरटीएस-IV दिनांकित 12 जुलाई 2012 द्वारा कोच्ची मेट्रो रेल परियोजना को मंजूरी देते हुए यह संकेत दिया गया था कि राज्य करों के रूप में 237.33 लाख रुपये की राशि केरल सरकार द्वारा वित्त पोषित की जाएगी । तदनुसार, दिनांक 3 मई 2019 के जी.ओ. (एमएस) सं.170/2019/वित्त. के तहत कोच्ची मेट्रो परियोजना के कार्यान्वयन के लिए केएमआरएल/डीएमआरसी द्वारा भुगतान किए गए राज्य कर की प्रतिपूर्ति के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई।

राज्य सरकार ने केवीएटी और एसजीएसटी के 237.33.52 लाख रुपये की पूरी राशि की प्रतिपूर्ति की। राशि को अन्य इक्विटी के तहत आस्थगित आय के रूप में मान्यता प्राप्त है और परिसंपत्ति के अपेक्षित उपयोगी जीवन पर लाभ और हानि के विवरण में स्थानांतरित किया गया है।

34. 7. चरण 1ए के लिए भारत सरकार से अनुदान

भारत सरकार के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के आदेश संख्या के-14011/08/2019-एमआरटीएस-IV दिनांक 06 फरवरी 2023 के अनुसार, पेट्टा से एस एन जंक्शन तक कोच्ची मेट्रो रेल परियोजना चरण Iए को मंजूरी देते समय, कुल परियोजना लागत 710.92.00 लाख रुपये में से यह संकेत दिया गया कि 46.74.00 लाख रुपये की राशि भारत सरकार द्वारा अनुदान के रूप में दी जाएगी। भारत सरकार, केरल सरकार और कंपनी के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने पर धनराशि जारी की जाएगी।

तदनुसार, दिनांक 28 मार्च 2023 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए और वर्ष 2022-23 के दौरान भारत सरकार द्वारा धनराशि जारी की गई। राशि को अन्य इक्विटी के तहत आस्थगित आय के रूप में मान्यता दी है और परिसंपत्ति के अपेक्षित उपयोगी जीवन पर लाभ और हानि के विवरण में स्थानांतरित कर दिया गया है।

34.8 गैर-मौद्रिक अनुदान -काक्कनाड में भूमि का हस्तांतरण

केरल सरकार के सरकारी आदेश (एमएस) संख्या 140/2019/आरडी दिनांकित 22 मई 2019 के तहत लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के कब्जे वाली भूमि को को रजिस्ट्री पर केएमआरएल को मुफ्त में सौंपने की मंजूरी दी, ताकि उक्त भूमि पर संपत्ति विकास कार्य किया जा सके।केएमआरएल को नि:शुल्क रजिस्ट्री पर आबंटित करने और उक्त भूमि पर संपत्ति का विकास करने के लिए मंजूरी प्रदान की। मार्च 2020 में कंपनी को 17.430 एकड़ भूमि को रजिस्ट्री पर सौंपा गया। भारतीय लेखा मानक 20 के अनुसार भूमि पार्सल का मूल्य गैर-मौद्रिक अनुदान के रूप में माना जाता है। अनुदान को आस्थगित आय के रूप में स्थापित किया गया है और इसे अंतर्निहित परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाएगी।

केरल सरकार ने दिनांक 24.06.2022 के जीओ संख्या 169/2022/आरडी के तहत संपत्ति विकास परियोजना के लिए काक्कनाड में पीडब्ल्यूडी विभाग से संबंधित अतिरिक्त 14 एकड़ भूमि को निःशुल्क हस्तांतरित करने की अनुमति दी। कंपनी को अभी तक ज़मीन की रजिस्ट्री नहीं सौंपी गई है।

34.9 मेट्रो रेल परियोजना और प्रारंभिक एवं अन्य परियोजना कार्यों के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु जिलाधीश को अग्रिम राशि और शेष राशि 31 मार्च 2024 तक उपलब्ध है।

रुपए (रुपए लाखों में)

मेट्रो रेल परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण

विवरण	दिनांक 31 मार्च, 2024 को	दिनांक 31 मार्च, 2023 को
चरण I (आलुवा से पेट्टा तक)	38 11.69	44 52.17
चरण Iए (पेट्टा से एस एन जंक्शन तक)	0.95	0.95
चरण Iबी (एस एन जंक्शन से त्रिप्पुनित्तुरा तक)	9 68.90	9 69.40
चरण II (जेएलएन स्टेडियम से इन्फोपर्क होकर काक्कनाड तक)	70 19.25	50.00
कुल	**118 00.79**	**54 72.52**

प्रारंभिक और अन्य परियोजना कार्य के लिए भूमि अधिग्रहण

विवरण	दिनांक 31 मार्च, 2024 को	दिनांक 31 मार्च, 2023 को
वैट्टिला-पेट्टा रोड चौड़ीकरण	5.19	5.19
नई मेट्रो लाइन की तैयारी का कार्य - जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से इन्फोपार्क से होकर काक्कनाड तक	19 03.10	38 11.39
नई मेट्रो लाइन की तैयारी का कार्य- सीपोर्ट एयरपोर्ट रोड का चौड़ीकरण	4 06.74	4 06.74
एकीकृत जल मेट्रो परिवहन प्रणाली	9 00.90	9 95.07
कुल	**32 15.93**	**52 18.39**

34.10 एकीकृत जल परिवहन प्रणाली

केरल सरकार (जीओके) ने जी.ओ (एमएस) सं. 73/2015/ट्रांस दिनांकित 19/11/2015 के तहत कोच्ची में एक एकीकृत जल परिवहन प्रणाली की अवधारणा के लिए 682 01 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर मंजूरी प्रदान की । इस परियोजना को जर्मन फंडिंग एजेंसी “क्रेडिटनस्टाल्ट फर विडेराउफबाउ” (केएफडब्ल्यू) द्वारा भारत-जर्मन द्विपक्षीय सहयोग के तहत “जलवायु अनुकूल शहरी गतिशीलता” पहल के हिस्से के रूप में, और केरल सरकार द्वारा 102 30 लाख रुपए की सीमा तक ऋण के माध्यम से वित्तपोषित किया गया है । परियोजना के सभी वित्तीय और परिचालन संबंधी जोखिम, परियोजना के कानूनी मालिक के रूप में केरल सरकार के पास निहित होंगे और केएमआरएल, परियोजना निष्पादन एजेंसी होगी ।

केरल सरकार ने दिनांक 18.6.2021 के सरकारी आदेश (एमएस) सं.14/2021/ट्रांस के तहत 72 00 लाख रुपए की भूमि अधिग्रहण लागत को छोड़कर 1064 83 लाख रुपए की संशोधित परियोजना लागत के लिए प्रशासनिक मंजूरी प्रदान की । संशोधित निधीकरण पैटर्न के अनुसार, केरल सरकार का योगदान 156 07 लाख रुपए और केएफडब्ल्यू का योगदान 908 76 लाख रुपए हैं । अतिरिक्त निधीकरण केलिए केएफडब्ल्यू से मंजूरी की प्रतीक्षा में है ।

वर्ष 2023-24 के दौरान, केरल सरकार ने शून्य (पिछले वर्ष 15 00 लाख रुपए) राशि जारी की और केएफ़डबल्यू ने 93 94.99 लाख रुपए (पिछले वर्ष – 62 31.10 लाख रुपए) की राशि जारी की । दिनांक 31.3.2024 तक जारी संचयी निधि 468 89.02 लाख रुपए है (जिसमें केरल सरकार का योगदान 164 30 लाख रुपए और केएफ़डबल्यू का 295 59.02 लाख रुपए है) ।

दिनांक 31.03.2022 तक का कुल व्यय 489 10.72 लाख रुपए (पिछले वर्ष तक 377 04.60 लाख रुपए) है । ठेकेदारों को दिनांक 31.03.2024 तक अग्रिम के रूप में 65 19.59 लाख रुपए (पिछले वर्ष 48 81.54 लाख रुपए) की राशि का भुगतान किया गया ।

केरल सरकार ने जून 2025 तक केएफ़डबल्यू ऋण आहरण अवधि के विस्तार के लिए अनुरोध किया है । केएफडब्ल्यू ने संवितरण अवधि को 30 जून 2025 तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की ।

केरल सरकार ने दिनांक 23/10/2020 के सरकारी आदेश (एमएस) सं.26/2020/ट्रांस के तहत कोच्ची वाटर मेट्रो परियोजना के संचालन और रखरखाव के उद्देश्य से एसपीवी (विशेष प्रयोजन वाहन) के गठन के लिए 4,90 रुपए की अधिकृत शेयर पूंजी के साथ केरल सरकार द्वारा 74% इक्विटी और केएमआरएल द्वारा 26% स्वेट इक्विटी के साथ मंजूरी प्रदान की ।

इक्विटी अंशदान को सरकार से प्राप्त किया जाना है । धन प्राप्त न होने के कारण, केएमआरएल ने 26% निवेश किया और इसको अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्ति-निवेश के रूप में मान्यता दी गई । तदनुसार, मेसर्स कोच्ची वाटर मेट्रो लिमिटेड (केडब्ल्यूएमएल) को दिनांक 14 जुलाई, 2021 को निगमित किया गया । कंपनी ने कंपनी और केरल सरकार के दायित्वों को रेखांकित करते हुए केरल सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर भी हस्ताक्षर किया ।

34.11 बैंकों/वित्तीय संस्थानों से उधार

राशि (रुपए लाखों में)

क्रम सं.	बैंक/वित्तीय संस्थानों का नाम	पुनर्भुगतान की अवधि	पुनर्भुगतान प्रारंभ करने की तारीख	पुनर्भुगतान समाप्त करने की तारीख	वर्ष 23-24 के दौरान भुगतान किया गया ब्याज	प्रतिवर्ष ब्याज की दर प्रतिशत	दिनांक 31.03.2024 को राशि	दिनांक 31.03.2023 को राशि
क	केनरा बैंक - चरण I	54 त्रैमासिक किस्तें	तिमाही 2, 2023-24	तिमाही 3, 2036-37	109 30.36	9.50% तक 06.07.2023 9.00% तक 17.02.2024 9.35% तक 18.3.2024 10.35% से 19.3.2024	1181 11.79	1189 89.70
ख	केनरा बैंक - प्रथम चरण (अतिरिक्त उधार)	54 त्रैमासिक किस्तें	तिमाही 2, 2023-24	तिमाही 3, 2036-37	15 44.22	8.00 % तक 17.07.2023 8.65% तक 18.03.2024 9.65% से 19.03.2024	181 38.19	182 73.19
ग	केनरा बैंक – चरण 1 विस्तार	56 त्रैमासिक किस्तें	तिमाही 2, 2026-27	तिमाही 1, 2040-41	34 37.83	9.35 % तक 15.3.2024 9.65% तक 18.03.2024 10.65% से 19.3.2024	395 57.65	337 83.31
घ	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया -चरण 1 विस्तार	56 त्रैमासिक किस्तें	तिमाही 2, 2026-27	तिमाही 1, 2040-41	24 14.41	9.35 % तक 15.3.2024 9.65% तक 18.03.2024 10.65% से 19.3.2024	276 60.11	236 22.49
ङ	केरल राज्य सहकारी बैंक (भूमि अधिग्रहण)	10 वार्षिक किस्तें	मार्च,2018	मार्च, 2027	33 21.00	9.75%	109 80.00	146 40.00
च	केरल राज्य सहकारी बैंक (भूमि अधिग्रहण - वैट्टिला - पेट्टा रोड)						31 20.00	41 60.00

क्रम सं.	बैंक/वित्तीय संस्थानों का नाम	पुनर्भुगतान की अवधि	पुनर्भुगतान प्रारंभ करने की तारीख	पुनर्भुगतान समाप्त करने की तारीख	वर्ष 23-24 के दौरान भुगतान किया गया ब्याज	प्रतिवर्ष ब्याज की दर प्रतिशत	दिनांक 31.03.2024 को राशि	दिनांक 31.03.2023 को राशि
छ	1) केनरा बैंक - कार्यशील पूँजी माँग ऋण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	39.40	8.60% तक 27.11.2023 9.25% तक 18.03.2024 10.25% से 19.03.2024	9 32.05	2 45.34
ज	बी) केनरा बैंक- कार्यशील पूंजी मांग ऋण-कार्यशील पूंजी सीमा की उपसीमा	1 महीना	लागू नहीं	14.04.2024	1 43.32	9.50% (अवधि आधारित एमसीएलआर प्लस 0.25% मार्जिन)	17 00.00	33 00.00
झ	हडको-प्रारंभिक कार्य/भूमि अधिग्रहण	52 त्रैमासिक किस्तें	फरवरी -2022	नवंबर - 2034	24 07.09	भूमि अधिग्रहण के लिए : 9.75% तक 13.11.2023 9.43% से 14.11.2023 सिविल कार्य हेतु : 8.90% तक 13.11.2023 8.87% से 14.11.2023	333 87.11	2 60 99.83
न	हडको- चरण I	58 त्रैमासिक किस्तें	फरवरी-2021	मई -2035	23 80.19		2 43 74.00	2 70 66.00
	कुल						**2779 60.90**	**27 01 79.86**

वित्तीय विवरणों में उपरोक्त ऋणों की प्रस्तुति ***राशि (रुपए लाखों में)***

विवरण	संदर्भ टिप्पणी संख्या	दिनांक 31.03.2024 को राशि	दिनांक 31.03.2023 को राशि
बैंकों से सावधि ऋण (सुरक्षित) का गैर-चालू भाग	16क	2101 67.74	2077 54.69
वित्तीय संस्थानों से सावधि ऋण (असुरक्षित) का गैर-चालू भाग	16क	505 33.11	459 37.83
कार्यशील पूंजी ऋण (सुरक्षित)	21क	26 32.05	35 45.34
बैंकों और वित्तीय संस्थानों से सावधि ऋण की चालू परिपक्वता			
बकाया	21क	0.00	0.00
बकाया नहीं		146 28.00	129 42.00
कुल		2779 60.90	2701 79.86

उपरोक्त ऋणों का विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है;

क) केनरा बैंक- चरण I

कंपनी ने केनरा बैंक के साथ 1170 00 लाख रुपए की राशि के लिए एक सावधि ऋण समझौता किया । केएमआरएल के अनुरोध के अनुसार, मार्च 2020 से छह महीने की अवधि के लिए ब्याज सर्विसिंग के लिए स्थगन की मंजूरी दी गई । कंपनी ने ब्याज स्थगन का लाभ उठाया और तदनुसार, सावधि ऋण (पुनर्भुगतान का शुद्ध) पर प्रोद्भूत ब्याज को कोविड़-19 सहायता के रूप में जोड़ दिया गया । लागू ब्याज दर वार्षिक अंतराल में मार्जिन के साथ एक साल की एमसीएलआर (उधार दरों के आधार पर निधि की सीमांत लागत) है और कंपनी की सभी परिसंपत्तियाँ परिपासु प्रभार द्वारा सुरक्षित किया है ।

ख) केनरा बैंक- चरण I (अतिरिक्त उधार)

कोच्ची मेट्रो रेल परियोजना के चरण I की लागत वृद्धि को पूरा करने के लिए कंपनी ने केनरा बैंक के साथ दिनांक 18.7.2019 को 179 00 लाख रुपए की राशि के लिए सावधि ऋण का समझौता किया । केरल सरकार ने जीओ (आरटी) संख्या 323/2019/ट्रांस दिनांकित 18.7.2019 के तहत मूलधन और ब्याज के पुनर्भुगतान के लिए गारंटी जारी की । केएमआरएल के अनुरोध के अनुसार,मार्च 2020 से छह महीने की अवधि के लिए ब्याज सेवा के लिए स्थगन के लिए मंजूरी दी गई । कंपनी ने ब्याज स्थगन का लाभ उठाया और तदनुसार, बकाया सावधि ऋण (पुनर्भुगतान का शुद्ध) पर प्रोद्भूत ब्याज को कोविड -19 सहायता के रूप में जोड़ दिया गया । लागू ब्याज दर वार्षिक अंतराल में मार्जिन के साथ एक साल की एमसीएलआर (उधार दरों के आधार पर निधि की सीमांत लागत) है और कंपनी की सभी परिसंपत्तियों पर परिपासु प्रभार द्वारा सुरक्षित किया है और ब्याज और मूलधन के भुगतान के लिए राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत किया है ।

ग एवं घ) केनरा बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बीच कंसोर्टियम ऋण - चरण I का विस्तार

कंपनी ने चरण I के विस्तार के लिए केनरा बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कंसोर्टियम से सावधि ऋण लिया। कंसोर्टियम ऋण समझौता दिनांक 25.05.2020 को निष्पादित किया गया। समझौते के अनुसार, केनरा बैंक 730 67 लाख रुपए के सावधि ऋण के साथ चरण Iए और चरण Iबी की परियोजना के वित्तपोषण के लिए अग्रणी बैंकर होगा, जिसमें केनरा बैंक द्वारा रु. 430.00 लाख और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा रु. 300.67 लाख के अनुपात में साझा किया जाएगा। लागू ब्याज दर वार्षिक अंतराल में मार्जिन के साथ एक साल की एमसीएलआर है। चरण I विस्तार की चल और अचल परिसंपत्ति पर पारिपासु शुल्क द्वारा ऋण सुरक्षित किया जाता है और ब्याज और मूलधन के भुगतान के लिए राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत है। केरल सरकार ने (आरटी) सं.211/2020/ट्रांस दिनांकित 18.6.2020 के तहत ऋण के ब्याज और मूलधन की अदायगी के लिए गारंटी जारी की। 391.04 लाख रु. 1 15.37 लाख क्रमशः गारंटी कमीशन और गारंटी कमीशन पर ब्याज की राशि है, इसे इसे दिनांक 31.3.2024 तक केरल सरकार से प्राप्य के रूप में भी मान्यता दी गई है (पिछले वर्ष क्रमशः गारंटी कमीशन और गारंटी कमीशन पर ब्याज के लिए 86.56 लाख रुपये और 41.02 लाख रुपये) क्योंकि परियोजना को जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाना है।

ङ) केरल राज्य सहकारी बैंक (पूर्व में एरणाकुलम जिला सहकारी बैंक के रूप में जाने जाते थे (ईडीसीबी) (भूमि अधिग्रहण)

शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या के -14011/37/2005-एमआरटीएस-IV दिनांकित 12 जुलाई 2012 के तहत कोच्ची मेट्रो रेल परियोजना का अनुमोदन करते हुए यह संकेत दिया गया था कि केरल सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण की लागत के लिए 672 00 लाख रुपए ब्याज मुक्त उप ऋण के रूप में प्रदान किए जाएंगे। केरल सरकार ने दिनांक 31 मार्च 2017 तक कुल 672 लाख रुपए में से 306.25 लाख रुपए राशि जारी की। बकाया राशि के लिए, केरल सरकार ने निर्णय लिया कि उप ऋण योगदान के रूप में 366 00 लाख रुपए की राशि का ऋण केरल सरकार द्वारा प्रदान करेगी, उसे केएमआरएल केरल सरकार की ओर से प्राप्त करेगा।

केरल सरकार ने जी.ओ.(एमएस)सं.20/2015/ट्रांस दिनांकित 25.03.2015 के तहत, भूमि अधिग्रहण के लिए केरल राज्य सहकारी बैंक से 366 00 लाख रुपये का सावधि ऋण प्राप्त करने की अनुमति प्रदान की। तदनुसार, कंपनी ने दिनांक 20 जनवरी 2015 को आयोजित 19 वीं बोर्ड की बैठक में अनुमोदित के अनुसार ईडीसीबी के साथ सावधि ऋण समझौता किया, जैसा कि 20 जनवरी 2015 को इसकी 19वीं बोर्ड बैठक में अनुमोदित किया गया था। सरकारी आदेश के अनुसार, ऋण की अवधि दो वर्ष की अधिस्थगन के साथ 12 वर्ष की होगी और पुनर्भुगतान दस वर्षों में वार्षिकी आधार पर होगी जो कंपनी की सभी परिसंपत्तियों पर परिपासु प्रभार द्वारा सुरक्षित होगी। ब्याज की दर भारतीय स्टेट बैंक की आधार दर से 0.05% कम होगी, जो तिमाही अंतराल पर संयोजित होगी। ब्याज दर हर तीन साल में फिर से निर्धारित की जाएगी और दिनांक 1 अप्रैल 2020 से इसे प्रतिवर्ष 9.95% से 9.75% तक घटा दिया गया। ब्याज सहित ऋण की अदायगी केरल सरकार द्वारा बैक-टू-बैक आधार पर की जाती है और जब भी देय हो, को केरल सरकार से प्राप्त के रूप में मान्यता प्राप्त है। वर्ष 2014-15 के दौरान कंपनी ने केरल सरकार के निर्देशानुसार 366 00 लाख रुपए की पूरी ऋण राशि को आहृत किया है।

च) केरल राज्य सहकारी बैंक (पूर्व में एरणाकुलम जिला सहकारी बैंक (ईडीसीबी) के रूप में जाना जाता था (भूमि अधिग्रहण-वैट्टिला पेट्टा रोड)

केरल सरकार ने वैट्टिला-पेट्टा रोड़ की चौडीकरण के लिए भूमि अधिग्रहण की लागत को पूरा करने हेतु जीओ (एमएस) संख्या 24/2015/ट्रांस दिनांकित 30.04.2015 के तहत केरल राज्य सहकारी बैंक से 104 00 लाख रुपए के सावधि ऋण लेने के

लिए अनुमोदन प्रदान किया । तदनुसार, कंपनी ने दिनांक 20 जनवरी 2015 को आयोजित अपनी 19 वीं बोर्ड की बैठक में अनुमोदित के अनुसार केरल राज्य सहकारी बैंक के साथ सावधि ऋण समझौता किया । ऋण की अवधि दो वर्ष की अधिस्थगन के साथ 12 वर्ष की होगी और पुनर्भुगतान दस वर्षों में वार्षिकी आधार पर होगी जो कंपनी की सभी परिसंपत्तियों पर परिपासु प्रभार द्वारा सुरक्षित होगी । ब्याज की दर भारतीय स्टेट बैंक की आधार दर से 0.05% कम होगी, जो तिमाही अंतराल पर संयोजित होगी । ब्याज दर हर तीन साल में फिर से निर्धारित की जाएगी और दिनांक 1 अप्रैल 2020 से उसी को प्रतिवर्ष 9.95% से 9.75% तक घटा दिया गया । ब्याज सहित ऋण की अदायगी का दायित्व केरल सरकार द्वारा बैक-टू-बैक आधार पर लिया जाता है और जब देय हो, को केरल सरकार से प्राप्त के रूप में मान्यता प्राप्त है । वर्ष 2015-16 के दौरान कंपनी ने केरल सरकार के निर्देशानुसार 104,00 लाख रुपए की पूरी ऋण राशि को आहृत किया है ।

वर्ष के दौरान, कंपनी ने 80 21.00 लाख रुपए, (पिछले वर्ष 85 93.23 लाख रुपए, छठी किस्त) ऋण के सातवीं किस्त का भुगतान मार्च 2024 में किया ।

छ) केनरा बैंक- कार्यशील पूँजी ऋण और कार्यशील पूँजी माँग ऋण

कंपनी ने दिनांक 30.09.2019 को केनरा बैंक के साथ क्रमशः 90 00 लाख रुपए और 5 00 लाख रुपए की राशि के लिए एक निधि आधारित कार्यशील पूँजी सुविधा और गैर-निधि आधारित बैंक गारंटी सीमा में दाखिल किया और वार्षिक आधार पर नवीनीकृत किया । कार्यशील पूंजी सुविधा के लिए लागू ब्याज दर वार्षिक अंतराल में एक साल की एमसीएलआर (उधार दरों के आधार पर निधि की सीमांत लागत) है और कंपनी की सभी परिसंपत्तियों को परिपासु प्रभार द्वारा सुरक्षित किया है ।

केनरा बैंक ने अवधि आधारित एमसीएलआर + 0.25% की ब्याज दर के साथ कार्यशील पूंजी सुविधा की उप-सीमा के रूप में रु.90 00 लाख कार्यशील पूंजी मांग ऋण (डबल्यूसीडीएल) की पेशकश की । मौजूदा सुविधा की तुलना में ब्याज दर कम होने के कारण कंपनी इस सुविधा का लाभ उठा रही है । दिनांक 31.3.2024 तक, कंपनी द्वारा 17 00.00 लाख रुपये का डबल्यूसीडीएल लिया गया है (गत वर्ष 33 00 लाख रुपये)

ज) हडको - प्रारंभिक कार्य/भूमि अधिग्रहण

कंपनी ने कोच्ची मेट्रो रेल परियोजना के चरण I, चरण Iए, चरण Iबी और चरण II के भूमि अधिग्रहण और प्रारंभिक कार्यों के लिए दिनांक19.3.2020 को 589.82 लाख रुपए की राशि के लिए हडको के साथ एक सावधि ऋण समझौता किया । इस पर दिनांक 31 मार्च, 2024 तक कंपनी को हडको द्वारा 437.13.00 रुपए (पिछले वर्ष तक 318.81 लाख रुपये) की राशि वितरित की गई । मूल राशि के पुनर्भुगतान के लिए अधिस्थगन अवधि फरवरी 2022 तक थी । दिनांक 31 मार्च 2024 तक 103.25.89 लाख रुपए का भुगतान किया गया (पिछले वर्ष तक 57.81.17 लाख रुपये) । ऋण जीओ (आरटी) सं.112/2020/ट्रांस दिनांकित 17.3.2020 के तहत, ब्याज के भुगतान और मूलधन की अदायगी के लिए सरकारी गारंटी द्वारा सुरक्षित है ।

चूँकि कंपनी द्वारा भूमि अधिग्रहण और प्रारंभिक कार्यों के लिए ऋण लिया है, ऋण प्रसंस्करण शुल्क और गारंटी कमीशन सहित ब्याज और मूलधन का पुनर्भुगतान केरल सरकार से प्राप्य के रूप में मान्यता प्राप्त है । तदनुसार, दिनांक 31 मार्च 2024 तक 1,23.90 लाख रुपए और 9,45.92 लाख रुपए की राशि, क्रमशः ऋण प्रसंस्करण शुल्क और गारंटी आयोग की राशि के रूप में, (पिछले वर्ष क्रमशः ऋण प्रसंस्करण शुल्क, गारंटी कमीशन और गारंटी कमीशन पर ब्याज के रूप में रु. 1,23.90 लाख, रु. 6,93.53 लाख और रु. 56.36 लाख थे) केरल सरकार से प्राप्य के रूप में मान्यता प्राप्त है ।

ट) हडको - चरण I

कंपनी ने दिनांक 26.06.2020 को परियोजना के गैप फंडिंग हेतु 390 00 लाख रुपए की राशि के लिए हडको के साथ एक सावधि ऋण समझौता किया । इस पर, हडको द्वारा कंपनी को 331.23 लाख रुपए की राशि वितरित की गई और दिनांक 31 मार्च, 2024 तक 87.49 लाख रुपए (पिछले वर्ष तक 60.57 लाख रुपए)की राशि का भुगतान किया गया ।

शासनादेश (आरटी) 215/2020/ट्रांस दिनांकित 22.06.2020 के तहत, केरल सरकार ने ऋण और ब्याज के पुनर्भुगतान के संबंध में पर्याप्त बजट प्रावधान प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की है । तदनुसार, ऋण प्रसंस्करण शुल्क और गारंटी कमीशन सहित ब्याज और मूलधन का पुनर्भुगतान केरल सरकार से प्राप्य के रूप में मान्यता दी गई है । तदनुसार, 123.90 लाख रुपये और 859.07 लाख रुपये की राशि (पिछले वर्ष क्रमशः ऋण प्रसंस्करण शुल्क गारंटी कमीशन और गारंटी कमीशन पर ब्याज के लिए रु.123.90 लाख, रु.674.76 लाख और रु.42.32 लाख) को ऋण प्रसंस्करण शुल्क और गारंटी कमीशन की राशि को दिनांक 31 मार्च 2024 तक केरल सरकार से प्राप्य के रूप में मान्यता प्राप्त है ।

ठ) दिनांक 16 अक्तूबर 2004 के शासनादेश (एमएस) सं. 487/04 /वित्त के खंड 4 (i) के अनुसार, देय गारंटी कमीशन पिछले वर्ष के 31 मार्च को ब्याज, दंडात्मक ब्याज आदि सहित बकाया ऋण की वास्तविक शेष राशि का 0.75% होगा । एक वर्ष में देय राशि का भुगतान दो समान किश्तों में किया जाएगा, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक 01 अप्रैल को और दूसरा 1अक्टूबर को ।

कंपनी द्वारा भुगतान और देय गारंटी कमीशन का विवरण नीचे संक्षेप में दिया गया है;

क्रम सं.	गारंटी कमीशन	देय और 31.3.2024 तक भुगतान किया गया	31.3.2024 को देय नहीं है	31.3.2024 तक देय नहीं	कुल
1	केनरा बैंक - चरण I, कोच्ची मेट्रो रेल परियोजना के पहले चरण के लिए (अतिरिक्त उधार)	2 63.11	2 74.58	1 36.34	6 74.03
2	केनरा बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बीच कंसोर्टियम लोन - चरण I का विस्तार	1 59.31	7 27.25	5 04.49	13 91.05
3	हडको - प्रारंभिक कार्य/भूमि अधिग्रहण	2 63.75	4 29.78	2 52.39	9 45.92
4	हडको - कोच्ची मेट्रो रेल परियोजना के चरण I के लिए अंतर वित्तपोषण	2 45.29	4 29.47	1 84.31	8 59.07
	कुल	**9 31.46**	**18 61.08**	**10 77.53**	**38 70.07**

34.12 बैंकों और वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋण के प्रति केरल सरकार से प्राप्य

राशि (रुपए लाखों में)

विवरण	विस्तृत टिप्पणी संदर्भ संख्या	31-मार्च-24 तक की राशि			31-मार्च-23 तक की राशि		
		चालू	गैर-चालू	कुल	चालू	गैर-चालू	कुल
केरल राज्य सहकारी बैंक से लिए गए ऋण पर	34.11.ङ एवं 34.11.च	47 00.00	93 94.81	140 94.81	47 00.00	140 94.81	187 94.81
केरल राज्य सहकारी बैंक से ऋण के लिए प्राप्य ब्याज पर		10 07.45	20 15.50	30 22.95	10 07.45	30 22.96	40 30.41
हडको से लिए गए ऋण पर	34.11.ज एवं 34.11.ट	100 54.57	48 468.65	58 523.22	100 55.03	411 75.81	512 30.84
गारंटी कमीशन पर, गारंटी कमीशन और प्रसंस्करण शुल्क पर ब्याज	34.11.ग,घ,छ & ज	37 48.94	0.00	37 48.94	26 42.35	0.00	26 42.35
कुल		**19 510.96**	**598 78.96**	**79 389.93**	**184 04. 83**	**582 93.58**	**766 98.41**

34.13 भारत सरकार की ओर से पास थ्रू सहायता

राशि (रुपए लाखों में)

क्रम सं.	बैंकों/वित्तीय संस्थानों का नाम	पुनर्भुगतान की अवधि	पुनर्भुगतान प्रारंभ तिथि	पुनर्भुगतान समाप्त तिथि	23-24 के दौरान चुकाया गया ब्याज	ब्याज की दर	31.03.2024 को राशि*	31.03.2023 को राशि
क	चरण I के लिए पास थ्रू सहायता	40 अर्धवार्षिक किश्तें	सितंबर, 2019	मार्च ,2039	53 94.62*	6 मासिक यूरिबोर के साथ 155 आधार अंकों का मार्जिन	995 33.08	1061 68.62
ख	एनएमटी के लिए पास थ्रू सहायता	20 अर्धवार्षिक किश्तें	मई ,2025	नवंबर , 2034	1 49.94**	सूचकांक दर + 1.52% या 6 महीने यूरिबोर + 1.35% (मार्जिन)	24 46.67	24 46.67
				कुल			**1019 79.75**	**1086 15.29**

* 53 94.62 लाख रुपये में 15.03.2024 को देय ब्याज की सेवा के लिए भारत सरकार को देय 29 06.62 लाख रुपये की राशि शामिल है।

** 1 49.94 लाख रुपये को पीटीए ऋण पर ब्याज की अदायगी के लिए केरल सरकार को देय दर्शाया गया है।

वित्तीय विवरणों में भारत सरकार की ओर से पास-थ्रू सहायता की प्रस्तुति

राशि (रुपए लाखों में)

विवरण	संदर्भ टिप्पणी संख्या	31.03.2024 तक राशि	31.03.2023 तक राशि
पास-थ्रू सहायता का गैर-चालू हिस्सा - भारत सरकार	16.क	953 44.21	1019 79.75
पास-थ्रू सहायता का चालू हिस्सा - भारत सरकार	21.क	66 35.54	66 35.54
कुल		**1019 79.75**	**1086 15.29**

चरण I कोच्ची मेट्रो रेल परियोजना के लिए 180 मिलियन यूरो की भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई पास थ्रू सहायता (पीटीए), ऋणदाता के रूप में एजेंस फ्रैन्काइज़ डी डेवलपमेंट (एएफ़डी), एक फ्रांसीसी सार्वजनिक वित्त पोषण एजेंसी, और उधारकर्ता के रूप में भारत सरकार (जीओआई) के बीच क्रेडिट सुविधा समझौते पर आधारित है । ऋण भारत सरकार द्वारा सॉवरेन गारंटी के माध्यम से सुरक्षित है । 1327,10.77 लाख रुपए के बराबर के 180 मिलियन यूरो की संपूर्ण ऋण राशी, एएफडी द्वारा भारत सरकार को जारी कर दी गई है । केएमआरएल को भारत सरकार के बजटीय प्रावधानों के अनुसार कई चरणों में भारतीय रुपए में राशि वितरित की ।

वर्ष 2023-24 के दौरान, भारत सरकार द्वारा केरल सरकार के बजटीय आबंटन से 108 28.91 लाख रुपये की राशि वसूल की गई है, जो मार्च 2023 और सितंबर 2023 से संबंधित एएफडी ऋण सेवा के लिए भारत सरकार द्वारा भुगतान की गई राशि है। इसके अलावा, इस राशि का समायोजन अभी भी केरल सरकार से नहीं हो जाने के कारण इसके अलावा, मार्च 2024 में एएफडी को ऋण सेवा के लिए भारत सरकार द्वारा भुगतान की गई राशि 62 24.39 लाख रुपये (मूलधन 33 17.77 लाख रुपये और ब्याज 29 06.62 लाख रुपये) को भारत सरकार को देय राशि के रूप में दिखाई गई है ।

केएमआरएल की गैर-मोटर चालित परिवहन पहलों के लिए केरल सरकार के माध्यम से भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई 27 मिलियन यूरो की राशि पास-थ्रू सहायता (पीटीए), , ऋणदाता के रूप में फ्रांसीसी सार्वजनिक वित्त पोषण एजेंसी, एजेंस फ्रैंकेइस डी डेवलपमेंट (एएफडी) और उधारकर्ता के रूप में भारत सरकार (जीओआई) के बीच ऋण सुविधा समझौते पर आधारित है । ऋण भारत सरकार द्वारा सोवरेन गारंटी द्वारा सुरक्षित है ।

वर्ष 2023-24 के दौरान, आर्थिक मामलों के विभाग के माध्यम से एनएमटी के लिए एएफडी से जारी ऋण में से 36 54.96 लाख रुपये (पिछले वर्ष शून्य) की राशि केरल सरकार को जारी की गई थी । बाद में यह राशि जीओ (आरटी) सं. 153/2024/ट्रांस दिनांकित 22/04/2024. के तहत केएमआरएल को हस्तांतरित कर दिया गया ।

दिनांक 31.3.2024 तक, एनएमटी के लिए एएफडी से केरल सरकार के माध्यम से केएमआरएल को प्राप्त संचयी निधि 24.46.67 लाख रुपए है ।

34.14 भारतीय लेखा मानक-19, "कर्मचारी लाभ" से संबंधित प्रकटीकरण

भविष्य निधि और पेंशन निधि: कंपनी के पात्र कर्मचारी भविष्य निधि (पीएफ) योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं, जिसमें कर्मचारी और कंपनी दोनों कवर किए गए कर्मचारियों के वेतन के निर्दिष्ट प्रतिशत पर मासिक योगदान करते हैं । अंशदान का भुगतान क्षेत्रीय भविष्य निधि खाते में किया जाता है । कंपनी की पेंशन योजना भविष्य निधि योजना से जुड़ी हुई है । भविष्य निधि योजनाओं के तहत कंपनी के सभी पात्र कर्मचारियों को कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) के तहत भी शामिल किया गया है, कंपनी के उन कर्मचारियों को छोड़कर जो 1 सितंबर 2014 के बाद भविष्य निधि (पीएफ) के सदस्य बन गए हैं और जिनका वेतन प्रति माह 15,000/- रुपए से अधिक है । ऐसे कर्मचारी ईपीएस योजना के तहत कवर होने के लिए अर्ह नहीं हैं । उक्त लाभ केवल तभी बढ़ाया जाता है, जब कर्मचारी केएमआरएल में शामिल होने के दौरान पीएफ योजना का मौजूदा सदस्य हो । उपरोक्त पेंशन योजना के तहत, कर्मचारियों से योगदान नहीं लिया जाता है और पूरी तरह से नियोक्ता के योगदान से भुगतान किया जाता है ।

उपदान: उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 के अनुसार प्रत्येक कर्मचारी को उपदान देय है, जिसने पांच साल या उससे अधिक की निरंतर सेवा प्रदान की हो । उपदान योजना के संबंध में देयताओं को प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख में भारतीय लेखा मानक 19 द्वारा अपेक्षित अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके एक स्वतंत्र बीमांकक द्वारा निष्पादित बीमांकिक मूल्यांकन द्वारा निर्धारित किया जाता है ।

खाता बहियों में उपदान के लिए बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार प्रावधान किए गए हैं। बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार हालांकि नियोजित परिसंपत्तियाँ दिखाई जाती हैं, कंपनी ने खाता बहियों में परिसंपत्ति को मान्यता नहीं दी है, चूँकि कंपनी ने फंड ट्रस्ट नहीं बनाया है।

अर्जित और अर्ध-वेतन छुट्टी: कंपनी कर्मचारियों को मानव संसाधन नीति के अनुसार अर्जित छुट्टी लाभ और अर्ध-वेतन छुट्टी प्रदान करती है। इस खाते की देयता को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है।

छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी): कंपनी के अनुमोदित नीति के अनुसार कर्मचारियों को उनके गृहनगर के साथ-साथ भारत में किसी भी स्थान पर वास्तविक यात्रा के व्यय के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। संबंधित देयता कोअक्च्यूरियल मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है।

बीमा: कंपनी ने चालू वर्ष के दौरान अपने सभी पात्र कर्मचारियों के लिए चिकित्सा बीमा पॉलिसी भी ली है।

34.15 बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार लाभ और हानि विवरण और तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त विभिन्न परिभाषित लाभों की संक्षिप्त स्थिति निम्नानुसार है:

दिनांक 31 मार्च 2024 को बीमांकिक रिपोर्ट के आधार पर परिभाषित लाभ योजनाओं अर्थात उपदान, अर्जित छुट्टीऔर अर्ध वेतन छुट्टी, छुट्टीयात्रा रियायत (गैर निधि योजना) के लिए

प्रकटीकरण

राशि (रुपए लाखों में)

विवरण	उपदान पात्रता (गैर वित्तपोषित)		अर्जित छुट्टी नकदीकरण (गैर वित्तपोषित)		अर्ध वेतन छुट्टी नकदीकरण (गैर वित्तपोषित)		छुट्टी यात्रा रियायत (गैर वित्तपोषित)	
	31/03/2024 को	31/03/2023 को	31/03/2024 को	31/03/2023 को	31/03/2024 को	31/03/2023 को	31/03/2024 को	31/03/2023 को
वर्ष की शुरुआत में लाभ दायित्व	9 70.74	7 46.61	9 86.21	8 31.02	2 82.56	2 36.99	95.23	99.04
वर्तमान सेवा लागत	1 43.82	1 27.31	1 96.09	1 69.38	56.90	47.08	21.46	20.38
ब्याज लागत	70.60	53.55	69.09	56.77	20.88	17.26	6.31	6.98
भुगतान किए गए लाभ/वापस ले लिया गया प्रावधान	(38.50)	(49.74)	(110.28)	(1 31.99)	(2.26)	(8.70)	(15.98)	(9.94)
पिछली सेवा लागत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से बीमांकिक (लाभ) / हानि	25.44	10.33	24.88	10.12	7.02	2.89	1.87	0.56
दायित्वों पर बीमांकिक (लाभ) / हानि - अनुभव समायोजन और जनसांख्यिकीय मान्यताओं के कारण	42.77	82.68	21.84	50.91	(24.60)	(12.96)	(8.60)	(21.79)
वर्ष के अंत में लाभ दायित्व	12 14.87	9 70.74	11 87.83	9 86.21	3 40.50	2 82.56	1 00.29	95.23

राशि (रुपए लाखों में)

दिनांक 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कर्मचारी लाभ व्यय के तहत लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त राशियाँ निम्नानुसार हैं:								
विवरण	उपदान पात्रता (गैर वित्तपोषित)		अर्जित छुट्टी नकदीकरण (गैर वित्तपोषित)		अर्ध वेतन छुट्टी नकदीकरण (गैर वित्तपोषित)		छुट्टी यात्रा रियायत (गैर वित्तपोषित)	
	31/03/2024 को	31/03/2023 को	31/03/2024 को	31/03/2023 को	31/03/2024 को	31/03/2023 को	31/03/2024 को	31/03/2023 को
वर्तमान सेवा लागत	1 43.82	1 27.31	1 96.09	1 69.38	56.91	47.08	21.46	20.38
ब्याज लागत	70.60	53.55	69.08	56.77	20.88	17.26	6.31	6.98
पिछली सेवा लागत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
प्रतिपूर्ति सेवा लागत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ब्याज आय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
प्रतिपूर्ति	0.00	0.00	46.72	61.03	(17.58)	(10.07)	(6.73)	(21.23)
कुल	2 14.42	1 80.86	3 11.89	2 87.18	60.21	54.27	21.04	6.13
घटाएं: बीमांकिक (लाभ)/सीडबल्यूआईपी को हस्तांतरित हानि/परियोजना निधि/अन्य	58.24	43.81	79.74	68.77	33.30	10.10	5.89	1.10
लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	1 56.18	1 37.05	2 32.15	2 18.41	26.91	44.17	15.15	5.03

राशि (रुपए लाखों में)

दिनांक 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के अन्य व्यापक आय विवरण में मान्यता प्राप्त राशियाँ निम्नानुसार हैं:

विवरण	**उपदान पात्रता (गैर-वित्त पोषित)**	
	31/03/2024 को	**31/03/2023 को**
निवल परिभाषित लाभ देयता/(परिसंपत्ति) का प्रतिपूर्ति		
वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन से एक्चुरियल (लाभ)/हानि	25.44	10.33
एक्चुरियल (लाभ)/हानि- अनुभव समायोजन और जनसांख्यिकीय धारणा के कारण	42.77	82.68
ओसीआई में कुल प्रतिपूर्ति	68.21	93.01
घटाएं: सीडब्ल्यूआईपी को हस्तांतरित एक्चुरियल लाभ/हानि	13.64	17.76
ओसीआई के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	54.57	75.25

दिनांक 31 मार्च, 2024 और 31 मार्च, 2023 तक उपदान, अर्जित छुट्टी नकदीकरण, अर्ध वेतन छुट्टी नकदीकरण और छुट्टी यात्रा रियायत लाभ दायित्वों को निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रमुख धारणाएँ इस प्रकार हैं: :

विवरण	**31/03/2024 को**	**31/03/2023 को**
छूट की दर	7.24%	7.42%
वेतन वृद्धि दर - पहले 5 वर्ष	6.00%	6.00%

राशि (रुपए लाखों में)

तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त कुल परिसंपत्ति/देयता								
विवरण	**उपदान पात्रता (गैर वित्तपोषित)**		**अर्जित छुट्टी नकदीकरण (गैर वित्तपोषित)**		**अर्ध वेतन छुट्टी नकदीकरण (गैर वित्तपोषित)**		**छुट्टी यात्रा रियायत (गैर वित्तपोषित)**	
	31/03/2024 को	**31/03/2023 को**	**31/03/2024 को**	**31/03/2023 को**	**31/03/2024 को**	**31/03/2023 को**	**31/03/2024 को**	**31/03/2023 को**
दायित्व का वर्तमान मूल्य	12 14.87	9 70.74	11 87.83	9 86.21	3 40.50	2 82.56	1 00.29	95.23
योजना परिसंपत्ति का उचित मूल्य	-	-	-	-	-	-	-	-
अंतर	12 14.87	9 70.74	11 87.83	9 86.21	3 40.50	2 82.56	1 00.29	95.23
गैर-मान्य ट्रांसिशनल देयता	-	-	-	-	-	-	-	-
गैर मान्य पिछली सेवा लागत - गैर निहित लाभ	-	-	-	-	-	-	-	-
तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त देयता	12 14.87	9 70.74	11 87.83	9 86.21	3 40.50	2 82.56	1 00.29	95.23

34.16 केरल सरकार (जीओके) की ओर से कंपनी द्वारा किए गए प्रारंभिक कार्यों/परियोजनाओं का विवरण, जो दिनांक 31 मार्च, 2024 तक प्रगति पर हैं ।

राशि (रुपए लाखों में)

क्रम सं	चालू किए गए प्रारंभिक कार्य/परियोजना का विवरण	परियोजना के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने का शासनादेश	अनुमोदित परियोजना लागत	दिनांक 31.03.2024 तक प्राप्त निधि			दिनांक 31.03.2024 तक व्यय की गई राशि
				निधि का स्रोत	प्राप्त राशि	कुल	
1	कुन्नरा पार्क से पेट्टा तक के1.5 किलोमीटर वैट्टिला-पेट्टा रोड का चौडीकरण	जी.ओ(एमएस) संख्या 13/2015/ट्रांस दिनांकित 10/03/2015	22 35.00	केरल सरकार	22 35.00	22 35.00	19 43.36
2	जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से इंफोपार्क होकर काक्कनाड तक नई मेट्रो लाइन का प्रारंभिक कार्य	जी.ओ(एमएस) संख्या 24/2023/ ट्रांस दिनांकित 03/04/2023	3 56 21. 90	केरल सरकार	1 22 53.29	303 74.45	303 74.45
				हडको से ऋण लिया है	1 76 20.58 5 00.58		
3	सीपोर्ट एयरपोर्ट रोड़ की चौडीकरण के लिए कोच्ची मेट्रो रेल परियोजना के II चरण के प्रारंभिक कार्य	जी.ओ(एमएस) संख्या 73/2018/ ट्रांस दिनांकित 17/12/2018	74 07.00	हडको से ऋण लिया है	39 03.91	39 03.91	39 03.91

4	इडपल्ली से जेएलएन स्टेडियम/कलूर तक इडपल्ली -हाई कोर्ट रोड के सुधार और जल निकासी व्यवस्था के उन्नयन के लिए प्रारंभिक कार्य	जी.ओ(एमएस) संख्या 56/2016/ ट्रांस दिनांकित 26/08/2016	39 41.40	केरल सरकार	34 00.00	34 00.00	16 08.92
5	त्रिप्पुनित्तुरा के पेट्टा से एसएन जंक्शन तक कोच्ची मेट्रो रेल परियोजना के विस्तार के लिए प्रारंभिक कार्य	जी.ओ(एमएस) संख्या 31/2016/ ट्रांस दिनांकित 31/03/2016	1 23 00.00	केरल सरकार	69 30.29	1 28 31.29	1 28 31.29
				हडको से ऋण लिया है	58 83.51		
				अन्य	17.49		
कुल			**6 15 05.30**			**527 44.65**	**506 61.93**

केरल सरकार (जीओके) की ओर से कंपनी द्वारा किए गए उपर्युक्त प्रारंभिक कार्यों और परियोजनाओं का कुल शेष राशि, जो दिनांक 31 मार्च, 2024 तक प्रगति पर हैं, केरल सरकार से प्राप्य/देय होने के कारण तुलन पत्र में टिप्पणी संख्या 5,11 और 23 में दिखाया गया है ।

34.17 केरल सरकार की ओर से कंपनी द्वारा किए गए प्रारंभिक कार्यों / परियोजनाओं का विवरण, जो डीएमआरसी के माध्यम से निष्पादित किए जाते हैं

राशि (रुपए लाखों में)

क्रम सं.	लिया गया और पूरा किया गया प्रारंभिक कार्य/परियोजना का विवरण	केरल सरकार के प्रशासनिक मंजूरी आदेश	अनुमोदित परियोजना लागत	दिनांक 31.03.2024 तक प्राप्त निधि			दिनांक 31.03.2024 तक व्यय की गई राशि
				निधि का स्रोत	प्राप्त राशि	कुल	
1	प्रारंभिक कार्य	जी.ओ(एमएस) संख्या 110/2013/ ट्रांस दिनांकित 07-12-2013	242 47.00	केरल सरकार	220 45.27	220 45.27	199 62.28
2	पच्चालम रेल ओवर ब्रिज (आरओबी)	जी.ओ(एमएस) संख्या 23/2014/ ट्रांस दिनांकित 05/03/2014 and जी.ओ(एमएस) संख्या.56/2014/ ट्रांस दिनांकित 24/07/2014	52 59.00	केरल सरकार	52 59.00	52 59.00	23 67.17
3	इडप्पल्ली फ्लाईओवर	जी.ओ(आर टी) संख्या No.714/2013/PWD दिनांकित 13/05/2013	108 77.00	केरल रोड फंड बोर्ड (केआरएफबी)	34 43.55	34 43.55	35 28.25
4	चार लेन चंबक्करा पुल के निर्माण का प्रारंभिक कार्य	जी.ओ(एमएस) संख्या 68/2016/ ट्रांस दिनांकित 09/11/2016 and जी.ओ(एमएस) संख्या. 64/2018/ ट्रांस दिनांकित 11/11/2018	38 36.44	केरल सरकार हडको से ऋण	27 00.00 10 36.00	37 36.00	37 09.75
कुल			**442 19.44**		**344 83.82**	**344 83.82**	**295 67.45**

केरल सरकार (जीओके) की ओर से कंपनी द्वारा किए गए उपर्युक्त प्रारंभिक कार्यों और परियोजनाओं का कुल शेष, जो डीएमआरसी के माध्यम से निष्पादित की जाती है, केरल सरकार से प्राप्य/देय को तुलन पत्र के टिप्पणी संख्या 5, 11 और 23 में दिखाया गया है ।

34.18 दिनांक 31 मार्च 2024 तक उपलब्ध प्रारंभिक और अन्य परियोजना कार्यों के लिए केरल सरकार से प्राप्त अग्रिम का विवरण ।

राशि (रुपए लाखों में)

विवरण	31-मार्च-24 को	31-मार्च-23 को
एकीकृत जल परिवहन प्रणाली	0.00	3 91.82
पांच प्रारंभिक कार्य	23 12.26	25 34.04
पच्चालम कार्य	28 91.83	28 91.83
इडपल्ली-हाई कोर्ट रोड का सुधार	17 91.08	18 04.09
कुन्नरा से पेट्टा तक के प्रारंभिक कार्य	2 91.64	2 91.64
कुल	**72 86.81**	**79 13.42**

34.19 आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (एमओएचयूए) और केरल सरकार (जीओके) से केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए)

क.कंपनी को शहरी विकास मंत्रालय (एमओयूडी) से शहरी परिवहन योजना स्कीम के तहत,केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) के रूप में निधि प्राप्त हुआ, जिसमें सभी प्रकार के यातायात और परिवहन अध्ययन आदि के लिए कुल व्यय का 80% एमओयूडी द्वारा और राज्य सरकार द्वारा 20% वहन किया जाएगा ।
वर्ष 2017-18 तक किए गए कुल व्यय के 226.73 लाख रुपए के कुल व्यय में से, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने अपना पूरा हिस्सा जारी कर दिया है, केरल सरकार से, और 45.35 लाख रुपए की शेष राशि केरल सरकार से बकाया है, जो कि उनकी वित्तीय सहायता का हिस्सा है, को जीओ(आरटी) संख्या 192/2020/ट्रांस दिनांकित 08.06.2020 के तहत प्राप्त निधि में से शून्य (पिछले वर्ष 32.61 लाख रुपये) की राशि को समायोजित किया और 12.74 लाख रुपए की कुल बकाया राशि को केरल सरकार से प्राप्य के रूप में दिखाया है ।

ख. केरल सरकार ने दिनांक 06.07.2023 के जी.ओ.(आरटी)सं.282/2023/ट्रान्स के तहत कंपनी द्वारा कोच्ची, तिरुवनंतपुरम और कोष़िक्कोड शहर के लिए व्यापक गतिशीलता योजना (सीएमपी) और वैकल्पिक विश्लेषण रिपोर्ट (एएआर) तैयार करने की मंजूरी दी गई । तदनुसार, मेसर्स यूएमटीसी को 5.28.16 लाख रुपये की राशि के लिए सीएमपी और एएआर की तैयारी करने के लिए सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। व्यय का 80% भारत सरकार द्वारा और 20% केरल सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति की जाएगी । इसी प्रकार, एएआर से संबंधित व्यय भारत सरकार और राजस्थान सरकार द्वारा समान रूप से प्रदान किया जाएगा । दिनांक 31.03.2024 तक व्यय की गई क्रमशः 350.34 लाख रुपये और 128.85 लाख रुपये की राशि भारत सरकार और केरल सरकार से प्राप्य मानी गई है ।

34.20 तिरुवनंतपुरम और कोष़िक्कोड मेट्रो में लाइट मेट्रो/मेट्रोलाइट परियोजनाएँ।

क. दिनांक 01/09/2022 के जीओ(एमएस) संख्या 43/2022/ट्रांस के तहत, केरल रैपिड ट्रांजिट कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा तिरुवनंतपुरम और कोष़िक्कोड जिलों में निष्पादित लाइट मेट्रो/मेट्रोलाइट परियोजनाओं और 3 फ्लाईओवरों का काम कंपनी को सौंप दिया गया ।
इसके अलावा, दिनांक 11/01/2023 के जीओ (एमएस) संख्या 3/2023/पीडब्ल्यूडी के तहत, केरल सरकार ने कंपनी को तिरुवनंतपुरम में लाइट मेट्रो परियोजना के हिस्से के रूप में श्रीकार्यम, उल्लूर और पट्टम में फ्लाईओवर के निर्माण के लिए एसपीवी के

रूप में नियुक्त किया। परियोजना को किफ़्बि द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा और श्रीकार्यम फ्लाईओवर के लिए भूमि अधिग्रहण को छोड़कर अनुमोदित परियोजना लागत 70 32 लाख रुपए हैं। कंपनी अनुमोदित परियोजना लागत के 3.25% की दर से सेंटेज के लिए पात्र है।

ख. तिरुवनंतपुरम मेट्रो के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करना।

केरल सरकार द्वारा जीओ(एमएस) संख्या 43/2022/ट्रांस दिनांकित 01/09/2022 के तहत कंपनी को नए सीएमपी और एएआर के आधार पर तिरुवनंतपुरम शहर के लिए संशोधित डीपीआर तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत किया गया। तदनुसार, मेसर्स. डीएमआरसी को 4 16 लाख रुपये की राशि के लिए डीपीआर तैयार करने के लिए सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था, जिसमें सेमोबिलाइजेशन अग्रिम के रूप में 83.21 लाख रुपये का भुगतान किया गया है।

34.21. भारतीय लेखा मानक-12, "आयकर" के संबंध में प्रकटीकरण

दिनांक 31.03.2024 (दिनांक 31.03.2023 को 959 67.76 लाख रुपए) तक अनवशोषित मूल्यह्रास और संचित हानियों के अस्तित्व पर कंपनी के पास 101625.51 लाख रुपए की आस्थगित कर परिसंपत्ति है। दिनांक 31.03.2024 को आस्थगित कर देयता 777 18.85 लाख रुपए (दिनांक 31.03.2023 को 457 66.39 लाख रुपए) है।

दिनांक 31.03.2024 को कुल आस्थगित कर परिसंपत्ति 239 06.66 लाख रुपए (दिनांक 31.03.2023 को 502 01.37 लाख रुपए) है और प्रूडेंस के आधार पर, आस्थगित कर परिसंपत्ति खाता बही में मान्यता प्राप्त नहीं है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के संबंध में जैसा कि दिनांक 12.06.2024 को आयकर विभाग, भारत सरकार के सीबीडीटी पोर्टल में प्रदर्शित के अनुसार स्रोत पर कर कटौती को 26 लेखा मानक के आधार पर वित्तीय विवरणों में स्रोत पर कर कटौती को मान्यता दी गई है।

34.22 केएमआरएल में गैर-मोटर चालित परिवहन (एनएमटी) पहल

केरल सरकार जीओ (आरटी) संख्या 24/2021/ट्रांस दिनांकित 16.01.2021 के तहत, कंपनी की गैर-मोटर चालित परिवहन पहल के लिए 239 00 लाख रुपए की राशि के लिए संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की यानि
202 54 लाख रुपए भारत सरकार से पास थ्रू सहायता के रूप में और 36 46 लाख रुपए केरल सरकार से अधीनस्थ ऋण के रूप में। एनएमटी योजना में स्टेशन-उन्मुख विकास, प्रमुख जंक्शन सुधार और शहरी स्थान बनाने वाली पैदल यात्री परियोजना आदि शामिल है।

तदनुसार, दिनांक 27.12.2019 को कोच्ची मेट्रो रेल परियोजना की एनएमटी पहलों के वित्तपोषण के लिए भारत सरकार और एएफडी के बीच 27 मिलियन यूरो के लिए क्रेडिट सुविधा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। भारत के राज्यों को विकास सहायता के हिस्से के रूप में, भारत सरकार द्वारा केएमआरएल को भारत सरकार द्वारा केरल सरकार के माध्यम से निधि उपलब्ध कराया जाएगा। दिनांक 05.02.2020 को केएमआरएल (अंतिम लाभार्थी) और एएफडी के बीच परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

प्रत्येक भुगतान तिथि पर यानि प्रत्येक वर्ष 31 मई और 30 नवंबर को ब्याज देय होता है। मूलराशि की अदायगी बीस समान अर्धवार्षिक किश्तों में होगी और पहली किस्त दिनांक 31 मई, 2025 को देय है और अंतिम किश्त दिनांक 30 नवंबर 2034 को केरल सरकार द्वारा देय होगी।

वर्ष 2023-24 के दौरान, आर्थिक मामलों के विभाग के माध्यम से केरल सरकार को 36 54.96 (पिछले वर्ष शून्य) की राशि जारी की गई । बाद में यह राशि वित्त वर्ष 2024-25 में सरकार द्वारा दिनांक 22/04/2024 के जीओ (आरटी) संख्या 153/2024/ट्रांस के के तहत केएमआरएल को हस्तांतरित कर दी गई ।

दिनांक 31.3.2024 तक, एनएमटी के लिए एएफडी से केरल सरकार के माध्यम से केएमआरएल को प्राप्त संचयी निधि 24.46.67 लाख रुपए है ।

34.23 भारतीय लेखा मानक - 23 "उधार लेने की लागत" की आवश्यकताओं के अनुसार प्रकटीकरण

वर्ष के दौरान, "उधार लागत" पर लेखा नीति के अनुरूप 29 99.36 रुपए की राशि (पिछले वर्ष 38 61.76 लाख रुपए) उधार लेने की लागत से पूंजीकृत किया गया और "उधार लागत" पर लेखांकन नीति के अनुरूप, क्रमश: 224 93.63 लाख रुपए (पिछले वर्ष रु. 163 97.90 लाख रुपए) तथा 18 54.29 लाख रुपए (पिछले वर्ष 19 84.92 लाख रुपए) राजस्व और सीडब्ल्यूआईपी के लिए प्रभारित किया गया है ।

34.24 भारतीय लेखा मानक -33, "प्रति शेयर आय" की आवश्यकताओं के अनुसार प्रकटीकरण

राशि (रुपए लाखों में)

विवरण	2023-24	2022-23
वर्ष के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (रुपए लाखों में)	(433 49.46)	(335 71.63)
वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या - बुनियादी - डिल्यूटड	 15 07 46 000 16 07 46 000	 15 07 46 000 15 17 59 699
प्रति शेयर मूल आय (रु. 100/- प्रति शेयर का अंकित मूल्य) (रु.)	(28.76)	(22.27)
प्रति शेयर डाइल्यूटड आय (रु. 100/- प्रति शेयर का अंकित मूल्य) (रु.)	(26.97)	(22.12)

34.25 भारतीय लेखा मानक -1, "वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति", भारतीय लेखा मानक 8, "लेखा नीतियाँ", लेखांकन अनुमानों और त्रुटियों के संबंध में प्रकटीकरण

क. पूँजी प्रबंधन

राशि (रुपए लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
(क) कुल ऋण	4642 15.49	4 464 04.90
(ख) कुल पूंजी	2160 60.61	2408 17.33
(ग) ऋण / इक्विटी अनुपात (क/ख)	2.15	1.85

कंपनी के पूंजी प्रबंधन की गणना के उद्देश्य से, पूंजी में जारी पूंजी और अन्य इक्विटी शामिल हैं ।

ऋण में दीर्घकालिक ऋण और अधीनस्थ ऋण शामिल हैं ।

ख. पिछले वर्ष के वित्तीय पुनर्कथन के कारण

पिछले वर्ष के वित्तीय विवरणों को निम्नलिखित कारणों से पुनर्कथित किया गया :

पिछले वर्ष के वित्तीय विवरणों को डीएमआरसी से ली गई परिचालन परिसंपत्तियों के मूल्य में अद्यतनीकरण के आधार पर पुनः प्रस्तुत किया गया, तथा ठेकेदारों के दावों के अंतिम निपटान के कारण केएमआरएल की मौजूदा परिसंपत्तियों के मूल्य में अद्यतनीकरण किया गया ।

34.26 भारतीय लेखा मानक -116, "पट्टे" के संबंध में प्रकटीकरण

34.26.1 कंपनी ने कर्मचारियों के लाभ के लिए कुछ परिसरों को पट्टे/किराए पर लिए हैं । ये पट्टा व्यवस्था आमतौर पर पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर नवीकरणीय होती है । वर्ष के दौरान कंपनी ने 5.13 लाख रुपए (गत वर्ष 9.56 लाख रुपए) की राशि का पट्टा किराए (वसूली का शुद्ध) का भुगतान किया है और इस प्रकार भुगतान किया गया पट्टा किराए को व्यय-कर्मचारी कल्याण व्यय शीर्ष के अंतर्गत शामिल किया गया है ।

कंपनी ने पार्किंग सुविधा प्रदान करने के लिए 5 साल की अवधि पर केरल राज्य आवास बोर्ड से खाली ज़मीन पट्टे पर ली है ।

दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए आरओयू परिसंपत्तियों के अग्रणीत मूल्य में परिवर्तन निम्नानुसार है:

राशि (रुपए लाखों में)

विवरण	वर्ष 2023-24 के दौरान	वर्ष 2022-23के दौरान
प्रारंभ में बकाया	13.31	18.33
योग	-	-
विलोपन	-	-
मूल्यह्रास	5.02	5.02
अंत में बकाया	8.29	13.31

पट्टा देयताओं में उतार-चढ़ाव इस प्रकार है: ***राशि (रुपए लाखों में)***

विवरण	वर्ष 2023-24 के दौरान	वर्ष 2022-23के दौरान
प्रारंभ में बकाया	14.57	19.11
परिवर्धन	-	-
अवधि के दौरान उपार्जित वित्त लागत	1.14	1.58
पट्टा देयताओं का भुगतान	(6.12)	(6.12)
अंत में बकाया	9.59	14.57

दिनांक 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार चालू और गैर- चालू पट्टा देयताओं का विवरण इस प्रकार है:

विवरण	वर्ष 2023-24 के दौरान	वर्ष 2022-23 के दौरान
वर्तमान पट्टा देयताएँ	5.46	4.98
गैर-चालू पट्टा देयताएँ	4.13	9.59
कुल	9.59	14.57

34.26.2 पट्टे जिसके अंतर्गत कंपनी सभी जोखिमों को काफी हद तक वहन करती है स्वामित्व प्रदान करना वित्तीय पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है । अधिग्रहित होने पर, ऐसी परिसंपत्तियों को उचित मूल्य या पट्टे की शुरुआत में न्यूनतम पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य, जो भी कम हो, पर पूंजीकृत किया जाता है। परिचालन पट्टों के तहत पट्टा भुगतान को पट्टा अवधि के दौरान लाभ और हानि के विवरण में सीधी रेखा के आधार पर व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है ।

कंपनी ने अपनी विभिन्न परिसंपत्तियों को परिचालन पट्टे के आधार पर पार्टियों को लाइसेंस दिया है। परिचालन पट्टों से किराए की आय को आम तौर पर प्रासंगिक पट्टे की अवधि के दौरान सीधी रेखा के आधार पर मान्यता दी जाती है। जहां किराये को कंपनी की अपेक्षित मुद्रास्फीति लागत में वृद्धि की भरपाई के लिए अपेक्षित सामान्य मुद्रास्फीति के अनुरूप बढ़ने के लिए पूरी तरह से संरचित किया जाता है, ऐसी वृद्धि उस वर्ष में मान्यता प्राप्त होती है जिसमें ऐसे लाभ अर्जित होते हैं ।

परिचालन पट्टे के तहत प्राप्त होने वाली भविष्य की न्यूनतम लाइसेंस राशि नीचे दी गई है;

राशि (रुपए लाखों में)

परिचालन पट्टा	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
एक वर्ष से अधिक नहीं	11 45.32	9 63.93
एक वर्ष से अधिक और पांच साल तक	44 63.60	42 79.91
पांच साल से परे	59 46.45	53 23.10

34.27 भारतीय लेखा मानक-24, “संबंधित पार्टी प्रकटीकरण” के संबंध में प्रकटीकरण

34.27.1 प्रमुख प्रबंधन व्यक्ति:

34.27.1.1 श्री मनोज जोशी, (16 मार्च 2024 तक अध्यक्ष एवं नामित निदेशक)

34.27.1.2 श्री अनुराग जैन, (16 मार्च 2024 से अध्यक्ष एवं नामित निदेशक)

34.27.1.3 श्रीमती नमिता मेहरोत्रा, (नामांकित निदेशक)

34.27.1.4 श्री जयदीप, (नामांकित निदेशक)

34.27.1.5 श्री डी. के. सैनी, (31 मई 2023 तक नामित निदेशक)

34.27.1.6 श्री किशोर कुमार (17 अगस्त 2023 से नामित निदेशक)

34.27.1.7 श्री. भूपेंद्र सिंह बोध, (नामित निदेशक)

34.27.1.8 डॉ. वी. पी. जॉय, (30 जून 2023 तक नामित निदेशक)

34.27.1.9 डॉ. वेणु वी. (25 जुलाई 2023 से नामित निदेशक)

34.27.1.10 श्री लोकनाथ बेहरा, (प्रबंध निदेशक)

34.27.1.11 श्रीमती अन्नपूरणी एस., (निदेशक - वित्त) और सीएफओ

34.27.1.12 श्री संजय कुमार, (निदेशक - सिस्टम 19 मई 2023 से)

34.26.1.13 डॉ. एम. पी. रामनवास, (निदेशक - परियोजनाएं)

34.27.1.14 डॉ. रेणु राज, (12 अप्रैल 2023 तक नामित निदेशक)

34.27.1.15 श्री. उमेश एन.एस.के., (12 अप्रैल 2023 से नामित निदेशक)

34.27.1.16 श्री बीजू प्रभाकर, (नामित निदेशक)

34.27.1.17 श्री. बिश्वनाथ सिन्हा, (18 जुलाई 2023 तक नामित निदेशक

34.27.1.18 श्री. रवींद्र कुमार अग्रवाल, (18 जुलाई 2023 से नामित निदेशक)

34.27.1.19 श्री. श्याम सुंदर अग्रवाल, (28 मार्च 2024 तक कंपनी सचिव)

34.27.1.20 श्री. लिस्टन पेरेरा (28 मार्च 2024 से कंपनी सचिव)

34.27.2 उन कंपनियों का विवरण जहाँ महत्वपूर्ण प्रभाव मौजूद है और जिनके साथ कंपनी ने लेनदेन किया था

34.27.2.1 कोच्ची वाटर मेट्रो लिमिटेड (सहयोगी कंपनी)।

34.27.3 प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों के साथ कंपनी के लेनदेन का प्रकटीकरण:

राशि (रुपए लाखों में)

क्रम सं	विवरण	2023-24	2022-23
1	वेतन और भत्ते	1 83.95	1 61.84
2	भविष्य निधि और अन्य के लिए अंशदान	20.58	13.53
3	अन्य लाभ	30.51	45.95
	कुल (कर्मचारी लागत में शामिल किया गया है)	2 35.04	2 21.32

क) पूर्णकालिक निदेशकों को कंपनी की नीति के अनुसार वसूली के अधीन निजी यात्राओं के लिए कंपनी के वाहनों का उपयोग करने की अनुमति दी गई है।

ख) उपरोक्त राशि में अक्च्यूरियल मूल्यांकन पर सुनिश्चित किए गए उपदान, छुट्टी नकदीकरण और छुट्टी यात्रा रियायत में योगदान के प्रावधान शामिल नहीं हैं। अतः वर्ष के दौरान किए गए वास्तविक भुगतान अन्य लाभों में शामिल किया है।

34.27.4 कंपनियों के साथ कंपनी के लेनदेन का प्रकटीकरण:

केरल सरकार ने दिनांक 23/10/2020 के जीओ(एमएस) संख्या 26/2020/ट्रांस के तहत कोच्ची वाटर मेट्रो परियोजना के संचालन और रखरखाव के उद्देश्य से केरल सरकार द्वारा 74% इक्विटी और केएमआरएल द्वारा 26% इक्विटी, 4 90 लाख रुपये की अधिकृत शेयर पूंजी के साथ एक एसपीवी (विशेष प्रयोजन वाहन) के गठन को मंजूरी दी। तदनुसार, मेसर्स कोच्ची वॉटर मेट्रो लिमिटेड (केडबल्यूएमएल) को दिनांक 14 जुलाई, 2021 को शामिल किया गया। कंपनी ने केरल सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) भी किया, जिसमें कंपनी और केरल सरकार के दायित्वों को रेखांकित किया गया। कंपनी ने दिनांक 09/08/2021 से 5 वर्ष की अवधि के लिए संपत्ति के पट्टे के लिए कोच्ची वाटर मेट्रो लिमिटेड (केडब्ल्यूएमएल) के साथ एक समझौता किया।

वर्ष के दौरान, कंपनी ने परिचालन के प्रारंभिक चरण के दौरान केडब्ल्यूएमएल को सहयोग प्रदान करने के लिए कोच्ची वाटर मेट्रो लिमिटेड (केडब्ल्यूएमएल) के साथ एक समझौता किया ।

वर्ष के दौरान सामान्य कारोबारी क्रम में कोच्ची वाटर मेट्रो लिमिटेड के साथ निम्नलिखित लेनदेन किए गए:

राशि (रुपए लाखों में)

लेन-देन की प्रकृति	2023-24	2022-23
के.डब्ल्यू.एम.एल की ओर से निधियों की प्राप्तियाँ	3 06.99	0.00
केडब्ल्यूएमएल की ओर से निधियों की प्राप्तियां	37.44	40.65
केडब्ल्यूएमएल को व्यय की प्रतिपूर्ति	0.00	3.04
प्रदान की गई सेवाएँ	0.81	0.12
केडब्लूएमएल टर्मिनलों से जारी पीरियड पास से केएमआरएल का राजस्व	0.09	0.00
केएमआरएल स्टेशनों से जारी पीरियड पास से केडब्ल्यूएमएल का राजस्व	0.03	0.00

दिनांक 31 मार्च 2024 तक कोच्ची वाटर मेट्रो लिमिटेड के पास बकाया शेष राशि निम्नलिखित है ।

राशि (रुपए लाखों में)

विवरण	2023-24	2022-23
व्यय की प्रतिपूर्ति से केडबल्यूएमएल से प्राप्य	7.18	40.65
प्रदान की गई सेवाओं के बदले प्राप्य	0.00	0.12
देय - केडबल्यूएमएल की ओर से प्राप्त निधि	2.29	0.00
व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए केडबल्यूएमएल को देय	0.00	3.04

*सभी बकाया शेष राशि असुरक्षित हैं और नकद में देय हैं।

34.28 भारतीय लेखा मानक -36 (परिसंपत्तियों की हानि) के संबंध में प्रकटीकरण

परिसंपत्तियों पर क्षति हानि, वर्ष के दौरान शून्य (पिछले वर्ष शून्य) राशि के लिए मान्यता प्राप्त है ।

34.29 भारतीय लेखा मानक -37 "प्रावधानों, आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक परिसंपत्तियों" के संबंध में प्रकटीकरण

क) प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक परिसंपत्तियाँ

राशि (रुपए लाखों में)

विवरण	01.04.2023 को प्रारंभिक शेष राशि	वर्ष के दौरान परिवर्धन/हस्तांतरण/उपयोग	दिनांक 31.03.2024 को अंथ शेष
प्रावधान	68 27.95	1 24.49	69 52.44
आकस्मिक देयताएँ			
क. कोच्ची मेट्रो रेल परियोजना की ओर			

विवरण	01.04.2023 को प्रारंभिक शेष राशि	वर्ष के दौरान परिवर्धन/हस्तांतरण/उपयोग	दिनांक 31.03.2024 को अंथ शेष
i. भूमि अधिग्रहण संबंधी दावे	342 27.28	271 46.88	613 74.16
ii. जिला कलेक्टर को स्थापना एवं आकस्मिकता प्रभार*	92 29.58	0.00	92 29.58
iii. मध्यस्थता दावे	72 59.52	147 25.77	219 85.29
iv. अन्य	140 02.02	68 03.79	208 05.81
ख. केरल सरकार की ओर से केएमआरएल द्वारा किए जा रहे प्रारंभिक कार्यों के लिए	263 62.29	90 45.04	354 07.33
ग. संवैधानिक प्राधिकरण	6 95.73	0.00	6 95.73

*जिला कलेक्टर द्वारा प्रारंभिक कार्यों से संबंधित स्थापना और आकस्मिक शुल्क के लिए दावा की गई राशि को छोड़कर,चूंकि प्रारंभिक कार्य के लिए भूमि राज्य सरकार के नाम पर अधिग्रहित की जाती है।

दिनांक 31 मार्च 2024 तक, परियोजनाओं से संबंधित कुछ भूमि अधिग्रहण मामले उप-न्यायालय एरणाकुलम और अतिरिक्त जिला न्यायालय एरणाकुलम के पास लंबित हैं । याचिकाकर्ताओं द्वारा दावा विवरण दायर किए गए संवर्धित मुआवजे के कारण हुए अनुमानित अतिरिक्त 613 74.16 लाख रुपए हैं । यह आकस्मिक देयताओं के तहत सम्मिलित है ।

इसके अलावा, उप-न्यायालय एरणाकुलम और अतिरिक्त जिला न्यायालय एरणाकुलम के साथ लंबित प्रारंभिक कार्यों से संबंधित भूमि अधिग्रहण के मामले, जिसका याचिकाकर्ताओं द्वारा 354 07.33 लाख रुपए की अनुमानित देयताओं के लिए दावा बयान किया गया है, वह भी आकस्मिक देयताओं के तहत शामिल किया गया है।

शेष मामलों के लिए, याचिकाकर्ताओं द्वारा दावा विवरण अभी तक दाखिल नहीं किया गया है और अतः ऐसे संदर्भों के कारण कंपनी वर्तमान देयता को निर्धारित करने में असमर्थ है । न्यायालयों में लंबित इन मामलों के संबंध में देयताएं, यदि कोई हों, कानूनी कार्यवाही पूरी होने के बाद या अंतिम आदेश प्राप्त होने पर प्रदान की जाएंगी ।

प्रारंभिक कार्यों के दावों के संबंध में, ऐसे प्रारंभिक कार्यों को निष्पादित करने के लिए केरल सरकार से प्राप्त धन से निपटारा किया जाएगा ।

भूमि अधिग्रहण पुनर्वास पुनः स्थापन (केरल) नियम 2015 में उचित मुआवजा और पारदर्शिता के अधिकार के नियम 4(2) और नियम 4(3) के तहत, भूमि अधिग्रहण लागत के क्रमशः 30% और 5% की दर से स्थापना और आकस्मिकता शुल्क, जिला कलेक्टर को अग्रिम भुगतान किया जाना है । चूंकि भूमि अधिग्रहण दिनांक 04.11.2013 को किए भारत सरकार, केरल सरकार और केएमआरएल के बीच के समझौता ज्ञापन के अनुसार केरल सरकार का दायित्व है, केएमआरएल ने कई मौकों पर राजस्व विभाग से इस तरह के स्थापना शुल्क और आकस्मिकता को अधित्यजन करने का अनुरोध किया है । ऐसी पुष्टि लंबित होने पर, स्थापना शुल्क और आकस्मिकता के कारण राशि (अग्रिम/प्रावधान, यदि कोई हो का शुद्ध) को आकस्मिक देयताओं के अंतर्गत शामिल किया गया है ।

34.30 निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अनुसार, निश्चित सीमा को पूरा करने वाली कंपनी को अपने औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2% पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए निगमित सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) गतिविधियों पर खर्च करने की आवश्यकता है । हालांकि सीएसआर प्रावधान केएमआरएल पर लागू होते हैं, कंपनी नुकसान में होने के कारण सीएसआर पर अनिवार्य रूप से कोई राशि खर्च करने की आवश्यकता नहीं है । अतः, कंपनी ने सीएसआर गतिविधियों के लिए कोई व्यय नहीं किया है ।

34.31 भारतीय लेखा मानक - 107 "वित्तीय साधन: प्रकटीकरण" के संबंध में प्रकटीकरण

34.31.1 श्रेणियों के अनुसार वित्तीय साधन

राशि (रुपए लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2024 को			31 मार्च 2023 को		
	परिशोधन लागत	एफ़वीटीपीएल	एफ़वीओसीआई	अमूर्त लागत	एफ़वीटीपीएल	एफ़वीओसीआई
वित्तीय परिसंपत्तियाँ						
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ (टिप्पणी संख्या 5 और 11 देखें)	840 13.17	-	-	785 77.78	-	-
प्राप्य व्यापार (टिप्पणी संख्या 8 देखें)	7 31.47	-	-	13 45.31	-	-
कुल	847 44.64	-	-	799 23.09	-	-
वित्तीय देयताएं						
उधार (टिप्पणी संख्या 16क एवं 21क देखें)	4642 15.49	-	-	4464 04.90	-	-
अन्य वित्तीय देयताएं (टिप्पणी संख्या 17 एवं 23 देखें)	487 58.74	-	-	443 96.59	-	-
कुल	**5129 74.23**	**-**	**-**	**4908 01.49**	**-**	**-**

34.31.2 वित्तीय जोखिम प्रबंधन

कंपनी वित्तीय साधनों के संबंध में विभिन्न जोखिमों के संपर्क में है । कंपनी की वित्तीय परिसंपत्ति और देयताओं को श्रेणी के अनुसार ऊपर संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है । मुख्य प्रकार के जोखिम बाजार जोखिम, ऋण जोखिम और लिक्विडिटी जोखिम हैं । कंपनी का जोखिम प्रबंधन अस्थिर वित्तीय बाजारों में जोखिम को कम करके कंपनी के लघु से मध्यम अवधि के नकद प्रवाह को सक्रिय रूप से सुरक्षित करने पर केंद्रित है ।

कंपनी के समक्ष आने वाले सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय जोखिमों का वर्णन नीचे किया गया है;

क. बाजार ज़ोखिम

कंपनी को बाजार जोखिम के रूप में विदेशी मुद्रा जोखिम और ब्याज दर जोखिम है । साथ ही कंपनी के पास मूल्य जोखिम नहीं है चूंकि कंपनी के पास कोई व्युत्पन्न वित्तीय परिसंपत्ति नहीं है ।

ख. ऋण जोखिम

ऋण जोखिम का तात्पर्य प्रतिपक्ष द्वारा अपने दायित्व पर चूक के जोखिम से है जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय नुकसान होता है । कंपनी विभिन्न वित्तीय साधनों के लिए इस जोखिम के संपर्क में है, उदाहरण के लिए कर्मचारियों को अग्रिम देना, ग्राहकों से प्राप्तियां, सुरक्षा जमा आदि । रिपोर्टिंग तिथि पर ऋण जोखिम का अधिकतम जोखिम मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रकार की वित्तीय परिसंपत्तियों की वहन राशि से है ।

- व्यापार प्राप्तियाँ

- परिशोधित लागत पर मापी गई अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ

कंपनी व्यक्तिगत रूप से या कंपनी द्वारा पहचाने गए ग्राहकों और अन्य प्रतिपक्षों की चूक की लगातार निगरानी करती है और इस जानकारी को अपने ऋण जोखिम नियंत्रण में सम्मिलित करती है । जहाँ उचित लागत पर उपलब्ध हो, बाहरी क्रेडिट रेटिंग और/या ग्राहकों और अन्य प्रतिपक्षों पर रिपोर्ट प्राप्त की जाती है और उनका उपयोग किया जाता है ।

ग. लिक्विडिटी जोखिम

कंपनी की लिक्विडिटी आवश्यकताओं की निगरानी मासिक और वार्षिक अनुमानों के आधार पर की जाती है । कंपनी के लिक्विडिटी के प्रमुख स्रोत परिचालन से उत्पन्न राजस्व, वाणिज्यिक दीर्घकालिक उधार, ब्याज मुक्त अधीनस्थ ऋण, शेयर पूंजी और अनुदान हैं ।

कंपनी नकद प्रवाह की निरंतर निगरानी और पर्याप्त नकद और नकद समकक्ष बनाए रखकर अपनी लिक्विडिटी की जरूरतों का प्रबंधन करती है । किसी भी कमी को निर्धारित करने के लिए शुद्ध नकद आवश्यकताओं की तुलना उपलब्ध नकद से की जाती है ।

अल्पकालिक लिक्विडिटी आवश्यकताओं में मुख्य रूप से विविध लेनदार, देय व्यय, कर्मचारी देय, वैधानिक बकाया, वर्तमान परिपक्वता और बाहरी उधार पर ब्याज और प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार व्यवसाय के सामान्य प्रकार के दौरान उत्पन्न होने वाली जमा राशि आदि शामिल है । कंपनी अपनी अल्पकालिक लिक्विडिटी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नकद और नकद समकक्षों और अन्य बैंक बकाया राशि में पर्याप्त बकाया राशि बनाए रखती है ।

कंपनी समय-समय पर दीर्घकालिक लिक्विडिटी आवश्यकताओं का आकलन करती है और आंतरिक संचय के माध्यम से उनका प्रबंधन करती है । कंपनी की गैर-चालू देयताओं में उधार का पुनर्भुगतान, ब्याज मुक्त अधीनस्थ ऋण, प्रतिधारण और जमा और कर्मचारी लाभ के लिए देयताएँ आदि शामिल हैं ।

घ. क्रेडिट जोखिम प्रबंधन

i. व्यापार प्राप्तियाँ

दिनांक 31 मार्च, 2024 और 31 मार्च, 2023 तक कंपनी की बकाया व्यापार प्राप्य (सकल) राशि क्रमशः 12 57.52 लाख रुपए और 15 30.05 लाख रुपए हैं । व्यापार प्राप्य आम तौर पर असुरक्षित होते हैं और यह ग्राहकों से अर्जित राजस्व से प्राप्त होते हैं । व्यापार प्राप्तियों से संबंधित ऋण जोखिम ग्राहकों से सुरक्षा जमा लेने से कम हो जाते हैं । कंपनी देयताओं की क्रेडिट

योग्यता पर बारीकी से निगरानी करती है और केवल क्रेडिट योग्य पार्टियों के साथ व्यवहार करता है। कंपनी के आंतरिक प्रणाली ग्राहकों की क्रेडिट सीमा को परिभाषित करने के लिए विन्यस्त किए गए हैं, जिससे क्रेडिट जोखिम पूर्व-गणना की गई राशि तक सीमित हो जाता है।

ii. अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ

अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ, जिनमें कर्मचारियों और अन्य लोगों को ऋण और अग्रिम शामिल हैं, जिसे परिशोधन लागत पर मापा जाता है।

ङ. प्रत्याशित ऋण हानि - कंपनी निम्नलिखित के आधार पर प्रत्याशित ऋण हानि प्रदान करती है:

व्यापार प्राप्तियाँ:

व्यापार प्राप्तियों को तब क्षतिग्रस्त माना जाता है जब व्यक्तिगत व्यापार प्राप्तियों के लिए कंपनी द्वारा किए गए वसूली विश्लेषण के आधार पर वसूली को संदिग्ध माना जाता है। कंपनी का मानना है कि उपरोक्त सभी वित्तीय परिसंपत्तियां जो खराब नहीं हैं और समीक्षाधीन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथियों के लिए बकाया हैं, अच्छी क्रेडिट गुणवत्ता की हैं। कंपनी ने व्यापार प्राप्तियों पर अपेक्षित ऋण हानि के लिए 5 26.05 लाख रुपए (पिछले वर्ष 1 84.74 लाख रुपए) की राशि का अनुमान लगाया है।

प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर व्यापार प्राप्तियों का आयु विश्लेषण निम्नानुसार संक्षेपित है:

राशि (रुपए लाखों में)

विवरण		भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया					कुल
		6 महीने से कम	6 महीने -1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
निर्विवाद व्यापार प्राप्य - अच्छा माना जाता है	31 मार्च 2024 तक	469.63	59.15	56.37	0.05	1 46.27	731.47
	31 मार्च 2023 तक	8 81.29	1 66.05	1 55.50	10.82	1 31.65	13 45.31
निर्विवाद व्यापार प्राप्य - जिसमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होती है	31 मार्च 2024 तक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	31 मार्च 2023 तक	.00	.00	.00	.00	.00	.00
निर्विवाद व्यापार प्राप्य - ऋण क्षति	31 मार्च 2024 तक	1 13.72	24.60	47.50	2.92	1 10.21	2 98.95
	31 मार्च 2023 तक	6.89	4.86	.02	.00	.00	11.77
विवादित व्यापार प्राप्य - अच्छा माना जाता है	31 मार्च 2024 तक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	31 मार्च 2023 तक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

विवरण		भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया					कुल
		6 महीने से कम	6 महीने -1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
विवादित व्यापार प्राप्य - जिसमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होती है	31 मार्च 2024 तक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	31 मार्च 2023 तक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
विवादित व्यापार प्राप्य - ऋण हानि	31 मार्च 2024 तक	14.29	16.02	23.82	0.00	1 72.97	2 27.10
	31 मार्च 2023 तक	0.00	0.00	0.00	0.00	1 72.97	1 72.97
कुल	31 मार्च 2024 तक	597.64	99.77	127.69	2.97	429.45	12 57.52
	31 मार्च 2023 तक	8 88.18	1 70.91	1 55.52	10.82	3 04.62	15 30.05

जहां भुगतान की देय तिथि उपलब्ध नहीं है, वहां लेनदेन की तिथि पर विचार किया गया है।

अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों को परिशोधन लागत पर मापा जाता है ।

इन अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों से संबंधित ऋण जोखिम का प्रबंधन ऐसी राशियों की लगातार वसूली योग्यता की निगरानी करके किया जाता है, जबकि एक ही समय में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि यह राशियाँ निर्धारित सीमा के भीतर हों । कंपनी ने अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों पर ऋण हानि के लिए 84.69 लाख रुपये (पिछले वर्ष 84.69 लाख रुपये) की राशि का अनुमान लगाया है ।

परिसंपत्तियों के प्रकार के आधार पर, प्रबंधन की राय है कि ऊपर बताए गए के अलावा परिसंपत्ति के वहन मूल्य पर कोई संभावित प्रभाव नहीं है । कंपनी समीक्षा करना जारी रखेगी और जब भी कोई आवश्यकता होगी, उस समय हानि के प्रावधान पर विचार किया जाएगा ।

34.32 भारतीय लेखा मानक -108, "ऑपरेटिंग सेगमेंट" के संबंध में प्रकटीकरण

कंपनी के पास केवल एक रिपोर्ट योग्य व्यवसाय खंड है, जो कोच्ची शहर में मेट्रो रेल सुविधा के निर्माण, संचालन और रखरखाव को कार्यान्वित कर रहा है और सेवाओं की प्रकृति, जोखिम और रिटर्न, संगठन संरचना और आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली के आधार पर एकल ऑपरेटिंग सेगमेंट में संचालित होता है । कंपनी की अन्य सभी गतिविधियाँ इसी मुख्य व्यवसाय के अनुरूप है । संपत्ति विकास परिसंपत्तियों के संबंध में पट्टे की जगह (स्टेशनों और स्टेशनों के बाहर) से अर्जित परामर्श आय और किराए की आय सहित,अन्य परिचालन राजस्व कंपनी के आंतरिक निर्णय लेने और प्रदर्शन मापन प्रक्रिया के तहत कंपनी के प्राथमिक व्यवसाय का एक अभिन्न अंग माना जाता है ।

भारतीय लेखा मानक 108 के अनुसार, परिचालन खंड को मुख्य परिचालन निर्णय लेनेवाले चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर को प्रदान की गई आंतरिक रिपोर्टिंग के अनुरूप रिपोर्ट किया जाना है । चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर एक सेगमेंट के रूप में पूरी कंपनी के ऑपरेटिंग परिणाम की निगरानी और समीक्षा करता है । इसलिए कंपनी का एकमात्र परिचालन खंड "मेट्रो संचालन" है। इस प्रकार, जैसा कि भारतीय लेखा मानक108 "ऑपरेटिंग सेगमेंट" में पहचाना गया है कंपनी का पूरा कारोबार एक ऑपरेशन सेगमेंट के अंतर्गत आता है और अतः भारतीय लेखा मानक 108 के तहत कोई अतिरिक्त प्रकटीकरण प्रदान नहीं किया जाना है ।

34.33 पूंजी और अन्य प्रतिबद्धताओं के संबंध में प्रकटीकरण

राशि (रुपए लाखों में)

पूंजी और अन्य प्रतिबद्धताएं	31.03.2024 को	31.03.2023 को
केएमआरएल की ओर से डीएमआरसी द्वारा किए गए मूर्त परिसंपत्ति अनुबंधों की अनुमानित राशि (अग्रिमों के कुल विदेशी मुद्रा अनुबंधों सहित) निष्पादित किया जाना बाकी है और इसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है ।	13 43.92	19 38.42
केएमआरएल द्वारा किए गए अनुबंधों की अनुमानित राशि (अग्रिम का शुद्ध) को निष्पादित किया जाना बाकी है और इसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है ।		
क. मूर्त परिसंपत्तियाँ	124 46.88	141 69.79
कुल	**137 90.80**	**161 08.21**

34.34 कंपनी के पास बैंकों और अन्य पक्षों के शेष की आवधिक पुष्टि प्राप्त करने की प्रणाली है । बैंक खातों के संबंध में कोई अपुष्ट शेष राशि नहीं है ।

व्यापार प्राप्तियों के संबंध में, कंपनी ग्राहकों को नियमित चालान/पुष्टि पत्र भेजती है और बकाया राशि की अवधि के बावजूद वसूली की अनिश्चितता होने पर प्रावधान किए जाते हैं और अवास्तविकता स्थापित होने पर बट्टे खाते में डाल दिया जाता है । जहां तक व्यापार/अन्य देय और ऋण और अग्रिम का संबंध है, पार्टियों को शेष राशि पुष्टि पत्र भेज देते हैं । कुछ शेष राशि यदि कोई हो, पुष्टि/समाधान, समायोजन के अधीन हैं, को पुष्टि/समायोजन पर लेखांकित लगाया जाएगा, जिसका प्रबंधन की राय में कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं होगा ।

34.35 सूक्ष्म, मध्यम और लघु उद्यमों को बकाया

दिनांक 31 मार्च, 2024 तक 501.48 लाख रुपए (पिछले वर्ष 251.71 लाख रुपए) की राशि बकाया है, लेकिन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को देय नहीं है । इस पर कोई ब्याज देय या बकाया नहीं है ।

सूक्ष्म, मध्यम और लघु उद्यमों को देय राशि

राशि (रुपए लाखों में)

विवरण	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
प्रत्येक लेखांकन वर्ष के अंत में किसी भी आपूर्तिकर्ता को मूल राशि और उस पर देय ब्याज का भुगतान नहीं किया जाता है ।		
सूक्ष्म और लघु उद्यमों को देय मूल राशि	शून्य	शून्य
उपर्युक्त को देय ब्याज	शून्य	शून्य
एमएसएमईडी अधिनियम 2006 की धारा 16 के संदर्भ में खरीदार द्वारा भुगतान की गई ब्याज की राशि के साथ-साथ प्रत्येक लेखा वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि	शून्य	शून्य
एमएसएमईडी अधिनियम 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए देय और देय ब्याज की राशि (जो भुगतान किया गया है लेकिन वर्ष के दौरान नियत दिन से परे)	शून्य	शून्य
प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में अर्जित और अप्रदत्त शेष ब्याज की राशि	शून्य	शून्य
एमएसएमईडी अधिनियम 2006 की धारा 23 के तहत कटौती योग्य व्यय के रूप में अस्वीकृति के उद्देश्य के लिए उस तिथि तक जब तक ऊपर के रूप में बकाया ब्याज का वास्तव में भुगतान नहीं किया जाता है, तब तक आगामी वर्षों में बकाया और देय ब्याज की राशि	शून्य	शून्य
कुल	शून्य	शून्य

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के बारे में उपरोक्त जानकारी कंपनी के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर ऐसी पार्टियों की पहचान की सीमा तक निर्धारित की गई है । इसे लेखा परीक्षकों ने विश्वास में लिया है ।

देय व्यापार लेखा तालिका

राशि (रुपए लाखों में)

विवरण	अवधि	एक वर्ष से कम *	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
एमएसएमई	31.03.2024 को	11.70	शून्य	शून्य	शून्य	11.70
	31.03.2023 को	1.36	शून्य	शून्य	शून्य	1.36
अन्य	31.03.2024 को	7 34.46	0.09	17.37	2.00	7 53.92
	31.03.2023 को	3 38.86	8.58	29.83	0.69	3 77.96
विवादित बकाया - एमएसएमई	31.03.2024 को	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	31.03.2023 को	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

विवादित बकाया - अन्य	31.03.2024 को	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	31.03.2023 को	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

* ऐसी राशि शामिल है जो बकाया नहीं है।

बिल न किया गया देय

राशि (रुपए लाखों में)

विवरण	अवधि	एक वर्ष से कम/देय नहीं	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
बिल न किया गया देय	31.03.2024 को	3 82.75	शून्य	शून्य	61.44	4 44.19
	31.03.2023 को	7 08.33	शून्य	1 15.58	61.44	8 85.35

34.36 सहयोगियों में निवेश

केएमआरएल ने कोच्ची वाटर मेट्रो लिमिटेड में 26% के इक्विटी शेयर के लिए .127.40 लाख रुपये (प्रत्येक रु.100/- के 1,27,400 शेयर) का निवेश किया । सहयोगियों में निवेश का विवरण इस प्रकार है:

कंपनी का नाम	कोच्ची वाटर मेट्रो लिमिटेड
व्यापार का मुख्य केंद्र	कोच्ची , भारत
दिनांक 31.03.2024 को होल्डिंग प्रतिशत	26%

34.37 हाल की लेखा घोषणाएँ

कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय ("एमसीए") समय-समय पर जारी किए गए कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियमों के तहत नए मानक या मौजूदा मानकों में संशोधनों को अधिसूचित करता है। 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए, एमसीए ने कंपनी पर लागू किसी भी नए मानक या मौजूदा मानकों में संशोधन को अधिसूचित नहीं किया है ।

34.38 अन्य वैधानिक जानकारी

(i) सभी अस्थाई संपत्तियों के शीर्षक विलेख,(अस्थाई परिसंपत्तियों के अलावा जहाँ कंपनी पट्टेदार है और पट्टे के समझौते कंपनी के पक्ष में विधिवत निष्पादित किए गए हैं) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और पूंजी कार्य-प्रगति में शामिल वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है, कंपनी के नाम पर तुलन पत्र की तारीख (टिप्पणी सं. 2 और 3 के बिंदु संख्या 2.3 और टिप्पणी सं. 34.4 देखें) के रूप में आयोजित किए जाते हैं ।

(ii) कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के तहत बंद की गई कंपनियों के साथ कंपनी का कोई महत्वपूर्ण लेन-देन नहीं हुआ ।

(iii) वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है ।

(iv) कंपनी ने कंपनी (लयर्स की संख्या पर प्रतिबंध) नियम, 2017 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (87) के तहत निर्धारित लयर्सों की संख्या की आवश्यकताओं का अनुपालन किया है ।

(v) कंपनी विदेशी संस्थाओं (मध्यस्थों) सहित किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या इकाई (यों) को अग्रिम या उधार या निवेश नहीं किया है इस समझ के साथ कि मध्यस्थ ने :

(क)कंपनी (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार या निवेश करें या

(vi) अंतिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या अन्य समान चीजें प्रदान करना। कंपनी ने किसी भी व्यक्ति या संस्था (संस्थाओं) से, कंपनी को विदेशी संस्थाओं (फंडिंग पार्टी) सहित किसी भी व्यक्ति (व्यक्तियों) या संस्था (यों) से कोई निधि प्राप्त नहीं हुआ है, इस समझ के साथ (चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा) कि कंपनी:

(क) वित्तपोषण करने वाले पार्टी (अंतिम लाभार्थियों) या की ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देना या निवेश करना या

(ख)अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की अन्य चीजें प्रदान करना।

(vii) कंपनी ने विशिष्ट उद्देश्य के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों से प्राप्त किया गया उधार का उपयोग किया है।

(viii) कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान क्रिप्टो मुद्रा या वास्तविक मुद्रा में व्यापार या निवेश नहीं किया है।

(ix) कंपनी के पास कोई बेनामी संपत्ति नहीं है, जहां बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम, 1988 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही की गई है या लंबित है।

(x) कंपनी के पास कोई शुल्क या ऋणमुक्ति नहीं है जो अभी तक वैधानिक अवधि से परे आरओसी के साथ पंजीकृत होना बाकी है।

(xi) कंपनी के पास ऐसा कोई लेनदेन नहीं है जो या वर्ष के दौरान जो लेखा पुस्तकों में दर्ज न हो, जिसे आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर आकलन में (जैसे, खोज या सर्वेक्षण या आयकर अधिनियम, 1961 के किसी अन्य प्रासंगिक प्रावधान) में आय के रूप में प्रकट किया गया है।

(xii) कंपनी के नाम पर न रखी गई अचल संपत्ति के स्वामित्व विलेख।

परिसंपत्ति का विवरण	**मद संपत्ति का विवरण**	**सकल वहन मूल्य (लाख रुपए में)**	**क्या टाइटल डीड धारक प्रमोटर, निदेशक या प्रमोटर/निदेशक का रिश्तेदार या प्रमोटर/निदेशक का कर्मचारी है**	**के नाम पर स्वामित्व विलेख**	**संपत्ति किस तारीख से धारण की गई है**	**कंपनी के नाम पर न रखे जाने का कारण**
संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण	भूमि (फ्रीहोल्ड)	25.44	नहीं	सुश्री फ़रीदा अहमद मूसा पटेल	दिनांक 31.03.2021 से अब तक	स्वामित्व विलेख/पुरस्कार के पंजीकरण की प्रक्रिया अभी पूरी होनी बाकी है।

34.39 इंड ए एस 105 के संबंध में प्रकटीकरण - बिक्री के लिए रखी गई गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां और बंद परिचालन

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, केरल राज्य के एरणाकुलम जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66 (पुराना एनएच 17) के विकास के हिस्से के रूप में, एनएच अधिनियम 1956 की धारा 3डी के तहत कंपनी द्वारा कब्जा की गई भूमि के अधिग्रहण की घोषणा की । ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन पर, भूमि सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त होकर पूर्णतः केंद्र सरकार के अधीन हो जाती है । कुल अधिग्रहण 0.0315 हेक्टेयर के लिए है और इसे 2.58.01 लाख रुपये के मूल्य पर "बिक्री के लिए रखे गए" के रूप में वर्गीकृत किया गया है, क्योंकि वे भारतीय लेखा मानक 105 के तहत निर्धारित मानदंडों को पूरा करते हैं ।

34.40 निवेश संपत्ति

दिनांक 31 मार्च 2024 तक कंपनी के पास निर्माणाधीन निवेश संपत्ति निम्नानुसार है:

राशि (रुपए लाख में)

विवरण	वर्ष 2023-24 के दौरान	वर्ष 2022-23 के दौरान
प्रारंभ में बकाया	28.00	-
परिवर्धन	7 30.34	28.00
विलोपन/संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में स्थानांतरण	-	-
अंत में बकाया	7 58.34	28.00

दिनांक 31 मार्च 2024 तक, कंपनी निर्माणाधीन निवेश संपत्ति के उचित मूल्य को विश्वसनीय रूप से मापने की स्थिति में नहीं है और इसलिए इसका खुलासा नहीं किया गया है ।

34.41 अनुपात विश्लेषण

क्रम सं.	विवरण	अंश-गणक	भाजक	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक	परिवर्तन (% में)
1	वर्तमान अनुपात	चालू परिसंपत्तियाँ	चालू देयताएँ	0.65	0.81	-20%
2	ऋण इक्विटी अनुपात	कुल ऋण	शेयरधारकों की इक्विटी	2.15	1.85	16%
3	ऋण सेवा कवरेज अनुपात	ऋण सेवा के लिए उपलब्ध आय	कुल ऋण सेवा	0.06	0.01	500%
4	इक्विटी अनुपात पर रिटर्न	शुद्ध लाभ	औसत शेयरधारक इक्विटी	(0.19)	(0.14)	-36%
5	व्यापार प्राप्य कारोबार अनुपात	राजस्व	औसत व्यापार प्राप्य	3.85	3.42	13%
6	व्यापार देयता कारोबार अनुपात	सेवाओं की खरीद और अन्य व्यय	औसत व्यापार देय	7.37	7.01	5%
7	शुद्ध पूंजी कारोबार अनुपात	राजस्व	कार्यशील पूंजी	(0.96)	(1.56)	38%

क्रम सं.	विवरण	अंश-गणक	भाजक	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक	परिवर्तन (% में)
8	शुद्ध लाभ अनुपात	शुद्ध लाभ	राजस्व	(1.76)	(1.67)	-5%
9	नियोजित पूंजी पर रिटर्न	ब्याज और करों से पहले की उपार्जन	व्यवसाय के लिए आवश्यक मूलधन	(0.02)	(0.02)	0%

3.ऋण सेवा कवरेज अनुपात में यह सुधार वर्ष के लिए कर के बाद घाटे में कमी के कारण है, जो मुख्य रूप से वित्त वर्ष 2022-23 की तुलना में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए परिचालन से राजस्व में वृद्धि के परिणामस्वरूप हुआ है।

4. इक्विटी अनुपात पर रिटर्न में यह कमी वित्त लागत और गैर-परिचालन व्यय (एनएमटी व्यय) में वृद्धि के कारण है, भले ही वित्त वर्ष 2022-23 की तुलना में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए परिचालन लाभ में वृद्धि हुई हो।

7. शुद्ध पूंजी कारोबार अनुपात में यह सुधार वित्त वर्ष 2022-23 की तुलना में वित्त वर्ष 2023-24 में परिचालन से राजस्व में वृद्धि के कारण है। हालाँकि, वित्त वर्ष 2023-24 में पिछले वर्ष की तुलना में कार्यशैली में कमी आई है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के विभाग II द्वारा अपेक्षित अन्य अनुपात कंपनी पर लागू नहीं होते, क्योंकि उक्त अनुपातों से संबंधित कोई लेनदेन नहीं है।

34.42 पिछले वर्ष के आंकड़ों को, जहां भी आवश्यक हो, पुनः समूहीकृत/पुनः व्यवस्थित/पुनः वर्गीकृत किया गया है, ताकि उन्हें चालू वर्ष की प्रस्तुति के साथ तुलनीय बनाया जा सके।

समसंख्यक तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार संलग्न है।

कृते जी जोसेफ एंड एसोसिएट्स
शासनपत्रित लेखाकार
एफआरएन: 006310 एस
यूडीआईएन: 24211364BJZWMC7340

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

ह()/-
उमेश एल भट
सहयोगी
सदस्यता संख्या: 211364

ह()/-
लोकनाथ बेहरा
प्रबंध निदेशक
(डीआईएन: 09406020)

ह()/-
अन्नपूरणी.एस
निदेशक (वित्त) और सीएफओ
(डीआईएन: 09662978)

ह()/-
लिस्टन पेरेरा
कंपनी सचिव

स्थानः कोच्ची
दिनांक: 24.07.2024

स्थानः कोच्ची
दिनांक: 24.07.2024

दिनांक 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (बी) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के अनुसार दिनांक 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड के वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार किए गए स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। यह उनके द्वारा दिनांक 24.07.2024 की अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के द्वारा किया गया, ऐसा बताया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143 (6) (ए) के तहत दिनांक 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड के वित्तीय विवरणों का अनुपूरक लेखापरीक्षा किया है। यह अनुपूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखा परीक्षकों के कामकाजी कागज़ात तक के पहुँच के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और मुख्य रूप से सांविधिक लेखा परीक्षकों और कंपनी कर्मियों की पूछताछ और कुछ लेखा अभिलेखों की चुनिंदा जाँच तक सीमित है।

अपने अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर, मैं अधिनियम की धारा 143(6)(बी) के तहत मेरे ध्यान में आए, और जो मेरे विचार में वित्तीय विवरण और संबंधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट की बेहतर समझ को सक्षम करने के लिए आवश्यक हैं, निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों को उजागर करना चाहता हूँ :

क. लाभप्रदता पर टिप्पणियाँ

दिनांक 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण

IV. व्यय - अन्य व्यय (टिप्पणी संख्या 32) 9477.59 लाख रुपए

उपरोक्त में एशियाई विकास बैंक (एडीबी) द्वारा लागू जीएसटी के साथ जुटाए गए 104.45 लाख रुपए (107,164.73 यूएसडी) का अंतरिम दावा शामिल नहीं है। शुल्क और व्यय के भुगतान के लिए एडीबी के इस दावे को कंपनी द्वारा आकस्मिक दायित्व माना गया। सहमत शर्तों के अनुसार, कंपनी प्रारंभिक गतिविधियों के लिए एडीबी द्वारा किए गए शुल्क और खर्च का भुगतान करने के लिए बाध्य है, चाहे एडीबी कोच्ची मेट्रो परियोजना के लिए कोई वित्तपोषण प्रदान करे या नहीं। इसके परिणामस्वरूप अन्य खर्चों को कम दिखाया गया, वर्तमान देयता (प्रावधानों) और वर्ष के लिए नुकसान को 104.45 लाख.रुपये से कम बताया गया है।

ख. वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाले नोट्स पर टिप्पणियाँ

वर्ष के दौरान, के.एम.आर.एल ने कंपनी द्वारा केरल सरकार की ओर से सरकारी गारंटी के साथ लिए गए ऋणों पर हडको को मूलधन (रु. 18.07 करोड़) और ब्याज (रु. 12 करोड़) की ओर 30.07 करोड़ रुपए के तिमाही पुनर्भुगतान में चूक की। पुनर्भुगतान 22 दिनों की देरी के बाद किया गया था। चूक के कारण और ऋण अनुबंधों के अनुसार, हडको ने ऋणों के लिए एक

तिमाही पुनर्भुगतान (मूलधन और ब्याज) को समर्पित पुनर्भुगतान खातों में ऋण सेवा रिजर्व के रूप में बनाए रखने का निर्देश दिया।

तथापि, कंपनी वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाले नोटों में चूक के बारे में तथा भारतीय लेखा मानक 107 के पैरा 18 (ए) और (सी) के अनुपालन में ऋण सेवा आरक्षित निधि बनाए रखने के लिए हडको द्वारा किए गए अनुरोध के बारे में खुलासा करने में विफल रही है।

स्थान: चेन्नई

दिनांक: 27 सितंबर 2024

कृते एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से

ह()/-

(एस. वेल्लियनगिरी)

वाणिज्यिक लेखा परीक्षा के प्रधान निदेशक

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर सीएजी की टिप्पणियों का उत्तर / स्पष्टीकरण

सी व एजी की टिप्पणियाँ	प्रबंधन का उत्तर
क. लाभप्रदता पर टिप्पणियाँ **दिनांक 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लाभ और हानि का विवरण** **IV. व्यय - अन्य व्यय (टिप्पणी संख्या 32) 9477.59 लाख रुपए** उपरोक्त में एशियाई विकास बैंक (एडीबी) द्वारा लागू जीएसटी के साथ जुटाए गए 104.45 लाख रुपए (यूएसडी 107,164.73) का अंतरिम दावा शामिल नहीं है । शुल्क और व्यय के भुगतान के लिए एडीबी के इस दावे को कंपनी द्वारा आकस्मिक दायित्व के रूप में माना गया है। सहमत शर्तों के अनुसार, कंपनी प्रारंभिक गतिविधियों के लिए एडीबी द्वारा किए गए शुल्क और खर्च का भुगतान करने के लिए बाध्य है, चाहे एडीबी कोच्ची मेट्रो परियोजना के लिए कोई वित्तपोषण प्रदान करे या नहीं । इसके परिणामस्वरूप अन्य व्यय, चालू देयता (प्रावधान) और वर्ष के लिए हानि को 104.45 लाख रुपए कम दर्शाया गया ।	एडीबी के गैर-सॉवरेन ऋण संबंधी प्रस्ताव को आगे नहीं बढ़ाया गया, क्योंकि बोर्ड ने कंपनी को सॉवरेन/वाणिज्यिक ऋण लेने का निर्देश दिया था। इसके बाद एडीबी के साथ गैर-सॉवरेन ऋण पर चर्चा बंद कर दी गई । कंपनी ने कंसोर्टियम ऋण से प्राप्त धनराशि से परियोजना का काम जारी रखा । चरण Iए और Iबी परियोजना अब वाणिज्यिक रूप से चालू है अतः किसी और निधीकरण की आवश्यकता नहीं है । चूंकि गतिविधि बंद होने के कारण, दावे को स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की अतिरिक्त जानकारी के 34.29.A.iv के तहत आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट किया गया है ।
ख. वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाले नोट्स पर टिप्पणियाँ वर्ष के दौरान, केएमआरएल ने सरकारी गारंटी के साथ केरल सरकार की ओर से कंपनी द्वारा लिए गए ऋण पर हडको को मूलधन (18.07 करोड़ रुपए) और ब्याज (12 करोड़ रुपए) के रूप में 30.07 करोड़ रुपए की तिमाही चुकौती में चूक की । पुनर्भुगतान 22 दिनों के बाद किया गया । चूक के कारण और ऋण अनुबंधों के अनुसार, हडको ने समर्पित पुनर्भुगतान खातों में ऋण सेवा आरक्षित के रूप में ऋणों के लिए एक-चौथाई पुनर्भुगतान (मूलधन और ब्याज) बनाए रखने का निर्देश दिया । तथापि, कंपनी ने वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाले नोटों में चूक के बारे में तथा भारतीय लेखा मानक 107 के पैरा 18 (क) और (ग) के अनुपालन में ऋण सेवा आरक्षित निधि बनाए रखने के लिए हडको द्वारा किए गए अनुरोध के बारे में खुलासा करने में विफल रही है ।	लेखापरीक्षा द्वारा की गई टिप्पणियों को भविष्य में अनुपालन हेतु नोट कर लिया गया है । यहाँ यह उल्लेख करना उचित है कि पुनर्भुगतान में देरी की सूचना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142(11) के संदर्भ में स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अनुलग्नक क, पैरा (ix) (क) के तहत और वित्तीय वर्ष 2023-24 के बोर्ड की रिपोर्ट के पैरा 1.4 में उल्लेख की गई है ।

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट
कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड के सदस्यों के लिए
समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

राय

हमने कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड (जिसे आगे "कंपनी" के रूप में संदर्भित) और उसके सहयोगी के समेकित वित्तीय विवरणों का लेखापरीक्षा किया है, जिसमें दिनांक 31 मार्च 2024 तक के समेकित तुलनपत्र और लाभ और हानि के समेकित विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण और समाप्त वर्ष की नकद प्रवाह का समेकित विवरण, महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी (जिसे आगे "समेकित वित्तीय विवरण" के रूप में संदर्भित) सहित समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी आदि शामिल है ।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार और अन्य लेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षित किया गया ऐसे सहयोगी के अलग-अलग वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर विचार के आधार पर, उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") द्वारा अपेक्षित तरीके से अपेक्षित जानकारी प्रदान करते हैं, और दिनांक 31 मार्च 2024 तक कंपनी और उसके सहयोगियों के मामलों की समेकित स्थिति और इसके समेकित हानि और अन्य व्यापक हानि, इक्विटी में समेकित परिवर्तन और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकद प्रवाह के बारे में भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करता है ।

राय का आधार

हमने समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा (एसएएस) मानकों के अनुसार किया है । उन मानकों के तहत के हमारी जिम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के समेकित वित्तीय विवरण खंड की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारियों में आगे वर्णित किया है । हम भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान ('आईसीएआई') द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, साथ ही नैतिक आवश्यकताओं के साथ अधिनियम और उसके अंतर्गत आनेवाले नियमों के प्रावधानों के तहत समेकित वित्तीय विवरण हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है । हमारा मानना है कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किया है, वह समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त है ।

मदों का महत्व

1. हम 1022.97 लाख रुपए की परिसंपत्तियों के पूंजीकरण के संबंध में समेकित वित्तीय विवरण के नोट संख्या 34.3 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं । डीएमआरसी और कंपनी के बीच समझौता ज्ञापन के खंड 6.1.20 के अनुसार दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ('डीएमआरसी') के आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा प्रमाणन लंबित होने के कारण, कंपनी ने इन परिसंपत्तियों के पूंजीकरण के लिए डीएमआरसी द्वारा प्रस्तुत किए गए बयान पर भरोसा किया है ।

   प्रस्तुत किए गए बयान पर भरोसा किया है ।

अन्य जानकारी

कंपनी के प्रबंधन और निदेशक मंडल अन्य जानकारी के लिए जिम्मेदार हैं । अन्य जानकारी में कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में दिए गए जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें समेकित वित्तीय विवरण और हमारे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है । इस लेखापरीक्षक रिपोर्ट की तारीख के बाद कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है ।

हमारी राय में, समेकित वित्तीय विवरणों पर अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम उनके बारे में कोई आश्वासन या निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं ।

समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य जानकारी को पढ़ना है और ऐसा करते समय, हम केवल इस बात पर विचार करते हैं कि क्या अन्य जानकारी समेकित वित्तीय विवरणों के साथ महत्वपूर्ण रूप से असंगत है या हमारी लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त जानकारी के आधार पर अन्यथा महत्वपूर्ण रूप से गलत बताया गया है ।

यदि, हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी का एक महत्वपूर्ण गलत विवरण दिया गया है,, तो हमें इस तथ्य की रिपोर्ट करने की आवश्यकता है । हमारे पास इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है ।

समेकित वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का प्रबंधन और निदेशक मंडल अधिनियम की आवश्यकताओं के अनुसार इन समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए जिम्मेदार हैं जो भारतीय लेखा मानक और भारत में सामान्यतः स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी के मामलों की समेकित स्थिति, समेकित लाभ/हानि और अन्य व्यापक आय, इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण और उसके सहयोगी सहित समूह के समेकित नकदी प्रवाह आदि के वास्तविक और निष्पक्ष छवि प्रस्तुत करते हैं । उक्त ज़िम्मेदारी में कंपनी और उसके सहयोगी के संबंधित प्रबंधन और निदेशक मंडल प्रत्येक कंपनी की परिसंपत्ति की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाना, उपयुक्त लेखा नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; निष्पक्ष और विवेकपूर्ण मूल्यांकन; उपयुक्त लेखा नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से कार्य करते हैं, जो समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति जो एक सही और निष्पक्ष परिदृश्य देते हैं और धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हुए ठोस गलत विवरण से मुक्त हैं; अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड के रखरखाव हेतु जिम्मेदार हैं ।

समेकित वित्तीय विवरण तैयार करते समय, कंपनी और उसके सहयोगी के संबंधित प्रबंधन और निदेशक मंडल चालू कंपनी के रूप में जारी रखने के लिए प्रत्येक कंपनी की क्षमता का आकलन करने के लिए जिम्मेदार हैं, जैसा लागू हो, गोइंग कंसर्न से संबंधित मामलों का खुलासा करना, और जब तक संबंधित निदेशक मंडल या तो कंपनी को परिसमापन या संचालन बंद करने का इरादा नहीं रखता है, या ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प नहीं है तो तब तक गोइंग कंसर्न के रूप में लेखांकन करना है ।

कंपनी और उसके सहयोगी का संबंधित निदेशक मंडल प्रत्येक कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए जिम्मेदार है ।

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक के उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र रूप से समेकित वित्तीय विवरण महत्वपूर्ण गलत विवरण से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, और हमारी राय सहित एक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट जारी करना है । उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन सचिवीय लेखापरेक्षा के अनुसार आयोजित एक लेखा परीक्षा इसकी गारंटी नहीं देती है कि किसी महत्वपूर्ण गलतबयानी के मौजूद होने पर उसका हमेशा पता लगाएगा । गलतबयानी धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और इसे महत्वपूर्ण माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की यथोचित अपेक्षा की जा सकती है ।

सचिवीय लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा के एक हिस्से के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे लेखापरीक्षा में पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं । इसके अलावा हम:

- धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हुए वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों की पहचान और मूल्यांकन, उन जोखिमों के लिए लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करना और हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना । धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली महत्वपूर्ण गलत विवरणों का पता नहीं लगाने का जोखिम, त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिम से उच्चतर होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में साजिश, जालसाजी, जानबूझकर की गई चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण का निरसन आदि शामिल हो सकता है ।

- परिस्थितियों में उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण की जानकारी प्राप्त करता है । अधिनियम की धारा 143(3)(i) के अनुसार, हम इस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशील है ।

- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरण की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करता है ।

- लेखांकन के चालू प्रतिष्ठान के आधार पर प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता और हमें प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर यह निष्कर्ष निकालें कि क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों के संबंध में कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है, जो एक ऑन गोइंग कंसर्न के रूप में जारी रखने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा करती है । यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि एक महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में समेकित वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरण की ओर ध्यान आकर्षित करना होगा या, यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को संशोधित करने की आवश्यकता है । हमारे निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षण की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों पर आधारित हैं । हालांकि, भविष्य की घटनाओं या शर्तों के कारण कंपनी और उसके सहयोगी ऑन गोइंग कंसर्न के आधार पर काम करना बंद कर सकती है ।

- प्रकटीकरण सहित समेकित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करना, और क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं, जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त होती है ।

- समेकित वित्तीय विवरणों पर एक राय व्यक्त करने के लिए कंपनी और उसके सहयोगियों के भीतर ऐसी संस्थाओं या व्यावसायिक गतिविधियों की वित्तीय जानकारी के संबंध में पर्याप्त उपयुक्त लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करें । हम स्वतंत्र लेखा परीक्षक होने के नाते, समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल ऐसी इकाई की वित्तीय जानकारी की लेखापरीक्षा के निर्देशन, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए जिम्मेदार हैं । समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल सहयोगी के लिए, जिनकी लेखापरीक्षा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा की गई हो, ऐसे अन्य लेखा परीक्षक उनके द्वारा किए गए लेखापरीक्षा के निर्देशन, पर्यवेक्षण और प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार होंगे । हम अपनी लेखापरीक्षा राय के लिए पूरी तरह जिम्मेदार हैं । इस संबंध में हमारी जिम्मेदारियों को इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट में "अन्य मामलों" वाली अनुच्छेद में आगे वर्णित किया गया है ।

मेटीरियालिटी समेकित वित्तीय विवरणों में गलत बयानों का परिमाण है, जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, यह समेकित वित्तीय विवरणों के एक उचित ज्ञानवाले उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की संभावना है । हम (i) हमारे लेखापरीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और हमारे कार्य के परिणामों का मूल्यांकन; और (ii) समेकित वित्तीय विवरणों में किसी भी पहचाने गए गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करने में मात्रात्मक मेटीरियालिटी और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं ।

स्वतंत्र लेखापरीक्षक होने के नाते हम, अपनी लेखापरीक्षा के दौरान पहचानते गए, अन्य मामलों के अलावा, लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे तथा समय और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों और आंतरिक नियंत्रण में पाए गए कोई महत्वपूर्ण कमियों के बारे में भी हम कंपनी के अभिशासन के प्रभारी लोगों के साथ संवाद करते हैं ।

हमने स्वतंत्रता से संबधित प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, इस के बारे में हम अभिशासन के अधिकारियों को बयान प्रदान करते हैं, और उन सभी रिश्तों और अन्य मामलों के लिए जिम्मेदार है जो हमारी स्वतंत्रता को उचित रूप से प्रभावित करते हैं और जहाँ लागू हो वहाँ संबंधित सुरक्षा उपाय प्रदान करते हैं ।

अन्य मामले

समेकित वित्तीय विवरणों में दिनांक 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए 26.49 लाख रुपए की कंपनी की शुद्ध हानि (और अन्य व्यापक आय) (समेकन समायोजन से पहले) का हिस्सा भी शामिल है । सहयोगी के संबंध में कहें तो, जिसके वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा हमारे द्वारा नहीं की गई है । इन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है जिनकी रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत की गई है और समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय है, सहयोगी के संबंध में जहाँ तक यह शामिल राशियों और प्रकटीकरणों से संबंधित है, और अधिनियम की धारा 143 की उप धारा (3) के संदर्भ में पूर्वोक्त सहयोगी से संबंधित हमारी रिपोर्ट, पूरी तरह से अन्य लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर आधारित है ।

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, और निम्नलिखित अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर हमारी रिपोर्ट,उपरोक्त मामले के संबंध में किए गए कार्य और अन्य लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर हमारी निर्भरता के संबंध में संशोधित नहीं है ।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. जैसा कि अधिनियम की धारा 143 की उप धारा (11) के संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2020 (“आदेश") द्वारा आवश्यक है, अनुच्छेद 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों का विवरण आदेश की, लागू सीमा तक, हमारे द्वारा “अनुलग्नक क” में प्रस्तुत किया गया है ।

2. अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा अपेक्षित है, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

   (क)हमने अपने सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा हेतु आवश्यक सभी जानकारी और स्पष्टीकरण का अनुरोध किया है और प्राप्त किया है ।

   (ख)हमारी राय में, खाता बहियों की जाँच से, यह स्पष्ट है कि कंपनी ने कानून द्वारा अपेक्षित खाताबहियों को उचित रूप से बनाया रखा है;

   (ग) इस रिपोर्ट के अंदर आने वाले समेकित तुलन पत्र, अन्य व्यापक आय विवरण सहित लाभ और हानि का समेकित विवरण, समेकित नकद प्रवाह विवरण और इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण खाता बहियों के साथ सामंजस्य रखते हैं;

   (घ)हमारी राय में, उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरण यथा संशोधित कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के साथ पठित,अधिनियम की धारा 133 के तहत, भारतीय लेखा मानक की अनुपालन करते हैं;

   (ङ)कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जी.एस.आर 463 (ई) दिनांकित 5 जून, 2015 के अनुसरण में एक सरकारी कंपनी होने के नाते,अधिनियम, 2013 की धारा 164 (2) निदेशकों की अयोग्यता से संबंधित नियम कंपनी उसके सहयोगी पर लागू नहीं है ।

(च)आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता के संबंध में, कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में भारत में निगमित कंपनी और उसकी सहयोगी के संबंध में और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता, इस रिपोर्ट के "अनुलग्नक ख" में दी गई हमारी अलग रिपोर्ट देखें;

(छ) कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 463 (ई) दिनांकित 5 जून, 2015 के अनुसरण में, एक सरकारी कंपनी होने के नाते, निदेशकों के पारिश्रमिक के संबंध में अधिनियम की धारा 197 कंपनी और उसके सहयोगी पर लागू नहीं होती है; कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने अधिनियम की धारा 197(16) के तहत अन्य विवरण निर्धारित नहीं किए हैं जिन पर हमारे द्वारा टिप्पणी करने की आवश्यकता है ।

(ज) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार संशोधित के रूप में, लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, जैसा कि हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों केअनुसार, हम:

i. कंपनी ने अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का खुलासा अपने समेकित वित्तीय विवरणों में किया है - समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 34.29 देखें;

ii. कंपनी और उसके सहयोगी के पास व्युत्पन्न अनुबंधों सहित कोई भी दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था, जिसके लिए कोई महत्वपूर्ण पूर्वानुमानित नुकसान हुआ हो;

iii. ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे ग्रूप और संयुक्त उद्यमों द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में स्थानांतरित करने की आवश्यकता थी ।

iv. क) प्रबंधन ने ऐसा पेश किया है कि, अपने सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, कंपनी या उसके सहयोगी द्वारा कोई निधि का अग्रिम या उधार या निवेश नहीं किया गया है (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या निधि के प्रकार से) या विदेशी संस्थाओं ("मध्यस्थ") सहित किसी भी अन्य व्यक्ति या संस्थाओं में, इस समझ के साथ कि चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को किसी भी तरह से पहचान या निवेश करेगा, चाहे जो भी हो कंपनी द्वारा या उसकी ओर से जो कुछ भी ("अंतिम लाभार्थी") या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करता है;

ख) प्रबंधन ने पेश किया है कि, कंपनी या उसके सहयोगी द्वारा विदेशी संस्थाओं ("वित्तपोषण पार्टियों") सहित किसी भी व्यक्ति या संस्थाओं से कोई धन प्राप्त नहीं किया गया है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि कंपनी या उसके सहयोगी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, वित्तपोषण पार्टी ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार या निवेश करेंगे या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगी; तथा

ग) परिस्थिति के अनुरूप उचित और उपयुक्त माना गया लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिसने हमें यह विश्वास दिलाया है कि उपखंड (ए) और (बी) के तहत अभ्यावेदन में कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण है ।

v) हमारी जांच के आधार पर, जिसमें भारत में निगमित कंपनी और उसके सहयोगियों पर हमारे द्वारा किए गए परीक्षण जांच शामिल हैं, ने दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अपने संबंधित खाता बही को बनाए रखने के लिए लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है, जिसमें लेखापरीक्षा ट्रेल (एडिट लॉग) सुविधा रिकॉर्ड करने की सुविधा है और सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी प्रासंगिक लेनदेन के लिए पूरे वर्ष यही सुविधा संचालित की गई है। इसके अलावा, लेखापरीक्षा के दौरान, हमें ऑडिट ट्रेल सुविधा के साथ छेड़छाड़ किए जाने का कोई मामला नहीं मिला है।

चूंकि कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 3(1) का प्रावधान 1 अप्रैल, 2023 से लागू है, इसलिए रिकॉर्ड प्रतिधारण के लिए वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार लेखापरीक्षा ट्रेल के संरक्षण पर कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11(जी) के तहत रिपोर्टिंग 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लागू नहीं है।

vi) चूंकि कंपनी उसके सहयोगी कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई लाभांश की घोषणा या भुगतान नहीं किया है, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 के अनुसार लाभांश घोषित या भुगतान किया गया या नहीं, इस पर टिप्पणी का प्रश्न ही नहीं उठता।

स्थान: कोच्ची
दिनांक: 24/07/2024

कृते जी जोसफ एवं एसोसिएट्स
शासनपत्रित लेखाकार
(फर्म पंजीकरण सं. 006310S)
ह0/-
उमेश एल भट्ट
साझेदार
सदस्यता सं.211364
यूडीआईएन: 24211364BJZWMD5962

कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों पर सम तारीख के स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अनुलग्नक क

(xxi) हमारी राय और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 भारत में निगमित कंपनी की रिपोर्ट और समेकित वित्तीय विवरणों में सहयोगी कंपनी के लेखापरीक्षक द्वारा कोई क्वालिफ़िकेशन या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की है।

स्थान: कोच्ची
दिनांक: 24/07/2024

कृते जी जोसफ एवं एसोसिएट्स
शासनपत्रित लेखाकार
(फर्म पंजीकरण सं. 006310S)

ह0/-
उमेश एल भट्ट
साझेदार
सदस्यता सं. 211364
यूडीआईएन: 24211364BJZWMD5962

कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों पर सम तारीख के स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अनुलग्नक ख

कंपनी अधिनियम, 2013 (“अधिनियम”) की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

राय

दिनांक 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संयोजन के साथ, हमने कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड (जिसे आगे “कंपनी” के रूप में संदर्भित) के समेकित वित्तीय विवरणों और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत भारत में निगमित ऐसी कंपनी के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखापरीक्षा किया है, जो उस तिथि के अनुसार इसकी सहयोगी कंपनी है। हमारी राय में, कंपनी और भारत में निगमित ऐसी कंपनी जो इसकी सहयोगी कंपनी है, के पास समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में सभी महत्वपूर्ण मामलों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हैं और इंस्टिट्यूट ऑफ़ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ़ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन टिप्पणी (“मार्गदर्शन टिप्पणी”) में बताए गए ऐसे आंतरिक नियंत्रणों के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए ऐसी कंपनियों द्वारा स्थापित समेकित वित्तीय विवरण मानदंड के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के आधार पर दिनांक 31 मार्च 2024 तक ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर प्रबंधन की जिम्मेदारी

इंस्टिट्यूट ऑफ़ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ़ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन टिप्पणी में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखना संबंधित प्रबंधन की ज़िम्मेदारी है। इन जिम्मेदारियों में कंपनी की नीतियों का पालन, उसकी संपत्ति की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाना, लेखा रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी सहित अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारियाँ

हमारी जिम्मेदारी कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण से संबंधित कंपनी और उसके सहयोगी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक राय व्यक्त करना है। हमने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया गया, दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर लागू और आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लागू सीमा तक, आईसीएआई द्वारा जारी और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग (“मार्गदर्शन टिप्पणी”) पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन टिप्पणी और लेखापरीक्षा पर मानकों के अनुसार अपना लेखापरीक्षा की। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें और उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना बनाएं और निष्पादित करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था और क्या ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रदर्शन प्रक्रियाएं हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, महत्वपूर्ण कमज़ोरी मौजूद होने के कारण हुए जोखिम का आकलन करना, और मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण

और मूल्यांकन शामिल है। चुनिंदा प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हुए वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों का आकलन शामिल है।

हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य, वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का तात्पर्य

वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने और आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियाँ और प्रक्रियाएँ शामिल हैं जो (1) रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंध में, जो उचित विवरण में, कंपनी की परिसंपत्ति के लेनदेन और स्वभाव को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाया जाता है; (2) लेनदेन को आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देने हेतु आवश्यक रूप से दर्ज किया गया है, और कंपनी की प्राप्तियाँ और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकारियों के अनुसार किए जा रहे हैं, इस पर उचित आश्वासन प्रदान करना; और (3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करते हैं, जो वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएँ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत की संभावना या नियंत्रणों के अनुचित प्रबंधन ओवरराइड शामिल हैं, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गलत विवरण हो सकते हैं और इसका पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान जोखिम के अधीन हैं जोकि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में बदलाव के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या यह कि नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री खराब हो सकता है।

अन्य मामले

समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत हमारी पूर्वोक्त रिपोर्ट जहाँ तक यह भारत में निगमित एक सहयोगी कंपनी से संबंधित है, भारत में निगमित ऐसी कंपनी के लेखापरीक्षक की संगत रिपोर्ट पर आधारित है।

कृते जी जोसफ एन्ड एसोसिएट्स
शासनपत्रित लेखाकार
(फर्म पंजीकरण सं. 006310S)

ह0/-
उमेश एल भट्ट
सहभागी
सदस्य सं.211364
यूडीआईएन: 24211364BJZWMD5962

स्थान: कोच्ची
तारीख : 24/07/2024

कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड

दिनांक 31 मार्च, 2024 तक के समेकित तुलन पत्र

राशि (रुपए लाखों में)

विवरण	टिप्पणी सं.	दिनांक 31.03.2024 को	दिनांक 31.03.2023 को
परिसंपत्तियाँ			
(I) गैर-चालू परिसंपत्तियाँ			
(क) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	2.क	6003 45.25	5849 11.61
(ख) पूँजीगत कार्य प्रगति पर	2.ख	77 64.02	266 34.73
(ग) निवेश संपत्ति		7 58.34	28.00
(घ) अन्य अमूर्त परिसंपत्तियाँ	3	38 17.39	38 01.02
(ङ) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ		5.31	-
(च) वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
(i) निवेश	4	1 18.81	145.30
(ii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	5	600 16.88	584 10.87
(झ) अन्य गैर - चालू परिसंपत्तियाँ	6	166 19.31	110 07.42
कुल गैर - चालू परिसंपत्तियाँ (I)		**6894 45.31**	**6849 38.95**
(II) चालू परिसंपत्तियाँ			
(क) इन्वेंट्री	7	3 72.25	3 59.68
(ख) वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
(i) व्यापार प्राप्तियाँ	8	7 31.47	13 45.31
(ii) नकद एवं नकद के समतुल्य	9	110 35.75	233 28.50
(iii) अन्य बैंक बकाया	10	45 32.26	38 57.88
(iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	11	239 96.29	201 66.91
(ग) अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	12	63 58.15	43 44.94
कुल चालू परिसंपत्तियाँ (II)		**470 26.17**	**534 03.22**
(III) बिक्री हेतु रखी गई परिसंपत्तियाँ	13	**2 60.00**	**1.31**
कुल परिसंपत्तियाँ (I) +(II)+(III)		**7367 31.48**	**7383 43.48**
इक्विटी एवं देयताएँ			
(I) इक्विटी			
(क) इक्विटी शेयर पूँजी	14	1507 46.00	1507 46.00
(ख) अन्य इक्विटी	15	653 14.61	900 71.33
कुल इक्विटी (I)		**2160 60.61**	**2408 17.33**
देयताएँ			
(II) गैर-चालू देयताएँ			
(क) वित्तीय देयताएँ			
(i) ऋण	16.क	4403 19.90	4232 82.02
(iक) पट्टा देयताएँ	16.ख	4.13	9.59
(ii) अन्य वित्तीय देयताएँ	17	31 52.60	42 34.48
(ख) प्रावधान	18	25 55.88	21 00.25
(ग) अमूर्त कर देयताएँ	19	-	-
(घ) अन्य गैर चालू देयताएँ	20	19 08.93	16 22.20
कुल गैर चालू देयताएँ (II)		**4479 41.44**	**4312 48.54**
(III) चालू देयताएँ			
(क) वित्तीय देयताएँ			
(i) ऋण	21.A	238 95.59	231 22.88
(iक) पट्टा देयताएँ	21.B	5.46	4.98
(ii) व्यापार देयताएँ	22		
- सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों का कुल बकाया		11.70	1.36
- सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के अलावा अन्य ऋणदाताओं का कुल बकाया		11 98.10	12 63.31
(iii) अन्य वित्तीय देयताएँ	23	456 06.14	401 62.11
(ख) अन्य चालू देयताएँ	24	17 24.83	14 88.48
(ग) प्रावधान	25	2 87.61	2 34.49
कुल चालू देयताएँ (III)		**727 29.43**	**662 77.61**
कुल इक्विटी और देयताएँ (I) + (II) + (III)		**7367 31.48**	**7383 43.48**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीति सूचना	1		
समेकित वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न टिप्पणी पर ध्यान दें	2-34		

समसंख्यक तारीख के हमारे रिपोर्ट के संदर्भ में
कृते जी जोसेफ एंड एसोसिएट्स
शासनपत्रित लेखाकार
एफ़आरएन . 006310S
यूडीआईएन: 24211364BJZWMD5962

कृते एवं निदेशक मण्डल की ओर से

ह()/-
उमेश एल भट्ट
सहभागी
सदस्य सं. 211364

ह()/-
लोकनाथ बेहेरा
प्रबंध निदेशक
(डीआईएन:09406020)

ह()/-
अन्नपूरनी एस
निदेशक (वित्त) एवं सीएफ़ओ
(डीआईएन:09662978)

ह()/-
लिस्टन परेरा
कंपनी सचिव

स्थान : कोचीन
तिथि : 24.07.2024

स्थान : कोचीन
तिथि : 24.07.2024

कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड

दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का समेकित विवरण

राशि (रुपए लाखों में)

	विवरण	टिप्पणी सं.	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
I	परिचालन से राजस्व	26	151 30.10	118 84.44
II	अन्य आय	27	95 10.79	82 14.32
III	**कुल आय (I + II)**		**246 40.89**	**200 98.76**
IV	**व्यय:**			
	परिचालन व्यय	28	56 76.87	50 43.39
	कर्मचारी लाभ व्यय	29	54 05.32	48 87.01
	वित्त लागत	30	294 22.31	222 08.39
	मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	31	179 53.69	184 97.35
	अन्य व्यय	32	94 77.59	29 59.00
	कुल व्यय (IV)		**679 35.78**	**535 95.14**
V	**कर पूर्व लाभ/(हानि) (III - IV)**		**(432 94.89)**	**(334 96.38)**
VI	कर व्यय:			
	(1) कर पूर्व समायोजन		-	-
	(2) आस्थगित कर		-	-
VII	**अवधि के दौरान लाभ/(हानि) (V - VI)**		**(432 94.89)**	**(334 96.38)**
VIII	**संयुक्त उद्यम एवं सहयोगियों का लाभ/(हानि) का हिस्सा (शुद्ध)**		**(26.49)**	**19.09**
IX	**अन्य व्यापक आय**			
	मदें जो लाभ या हानि के लिए पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा।			
	- रोजगार के बाद के लाभ दायित्वों का पुनः मूल्यांकन		(54.57)	(75.25)
	उन मदों से संबंधित आयकर जो लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं होंगे		-	-
			(54.57)	**(75.25)**
X	**वर्ष के लिए कुल व्यापक आय (VII+ VIII) (वर्ष के लिए लाभ/हानि और व्यापक आय शामिल है)**		**(433 75.95)**	**(335 52.54)**
XI	**प्रति इक्विटी शेयर आय:**	33		
	(1) मूल		**(28.77)**	**(22.26)**
	(2) डायल्यूटिव		**(26.98)**	**(22.11)**
	महत्वपूर्ण लेखांकन नीति जानकारी	1		
	समेकित वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न टिप्पणी देखें	2-34		

समसंख्यक तारीख के हमारे रिपोर्ट के संदर्भ में
कृते जी जोसफ एंड एसोसिएट्स
शासनपत्रित लेखाकर
एफ़आरएन 006310S
यूडीआईएन:24211364BJZWMD5962

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

ह()/-
उमेश एल भट्ट
सहभागी
सदस्य सं. 211364

ह()/-
लोकनाथ बेहेरा
प्रबंध निदेशक
(DIN:09406020)

ह()/-
अन्नपूरनी एस
निदेशक वित्त एवं (सीएफ़ओ)
(DIN:09662978)

ह()/-
लिस्टन पेरेरा
कंपनी सचिव

स्थान : कोचीन
तिथि : 24.07.2024

स्थान: कोचीन
तिथि : 24.07.2024

कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में हुए परिवर्तन का विवरण (समेकित)

क. इक्विटी शेयर पूंजी

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
वर्ष के आरंभ में शेष राशि	1507 46.00	1507 46.00
पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-	-
वर्ष के आरंभ में पुनः घोषित शेष राशि	1507 46.00	1507 46.00
चालू वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-	-
वर्ष के अंत में शेष राशि	1507 46.00	1507 46.00

ख. अन्य इक्विटी

राशि (रुपए लाखों में)

विवरण	शेयर आवेदन राशि लंबित आबंटन	आस्थगित आय - मौद्रिक अनुदान				आस्थगित आय - गैर मौद्रिक अनुदान	आरक्षित एवं अधिशेष	अन्य व्यापक आय	कुल
		ब्याज मुक्त उप ऋण -भारत सरकार	ब्याज मुक्त उप ऋण - केरल सरकार	राज्य करों की प्रतिपूर्ति - केरल सरकार	चरण I ए अनुदान - भारत सरकार	केरल सरकार	प्रतिधारित कमाई		
अप्रैल 1, 2022 को बकाया	-	201 24.17	1976 84.18	204 58.51	-	139 30.43	(1479 09.63)	(54.82)	1042 34.03
लेखांकन नीति या पूर्व अवधि की त्रुटियों में परिवर्तन	-	-	-	-	-	-	(1 47.12)		(147.12)
1 अप्रैल 2022 को बकाया राशि (पुनः कथित)	-	**201 24.17**	**1976 84.18**	**204 58.51**	-	**139 30.43**	**(1480 56.75)**	**(54.82)**	**1040 85.72**
जोड़ें: वर्ष के लिए व्यापक लाभ/(हानि) बहाल		-	-	-	-	-	(334 77.29)	(75.25)	(335 52.54)
जोड़ें : वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन	10,000.00	-	114 34.24	-	4,674.00	-	-	-	261 08.24
कम करें : वर्ष के दौरान के लाभ में हस्तांतरण	-	(4 85.19)	(52 13.38)	(7 78.72)	(92.80)	-	-	-	(65 70.09)
31 मार्च 2023 को बकाया राशि (पुनः कथित)	**100 00.00**	**196 38.98**	**2039 05.04**	**196 79.79**	**4,581.20**	**139 30.43**	**(1815 34.04)**	**(1 30.07)**	**900 71.33**
1 अप्रैल 2023 को बकाया राशि (पुनः कथित)	10,000.00	196 38.98	2039 05.04	196 79.79	4,581.20	139 30.43	(1815 34.04)	(1 30.07)	900 71.33
लेखांकन नीति या पूर्व अवधि की त्रुटियों में परिवर्तन	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100 00.00	**196 38.98**	**2039 05.04**	**196 79.79**	**4,581.20**	**139 30.43**	**(1815 34.04)**	**(1 30.07)**	**900 71.33**
जोड़ें: वर्ष के लिए व्यापक लाभ/(हानि) बहाल	-	-	-	-	-	-	(433 21.38)	(54.57)	(433 75.95)
जोड़ें : वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन		-	263 33.31	-	-	-	-	-	263 33.31
कम करें : वर्ष के दौरान के लाभ में हस्तांतरण	-	(5 35.09)	(62 98.97)	(7 20.37)	(159.65)	-	-	-	(77 14.08)
31 मार्च, 2023 को बकाया	**100 00.00**	**191 03.89**	**2239 39.38**	**189 59.42**	**44 21.55**	**139 30.43**	**(2248 55.42)**	**(1 84.64)**	**653 14.61**

सम तारीख के हमारे रिपोर्ट के संदर्भ में
कृते जी जोसफ एंड एसोसिएट्स
शासनपत्रित लेखाकार
एफ़आरएन 006310S
यूडीआईएन: 24211364BJZWMD5962

कृते एवं निदेशक मण्डल की ओर से

ह()/-
उमेश एल भट्ट
सहभागी
सदस्य सं. 211364

ह()/-
लोकनाथ बहरा
प्रबंध निदेशक
(डीआईएन:09406020)

ह()/-
अन्नपूर्णी एस
निदेशक (वित्त) एवं सीएफ़ओ
(डीआईएन:09662978)

ह()/-
लिस्टन पेरा
कंपनी सचिव

स्थान : कोचीन
तिथि : 24.07.2024

स्थान: कोचीन
तिथि : 24.07.2024

कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड

दिनांक 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह विवरण

राशि (रुपए लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
ए. परिचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह		
अवधि के दौरान शुद्ध लाभ/(हानि)	(433 75.95)	(335 52.54)
समायोजन		
(लाभ) /परिसंपत्ति की बिक्री पर हानि (निवल)	.01	.25
मूल्यहास और परिशोधन व्यय	179 53.69	184 97.35
लेखा नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि त्रुटियाँ	.00	1 47.12
संदिग्ध व्यापार और अन्य प्राप्य, ऋण और अग्रिम के लिए क्षति भत्ता (शुद्ध)	3 41.31	96.46
ब्याज आय	(12 54.36)	(7 20.13)
केडब्ल्यूएमएल के संचित भंडार का शेयर	26.49	(19.09)
वित्तीय लागत	224 93.63	163 97.90
विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव	(4.83)	6.20
वित्तीय परिसंपत्तियों पर होने वाला शुद्ध लाभ एफवीटीपीएल पर मापा गया है।	(8 90.39)	(8 85.76)
कार्यशील पूँजी परिवर्तन से पहले परिचालन लाभ/(हानि)	**(47 10.40)**	**(32.24)**
परिचालन परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी के लिए समायोजन		
परिचालन परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी के लिए समायोजन	(110 34.90)	5 58.27
अन्य गैर-चालू\ परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी	14 45.77	(13 89.60)
अन्य परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी	(27 00.16)	(24 25.93)
प्रावधानों में (वृद्धि)/कमी	5 08.75	4 21.07
अन्य देय राशि में (वृद्धि)/कमी	23 29.00	(65 84.38)
परिचालन गतिविधियों (क) से / (में प्रयुक्त) से शुद्ध नकदी प्रवाह	**(141 61.94)**	**(94 52.81)**
बी.निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त परिसंपत्ति के अधिग्रहण के लिए भुगतान	-8197.49	-187.38
पूँजी अग्रिम सहित पूँजी डब्ल्यूआईपी के लिए भुगतान	(107 05.55)	(148 42.32)
प्राप्त ब्याज आय	12 70.66	6 59.35
निवेश गतिविधियों (ख) से / (में प्रयुक्त) से शुद्ध नकदी प्रवाह	**(176 32.38)**	**(143 70.35)**
सी. वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
प्राप्तियाँ शेयर आवेदन राशि होंगी - भारत सरकार	.00	100 00.00
बैंकों और वित्तीय संस्थानों से प्राप्त दीर्घकालिक ऋण से प्राप्ति	216 43.96	178 82.59
केरल सरकार से प्राप्ति	383 44.43	340 18.77
बैंक से कार्यशील पूँजी ऋण के रूप में प्राप्ति	(9 13.29)	3 11.95
सरकारी अनुदान से प्राप्तियाँ (भारत सरकार)	.00	46 74.00
पट्टा देयताओं का भुगतान	(4.98)	(4.54)
वित्त लागत का भुगतान	(266 17.83)	(255 96.27)
वर्ष के दौरान चुकाया गया ऋण	(129 50.72)	(156 06.93)
वित्तीय गतिविधियों (सी) से / (में प्रयुक्त) से शुद्ध नकदी प्रवाह	**195 01.57**	**256 79.57**
नकद और नकद समकक्ष में शुद्ध वृद्धि / (कमी) (ए) + (बी) + (सी)	**(122 92.75)**	**18 56.41**
वर्ष की शुरुआत में नकद और नकद समकक्ष	**233 28.50**	**214 72.09**
वर्ष के अंत में नकद और नकद समकक्ष	**110 35.75**	**233 28.50**
को शामिल करना		
अथ शेष	34.33	22.39
बैंकों में बकाया :		
-चालू और स्वीप-इन खाते	16 13.42	85 45.11
- सावधि जमा (बारह महीने से कम की परिपक्वता के साथ)	93 88.00	147 61.00
कुल	**110 35.75**	**233 28.50**

सम तारीख के हमारे रिपोर्ट के संदर्भ में

कृते जी जोसफ एंड एसोसिएट्स

शासनपत्रित लेखाकार

एफ़आरएन 006310S

यूडीआईएन: 24211364BJZWMD5962

कृते एवं निदेशक मण्डल की ओर से

ह()/-
उमेश एल भट्ट
सहभागी
सदस्य सं. 211364

ह()/-
लोकनाथ बेहेरा
प्रबंध निदेशक
(डीआईएन:09406020)

ह()/-
अन्नपूर्नी एस
निदेशक (वित्त) एवं सीएफ़ओ
(डीआईएन:09662978)

ह()/-
लिस्टन परेरा
कंपनी सचिव

स्थान : कोचीन
तिथि : 24.07.2024

स्थान: कोचीन
तिथि : 24.07.2024

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाली टिप्पणियाँ

निगमित जानकारी

समेकित वित्तीय विवरणों में 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटड ("के.एम.आर.एल" या कंपनी") और इसकी सहयोगी कंपनी (समग्र रूप से, "ग्रूप") के विवरण शामिल हैं। कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों तहत दिनांक 2 अगस्त 2011 को CIN: U60100KL2011SGC029003 के साथ निगमित है, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (45) के अर्थ में यह एक सरकारी कंपनी है।

यह ग्रूप मुख्य रूप से कोच्ची और तिरुवनंतपुरम में मेट्रो रेल परियोजना की अवधारणा और संचालन और एकीकृत जल मेट्रो के संचालन करते हैं। इस ग्रूप को मेट्रो नेटवर्क के बाद के विस्तार का कार्य, इसका संचालन, चिरस्थाई संचालन सुनिश्चित करने हेतु रखरखाव और संबद्ध गतिविधियाँ को कोच्ची शहर में एक मल्टी मॉडल परिवहन प्रणाली लागू करना आदि कार्य सौंपा गया है। कंपनी की राजस्व स्रोतों में यात्रियों से किराया संग्रह, संपत्तियों और विज्ञापन स्थानों का लाइसेंस/पट्टे पर देना और अन्य संगठनों को परामर्श सेवाएं प्रदान करना आदि शामिल है।

दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों को निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 24.07.2024 को आयोजित बैठक में जारी करने के लिए अनुमोदित किया गया है।

1. महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ

1.1 अनुपालन का विवरण

ये समेकित वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 के साथ पठित कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 की धारा 133 के तहत समय-समय पर संशोधित भारतीय लेखा मानकों ("इंड एएस" के रूप में संदर्भित) और भारत में आम तौर पर प्रोद्भवन आधार पर स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार तैयार किए गए हैं।

1.1. क. तैयारी का आधार

इन समेकित वित्तीय विवरणों को निम्नलिखित परिसंपत्तियों और देयताओं को छोड़कर, जिन्हें उचित मूल्य राशि पर मापा गया है; प्रोद्भवन के आधार पर हिस्टोरिकल कोस्ट कन्वेन्शन पर तैयार किए गए हैं:

क. वित्तीय परिसंपत्तियाँ और देयताएँ और आकस्मिक विचार उचित मूल्य पर मापी गई है।

ख. परिभाषित लाभ योजनाएँ - योजना परिसंपत्तियाँ उचित मूल्य पर मापी गई है;

ग्रूप के समेकित वित्तीय विवरण भारतीय लेखा मानकों ('इंड एएस') के अनुपालन के अनुरूप और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत अधिसूचित नियमों सहित तैयार किए गए हैं।

लेखाकरण नीतियों को लगातार लागू किया गया है, सिवाय इसके कि जहाँ एक नए प्रकार जारी किया गया लेखांकन मानक को शुरू में अपनाया गया हो या मौजूदा लेखांकन मानक में संशोधन के लिए अब तक इस्तेमाल की जाने वाली लेखांकन नीति में बदलाव की आवश्यकता हो। कंपनी ने आम तौर पर उद्योग में प्रचलित नीति और सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन किया है।

1.2 अनुमानों और प्रबंधन निर्णयों का उपयोग

भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) की मान्यता और माप सिद्धांतों के अनुरूप समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को कुछ अनुमान और मान्यताओं को बनाने की आवश्यकता होती है, जो लेखांकन नीतियों के अनुप्रयोग और परिसंपत्ति की रिपोर्ट की गई मात्रा, देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) और समेकित वित्तीय विवरणों की तारीख के अनुसार प्रकटीकरण और वर्ष

के दौरान रिपोर्ट की गई आय और व्यय को प्रभावित करते हैं । कुछ अनुमानों को दूसरों की तुलना में लागू करने के लिए उच्च स्तरीय निर्णय की आवश्यकता होती है । प्रबंधन उपलब्ध जानकारी और उसके अनुभव के आधार पर लगातार अपने सभी अनुमानों और निर्णयों का मूल्यांकन करता है और मानता है कि समेकित वित्तीय विवरणों को तैयारी में उपयोग किए गए अनुमान विवेकपूर्ण एवं उचित हैं । भविष्य के परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं और वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच के अंतर को उस अवधि में पहचाना जाता है जिसमें परिणाम ज्ञात या महत्वपूर्ण रूप होते हैं ।

निवेश की हानि, संपत्ति के उपयोगी जीवन, संयंत्र और उपकरण, आस्थगित कर परिसंपत्तियों के मूल्यांकन, प्रावधानों और आकस्मिक देयताओं से संबन्धित समेकित वित्तीय विवरणों की तारीख पर अनिश्चितता के आकलन के प्रमुख स्रोत, जो अगले वित्तीय वर्ष के भीतर परिसंपत्तियों और देयताओं की अग्रणीत राशियों में एक महत्वपूर्ण समायोजन का कारण बन सकता है ।

क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का उपयोगी जीवन

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के अनुमानित उपयोगी जीवन और अवशिष्ट मूल्यों की समीक्षा करती है । यह भी अनुमान लगाया जाता है कि क्या कोई मद परिसंपत्ति के विवरण को पूरा करती है ताकि पूंजीकरण की गारंटी दी जा सके और परिसंपत्ति के किस घटक को पूंजीकृत किया जा सके । उपयोगी जीवन का पुनर्मूल्यांकन के परिणामस्वरूप भविष्य की अवधि में मूल्यह्रास व्यय में परिवर्तन कर सकता है । यदि पिछले अनुमानों से महत्वपूर्ण बदलाव हैं, तो भविष्य की अवधि के लिए मूल्यह्रास/परिशोधन को संशोधित किया है ।

ख) आस्थगित कर परिसंपत्तियों/देयताओं का मूल्यांकन

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में आस्थगित कर परिसंपत्तियों/देयताओं की वहन राशि की समीक्षा करती है। आस्थगित कर मदों के तत्वों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण निर्णय शामिल होते हैं । उक्त नीति टिप्पणी सं. 1.27 के तहत स्पष्ट किया गया है।

ग) पट्टे

कंपनी मूल्यांकन यह करती है कि क्या कोई व्यवस्था भारतीय लेखा मानक 116 की आवश्यकताओं के अनुसार पट्टे के योग्य है । पट्टे की पहचान के लिए महत्वपूर्ण निर्णय की आवश्यकता होती है । पट्टा अवधि का आकलन करने में (प्रत्याशित नवीनीकरण सहित) और लागू छूट दर पर कंपनी महत्वपूर्ण निर्णय लेती है ।

पट्टे की व्यवस्था का का वर्गीकरण वित्तीय पट्टे या परिचालन पट्टे के रूप में कई कारकों के आकलन पर आधारित है, जैसेकि पट्टे की अवधि के अंत में पट्टे पर दी गई परिसंपत्ति के स्वामित्व के हस्तांतरण, पट्टेदार के खरीद का विकल्प और ऐसे विकल्प के प्रयोग की अनुमानित निश्चितता, परिसंपत्ति के आर्थिक जीवन के लिए पट्टे की अवधि का अनुपात, पट्टे पर दी गई संपत्ति के उचित मूल्य के लिए न्यूनतम पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य का अनुपात और पट्टे पर दी गई संपत्ति की विशेष प्रकृति की सीमा आदि शामिल है । उक्त नीति टिप्पणी 1.32 के तहत स्पष्ट की गई है ।

घ) अग्रिमों/प्राप्तियों की वसूलीयोग्यता

कंपनी व्यापार और अन्य प्राप्तियों की वसूली योग्यता के आकलन के आधार पर अपेक्षित ऋण हानि के लिए प्रावधान करती है । निर्णय और अनुमानों के उपयोग पहचान के लिए आवश्यकता होती है । प्रबंधन, प्रत्येक तुलन पत्र के तिथि पर, अपेक्षित जीवन काल में देखी गई हिस्टोरिकल डिफ़ॉल्ट दरों के आधार पर, बकाया प्राप्तियों और अग्रिमों पर अपेक्षित ऋण हानि का आकलन करता है ।

ङ) प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियाँ

एक प्रावधान को मान्यता तब दी जाती है जब पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप कंपनी का वर्तमान दायित्व होता है और यह संभव है कि दायित्व को निपटाने के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी, जिसके संबंध में एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है । प्रावधान (एक्चुरियल मूल्यांकन के अनुसार कर्मचारी लाभों को छोड़कर) को इसके वर्तमान मूल्य में छूट नहीं दी जाती है और तुलन पत्र के तारीख पर दायित्व को निपटाने के लिए आवश्यक सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर निर्धारित किया गया है । प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख पर इनकी समीक्षा की जाती है और चालू सर्वोत्तम अनुमानों को दर्शाने के लिए समायोजित किया जाता है ।

समेकित वित्तीय विवरणों में आकस्मिक देयताओं को मान्यता नहीं दी जाती है । प्रबंधन/स्वतंत्र विशेषज्ञों के निर्णय के आधार पर आकस्मिक देयताओं का प्रकटीकरण किया जाता है । एक आकस्मिक परिसंपत्ति मान्यता प्राप्त नहीं है लेकिन समेकित वित्तीय विवरणों में एक टिप्पणी के रूप में इसका प्रकटीकरण किया है ।

च) रोज़गार के बाद के हितलाभ योजनाएँ

कर्मचारी लाभ दायित्वों को परियोजना इकाई क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके एक्चुरियल मान्यताओं के आधार पर मापा जाता है जिसमें नाश का दर और निकासी दर के साथ-साथ छूट दरों में भविष्य के विकास के संबंध में मान्यता, वेतन वृद्धि दर और मुद्रास्फीति दर आदि शामिल हैं । कंपनी का मानना है कि अपने दायित्वों को मापने के लिए इस्तेमाल की गई मान्यताएँ उपयुक्त और प्रलेखित हैं । हालाँकि, इन मान्यताओं में किसी भी परिवर्तन का परिणामी गणनाओं पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है ।

छ) गैर-उद्धृत निवेशों की हानि

कंपनी अपने निवेशों के वहन मूल्य की समीक्षा सालाना करती है, या हानि के संकेत मिलने पर अधिक बार समीक्षा करती है। यदि वसूली योग्य राशि उसकी वहन राशि से कम है, क्षति हानि का हिसाब लगाया जाता है ।

झ) गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति परीक्षण

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) और अमूर्त परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि तकनीकी विशेषज्ञों की मान्यताओं के निर्णय के आधार पर निर्धारित की जाती है । इन मान्यताओं में कोई भी परिवर्तन वसूली योग्य राशि के मापन पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है और इसके परिणामस्वरूप क्षति हो सकती है ।

ज) प्राप्य व्यापार और ऋण तथा अग्रिम

संदिग्ध व्यापार प्राप्ति/ऋण और अग्रिम के प्रावधान को मान्यता तब दी जाती है, जब बकाया राशि की अवधि के बावजूद वसूली की अनिश्चितता होती है, तथा जब वसूली न हो पाने की पुष्टि हो जाती है, तो उसे बट्टे खाते में डाल दिया जाता है ।

1.3 समेकन का आधार

समेकित वित्तीय विवरणों में दिनांक 31 मार्च, 2024 तक कंपनी और कंपनी द्वारा नियंत्रित संस्थाओं के वित्तीय विवरण शामिल हैं ।

1.4 कार्यात्मक और प्रस्तुति मुद्रा

ये समेकित वित्तीय विवरण भारतीय रुपए (₹) में प्रस्तुत किए जाते हैं, जो कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा है ।

1.5 राशियों का पूर्णांकन

समेकित वित्तीय विवरणों और टिप्पणियों में दिए गए सभी राशियों को निकटतम लाखों में पूर्णांकित किया गया है, सिवाय इसके

कि जब अन्यथा संकेत दिया गया हो ।

1.6 राजस्व मान्यता

क) किराया संग्रह से होने वाली आय को टिकटों की बिक्री, यात्रा पास की बिक्री, स्मार्ट कार्ड के मामले में वास्तविक उपयोग के मौद्रिक मूल्य और अन्य प्रत्यक्ष किराया संग्रह के आधार पर मान्यता दी जाती है । राजस्व के रूप में प्रकट की गई राशि रिटर्न, व्यापार भत्ते, छूट और रियायतों के निवल राशि है ।

ख) परिसंपत्ति के लाइसेंस से आय /भूमि सहित संपत्ति से किराए की आय को लाइसेंसधारी/पट्टेदार के साथ अनुबंध के नियमों और शर्तों के अनुसार मान्यता दी जाती है और लाइसेंस के शर्तों के अनुसार प्रोद्भवन के आधार पर मान्यता प्राप्त है ।

ग) रद्दीमाल की बिक्री से प्राप्त राजस्व को प्राप्त या प्राप्य प्रतिफल के उचित मूल्य पर मापा जाता है । राजस्व के रूप में प्रकट की गई राशियाँ, रिटर्न, व्यापार भत्ते, छूट, माल तथा सेवा कर और तीसरे पक्ष की ओर से एकत्र की गई राशि आदि का शुद्ध होती है । कंपनी राजस्व का प्रकटीकरण तब करता है जब राजस्व की मात्रा को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है, और भविष्य में इकाई को आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है ।

घ) प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करके ब्याज आय को प्रोद्भवन के आधार पर पहचाना जाता है ।

ङ.) परामर्श सेवाओं से प्राप्त आय को निष्पादित कार्य की वास्तविक प्रगति/तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है, अन्यथा जहां अनुबंध प्रदान करने वाले मामलों को छोड़कर मान्यता प्राप्त है ।

च) अन्य आय को प्रोद्भवन के आधार पर मान्यता प्राप्त है ।

छ) खाता बहियों में देय अदा न की गई बयाना राशि (ईएमडी) जो तीन वर्ष से अधिक पुरानी है, उसे आय के रूप में मान्यता दी जाती है।

1.7 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (फ्रीहोल्ड भूमि को छोड़कर) को उनकी अधिग्रहण लागत/हिस्टोरिकल लागत संचित मूल्यह्रास और हानि, यदि कोई हो, घटाकर दर्शाया गया है । कंपनी सकल वहन राशि निर्धारित करने के लिए लागत मॉडल अपना रही है ।

स्थाई परिसंपत्ति की लागत में किसी भी आयात शुल्क और अन्य कर वसूली योग्य करों का शुद्ध सहित इसकी खरीद मूल्य और परिसंपत्ति को इसके इच्छित उपयोग के लिए तैयार करने पर कोई प्रत्यक्ष आरोपणीय व्यय आदि शामिल है ।

निष्पादन एजेंसियों से प्राप्त लेखा विवरण के आधार पर जमा कार्यों/अनुबंधों को और उसके अभाव में निष्पादित कार्य के तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर पूंजीकृत किया जाता है । लागत में उस तारीख तक की अर्हक स्थाई परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के कारण उधार पर ब्याज भी शामिल है, जिस तारीख तक परिसंपत्ति अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार है और किसी भी व्यापार बट्टा और छूट और अन्य आकस्मिक खर्चों का शुद्ध और निराकरण की लागत का एक प्रारंभिक अनुमान, यदि कोई हो, मदों को हटाने और उस साइट पर पुनर्स्थापित करना जिस पर यह स्थित है, भी शामिल है । उपयोग में लाई गई परिसंपत्ति के मामले में, जहां बिलों का अंतिम निपटान अभी किया जाना है, पूंजीकरण अंतिम निपटान के वर्ष में आवश्यक समायोजन के अधीन अनंतिम आधार पर किया जाता है ।

एक वर्ष से अधिक के उपयोगी जीवन वाले पुर्जों को संबंधित शीर्षों के अंतर्गत पूंजीकृत किया जाता है ।

जब किसी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के किसी मद के अलग उपयोगी जीवन हैं, तो उन्हें अलग-अलग मदों (प्रमुख घटकों) के रूप में लेखाकृत किया जाता है । संपत्ति, संयंत्र और उपकरण से संबंधित प्रतिस्थापन पुर्जों /प्रमुख निरीक्षण की लागत केवल पूंजीकृत तभी किया जाता है जब यह संभावना हो कि इनसे जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे और मद की लागत को विश्वासपूर्वक मापा जा सकता है ।

सार्वजनिक रूप से खोले जाने वाले नए खंड के लिए परिसंपत्तियों का पूंजीकरण प्रशासनिक औपचारिकताओं के अनुसार, सभी प्रकार की पूर्णता सुनिश्चित करने के बाद और इस तरह के खंड के उद्घाटन के लिए “मेट्रो रेलवे सुरक्षा आयुक्त” द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार किया जाता है ।

प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर बकाया संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अधिग्रहण के लिए भुगतान किए गए अग्रिमों को “अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियों” के तहत “पूंजीगत अग्रिम” के रूप में वर्गीकृत किया गया है और ऐसी तारीख से पहले इस्तेमाल न की जाने वाली परिसंपत्तियों की लागत “पूंजीगत कार्य प्रगति पर” के तहत मान्यता दी जाती है । संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों से संबंधित बाद के व्ययों का पूंजीकरण केवल तभी किया जाता है जब यह संभावना हो कि इनसे जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे और वस्तु की लागत को विश्वासपूर्वक मापा जा सकता हो । प्रत्येक वर्ष बकाया संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अधिग्रहण के लिए भुगतान किए गए अग्रिमों को, अन्य सभी मरम्मत और रखरखाव को, उस रिपोर्टिंग अवधि के दौरान जिसमें वे व्यय किये जाते हैं।लाभ और हानि विवरण में शामिल किया जाता है, जिसमें वे व्यय किए हों ।

परिसंपत्ति की बिक्री या समापन पर समेकित वित्तीय विवरणों से लागत और संबंधित संचित मूल्यह्रास को हटा दिया जाता है, और परिणामी लाभ या हानि को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है ।

1.8 अमूर्त परिसंपत्तियाँ

अमूर्त परिसंपत्तियों को लागत कम संचित परिशोधन और हानि पर निर्दिष्ट है । अमूर्त परिसंपत्तियों को उस तारीख से जब वे उपयोग के लिए उपलब्ध हैं, उनके संबंधित व्यक्तिगत अनुमानित उपयोगी जीवन पर एक सीधी रेखा पद्धति के आधार पर परिशोधित किया जाता है ।

ब्रांडिंग लागत को अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में पूंजीकृत किया जाता है और पाँच वर्ष की अवधि में एक सीधी रेखा के आधार पर परिशोधित किया जाता है ।

रेलवे को मारगे-छूट प्रभार होने के नाते, उपयोग के अधिकार (अनुमति) के लिए रेलवे को भुगतान की गई राशि,अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में पूंजीकृत है और सत्तर वर्षों की अवधि में एक सीधी रेखा के आधार पर परिशोधित किया गया ।

आरईएससीओ मॉडल के तहत 4.367 मेगावाट क्षमता के रूफ टॉप सौर संयंत्र की स्थापना के लिए उपलब्धि से जुड़े प्रोत्साहन को सौर ऊर्जा खरीद अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है और 25 वर्षों की अवधि में सीधी रेखा पद्धति पर परिशोधित किया गया है ।

सॉफ्टवेयर की लागत जो आंतरिक उपयोग के लिए अधिग्रहित हार्डवेयर का अभिन्न अंग नहीं है, जिसे अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में पूंजीकृत किया जाता है और पांच वर्ष की अवधि में एक सीधी रेखा के आधार पर परिशोधित किया जाता है ।

1.9 निवेश संपत्ति

निवेश संपत्तियाँ वे संपत्तियाँ हैं जो किराया कमाने और/या पूंजी वृद्धि (ऐसे उद्देश्यों के लिए निर्माणाधीन संपत्ति सहित) के लिए रखी जाती हैं । निवेश संपत्तियों को शुरू में उसकी लागत पर मापा जाता है, जिसमें लेनदेन लागत भी शामिल होगी । प्रारंभिक मान्यता के बाद, निवेश संपत्तियों को भारतीय लेखा मानक 16 की लागत मॉडल की आवश्यकताओं के अनुसार अर्थात लागत में से संचित मूल्यह्रास और क्षति हानि घटा कर मापा जाता है । निवेश संपत्ति को निपटान के समय या जब निवेश संपत्ति को स्थायी रूप से उपयोग से हटा लिया जाता है और निपटान से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद नहीं होती है, तब उसे मान्यता से हटा दिया जाता है । संपत्ति की मान्यता रद्द करने पर होने वाला कोई भी लाभ या हानि (निपटान आय और परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि के बीच अंतर के रूप में गणना की जाती है) उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में शामिल की जाती है, जिस अवधि में संपत्ति की मान्यता रद्द की जाती है । सेवाओं के प्रावधान में उपयोग के लिए और प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए तथा किराया कमाने के लिए किराये पर दी गई संपत्ति (भूमि और भवन) के मामले में, इसे निवेश संपत्ति तभी माना जाएगा जब इसका

एक छोटा सा हिस्सा सेवाओं के प्रावधान में उपयोग के लिए या प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए रखा गया हो या इसे अलग से बेचा जा सकता हो ।

1.10. पूंजीगत कार्य प्रगति पर (सीडबल्यूआईपी) और विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्ति

तुलन पत्र की तारीख में निर्माणाधीन परिसंपत्तियों को पूंजीगत कार्य प्रगति पर (सीडब्ल्यूआईपी) के रूप में दिखाया गया है । निर्माण गतिविधि से सीधे संबंधित व्यय पूंजीकृत किया गया है । परियोजना के विभिन्न घटकों के फलस्वरूप होने वाले सभी प्रत्यक्ष व्यय सीडब्ल्यूआईपी के रूप में लेखाबद्ध किया जाता है । सामान्य व्यय और बाहरी उधार पर ब्याज जो सीधे निर्माण गतिविधियों से संबंधित हैं, लेकिन कार्यों के एक से अधिक घटकों के कारण सीडब्ल्यूआईपी के तहत निर्माण के दौरान खर्च के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जिसे पूरा होने पर विभिन्न परिसंपत्तियों में आबंटित किया जाता है । मूल्य परिवर्तन सहित दावों को प्राप्ति पर लेखांकित किए जाते हैं ।

निक्षेप कार्य/अनुबंध के रूप में निष्पादित परियोजनाओं के जो कार्य प्रगति पर है, उसे निष्पादन एजेंसी से प्राप्त व्यय विवरण के आधार परऔर इसके अभाव में निष्पादित कार्य के तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर मान्यता प्राप्त हैं ।

निर्माण अवधि से संबंधित आय, जैसे कि अल्पावधि जमा पर अर्जित ब्याज (इक्विटी और ब्याज मुक्त अधीनस्थ ऋण के माध्यम से प्राप्त निधियों की अस्थाई परिनियोजन के अलावा), ठेकेदार को अग्रिम जुटाने पर ब्याज, निविदा दस्तावेजों की बिक्री आदि को सीडब्ल्यूआईपी के लिए व्यय के विरुद्ध समायोजित किया जाता है ।

परियोजना के लिए प्रत्यक्ष रूप से संबन्धित प्रशासनिक और सामान्य उपरिव्यय (आय का शुद्ध) सीडब्ल्यूआईपी की कुल लागत के लिए पूंजीकृत परिसंपत्तियों की लागत के अनुपात में आबंटित किए जाते हैं ।

1.11. भूमि

भूस्वामियों द्वारा सौंपी गई और कंपनी द्वारा जिला कलेक्टर के माध्यम से ली गई भूमि का मूल्य जिला कलेक्टर के तत्वावधान में कार्यरत भूमि कंपनी के नाम पर टाइटल डीड के पंजीकरण की प्रतीक्षा किए बिना अधिग्रहण इकाई द्वारा प्रस्तुत विवरण के आधार पर पूंजीकृत किया गया है । अस्थायी रूप से किए गए भुगतान/लागत के लिए प्रदान की गई देयता या कब्जे में भूमि से संबंधित मुआवजे को भूमि की लागत के रूप में माना जाता है । निर्माण के लिए सौंपी गई विभिन्न सरकारी निकायों और विभागों से संबंधित भूमि का मूल्य का पूंजीकरण नहीं किया गया है क्योंकि देय राशि और अन्य शर्तों को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है अतः निर्धारित नहीं किया गया है ।

वर्धित क्षतिपूर्ति , यदि कोई हो, “भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास अधिनियम, 2013 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार” के तहत जब भुगतान किया जाता है, तब दर्ज किया जाएगा और राशि का अनुमान नहीं लगाया जा सकने के कारण भूमि की लागत के रूप में माना जाएगा । भूमि में संरचनाओं के अधिग्रहण की लागत और भूमि भरने का व्यय भूमि की लागत में प्रभारित किया जाता है ।

राज्य सरकार की ओर से निःशुल्क प्राप्त भूमि, जिसका स्वामित्व कंपनी के पास निहित है, को सरकारी आदेश के आधार पर भूमि के बाजार मूल्य पर मान्यता प्राप्त है, जिसकी गणना "भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास अधिनियम, 2013 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार" की धारा 26 के आधार पर की जाती है और भूमि का कब्जा सौंपते समय भारतीय लेखा मानक 20 के अनुसार गैर-मौद्रिक अनुदान के रूप में माना जाता है ।

1.12. परिसंपत्तियों की हानि

प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख में परिसंपत्तियों के वहन मूल्यों की हानि के लिए, यदि कोई हो । यदि ऐसी हानि का कोई संकेत मौजूद है, तो ऐसी परिसंपत्तियों की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाया जाता है और हानि को मान्यता दी जाती है । मान्यता

प्राप्त हानि को उस वर्ष के लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त परिसंपत्ति को क्षतिग्रस्त के रूप में पहचाना जाता है। वसूली योग्य राशि किसी परिसंपत्ति के उचित मूल्य से निपटान की लागत कम करके और उपयोग में मूल्य में से जो अधिक हो, मानी जाती है। हानि के बाद, परिसंपत्ति के शेष उपयोगी जीवन पर संशोधित अग्रणीत राशि पर मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है। परिस्थितियों में परिवर्तन के आधार पर पहले से मान्यता प्राप्त क्षतिग्रस्तता हानि बढ़ जाती है या उलट जाती है। हालांकि, उलटने के बाद के वहन मूल्य को वहन मूल्य से अधिक नहीं बढ़ाया जाता है, यदि कोई हानि नहीं होती तो सामान्य मूल्यह्रास लगाकर लागू होता है।

1.13. इन्वेंटरी

ढीले उपकरणों सहित इन्वेंटरी का मूल्यांकन भारित औसत आधार पर निर्धारित लागत और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य में से जो कम हो, पर किया जाता है।

1.14. संदिग्ध ऋणों और अग्रिमों के लिए प्रावधान

संदिग्ध ऋणों/अग्रिमों के लिए प्रावधान तब किया जाता है जब बकाया राशि की अवधि पर ध्यान दिए बिना वसूली की अनिश्चितता होती है और अप्राप्ति सिद्ध होने पर बट्टे खाते में डाल दिया जाता है।

1.15. बीमा दावे

बीमा दावों को बीमा कंपनी द्वारा दावों की स्वीकृति के आधार मान्यता दी जाती है।

1.16. मूल्यह्रास और परिशोधन

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्धारित परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन के अनुसार और कुछ परिसंपत्तियों/संपत्ति के घटकों के मामले को छोड़कर जहाँ तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर उपयोगी जीवन निर्धारित किया जाता है, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यह्रास स्ट्रेट-लाइन आधार पर प्रदान किया जाता है।

(ii) उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन के अंत में या पट्टे की अवधि के समाप्ति में उपयोग के अधिकार की संपत्ति का मूल्यह्रास प्रारंभ तिथि से एक सीधी रेखा के आधार पर किया जाता है।

(iii) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की कोई वस्तु और प्रारंभिक रूप से मान्यता प्राप्त किसी भी महत्वपूर्ण हिस्से को निपटान पर या जब इसके उपयोग से कोई भविष्य में कोई आर्थिक लाभ अपेक्षित न हो, तब मान्यता रद्द कर दी जाती है। परिसंपत्ति की मान्यता रद्द होने पर, उत्पन्न होने वाले कोई भी लाभ/हानि को लाभ और हानि के विवरण में शामिल किया जाता है जब संपत्ति की पहचान नहीं की जाती है।

(iv) कंपनी द्वारा चरण I की परिसंपत्तियों को सौंपते समय, परिसंपत्ति का अनुमानित उपयोगी जीवन का अनुमान डीएमआरसी द्वारा किए गए तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर लगाया जाता है, जो निम्नानुसार है :

परिसंपत्ति का विवरण	संपत्ति का उपयोगी जीवन (वर्षों में)
बिल्डिंग थीमिंग (उप परिसंपत्ति)	10
रोलिंग स्टॉक	30
रोलिंग स्टॉक के घटक	18
एस्केलेटर और लिफ्ट	
एलेवेटर	30

परिसंपत्ति का विवरण	संपत्ति का उपयोगी जीवन (वर्षों में)
एलेवेटर के अन्य घटक	20
एस्केलेटर	30
एस्केलेटर के अन्य घटक	15
यूपीएस बैटरी के घटक	10
ए टाइप की सीढ़ी-4 मीटर ऊंचाई	2
एससीएडीए सर्वर (मुख्य और स्टैंडबाय)	3
कम मूल्य की परिसंपत्ति (प्रति व्यक्तिगत आइटम 5,000 रुपये से कम)	1
रेलवे के लिए वे लीव शुल्क *	70
ब्रांडिंग	5
वायाडक्ट, पुल, सुरंग और पुलिया	60
सीसीटीवी	6
सोलर पैनल	25
पेवर ब्लॉक रोड/बिटुमिन रोड, (आंतरिक)	10
सोलर पावर खरीद अधिकार **	25

(v) सभी परिसंपत्तियों (सड़कों और अमूर्त परिसंपत्तियों को छोड़कर) के लिए 5% का अवशिष्ट मूल्य बरकरार रखा गया है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के प्रावधानों के अनुरूप है ।

(vi) 5,000/- या उससे कम कीमत वाली संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त परिसंपत्तियों (कम मूल्य की परिसंपत्तियाँ) का खरीद के वर्ष में पूरी तरह से मूल्यह्रास/परिशोधित किया जाता है ।

(vii) घटकों का अधिकतम जीवन मुख्य परिसंपत्ति के जीवन तक सीमित कर दिया गया है ।

(viii) मदों पर व्यय, जिसका स्वामित्व कंपनी के पास नहीं है, ऐसे व्यय के वर्ष में राजस्व पर लगाया जाता है ।

(xi) अमूर्त परिसंपत्तियों का उपयोग के लिए उपलब्ध होने की तारीख से, उसके उपयोगी जीवन के सर्वोत्तम अनुमान पर व्यवस्थित आधार पर परिशोधन किया जाता है ।

(x) रेलवे को भुगतान किए गए मार्ग-अवकाश प्रभार अमूर्त परिसंपत्तियों के रूप में मान्यता प्राप्त हैं और 70 वर्षों (*) की अवधि में सीधी रेखा पद्धति पर परिशोधित किया गया है ।

(xi) आरईएससीओ मॉडल के अंतर्गत 4.367 मेगावाट क्षमता के रूफ टॉप सौर संयंत्र की स्थापना के लिए उपलब्धि से जुड़े प्रोत्साहन को सौर ऊर्जा क्रय अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है तथा 25 वर्ष की अवधि में सीधी रेखा पद्धति पर परिशोधित किया गया है।

(xii) कार्यालय उपकरण के अंतर्गत वर्गीकृत मोबाइल फोन का उपयोगी जीवन, तीन साल तक अनुमानित किया है ।

(xiii) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्तियों के उपयोगी जीवन, अवशिष्ट मूल्य और मूल्यह्रास की विधि की प्रत्येक वित्तीय वर्ष में समीक्षा की जाती है और यदि उपयुक्त हो तो संभावित रूप से समायोजित किया जाता है ।

1.17.सरकारी अनुदान

सरकार से अनुदानों को उनके उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है जहां एक उचित आश्वासन दिया जाता है कि अनुदान प्राप्त होंगे और कंपनी सभी संलग्न शर्तों का पालन करेगी । आय से संबंधित सरकारी अनुदानों को आस्थगित किया जाता है और लाभ और

हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है ताकि उन्हें उन लागतों के साथ मिलान किया जा सके जिनकी वे क्षतिपूर्ति करने और अन्य आय के भीतर प्रस्तुत किया गया है ।

जब कंपनी को गैर-मौद्रिक परिसंपत्तियों का अनुदान प्राप्त होता है, परिसंपत्ति और अनुदान को उचित मूल्य राशि पर दर्ज किया जाता है और अंतर्निहित परिसंपत्ति के लाभ के उपभोग के पैटर्न में अपेक्षित उपयोगी जीवन पर लाभ या हानि के विवरण में जारी किया जाता है ।

जब ऋण या इसी तरह की सहायता सरकारों या संबंधित संस्थानों द्वारा वर्तमान लागू बाजार दर से कम ब्याज दर या ब्याज मुक्त के साथ प्रदान की जाती है, तो बाजार दर से कम/ब्याज मुक्त के लाभ को भारतीय लेखा मानक 109 के साथ पठित भारतीय लेखा मानक 113 के अनुसार निर्धारित ऋण के प्रारंभिक वहन मूल्य और प्राप्त लेनदेन मूल्य के बीच अंतर के रूप में मापा जाता है । "अन्य इक्विटी" के तहत आस्थगित आय के रूप में आर्थिक अनुदान को स्थापित करके तुलन पत्र में प्रस्तुत किया है और उस अवधि के दौरान व्यवस्थित आधार पर लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त है, जिसके दौरान भारतीय लेखा मानक 20 के अनुसार ऋण बकाया है । ऋण को बाद में वित्तीय देयताओं पर लागू लेखांकन नीति के अनुसार मापा जाता है ।

1.18. चालू बनाम गैर-चालू वर्गीकरण

तुलन पत्र में परिसंपत्तियाँ और देयताएँ चालू/गैर-चालू वर्गीकरण के आधार पर निम्नानुसार प्रस्तुत किए गए हैं;

किसी परिसंपत्ति को चालू के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा जब यह निम्नलिखित में से किसी भी मानदंड को पूरा करता है:

- सामान्य परिचालन चक्र में साकार होने या बेचे जाने या उपभोग किए जाने की अपेक्षा, या
- मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य से आयोजित, या
- रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर प्राप्त होने की उम्मीद है, या
- नकद या नकद समकक्ष, जब तक कि रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीनों तक किसी देयता का निपटान करने के लिए विनिमय या उपयोग करने से प्रतिबंधित न हो ।

अन्य सभी परिसंपत्तियों को गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा ।

किसी देयता को चालू रूप में वर्गीकृत किया जाएगा जब वह निम्नलिखित मानदंडों में से किसी एक को पूरा करती है:

- सामान्य परिचालन चक्र में व्यवस्थित होने की उम्मीद है, या
- मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य से आयोजित, या
- रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीने के भीतर निपटारा होने के कारण, या
- रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीनों के लिए देयता के निपटान को स्थगित करने का कोई बिना शर्त अधिकार नहीं है ।

अन्य सभी देयताओं को गैर-चालू माना जाएगा ।

1.19. बिक्री के लिए राखी गई गैर चालू परिसंपत्तियाँ

कंपनी किसी गैर-वर्तमान परिसंपत्ति को बिक्री के लिए निर्धारित के रूप में वर्गीकृत करती है यदि इसकी वहन राशि मुख्य रूप से बिक्री लेनदेन के माध्यम से वसूल की जाएगी । यह शर्त को तभी पूरा माना जाता है जब परिसंपत्ति अपनी वर्तमान स्थिति में तत्काल बिक्री के लिए उपलब्ध हो और इसकी बिक्री अत्यधिक संभावित हो ।

बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत बंद संचालन सहित गैर-वर्तमान संपत्ति को अग्रणीत राशि और उचित मूल्य कम बिक्री लागत पर मापा जाता है और समेकित वित्तीय विवरणों में अलग से प्रस्तुत किया जाता है । एक बार बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत होने के बाद, परिसंपत्ति मूल्यह्रास या परिशोधन के अधीन नहीं हैं ।

बंद किए गए परिचालनों की बिक्री या पुन: माप से उत्पन्न कोई लाभ या हानि को लाभ और हानि के विवरण में एकल पंक्ति वस्तु के भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है ।

1.20. परिचालन चक्र

कंपनी की परिचालन गतिविधियों की प्रकृति के आधार पर और परिसंपत्तियों के अधिग्रहण और नकद या नकद समकक्षों में उनकी वसूली के बीच सामान्य समय को देखते हुए कंपनी ने अपनी परिसंपत्ति और देयताओं को चालू और गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत करने के उद्देश्य से अपने परिचालन चक्र को 12 महीने के रूप में निर्धारित किया है ।

1.21 वित्तीय उपकरण

क) प्रारंभिक मान्यता, माप और गैर-मान्यता

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं को तब मान्यता दी जाती है जब कंपनी उपकरणों के संविदात्मक प्रावधानों का पक्षकार बन जाती है ।

प्रारंभ में लाभ और हानि (एफवीटीपीएल) के माध्यम से उचित मूल्य पर वर्गीकृत उन सभी वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं को छोडकर, सभी वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं को लेनदेन लागतों द्वारा समायोजित उचित मूल्य पर प्रारंभिक रूप से मापा जाता है ।

वित्तीय परिसंपत्तियों की मान्यता तब समाप्त हो जाती है जब वित्तीय परिसंपत्तियों से नकद प्रवाह के संविदात्मक अधिकार समाप्त हो जाते हैं या जब वित्तीय परिसंपत्ति और सभी महत्वपूर्ण जोखिम और कार्य हस्तांतरित हो जाते हैं । एक वित्तीय देयता को मुक्त, समाप्त, रद्द या समाप्त होने पर अमान्य कर दिया जाता है ।

ख) वित्तीय परिसंपत्तियों का वर्गीकरण और अनुवर्ती मापन

अनुवर्ती मापन के उद्देश्य के लिए, प्रारंभिक माप/मान्यता के आधार पर; वित्तीय परिसंपत्तियों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

- परिशोधन लागत पर मापा जाना और;
- उचित मूल्य पर अनुवर्ती रूप से मापे जाने हेतु (या तो अन्य व्यापक आय के माध्यम से या लाभ और हानि के विवरण के माध्यम से) ।

ग) वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि

व्यापार प्राप्तियों पर हानि की पहचान अपेक्षित ऋण हानि मॉडल का उपयोग करके की जाती है, जिसमें भारतीय लेखा मानक 109 के तहत अनुमत हिस्टोरिकल ऋण हानि अनुभव के आधार पर निर्मित प्रावधान मैट्रिक्स का उपयोग शामिल है और इसे अग्रगामी जानकारी के लिए समायोजित किया जाता है । निवेश पर हानि की पहचान तब की जाती है जब वहन राशि इसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है । अन्य सभी वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए, अपेक्षित क्रेडिट हानि को संविदात्मक नकदी प्रवाह और सभी अपेक्षित नकदी प्रवाह के बीच अंतर के आधार पर मान्यता दी जाती है ।

घ) वित्तीय देयताओं का वर्गीकरण और अनुवर्ती मापन

लाभ और हानि के विवरण के माध्यम से उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय देयताओं को छोड़कर, वित्तीय देयताओं को बाद में प्रभावी ब्याज दर का उपयोग करके परिशोधन लागत पर मापा जाता है।

1.22 निवेश

ऐसे निवेश जो आसानी से वसूली योग्य हैं और जिस तारीख से वे बने हैं, उस तारीख से एक वर्ष से अधिक के लिए रखने करने का इरादा नहीं है, उसे चालू निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अन्य सभी निवेशों को दीर्घकालिक निवेश के रूप में वर्गीकृत किया गया है। चालू निवेश कम लागत और व्यक्तिगत निवेश के आधार पर निर्धारित उचित मूल्य पर किए जाते हैं। दीर्घकालिक अवधि के निवेश लागत पर किए जाते हैं। हालांकि, अस्थायी के अलावा, निवेश के मूल्य में कमी के प्रावधान को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी गई है।

1.23 सहयोगी में निवेश

सहयोगी वे संस्थाएँ हैं जिन पर कंपनी का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। महत्वपूर्ण प्रभाव निवेशक के वित्तीय और परिचालन नीति निर्णयों में भाग लेने की शक्ति है, लेकिन उन नीतियों पर नियंत्रण या संयुक्त नियंत्रण नहीं होते हैं। जब कंपनी के पास निवेशक के 20 प्रतिशत या उससे अधिक वोटिंग अधिकार होने पर महत्वपूर्ण प्रभाव मौजूद है, ऐसा माना जाता है। यदि सहयोगी कंपनियों की लेखांकन नीतियां समूह द्वारा अपनाई गई नीतियों से भिन्न हैं, तो सहयोगी कंपनियों की लेखांकन नीतियां ग्रूप के साथ संरेखित होता है। इसका परिणाम, इन वित्तीय विवरणों में सहयोगी कंपनियों की परिसंपत्तियों और देयताओं को लेखांकन की इक्विटी पद्धति का उपयोग करके नीचे वर्णित के रूप में शामिल किया गया है।

इक्विटी लेखा पद्धति (इक्विटी लेखाकृत निवेशक)

सहयोगी या संयुक्त उद्यम को निवेशिती के सहयोगी या संयुक्त उद्यम बनने की तारीख से इक्विटी पद्धति का उपयोग करके लेखाबद्ध किया जाता है और प्रारंभ में लागत पर मान्यता दी जाती है। सहयोगी और संयुक्त उद्यमों में निवेश के अग्रणीत मूल्य में अधिग्रहण की तिथि को पहचानी गई सुनाम, किसी भी संचित हानि को घटाकर शामिल है। समेकित वित्तीय विवरणों में लाभ या हानि में कंपनी का हिस्सा, अन्य व्यापक आय और इक्विटी लेखा निवेशों की इक्विटी गतिविधियाँ, महत्वपूर्ण प्रभाव या संयुक्त नियंत्रण शुरू होने की तारीख से लेकर महत्वपूर्ण प्रभाव या संयुक्त नियंत्रण समाप्त होने तक शामिल हैं। जब कंपनी के घाटे का हिस्सा इक्विटी लेखा निवेश में अपनी रुचि से अधिक हो जाता है, उस ब्याज की अग्रणीत राशि (शुद्ध निवेश की प्रकृति में किसी भी दीर्घकालिक हितों सहित) को घटाकर शून्य कर दिया जाता है और कंपनी द्वारा रचनात्मक या कानूनी दायित्वों को पूरा करने या निवेशिती की ओर से भुगतान करने की सीमा को छोड़कर आगे के नुकसान की पहचान बंद कर दी गई है।

जब कंपनी अपनी किसी सहयोगी या संयुक्त उद्यम के साथ लेन-देन करती है,अपने सहयोगी या संयुक्त उद्यम के मामले में अचेतन लाभ और हानि को कंपनी के हित की सीमा तक रद्द कर दिया जाता है।

भुगतान प्राप्त करने का अधिकार सिद्ध होने पर लाभांश की पहचान की जाती है।

लाभांश की मान्यता तब दी जाती है जब भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है।

समेकन में शामिल सहयोगी कंपनी और उसमें कंपनी की होल्डिंग निम्नानुसार है:

कंपनी का नाम	कोच्ची वाटर मेट्रो लिमिटेड
व्यापार का मुख्य केंद्र	कोच्ची, भारत
दिनांक 31.03.2024 को होल्डिंग का%	26%

1.24. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियाँ

एक प्रावधान को तभी मान्यता दी जाती है जब,

क) पिछली घटना के परिणामस्वरूप कंपनी का वर्तमान दायित्व (कानूनी या रचनात्मक) हो ।

ख) यह संभव है कि दायित्व को निपटाने के लिए आर्थिक लाभों को शामिल करने वाले संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी ।

ग) दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है ।

प्रावधानों को तुलन पत्र की की तारीख पर दायित्व को व्यवस्थित करने के लिए आवश्यक व्यय के प्रबंधन के सर्वोत्तम अनुमान के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है और वर्तमान मूल्य पर छूट नहीं दी जाती है ।

निम्न परिस्थिति में आकस्मिक देयताओं को प्रकट किया जाता है,

क) पिछली घटनाओं से उत्पन्न एक वर्तमान दायित्व, जब यह संभव नहीं है कि दायित्व को निपटाने के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी ।

ख) पिछली घटनाओं से उत्पन्न एक वर्तमान दायित्व, जब कोई विश्वसनीय अनुमान संभव नहीं है ।

आकस्मिक देयताओं का आकलन प्रबंधन/स्वतंत्र विशेषज्ञों के निर्णय के आधार पर किया जाता है । प्रत्येक तुलन पत्र के तिथि पर इनकी समीक्षा की जाती है और वर्तमान प्रबंधन अनुमान को प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजित किया जाता है । ऐसी देयताओं का प्रकटीकरण टिप्पणियों में किया जाता है, लेकिन वित्तीय विवरणों में उनका प्रावधान नहीं किया जाता है । यद्यपि कानूनी कार्यवाही के अंतिम परिणाम के बारे में कोई आश्वासन नहीं दिया जा सकता है, लेकिन कंपनी को उम्मीद नहीं है कि इससे हमारी वित्तीय स्थिति या लाभप्रदता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा । कंपनी आकस्मिक देयता को मान्यता नहीं देती है, लेकिन वित्तीय विवरणों में इसके अस्तित्व का प्रकटीकरण करती है ।

आकस्मिक परिसंपत्ति एक संभावित परिसंपत्ति है जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होती है और जिसका अस्तित्व केवल एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के घटित होने या न घटित होने से ही पुष्ट होगा जो इकाई के पूर्ण नियंत्रण में नहीं हैं । कंपनी आकस्मिक परिसंपत्ति को मान्यता नहीं देती है, लेकिन समेकित वित्तीय विवरणों में इसके अस्तित्व का खुलासा करती है जहाँ आर्थिक लाभ का प्रवाह संभावित है ।

1.25. प्रतिबद्धताएँ

प्रतिबद्धताएँ संविदात्मक व्यय के लिए भविष्य की देयताएं हैं । प्रतिबद्धताओं को निम्नानुसार वर्गीकृत और प्रकट किया जाता है:

क) पूंजी खाते पर निष्पादित होने वाली शेष संविदाओं का अनुमानित मूल्य, जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है ।

ख) अन्य गैर-रद्द करने योग्य प्रतिबद्धताएँ, यदि कोई हों, जिस हद तक उन्हें प्रबंधन की राय में महत्वपूर्ण और प्रासंगिक माना जाता है ।

1.26. पूर्व अवधि समायोजन

त्रुटियों के कारण पूर्व अवधि के समायोजन, कंपनी के वित्तीय मामलों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हुए, पूर्वव्यापी रूप से प्रस्तुत की गई पूर्ववर्ती अवधि के लिए तुलनात्मक राशि को पुन: प्रस्तुत करके जिसमें त्रुटि हुई थी या यदि त्रुटि प्रस्तुत की गई प्रारंभिक अवधि से पहले हुई थी, तो इक्विटी में परिवर्तन के विवरण में वित्तीय स्थिति के प्रारंभिक विवरण को पुन: स्थापित करके ठीक किया जाता है ।

1.27. कराधान

आयकर

आयकर व्यय में चालू कर व्यय और वर्ष के दौरान आस्थगित कर परिसंपत्ति या देयता में शुद्ध परिवर्तन शामिल हैं। लाभ और हानि के विवरण में चालू और आस्थगित करों को मान्यता दी जाती है, सिवाय इसके कि जब वे अन्य व्यापक आय में या सीधे इक्विटी में मान्यता प्राप्त मदों से संबंधित हैं, इस मामले में, क्रमशः चालू और आस्थगित कर को अन्य व्यापक आय में या सीधे इक्विटी में भी मान्यता दी जाती है।

वर्तमान कर

वर्तमान अवधि के लिए आय पर कर आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार गणना की गई कर योग्य आय और कर क्रेडिट के आधार पर और आकलन/अपील के अपेक्षित परिणाम के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

आस्थगित कर

आस्थगित कर को तुलन पत्र विधि का उपयोग करके मान्यता दी जाती है, जो वित्तीय रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए परिसंपत्तियों और देयताओं की अग्रणी राशि और कराधान उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली राशियों के बीच अस्थायी अंतर प्रदान करता है। आस्थगित कर को उन कर दरों पर मापा जाता है, जो रिपोर्टिंग तिथि तक अधिनियमित या पर्याप्त रूप से अधिनियमित किए गए कानूनों के आधार पर अस्थायी अंतरों पर लागू होने की उम्मीद की जाती हैं। आस्थगित कर परिसंपत्ति को केवल उस सीमा तक मान्यता दी जाती है, जहां तक भविष्य में कर लाभ प्राप्त होने की संभावना हो।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देयताओं की समायोजन तब की जाती है जब मौजूदा कर परिसंपत्तियों और देयताओं को समायोजन करने का कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार होता है और जब आस्थगित कर शेष एक ही कराधान प्राधिकारी से संबंधित हैं।

चालू कर परिसंपत्तियों और कर देयताओं का समायोजन वहाँ किया जाता है जहाँ इकाई के पास समायोजन करने का कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार होता है और या तो शुद्ध आधार पर निपटान करने का इरादा रखता है, या परिसंपत्ति को स्पष्ट करने और देयता को एक साथ निपटाने का इरादा रखता है।

1.28. विदेशी मुद्रा लेनदेन/ परिवर्तन

संस्था के वित्तीय विवरणों में शामिल मदों का आकलन प्राथमिक आर्थिक वातावरण की मुद्रा का उपयोग करके किया जाता है जिसमें इकाई संचालित होती ("कार्यात्मक मुद्रा") है। वित्तीय विवरण भारतीय रुपए ("आईएनआर") में प्रस्तुत किए जाते हैं, जो कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा और प्रस्तुति मुद्रा है।

संबंधित लेनदेन की तारीखों पर प्रचलित विनिमय दर को अपनाते हुए कार्यात्मक मुद्रा में विदेशी मुद्रा लेनदेन दर्ज किए जाते हैं। वर्ष के अंत में, विदेशी मुद्राओं में मूल्यवर्गित और विदेशी मुद्रा अनुबंधों द्वारा कवर नहीं की गई मौद्रिक वस्तुओं को "वर्ष के अंत की विनिमय दरों" में अनुवादित किया जाता है, जबकि अग्रिम विनिमय अनुबंधों द्वारा कवर किए गए उनके संबंधित अनुबंधों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। दीर्घावधि विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों सहित सभी विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों के परिवर्तन/निपटान पर उत्पन्न होने वाले किसी भी विनिमय अंतर को उस अवधि के लिए लाभ और हानि के विवरण में आय या व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है, जिसमें वे उत्पन्न होते हैं, भारतीय लेखा मानक 101 में दी गई स्वैच्छिक छूट के आधार पर भारतीय लेखा मानक 21 के तहत प्रदान किए गए दायरे को छोड़कर लाभ और हानि के विवरण में आय या व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

1.29 कर्मचारी लाभ

भविष्य निधि और पेंशन निधि: कंपनी के पात्र कर्मचारी भविष्य निधि योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं, जिसमें कर्मचारी और कंपनी दोनों कवर किए गए कर्मचारियों के वेतन के निर्दिष्ट प्रतिशत पर मासिक योगदान करते हैं। अंशदान का भुगतान क्षेत्रीय भविष्य निधि खाते में किया जाता है।

भविष्य निधि योजनाओं के तहत कंपनी के सभी पात्र कर्मचारी भी भविष्य निधि पेंशन योजना के अंतर्गत आते हैं। उपरोक्त भविष्य निधि पेंशन योजना के तहत, कर्मचारियों से कोई योगदान नहीं लिया जाता है और नियोक्ता के योगदान से भुगतान किया जाता है।

उपदान : चालू वर्ष के दौरान पात्र कर्मचारियों के लिए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर उपदान के लिए प्रावधान किया गया है।

अर्जित और अर्ध-वेतन छुट्टी: कंपनी कर्मचारियों को अर्जित छुट्टी लाभ और अर्ध-वेतन छुट्टी प्रदान करती है। संबंधित देयता को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है। संबंधित देयताओं की पहचान बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर की जाती है।

छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी): कंपनी के अनुमोदित नीति के अनुसार कर्मचारियों को उनके गृहनगर के साथ-साथ भारत में किसी भी स्थान पर वास्तविक यात्रा के व्यय लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। संबंधित देयता को अक्च्यूरियल मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है।

प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों को रोज़गार लाभ

अन्य सरकारी विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारी लाभ का भुगतान विदेश सेवा अंशदान (एफ़एससी) के रूप में उनके निर्देश के आधार पर उनके संबंधित मूल संगठन नियोक्ता को किया जाता है। वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर देय ऐसे लाभों के लिए आवश्यक प्रावधान का अनुमान लगाया जाता है और इसके लिए प्रावधान किया जाता है।

भारतीय लेखा मानक 19 के तहत - इसकी परिभाषित लाभ योजना के संबंध में तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त देयता या परिसंपत्ति रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिभाषित लाभ दायित्व का चालू मूल्य है। परिभाषित लाभ दायित्व की वार्षिक गणना अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके अक्चुरीस के आधार पर की जाती है।

उक्त दायित्व का वर्तमान मूल्य अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह को घटाकर निर्धारित किया जाता है।

ब्याज आय / (व्यय) की गणना शुद्ध परिभाषित लाभ देयता या परिसंपत्ति पर छूट दर लागू करके की जाती है। शुद्ध परिभाषित लाभ देयता या परिसंपत्ति पर शुद्ध ब्याज आय/ (व्यय) को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त है।

अक्च्युरियल मान्यताओं और अनुभव समायोजनों में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले पुन: माप लाभ और हानि को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें वे सीधे अन्य व्यापक आय में होते हैं।

1.30 वित्त लागत

वित्त लागत में लाभ और हानि के विवरण के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों के पुन: माप पर उत्पन्न होने वाले उधार, लाभ या हानि पर ब्याज लागत और विदेशी मुद्रा उधार से उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर को उस सीमा तक शामिल किया जाता है, जिसे उन्हें ब्याज लागत के समायोजन के रूप में माना जाता है।

धन उधार लेने के संबंध में लागत अर्हक परिसंपत्तियों के अधिग्रहण से सीधे संबंधित अर्हक परिसंपत्तियों को आबंटित किया जाता है, जो अर्हक परिसंपत्तियों के अधिग्रहण/निर्माण/विकास से संबंधित गतिविधियों के प्रारंभ से लेकर ऐसी परिसंपत्ति के पूंजीकरण की तारीख तक की अवधि से संबंधित है । ऐसे उधारों के अस्थायी निवेश पर अर्जित ब्याज आय, अर्हक परिसंपत्तियों पर उनके व्यय को लंबित रखते हुए, पूंजीकरण के लिए पात्र उधार लागत से घटाया जाता है । इसके बाद, उधार लेने की लागत को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है ।

एक अर्हक परिसंपत्ति एक ऐसी परिसंपत्ति है जिसे अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार होने में पर्याप्त समय लेती है ।

1.31 निर्माण के दौरान ब्याज का आबंटन

उधार लेने की लागत, उधार पर ब्याज होने के नाते जो सीधे तौर पर एक योग्य परिसंपत्ति के निर्माण/उत्पादन के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदाई होते हैं, भारतीय लेखा मानक 23 के अनुसार उस परिसंपत्ति की लागत के हिस्से के रूप में पूंजीकृत किया जाता है । वर्ष के दौरान चालू की गई योग्य परिसंपत्तियों के संबंध में निर्माण के दौरान ब्याज, कमीशन की गई परिसंपत्तियों के मूल्य के अनुपात में के महीने के अंत में अर्हक पूंजी कार्य प्रगति के मूल्य के अनुपात में आबंटित किया जाता है ।

1.32 पट्टे

पट्टेदार के रूप में:

पट्टे के आरंभ की तिथि पर, कंपनी उन सभी पट्टा व्यवस्थाओं के लिए पट्टा देयता और संगत उपयोग-अधिकार ("आरओयू") परिसंपत्ति को मान्यता देती है, बारह महीने या उससे कम अवधि वाले पट्टों (अल्पकालिक पट्टे) और कम मूल्य की परिसंपत्तियों के पट्टों को छोड़कर, जिनमें वह पट्टेदार है । इन अल्पावधि और कम मूल्य की परिसंपत्तियों के पट्टों के लिए, कंपनी पट्टे के भुगतान को पट्टे की अवधि के दौरान सीधी रेखा के आधार पर या किसी अन्य व्यवस्थित आधार पर परिचालन व्यय के रूप में मान्यता देती है । उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों को शुरू में लागत पर मान्यता दी जाती है, जिसमें पट्टा देयता की प्रारंभिक राशि शामिल होती है, जिसे लीज़ की आरंभ तिथि पर या उससे पहले किए गए किसी भी पट्टा भुगतान के लिए समायोजित किया जाता है, साथ ही किसी भी आरंभिक प्रत्यक्ष लागत में से किसी भी पट्टा प्रोत्साहन को घटा दिया जाता है । बाद में उन्हें लागत में से संचित मूल्यह्रास और क्षति हानि, यदि कोई हो, घटाकर मापा जाता है । उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों का पट्टा अवधि के कम होने और अंतर्निहित परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर सीधी रेखा के आधार पर प्रारंभ तिथि से मूल्यह्रास किया जाता है ।

पट्टा देयता को शुरू में भविष्य के पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है । पट्टे के भुगतान को पट्टे में निहित ब्याज दर का उपयोग करके या, यदि आसानी से निर्धारित नहीं किया जा सकता है, तो वृद्धिशील उधार दरों का उपयोग करके छूट दी जाती है। बाद में पट्टे की देयताओं पर ब्याज को प्रतिबिंबित करने के लिए वहन राशि को बढ़ाकर और किए गए पट्टे के भुगतान को प्रतिबिंबित करने के लिए वहन राशि को कम करके पट्टे की देयता को फिर से मापा जाता है । पट्टे की अवधि में बदलाव या पट्टे के भुगतान को निर्धारित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले सूचकांक या दर में बदलाव जैसे कुछ घटनाओं के घटित होने पर पट्टे की देयता को फिर से मापा जाता है । पुनर्माप आम तौर पर पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों को भी समायोजित करता है । पट्टा देयता और आरओयू परिसंपत्ति को तुलन पत्र में अलग से प्रस्तुत किया गया है और पट्टा भुगतान को वित्तपोषण नकदी प्रवाह के रूप में वर्गीकृत किया गया है ।

पट्टादाता के रूप में:

जिन पट्टे के लिए कंपनी पट्टादाता है, उन्हें वित्त या परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। जब भी पट्टे की शर्तें पट्टेदार को स्वामित्व के सभी जोखिम और प्रतिफल हस्तांतरित करती हैं, तो अनुबंध को वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अन्य सभी पट्टें संचालनशील पट्टों के रूप में वर्गीकृत हैं। परिचालन पट्टों के लिए, किराये की आय को संबंधित पट्टे की अवधि के दौरान सीधी रेखा के आधार पर या किसी अन्य व्यवस्थित आधार पर पहचाना जाता है।

1.33. सेगमेंट रिपोर्टिंग

ऑपरेटिंग सेगमेंट की रिपोर्ट समूह के मुख्य परिचालन निर्णय निर्माता (सीओडीएम) को प्रदान की गई आंतरिक रिपोर्टिंग के अनुरूप होती है। समूह का मुख्य परिचालन निर्णय निर्माता है अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक। सीओडीएम संसाधनों को आबंटित करने और समूह के परिचालन खंडों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए जिम्मेदार है।

1.34.नकद और नकद समकक्ष (नकद प्रवाह विवरण के प्रयोजन के लिए)

नकद प्रवाह विवरण के प्रयोजन के राशि में हाथ में बकाया, सरकारी कोष और बैंकों के पास डिमांड जमा आदि शामिल हैं। नकद समतुल्य तीन महीने या उससे अधिक की मूल परिपक्वता लेकिन अधिग्रहण की तारीख से बारह महीने से कम, के साथ अल्पकालिक शेष राशि हैं, लेकिन अधिग्रहण की तारीख से बारह महीने से कम, अत्यधिक लिक्विड निवेश जो आसानी से नकदी की ज्ञात मात्रा में परिवर्तनीय हैं और जो मूल्य में परिवर्तन के महत्वहीन जोखिम के अधीन हैं।

1.35. नकदी प्रवाह विवरण

नकद प्रवाह विवरण भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) - 7 'नकदी प्रवाह विवरण' पर निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार तैयार किया जाता है।

1.36 प्रति शेयर आय

प्रति शेयर मूल आय की गणना अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से इक्विटी शेयरधारकों को निर्धारित अवधि के लिए शुद्ध लाभ या हानि को विभाजित करके की जाती है।

प्रति शेयर लिक्विड आय की गणना के उद्देश्य से, इक्विटी शेयरधारकों को निर्धारित अवधि के लिए शुद्ध लाभ या हानि और अवधि के दौरान बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या सभी डाइल्यूटिव संभावित इक्विटी शेयरों के प्रभावों के लिए समायोजित किया जाता है।

राशि (रुपए लाखों में)

टिप्पणी 2.क : संपत्ति, संयंत्र, उपकरण

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास/परिशोधन/कमी				सकल ब्लॉक	
	1 अप्रैल 2023 तक	वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन	वर्ष के दौरान निपटान/ समायोजन	31 मार्च 2024 तक	1 अप्रैल 2023 तक	वर्ष के लिए	कटौती/समायोजन	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
भूमि *(फ्रीहोल्ड) (टिप्पणी 2.1 देखें)*	1056 80.49	-13 51.31	258.01	1040 71.17	-	-	-	-	1040 71.17	1056 80.49
मकान	1512 48.16	127 66.48	-	1640 14.64	111 78.02	27 61.41	-	139 39.43	1500 75.21	1400 70.14
अस्थायी संरचनाएँ	6.89	1.41	-	8.30	6.76	0.09	-	6.85	1.45	.13
वायडक्ट, पुल, सुरंग और पुलिया	2311 21.78	15,845.15	-	2469 66.93	257 82.91	35 08.48	-	292 91.39	2176 75.54	2053 38.87
संयंत्र एवं यंत्र	91 05.25	182.37	0.30	92 87.32	39 92.13	8 35.52	0.07	48 27.58	44 59.74	51 13.12
रोलिंग स्टॉक	783 74.13	-	-	783 74.13	138 22.02	28 55.25	-	166 77.27	616 96.86	645 52.11
एस्केलेटर एवं लिफ्ट	123 49.95	386.41	-	127 36.36	24 54.45	5 14.91	-	29 69.36	97 67.00	98 95.50
सिग्नलिंग और दूरसंचार उपकरण	219 56.00	1,406.38	-	233 62.38	68 93.47	16 14.10	-	85 07.57	148 54.81	150 62.53
सड़कें	12 80.73	-	-	12 80.73	7 14.49	1 28.07	-	8 42.56	4 38.17	5 66.24
फेंसेस, कुएं, ट्यूबवेल	1 90.58	-	-	1 90.58	1 44.39	24.09	-	1 68.48	22.10	46.19
कंप्यूटर	78 28.92	301.78	-	81 30.70	61 09.95	3 34.82		64 44.77	16 85.93	17 18.97
विद्युत उपकरण	391 68.13	2,224.08	-	413 92.21	166 05.30	37 29.96	-	203 35.26	210 56.95	225 62.83
केबल और नलिकाएं	116 04.98	956.58	-	125 61.56	27 75.47	6 16.09	-	33 91.56	91 70.00	88 29.51
स्विचिंग केंद्र	33 15.31	262.44	-	35 77.75	10 02.23	2 43.61	-	12 45.84	23 31.91	23 13.08
फर्नीचर व फिक्सचर	14 40.06	95.05	1.06	15 34.05	6 01.79	1 29.43	0.64	7 30.58	8 03.47	8 38.27
कार्यालय उपकरण	44 70.32	65.62	1.45	45 34.49	21 88.83	4 21.15	1.37	26 08.61	19 25.88	22 81.49
कम मूल्य की परिसंपत्ति	6 12.41	8.75	-	6 21.16	6 12.41	8.75	-	6 21.16	-	-
वाहन	98.07	301.04	-	399.11	69.24	29.10	-	98.34	300.77	28.83
उपयोग का अधिकार	25.08	-	-	25.08	11.77	5.02	-	16.79	8.29	13.31
कुल	**6798 77.24**	**334 52.23**	**2 60.82**	**7130 68.65**	**949 65.63**	**177 59.85**	**2.08**	**1127 23.40**	**6003 45.25**	**5849 11.61**
गत वर्ष ((पुन: वर्णित)	**6325 44.94**	47,343.07	**10.77**	**6798 77.24**	**767 00.27**	**182 74.46**	**9.10**	**949 65.63**	**5849 11.61**	**5558 44.67**

टिप्पणी 2. ख पूंजी कार्य प्रगति पर

विवरण	1 अप्रैल 2020 तक	वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन	कुल	वर्ष के दौरान पूंजीकृत	31 मार्च 2024 तक
चरण 1ए & 1बी	252 23.87	142 05.93	394 29.80	345 20.20	49 09.60
चरण II (टिप्पणी सं. 34.4 देखें)	6 51.50	13 34.01	19 85.51	-	19 85.51
अन्य	7 59.36	1 35.14	8 94.50	25.59	8 68.91
कुल	**266 34.73**	**156 75.08**	**423 09.81**	**345 45.79**	**77 64.02**
गत वर्ष ((पुन: वर्णित)	**472 74.34**	**242 06.75**	**714 81.09**	**448 46.36**	**266 34.73**

राशि (रुपए लाखों में)

टिप्पणी 3. क: अन्य अमूर्त परिसंपत्तियाँ

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास/परिशोधन/कमी				सकल ब्लॉक	
	1 अप्रैल 2023 तक	वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन	वर्ष के दौरान निपटान/ समायोजन	31 मार्च 2024 तक	1 अप्रैल 2023 तक	वर्ष के लिए	कटौती/समायोजन	1 मार्च 2024 तक	1 मार्च 2023 तक	1 मार्च 2024 तक
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	19 97.43	2 10.20	-	22 07.63	15 54.33	1 29.87	-	16 84.20	5 23.43	4 43.10
ब्रांडिंग कोच्ची मेट्रो	61.60	-	-	61.60	61.60	-	-	61.60	-	-
सौर ऊर्जा क्रय अधिकार	426.66	-	-	4 26.66	10.05	17.07	-	27.12	399.54	416.61
रेलवे को रास्ता छोड़ने का शुल्क	32 82.00	-	-	32 82.00	3 40.69	46.89	-	3 87.58	28 94.42	29 41.31
कुल	**57 67.69**	**2 10.20**	-	**59 77.89**	**19 66.67**	**1 93.83**	-	**21 60.50**	**38 17.39**	**38 01.02**
गत वर्ष	**51 06.72**	**6 60.97**	-	**57 67.69**	**17 43.78**	**2 22.89**	-	**19 66.67**	**38 01.02**	**33 62.94**

टिप्पणी : विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्ति

विवरण	1 अप्रैल 2023 तक	वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन	कुल	वर्ष के दौरान पूंजीकृत	31 मार्च 2024 तक
एसएपी	-	5.31	5.31	-	5.31
कुल	-	5.31	5.31	-	5.31
गत वर्ष ((पुन: वर्णित)	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**

Notes:

2.1. कंपनी ने दिनांक 31 मार्च 2024 तक 38.085 हेक्टेयर निजी भूमि (पिछले वर्ष 38.275 हेक्टेयर) पर कब्जा कर लिया है।

2.2. पूंजीकृत भूमि मूल्य भूमि मालिकों और जिला स्तरीय खरीद समिति के बीच सहमत खरीद मूल्य है या "भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" के तहत पारित अधिनिर्णय के अनुसार हैपंजीकरण शुल्क और स्टांप शुल्क की लागत पर विचार नहीं किया गया है, क्योंकि केरल सरकार ने दिनांक 25 सितंबर 2014 के सरकारी आदेश संख्या जी.ओ. (पी) संख्या 164/2014/टीडी/2353 और 2354 के तहत इन शुल्कों के भुगतान से छूट प्रदान की है और कंपनी ने इन मदों पर कोई व्यय नहीं किया है।

2.3.पंजीकरण शुल्क और स्टांप शुल्क की लागत पर विचार नहीं किया गया है, क्योंकि केरल सरकार ने दिनांक 25 सितंबर 2014 के सरकारी आदेश संख्या जी.ओ. (पी) संख्या 164/2014/टीडी/2353 और 2354 के तहत इन शुल्कों के भुगतान से छूट प्रदान की है और कंपनी ने इन मदों पर कोई व्यय नहीं किया है।

2.4. 161,63.77 लाख रुपए मूल्य की 2.541 हेक्टेयर भूमि के संबंध में सरकारी अभिलेखों में कंपनी के नाम निजी भूमि के पंजीकरण की प्रक्रिया प्रक्रियाधीन है। 395,92.128 रुपए मूल्य के 23.356 हेक्टेयर भूमि अधिनिर्णय के बाद अधिग्रहण किया है।

2.5. केरल सरकार के जीओ (एमएस) संख्या 140/2019/आरडी दिनांकित 22 मई 2019 के तहत रजिस्ट्री पर मुफ्त में लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के कब्जे में केएमआरएल को 17.430 एकड़ भूमि को दर्ज किया है। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 26 के अनुसार के अनुसार भूमि को वर्तमान बाजार मूल्य 139,30.43 लाख रुपये पर दिखाया गया है। 3.

2.6. विभिन्न सरकारी निकायों/विभागों/एनएच की 6.343 हेक्टेयर भूमि पर मेट्रो का कार्य पूर्ण/प्रगति पर है। मूल्य, हस्तांतरण औपचारिकताओं और अन्य नियमों और शर्तों को अंतिम रूप दिए जाने तक, इन भूमि को स्थाई परिसंपत्तियों में शामिल नहीं किया गया है।

2.7. कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान रेलवे भूमि पर कोच्ची मेट्रो रेल परियोजना के वियाडक्ट के निर्माण के लिए दक्षिण रेलवे को रेलवे की भूमि को पार करने की अनुमति के लिए शुल्क के रूप में 27.76 करोड़ रुपये का भुगतान किया। यह अनुमति 2014-15 में भूमि की मौजूदा बाजार कीमत के 99% के बराबर एकमुश्त भुगतान के बदले 35 साल की प्रारंभिक अवधि के लिए ली गई है। अनुमति की अवधि को लागू नाममात्र शुल्क के भुगतान पर 35 वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। एक औपचारिक समझौते के लंबित निष्पादन, 70 वर्षों की अवधि के लिए रेलवे को किए गए 27.76 करोड़ रुपए की राशि अमूर्त परिसंपत्ति और परिशोधन के तहत दिखाया गया है।

2.8. कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान रेलवे भूमि पर कोच्ची मेट्रो रेल परियोजना के वियाडक्ट के निर्माण के लिए दक्षिण रेलवे को रेलवे की भूमि को पार करने की अनुमति के लिए शुल्क के रूप में 5.06 करोड़ रुपये का भुगतान किया। यह अनुमति 2021-22 में भूमि की मौजूदा बाजार कीमत के 99% के बराबर एकमुश्त भुगतान के बदले 35 साल की प्रारंभिक अवधि के लिए ली गई है। अनुमति की अवधि को लागू नाममात्र शुल्क के भुगतान पर 35 वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। रेलवे को भुगतान की गई 5.06 करोड़ रुपये की राशि को अमूर्त परिसंपत्ति के तहत दिखाया गया है और 70 वर्षों की अवधि के लिए परिशोधन किया गया है।

2.9. वसूली, यदि कोई हो, अध्यक्ष, गांधी भवन समिति से लिए गए भवन (भाग) के पुनर्मूल्यांकन प्रमाण पत्र के आधार पर, भूमि अधिग्रहण विभाग से भूमि के संशोधित मूल्यांकन विवरण प्राप्त होने पर प्रभावी की जाएगी। भूमि के मूल्य में संभावित कमी 49.93 लाख रुपये है।

2.10. 3.33 एकड़ की सीमा तक की भूमि के संबंध में स्वामित्व विलेख कंपनी के नाम पर गलती से पंजीकृत हैं और इसको कंपनी की स्थाई परिसंपत्तियों में शामिल नहीं किया है। कोच्ची मेट्रो रेल परियोजना के प्रारंभिक कार्यों को शुरू करने के लिए भूमि अधिग्रहण इकाई द्वारा भूमि अधिग्रहण कर लिया गया है और इस लागत को केरल सरकार की प्रारंभिक निधियों से पूरा किया जा रहा है।

2.11. कार्यालय उपकरण के अंतर्गत समूहीकृत मोबाइल फोन के मामले में, इसका अनुमानित उपयोगी जीवन तीन साल है।

2.12. वर्ष के दौरान, कंपनी ने 33662.43 लाख रुपए मूल्य के मूर्त और अन्य अमूर्त परिसंपत्तियों का पूंजीकरण किया ।

2.13. सरकार ने चरण I, चरण Iए और चरण Iबी के लिए संयुक्त व्यापक प्रशासनिक मंजूरी के लिए अनुमोदन प्रदान करते समय, यह संकेत दिया कि, चरण Iए और चरण Iबी के सभी परिसंपत्तियाँ राज्य सरकार के पास निहित हैं। इसके अलावा दिनांक 24.05.2022 के पत्र सं. ट्रांस-सी2/43/2020-ट्रांस के तहत यह सूचित किया गया है कि चरण 1ए और 1बी के लिए भारत सरकार से अनुदान प्राप्त होने के बाद शर्त में संशोधन किया जाएगा। चरण 1ए के लिए भारत सरकार द्वारा अनुदान जारी किया गया है तथा चरण 1बी के लिए अनुदान विचाराधीन है।

2.14. रेस्को मॉडल के अंतर्गत 4.367 मेगावाट क्षमता के रूफ टॉप सौर संयंत्र की स्थापना के लिए उपलब्धि से जुड़े प्रोत्साहन को सौर ऊर्जा क्रय अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है तथा 25 वर्ष की अवधि में सीधी रेखा पद्धति पर परिशोधित किया गया है।

2.15. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित 0.0315 हेक्टेयर भूमि को बिक्री हेतु रखी गई परिसंपत्तियों के अंतर्गत दर्शाया गया है।

2.16. अतिरिक्त मुआवजे के रूप में 14.68.64 लाख रुपये की राशि को फ्रीहोल्ड भूमि के रूप में पूंजीकृत किया गया है, जिसे वर्ष 2017 के एलएआर 15 के विरुद्ध निर्णय के आधार पर वर्ष के दौरान अमान्य घोषित कर दिया गया है तथा इसे वर्ष के दौरान भूमि के सकल ब्लॉक (फ्रीहोल्ड) में समायोजन के तहत दर्शाया गया है।

राशि (रुपए लाखों में)

टिप्पणी 4 : अन्य गैर चालू परिसंपत्तियाँ - वित्तीय परिसंपत्तियाँ	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
कोच्ची वाटर मेट्रो लिमिटेड में इक्विटी उपकरण (गैर उद्धृत) (कृपया टिप्पणी संख्या 34.36 देखें)	1 27.40	1 27.40
100 रुपये प्रति शेयर के 1,27,400 इक्विटी शेयर को पूरी तरह से प्रदत्त किया है।		
कम करें: संचित रिज़र्व का शेयर (*)	(8.59)	17.90
कुल	**1 18.81**	**1 45.30**

**केडब्ल्यूएमएल के पुन: घोषित वित्तीय विवरण पर आधारित*

राशि (रुपए लाखों में)

टिप्पणी 5 : अन्य गैर चालू परिसंपत्तियाँ - वित्तीय परिसंपत्तियाँ	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
बैंकों और वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋण के प्रति केरल सरकार से प्राप्य (कृपया टिप्पणी संख्या 34.12 देखें)	598 78.96	582 93.57
सुरक्षा जमा (असुरक्षित और बेहतर माना जाता है)	1 37.92	1 17.30
कुल	**600 16.88**	**584 10.87**

राशि (रुपए लाखों में)

टिप्पणी 6 : अन्य गैर चालू परिसंपत्तियाँ	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
पूंजीगत अग्रिम - परियोजना के लिए (असुरक्षित और बेहतर मानने वाला) ;		
- जिलाधीश को भूमि अधिग्रहण के लिए (टिप्पणी सं. 34.9 देखें)	118 00.79	54 72.52
- पूंजीगत अग्रिम	7 29.39	.00
पूंजीगत अग्रिम - प्रारंभिक कार्यों के लिए (असुरक्षित और बेहतर माना जाता है);		
- जिलाधीश को भूमि अधिग्रहण के लिए (टिप्पणी संख्या 34.9 देखें)	32 15.93	52 18.39
प्रीपेड व्यय	73.25	77.00
प्राप्य कर वापसी	7 82.51	2 22.07
प्राप्य एमएटी क्रेडिट	17.44	17.44
कुल	**166 19.31**	**110 07.42**

राशि (रुपए लाखों में)

टिप्पणी 7 : इन्वेंटरी	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
औजारों का स्टॉक	325.61	373.14
कम करें: मूल्य में ह्रास के लिए प्रावधान	(42.99)	(47.53)
	282.62	325.61
पुर्जों का भंडार और स्टॉक	89.63	34.07
कुल	**3 72.25**	**3 59.68**

राशि (रुपए लाखों में)

टिप्पणी 8 : व्यापार प्राप्तियाँ [चालू] वित्तीय परिसंपत्तियाँ	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
असुरक्षित- बेहतर मानने वाला (टिप्पणी सं. 34.31.2.ग देखें)	7 31.47	13 45.31
ऋण क्षति (टिप्पणी सं. 34.31.2.ङ देखें)	5 26.05	1 84.74
कम करें: क्षतिग्रस्त ऋण व्यापार प्राप्य के लिए भत्ता	(5 26.05)	(1 84.74)
	.00	.00
कुल	**7 31.47**	**13 45.31**

राशि (रुपए लाखों में)

टिप्पणी 9 : नकद और नकद समकक्ष [चालू]	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
नकद शेष	34.33	22.39
बैंकों में बकाया (चालू और स्वीप खातों में)	16 13.42	85 45.11
बैंकों में सावधि जमा (मूल परिपक्वता अवधि 3 महीने या उससे कम)	93 88.00	147 61.00
	110 35.75	**233 28.50**

राशि (रुपए लाखों में)

टिप्पणी 10 : अन्य बैंक बकाया [चालू]	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
बैंकों में सावधि जमा (मूल परिपक्वता अवधि 3 महीने से अधिक तथा 12 महीने में परिपक्व होने वाली)	6 75.56	6 39.18
बैंकों के साथ विशेष प्रयोजन के लिए निर्दिष्ट बकाया *	38 56.70	32 18.70
कुल	**45 32.26**	**38 57.88**

* केरल वाणिज्यिक कर/ऋण सेवा आरक्षित खाते के साथ बैंकों में गिरवी रखे गए सावधि जमा

राशि (रुपए लाखों में)

टिप्पणी 11 : अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ [चालू]	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
केरल सरकार से प्राप्य		
-बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋण के बदले (टिप्पणी संख्या 34.12 देखें)	195 10.96	184 04.83
- अन्य	14 80.32	.00
असुरक्षित, बेहतर माना गया , जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो		
- अर्जित ब्याज	1 14.39	1 30.69
- अर्जित आय, किन्तु देय नहीं	50.70	20.35
- सुरक्षित जमा	22 63.60	13 72.42
- अन्य कर्मचारी अग्रिम	1.07	2.88
- अन्य (केरल सरकार से प्राप्त वित्तीय सहायता सहित - टिप्पणी सं. 34.19 देखें)	5 75.25	2 35.74
असुरक्षित, संदिग्ध माना जाने वाला		
- अन्य	84.69	84.69
कम करें : अग्रिम - ऋण क्षति (टिप्पणी संख्या 34.31.2.ङ देखें)	(84.69)	(84.69)
	.00	.00
कुल	**239 96.29**	**201 66.91**

राशि (रुपए लाखों में)

टिप्पणी 12 : अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
प्रीपेड व्यय	150.95	199.10
अन्य अग्रिम	60 37.84	40 56.40
जीएसटी इनपुट क्रेडिट	169.36	89.44
कुल	**63 58.15**	**43 44.94**

टिप्पणी 13 : बिक्री हेतु रखी गई परिसंपत्तियाँ	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
निपटान हेतु रखी गई परिसंपत्तियाँ (टिप्पणी संख्या 34.39 देखें)	260.00	1.31
	2 60.00	**1.31**

टिप्पणी 14 : इक्विटी शेयर पूंजी

विवरण	31 मार्च 2024 तक		31 मार्च 2023 तक	
	शेयरों की संख्या	**राशि (रुपए लाखों में)**	**शेयरों की संख्या**	**राशि (रुपए लाखों में)**
प्राधिकृत				
प्रत्येक 100 रुपये के इक्विटी शेयर	21 00 00 000	2100 00.00	21 00 00 000	2100 00.00
जारी, अभिदत्त और पूर्ण भुगतान किया गया				
प्रत्येक 100 रुपये के इक्विटी शेयर पूरी तरह से भुगतान किए गए	**15 07 46 000**	**1507 46.00**	**15 07 46 000**	**1507 46.00**

शेयरों की संख्या और बकाया राशि का समाधान

विवरण	31 मार्च 2024 तक		31 मार्च 2023 तक	
	शेयरों की संख्या	**राशि (रुपए लाखों में)**	**शेयरों की संख्या**	**राशि (रुपए लाखों में)**
वर्ष के आरंभ में बकाया इक्विटी शेयर	15 07 46 000	1507 46.00	15 07 46 000	1507 46.00
जोड़ें : वर्ष के दौरान जारी किए गए शेयर	-	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया इक्विटी शेयर	**15 07 46 000**	**1507 46.00**	**15 07 46 000**	**1507 46.00**

14.1 कंपनी में 5% से अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारकों का विवरण

शेयरधारक का नाम	31 मार्च 2024 तक		31 मार्च 2023 तक	
	शेयरों की संख्या	होल्डिंग का %	शेयरों की संख्या	होल्डिंग का %
भारत के राष्ट्रपति	7 53 73 000	50.00	7 53 73 000	50.00
केरल के राज्यपाल	7 53 73 000	50.00	7 53 73 000	50.00

14.2 कंपनी के पास इक्विटी शेयरों की एक श्रेणी है जिसका सममूल्य 100 रुपये प्रति शेयर है। प्रत्येक शेयरधारक समय-समय पर घोषित लाभांश प्राप्त करने का हकदार है और कंपनी की बैठक में प्रति शेयर एक वोट के लिए भी हकदार है। परिसमापन की स्थिति में, इक्विटी शेयरधारक सभी अधिमान्य राशि, यदि कोई हो, के वितरण के बाद उनके पास मौजूद शेयरों की संख्या के अनुपात में कंपनी की शेष परिसंपत्ति प्राप्त करने के पात्र हैं। भारत के माननीय राष्ट्रपति और केरल के माननीय राज्यपाल ने क्रमशः पाँच और चार नामांकित निदेशकों को नामित किया है।

राशि (रुपए लाखों में)

टिप्पणी सं. 15 : अन्य इक्विटी	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
आस्थगित आय		
मौद्रिक अनुदान		
ब्याज मुक्त उप ऋण (टिप्पणी संख्या 34.5 देखें)		
भारत सरकार	191 03.89	196 38.98
केरल सरकार	2239 39.38	2039 05.04
केरल सरकार - राज्य करों की प्रतिपूर्ति (टिप्पणी संख्या 34.6 देखें)	189 59.42	196 79.79
भारत सरकार (चरण 1ए) (टिप्पणी संख्या 34.7 देखें)	44 21.55	45 81.20
	2664 24.24	**2478 05.01**
गैर-मौद्रिक अनुदान		
केरल सरकार - फ्रीहोल्ड भूमि (टिप्पणी संख्या 34.8 देखें)	139 30.43	139 30.43
शेयर आवेदन राशि आवंटन लंबित		
भारत सरकार *	100 00.00	100 00.00
लाभ और हानि विवरण में अधिशेष		
वर्षारंभ में बकाया राशि	(1815 34.04)	(1479 09.63)
जोड़ें: लेखांकन नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि की त्रुटियाँ	-	(1 47.12)
जोड़ें: चालू वर्ष के कुल व्यापक आय	(433 21.38)	(334 77.29)
घटाएँ: प्रारंभिक शेष राशि में पूर्व अवधि समायोजन		
वर्ष के अंत तक शेष राशि	**(2248 55.42)**	**(1815 34.04)**
अन्य व्यापक आय		
वर्ष के प्रारंभ में बकाया राशि	(1 30.07)	(54.82)
जोड़ें: चालू वर्ष के कुल व्यापक आय	(54.57)	(75.25)
घटाएँ: प्रारंभिक बकाया राशि में पूर्व अवधि समायोजन		
वर्ष के अंत तक शेष राशि	**(1 84.64)**	**(1 30.07)**
कुल	**653 14.61**	**900 71.33**

* 31.03.2024 तक जारी किये जाने वाले शेयरों की संख्या 1,00,00,000 शेयर (गत वर्ष 1,00,00,000 शेयर) है, जिसका मूल्य 100/- रुपये प्रति शेयर है।
केरल सरकार से समतुल्य अंशदान प्राप्त होने पर शेयर जारी किए जाएंगे।
आज की तिथि तक अधिकृत शेयर पूंजी की शेष राशि 592.54 लाख रुपये (592.54 लाख रुपये) है।

राशि (रुपए लाखों में)

टिप्पणी 16.क : उधार [गैर चालू]	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
सावधि ऋण (सुरक्षित)		
बैंकों से (टिप्पणी संख्या 34.11 देखें)	2101 67.74	2077 54.69
सावधि ऋण (असुरक्षित)		
वित्तीय संस्थाओं से (टिप्पणी संख्या 34.11 देखें)	505 33.11	459 37.83
पास-थ्रू सहायता - भारत सरकार (टिप्पणी संख्या 34.13 देखें)	953 44.21	1019 79.75
ब्याज मुक्त उप ऋण (असुरक्षित) (टिप्पणी संख्या 34.5 देखें)		
भारत सरकार	57 46.11	52 11.02
केरल सरकार	785 28.73	623 98.73
कुल	**4403 19.90**	**4232 82.02**

राशि (रुपए लाखों में)

टिप्पणी 16.ख : पट्टा देयताएं [गैर चालू]	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
पट्टा देयता (टिप्पणी संख्या 34.26.1 देखें)	4.13	9.59
	4.13	**9.59**

राशि (रुपए लाखों में)

टिप्पणी 17 : अन्य वित्तीय देयताएं [गैर चालू]	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
अवधारण	5 08.96	4 36.66
सुरक्षा जमा	6 28.74	7 75.46
केरल राज्य सहकारी बैंक ऋण पर देय ब्याज	20 14.90	30 22.36
कुल	**31 52.60**	**42 34.48**

राशि (रुपए लाखों में)

टिप्पणी 18 : प्रावधान [गैर चालू]	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान (टिप्पणी संख्या 34.14 और 34.15 देखें)		
उपदान का प्रावधान	11 26.78	9 12.80
अर्जित छुट्टी का प्रावधान	10 38.51	8 52.16
अर्धवेतन छुट्टी का प्रावधान	3 11.36	2 60.06
छुट्टी यात्रा रियायत का प्रावधान	79.23	75.23
कुल	**25 55.88**	**21 00.25**

राशि (रुपए लाखों में)

टिप्पणी 19 : आस्थगित कर देयताएं [गैर चालू]	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
आस्थगित कर देयताएं (टिप्पणी संख्या 34.21 देखें)		
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण और अमूर्त परिसंपत्तियों के बही शेष और कर शेष के बीच अंतर पर	-	-
आस्थगित कर परिसंपत्ति (टिप्पणी संख्या 34.21 देखें)		
अनवशोषित मूल्यहास और हानि	-	-
कुल	-	-

राशि (रुपए लाखों में)

टिप्पणी 20 : अन्य गैर चालू देयताएं	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम राशि	3 78.44	4 16.11
आस्थगित उचित मूल्यांकन - लाभ (सुरक्षा जमा)	15 30.49	12 06.09
कुल	**19 08.93**	**16 22.20**

राशि (रुपए लाखों में)

टिप्पणी 21.क : उधार [चालू]	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
चालू एवं देय नहीं :		
सावधि ऋण (सुरक्षित)		
बैंकों से (टिप्पणी संख्या 34.11 देखें)	74 00.00	57 14.00
सावधि ऋण (असुरक्षित)		
वित्तीय संस्थाओं से (टिप्पणी संख्या 34.11 देखें)	72 28.00	72 28.00
पास-थ्रू सहायता - भारत सरकार (टिप्पणी संख्या 34.13 देखें)	66 35.54	66 35.54
कार्यशील पूंजी ऋण - केनरा बैंक (सुरक्षित) (टिप्पणी संख्या 34.11 देखें)	26 32.05	35 45.34
कुल	**238 95.59**	**231 22.88**

राशि (रुपए लाखों में)

टिप्पणी 21.ख : पट्टा देयताएं [चालू]	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
पट्टा देयता (टिप्पणी संख्या 34.26.1 देखें)	5.46	4.98
कुल	**5.46**	**4.98**

राशि (रुपए लाखों में)

टिप्पणी 22 : व्यापार देयताएं [चालू]	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
व्यापार देयताएं (टिप्पणी संख्या 34.35 देखें)		
- सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों का कुल बकाया	11.70	1.36
- सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के अलावा अन्य ऋणदाताओं का कुल बकाया	11 98.10	12 63.31
कुल	**12 09.80**	**12 64.67**

राशि (रुपए लाखों में)

टिप्पणी 23 : अन्य वित्तीय देयताएं [चालू]	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
चालू एवं देय नहीं :		
उधार पर ब्याज अर्जित हुआ लेकिन देय नहीं	20 91.74	19 14.10
असुरक्षित		
- अवधारण	20 07.36	12 74.89
- व्यापार / सुरक्षा जमा प्राप्त	5 53.77	6 46.83
- भूमि अधिग्रहण और संरचनात्मक मूल्यांकन	58 81.33	79 03.60
- अन्य;		
- परियोजना संबंधी देयताएं (बाह्य परियोजना देयताओं सहित)	170 59.98	132 14.87
- भारत सरकार (टिप्पणी संख्या 34.13 देखें)	62 24.39	50 23.14
- केरल सरकार (टिप्पणी संख्या 34.18 देखें)	74 56.98	79 73.00
- अन्य	43 30.59	22 11.68
कुल	**456 06.14**	**401 62.11**

राशि (रुपए लाखों में)

टिप्पणी 24 : अन्य चालू देयताएं	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
वैधानिक भुगतान	5 65.36	4 94.08
ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम राशि	11 58.76	8 93.94
आस्थगित उचित मूल्यांकन लाभ (सुरक्षा जमा)	.71	1 00.46
कुल	**17 24.83**	**14 88.48**

राशि (रुपए लाखों में)

टिप्पणी 25 : प्रावधान [वर्तमान]	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान (टिप्पणी संख्या 34.14 और 34.15 देखें)		
उपदान का प्रावधान	88.09	57.94
अर्जित छुट्टी का प्रावधान	1 49.32	1 34.05
अर्धवेतन छुट्टी का प्रावधान	29.14	22.50
छुट्टी यात्रा रियायत का प्रावधान	21.06	20.00
कुल	**2 87.61**	**2 34.49**

राशि (रुपए लाखों में)

टिप्पणी 26 : परिचालन से राजस्व	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
रेल परिचालन से राजस्व	99 88.14	75 48.62
गैर किराया बॉक्स राजस्व	51 41.96	43 35.82
कुल	**151 30.10**	**118 84.44**

राशि (रुपए लाखों में)

टिप्पणी 27 : अन्य आय	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
सरकारी अनुदान (भारत सरकार और जम्मू-कश्मीर से ब्याज मुक्त अधीनस्थ ऋणों के ऊपर लाभ)	68 34.06	56 98.57
सरकारी अनुदान (भारत सरकार और केरल सरकार से)	8 80.02	8 71.52
बाह्य परियोजना परामर्श आय	2 23.30	4 17.85
बैंक जमा पर ब्याज	12 54.36	7 20.13
अन्य गैर-परिचालन आय (टिप्पणी संख्या 27.1 देखें)	2 15.20	3 81.67
सुरक्षा जमा की वापसी से आय	1 03.85	1 24.58
कुल	**95 10.79**	**82 14.32**

27.1 अन्य गैर परिचालन आय :		
आवेदन/निविदा प्रसंस्करण शुल्क	33.06	17.68
अन्य ब्याज	8.84	35.52
अन्य	1 73.30	3 28.47
कुल	**2 15.20**	**3 81.67**

राशि (रुपए लाखों में)

टिप्पणी 28 : परिचालन व्यय	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
ग्राहक सुविधा व्यय	15 26.29	14 02.22
बिजली और पानी का शुल्क	21 44.11	18 73.12
सुरक्षा एवं अन्य आउटसोर्स व्यय	12 50.76	11 59.01
दलाली	4 71.44	3 56.34
अन्य परिचालन व्यय	2 84.27	2 52.70
कुल	**56 76.87**	**50 43.39**

राशि (रुपए लाखों में)

टिप्पणी 29 : कर्मचारी लाभ व्यय	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
वेतन और मजदूरी	45 68.61	41 85.70
भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में अंशदान	3 82.98	3 48.01
उपदान व्यय (टिप्पणी संख्या 34.14 और 34.15 देखें)	1 56.18	1 37.05
कर्मचारी कल्याण व्यय	2 97.55	2 16.25
कुल	**54 05.32**	**48 87.01**

राशि (रुपए लाखों में)

टिप्पणी 30 : वित्तीय लागत	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
क) पास-थ्रू सहायता पर ब्याज - भारत सरकार		
सकल ब्याज (ए)	56 45.67	24 93.47
लाभ और हानि विवरण (ए) में कुल स्थानांतरण	**56 45.67**	**24 93.47**
ख) बैंकों से ऋण पर ब्याज		
सकल ब्याज (ए)	**185 65.91**	**157 52.06**
घटाएँ: निर्माण के दौरान व्यय (बी)	(18 54.29)	(19 84.92)
लाभ और हानि विवरण (ए-बी) में कुल स्थानांतरण	**167 11.62**	**137 67.14**
ग) अधीनस्थ ऋण पर ब्याज (टिप्पणी संख्या 34.5 देखें)		
अधीनस्थ ऋण पर ब्याज व्यय की समाप्ति (ए)	68 34.06	56 98.57
लाभ और हानि विवरण में कुल स्थानांतरण (ए)	**68 34.06**	**56 98.57**
घ) प्रतिधारण धन और सुरक्षा जमा के उचित मूल्यांकन पर ब्याज		
प्रतिधारण धन जमा पर ब्याज व्यय की समाप्ति (ए)	97.12	1 25.40
घटाएँ: निर्माण के दौरान व्यय (बी)	(2.18)	(7.27)
घटाएँ: केरल सरकार को देय (सी)	(1.46)	(7.79)
लाभ और हानि विवरण में कुल स्थानांतरण (ए-बी-सी)	**93.48**	**1 10.34**
ई) पट्टा देयता पर ब्याज		
पट्टा देयता पर ब्याज व्यय (ए)	1.14	1.58
लाभ और हानि विवरण में कुल स्थानांतरण (ए)	**1.14**	1.58
ई) गारंटी कमीशन		
केरल सरकार को देय गारंटी कमीशन (ए)	1 36.34	1 37.29
लाभ और हानि विवरण में कुल स्थानांतरण (ए)	**1 36.34**	**1 37.29**
कुल योग- लाभ और हानि विवरण में स्थानांतरण	**294 22.31**	**222 08.39**

राशि (रुपए लाखों में)

टिप्पणी 31 : मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
मूर्त परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास (टिप्पणी सं.1.14 और 2ए देखें)	177 54.84	182 69.44
उपयोग के अधिकार पर मूल्यह्रास	5.02	5.02
अमूर्त परिसंपत्ति का परिशोधन (टिप्पणी संख्या 1.14 और 3 देखें)	1 93.83	2 22.89
कुल	**179 53.69**	**184 97.35**

राशि (रुपए लाखों में)

टिप्पणी 32 : अन्य व्यय	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
मरम्मत और रखरखाव	15 26.59	10 19.15
बीमा	4 39.24	7 20.59
सड़क निर्माण/स्टेशन उन्मुख निर्माण	60 46.63	2 89.11
कानूनी और पेशेवर	84.86	2 58.57
कार्यालय और अन्य विविध व्यय	1 05.03	1 35.40
बाहरी परियोजना परामर्श	1 37.21	2 96.10
विज्ञापन और प्रचार व्यय	93.52	79.29
यात्रा और परिवहन व्यय	95.74	82.04
बाढ़ के बाद बहाली व्यय	4 16.33	17.85
किराया, दरें और कर *	1 53.53	12.96
बैंक शुल्क	35.07	21.98
विनिमय उतार-चढ़ाव हानि / (लाभ) (टिप्पणी संख्या 34.2.2 देखें)	(4.83)	6.20
व्यापार प्राप्तियों पर अपेक्षित क्रेडिट हानि	3 41.31	11.77
लेखा परीक्षकों को भुगतान (टिप्पणी संख्या 32.1 देखें)	7.36	7.99
कुल	**94 77.59**	**29 59.00**

राशि (रुपए लाखों में)

32.1 लेखा परीक्षकों को भुगतान	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
लेखा परीक्षा शुल्क *	6.32	6.64
अन्य सेवाएँ	0.85	0.89
व्यय की प्रतिपूर्ति	0.19	0.46
कुल	**7.36**	**7.99**

* इसमें सीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 42 के अनुसार जीएसटी आईटीसी रिवर्सल शामिल है

टिप्पणी 33 : प्रति इक्विटी शेयर आय	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
आय		
कर के बाद शुद्ध लाभ/(हानि) (लाख रुपए में)	(433 75.95)	(335 52.54)
शेयर		
वर्ष के आरंभ में जारी एवं भुगतान किए गए शेयरों की संख्या	1507460 00.00	1507460 00.00
वर्ष के प्रारंभ में आवंटन हेतु लंबित शेयर आवेदन राशि के संबंध में समतुल्य शेयरों की संख्या	100000 00.00	10136 99.00
बेसिक ईपीएस के लिए वर्ष के दौरान बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या	1507460 00.00	1507460 00.00
वर्ष के दौरान डिलूटेड ईपीएस के लिए बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	1607460 00.00	1517596 99.00
प्रति शेयर आय		
100/- रुपये प्रति सममूल्य के इक्विटी शेयर		
- मूल राशि (रु.)	**(28.77)**	**(22.26)**
डिलूटेड (रु.)	**(26.98)**	**(22.11)**

टिप्पणी सं. 34 समेकित वित्तीय विवरणों के अतिरिक्त जानकारी

34.1 विदेशी मुद्रा में व्यय

राशि (रुपए लाखों में)

विवरण	दिनांक 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	दिनांक 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
के.एम.आर.एल द्वारा व्यय		
- अनुबंध	5 88.56	2 48.85
- अन्य	12.46	5.78
डी.एम.आर.सी द्वारा अनुबंधों पर व्यय (*)	6 39.89	2 45.32

* वर्ष 2023-24 के लिए डीएमआरसी से प्राप्त पुष्टि के आधार पर।

34.2 विदेशी विनिमय दर भिन्नता

34.2.1 भारत सरकार द्वारा कंपनी को प्रदान की जाने वाली पास थ्रू सहायता (पीटीए), ऋणदाता के रूप में जेंसफ्रैंसेज डी डेवलपमेंट (एएफडी) और उधारकर्ता के रूप में भारत सरकार (भारत सरकार) के बीच चरण I के लिए 180 मिलियन यूरो के ऋण सुविधा समझौते पर आधारित है। चरण I के लिए पीटीए निधि भारत सरकार द्वारा भारतीय रुपए में बजटीय प्रावधानों के माध्यम से कंपनी को जारी किए गए। पीटीए के रूप में 1327,10.77 लाख रुपए (180 मिलियन यूरो के बराबर) की संपूर्ण ऋण राशि को कई किस्तों में पीटीए के रूप में कंपनी को भारतीय रुपए में हस्तांतरित की गई । कंपनी की देयताएँ भारत सरकार के साथ है। कंपनी की पुनर्भुगतान दायित्व प्राप्त पीटीए की राशि के बराबर भारतीय रुपए तक सीमित है। तदनुसार, संबंधित तुलन पत्र की तारीख के अनुसार कंपनी ने भारत सरकार से प्राप्त पीटीए से विदेशी विनिमय दर भिन्नता हानि/लाभ को मान्यता नहीं दी है।

भारत सरकार ने केएमआरएल की गैर-मोटर चालित परिवहन (एनएमटी) पहलों के लिए 27 मिलियन यूरो के लिए ऋण सुविधा समझौता किया है। भारत के राज्यों को विकास सहायता के लिए भारत सरकार की मानक प्रक्रियाओं के अनुसार ये निधियाँ भारत सरकार को भारतीय रुपए में हस्तांतरित की जाती हैं। वर्ष 2023-24 तक भारत सरकार से पीटीए के रूप में केएमआरएल को 24.46.67 लाख रुपये (2.84 मिलियन यूरो के बराबर) की राशि हस्तांतरित की गई । कंपनी का पुनर्भुगतान दायित्व पीटीए की राशि के बराबर भारतीय रुपये तक सीमित है। तदनुसार, संबंधित तुलन पत्र की तारीख के अनुसार कंपनी ने भारत सरकार से प्राप्त पीटीए से विदेशी विनिमय दर भिन्नता हानि/लाभ को मान्यता नहीं दी है। पीटीए के तहत के देयता को भारतीय रुपये में मान्यता दी जाती है।

इसके अलावा, भारत सरकार, केरल सरकार और कंपनी के बीच दिनांक 4 नवंबर 2013 को हुए समझौता ज्ञापन के खंड 12.1 के अनुसार, विनिमय दर में होने वाले बदलावों को केरल सरकार द्वारा पूरा किया जाएगा/व्यवस्थित किया जाएगा। इसके अलावा, सामान्य वित्तीय नियम 2017 के नियम 273 के अनुसार, भारत सरकार विदेशी विनिमय दर में होने वाले बदलावों को तभी मान्यता देगी जब ऋण पूरी तरह से चुका दिया गया हो, न कि ऋण अवधि के दौरान और

विनिमय दर में होने वाले बदलावों का लेखा-जोखा "8680 विविध सरकारी खातों" में समायोजित/बट्टे खाते में डाल दिया जाएगा।

विनिमय दर में इस तरह के बदलाव के कारण होने वाले अंतर का निपटान एमओयू के अनुसार सरकार द्वारा किया जाएगा । तदनुसार, क्रमशः डी.ओ. सं.के-14011/03/2023-यूटी-वी दिनांकित 31.05.2023 और पत्र सं. के-14011/37/2005-एमआरटीएस-IV दिनांकित 11 अक्तूबर, 2023 के तहत 47 60.00 लाख रुपये और 12 18.23 लाख रुपये, जो भारत सरकार द्वारा भुगतान की गई राशि और कंपनी द्वारा भारत सरकार को भारतीय रुपये में चुकाई गई राशि के बीच का अंतर है, क्रमशः सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

34.2.2 भारतीय लेखा मानक -21, "विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन का प्रभाव" के संबंध में प्रकटीकरण। वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव (पीटीए से संबंधित लेनदेन के अलावा) का प्रभाव निम्नानुसार है:

चालू वर्ष के लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त विनिमय अंतर (शुद्ध विदेशी मुद्रा) की कुल राशि 4.83 लाख रुपए (पि. वर्ष 2022-23, 6.20 लाख रुपए की हानि) का लाभ है।

34.3 सीडब्ल्यूआईपी से परिसंपत्तियों का पूंजीकरण

वर्ष के दौरान, कंपनी ने पिछले वर्षों के दौरान पहले से पूंजीकृत परिसंपत्ति के मूल्य में 22.97 लाख रुपए के अंतर को मान्यता दी है। दिनांक 23 मई 2013 को डी.एम.आर.सी और के.एम.आर.एल के बीच हुए समझौता ज्ञापन के खंड 6.1.20 के अनुसार डी.एम.आर.सी के आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा प्रमाणित स्थाई परिसंपत्ति रजिस्टर प्राप्त करने में देरी की प्रत्याशा में, के.एम.आर.एल ने डी.एम.आर.सी द्वारा सौंपे गए बयान पर भरोसा किया है। आंतरिक लेखापरीक्षकों द्वारा जारी किए जाने वाले प्रमाणपत्रों के आधार पर, स्थाई परिसंपत्तियों के मूल्यांकन पर यदि कोई अंतर हैं तो, उसको वर्ष 2024-25 में मान्यता दी जाएगी।

विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों सहित सीडब्ल्यूआईपी की चालू वर्ष की अनुसूची

राशि (रुपए लाखों में)

विवरण	अथशेष	वर्ष के दौरान हुए जोड़	23-24 में पूँजीकृत	रोकड़ बाकी
चरण Iए & Iबी *	252 23.87	142 05.93	345 20.20	49 09.60
चरण II	6 51.50	13 34.01	0.00	19 85.51
अन्य	7 59.36	1 40.45	25.59	8 74.22
कुल योग	266 34.73	156 80.39	345 45.79	77 69.33

•चरण I, चरण Iए और चरण Iबी के लिए संयुक्त व्यापक प्रशासनिक मंजूरी के लिए अनुमोदन प्रदान करते हुए, केरल सरकार ने यह ह संकेत दिया गया था कि, चरण Iए और चरण Iबी के सभी परिसंपत्तियाँ राज्य सरकार के पास निहित हो जाएँ। केरल सरकार के दिनांक 24.05.2022 के पत्र संख्या ट्रांस-सी2/43/2020-ट्रांस के तहत केरल सरकार ने यह जानकारी दी है, भारत सरकार से अनुदान प्राप्त होने के बाद शर्त में संशोधन किया जाएगा। भारत सरकार द्वारा चरण 1ए

तथा चरण 1बी के लिए जारी अनुदान पर विचार किया जा रहा है । केरल सरकार से संशोधन लंबित होने तक, कंपनी ने प्रचलित लेखांकन नीतियों के अनुसार चरण 1ए और 2बी परिसंपत्तियों का पूंजीकरण किया ।

34.4 पूंजीगत कार्य प्रगति पर (सीडब्ल्यूआईपी)

तुलन पत्र की तिथि पर निर्माणाधीन या स्थापित परियोजना के विभिन्न घटकों से संबंधित सभी प्रत्यक्ष व्यय को सीडब्ल्यूआईपी के तहत मान्यता दी जाती है । किसी योग्य परिसंपत्ति के अधिग्रहण और निर्माण के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार उधार लेने की लागत उन परिसंपत्तियों की लागत में जोड़ दी जाती है, जब तक कि परिसंपत्तियां अपने इच्छित उपयोग या बिक्री के लिए काफी हद तक तैयार न हो जाएं । उधार लेने की लागत का विवरण नीचे दिया गया है;

राशि (रुपए लाखों में)

विवरण	लाभ और हानि विवरण में दर्शाई गई उधार लेने की लागत	वर्ष के दौरान पूंजीकृत उधार लागत	वर्ष के दौरान कुल उधार लागत
चालू वर्ष	224 93.63	18 54.29	243 47.92
गत वर्ष	163 97.90	19 84.92	183 82.82

आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, शहरी परिवहन प्रभाग के पत्र एफ.सं.के-14011/08/2015-एमआरटीएस-IV दिनांकित 21 नवंबर, 2022 के माध्यम से 1957 05.00 लाख रुपये की राशि के लिए जेएलएन स्टेडियम से इन्फोपार्क से लेकर कक्कानाड तक के कोच्ची मेट्रो रेल परियोजना- चरण II को मंजूरी दी । केरल सरकार ने भी का. आ. (एमएस) संख्या 23/2023/ट्रांस दिनांकित 03.04.2023 के माध्यम से अनुमति प्रदान की । परियोजना के क्रियान्वयन के लिए नियम व शर्तों का विवरण देने वाले समझौता ज्ञापन पर 10 फरवरी 2023 को भारत सरकार, केरल सरकार और कंपनी के बीच हस्ताक्षर किए गए ।

विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की तैयारी, यातायात अध्ययन और विस्तार के लिए कंपनी द्वारा किए गए निर्माण संबंधी व्यय को सीडब्ल्यूआईपी- चरण II के तहत समूहीकृत किया गया है ।

कोच्ची मेट्रो विस्तार कार्यों के हिस्से के रूप में अलुवा से अंगमाली (एयरपोर्ट लिंक के साथ) तक चरण III परियोजना के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है ।

<u>**सीडबल्यूआईपी का आयु निर्धारण अनुसूची**</u>

राशि (रुपए लाखों में)

सीडबल्यूआईपी	अवधि	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
परियोजनाएं प्रगति पर हैं	31.03.2024 को	24 36.37	41 90.17	1 11.58	10 25.90	77 64.02
	31.03.2023 को	177 56.51	63 15.86	14 24.40	11 37.96	266 34.73

सीडब्ल्यूआईपी अमूर्त परिसंपत्तियों की आयु निर्धारण अनुसूची

राशि (रुपए लाखों में)

सीडबल्यूआईपी	अवधि	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
परियोजनाएं प्रगति पर हैं	31.03.2024 को	5.31	0.00	0.00	0.00	5.31
	31.03.2023 को	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

34.5 सरकारी ऋण लेखांकन (अधीनस्थ ऋण) और संबंधित वित्त लागत

34.5.1 शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या के-14011/37/2005-एमआरटीएस-IV दिनांकित 12 जुलाई 2012 के तहत कोच्ची मेट्रो रेल परियोजना का अनुमोदन करते हुए, यह संकेत दिया गया कि अधिग्रहित भूमि की लागत के लिए 67200 लाख रुपए की राशि केरल सरकार से ब्याज मुक्त अधीनस्थ ऋण के रूप में प्रदान की जाएगी। तदनुसार, केरल सरकार ने दिनांक 31 मार्च 2017 को भूमि अधिग्रहण के लिए अधीनस्थ ऋण के रूप में 306,25 लाख रुपए जारी किए । शेष राशि के लिए, केरल सरकार ने कंपनी को सरकार की ओर से सावधि ऋण लेने का निर्देश दिया।

केरल सरकार द्वारा जारी आदेश संख्या (एमएस) 20/2015/ट्रांस दिनांकित 25.03.2015 के तहत निर्देशित के अनुसार, कंपनी ने भूमि अधिग्रहण के लिए "केरल स्टेट कोऑपरेटिव बैंक" जिसे पहले "एरणाकुलम डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (ईडीसीबी)" के नाम से जाना जाता था, से 470,00 लाख रुपए की एक सावधि ऋण ले लिया। कुल 470,00 लाख रुपए में से 366,00 लाख रुपए चरण I के भूमि अधिग्रहण के लिए है और 104,00 लाख रुपए कुन्नरा पार्क से पेट्टा तक के वैट्टिला-पेट्टा रोड के लिए है। केरल सरकार द्वारा बैक-टू-बैक आधार पर ऋण की चुकौती और ब्याज सेवा कार्य की गई है। वित्तीय विवरणों में उक्त ऋण को उधार के रूप में दर्शाया गया है।

संक्षेप में, केरल बैंक से लिया गया ऋण परियोजना अनुमोदन आदेश के अनुसार केरल सरकार से प्राप्त होने वाले अधीनस्थ ऋण के विशेषता को दर्शाता है। तदनुसार, 366,00 लाख रुपए की राशि को दिनांक 01.04.2016 से केरल सरकार से प्राप्य अधीनस्थ ऋण के रूप में मान्यता दी गई है।

वर्ष 2023-24 के दौरान, केरल सरकार ने जी.ओ संख्या 408/2023/ट्रांस दिनांकित 23.09.2023 के तहत जो चरण I की भूमि से संबंधित एलएआर-29/17 के डिक्री ऋण का भुगतान हेतु 5.44 लाख रुपये जारी किए।

34.5.2 शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या के -14011/37/2005-एमआरटीएस-IV दिनांकित 12 जुलाई 2012 के तहत कोच्ची मेट्रो रेल परियोजना का अनुमोदन करते हुए, यह संकेत दिया गया था कि प्रत्येक 248,50 लाख रुपए की राशि, केंद्रीय करों की तरफ़ भारत सरकार और केरल सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। तदनुसार, भारत सरकार और केरल सरकार द्वारा जारी की गई निधियों को अनुमोदित निधिकरण पैटर्न के अनुसार अधीनस्थ ऋण के रूप में मान्यता दी गई है।

34.5.3 भारत सरकार, केरल सरकार और कंपनी के बीच दिनांक 4 नवंबर 2013 के समझौता ज्ञापन के खंड 11.1 के अनुरूप में, पार्टियों के बीच यह सहमति हुई है कि परियोजना की समयावधि के भीतर या उसके बाद किसी भी प्रकार की लागत वृद्धि को राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त ब्याज मुक्त अधीनस्थ ऋण के माध्यम से पूरी तरह से पूरा किया जाएगा। तदनुसार, केरल सरकार द्वारा निर्देशित जीओ (आरटी) संख्या 215/2020/ट्रांस 22.06.2020 के तहत, कंपनी ने कोच्ची मेट्रो रेल परियोजना के पहले चरण के लिए गैप

निधीकरण की दिशा में 390,00 लाख रुपए की राशि के लिए मेसर्स आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड (हडको) के साथ एक सावधि ऋण समझौता किया है । समझौते की शर्तों के अनुसार, ऋण को केरल सरकार की गारंटी द्वारा सुरक्षित किया जाएगा ।

वर्ष के दौरान मैसर्स हडको से निकाली गई राशि शून्य है (पिछले वर्ष 331,23 लाख रुपए) , उक्त का समझौता ज्ञापन की शर्तों के अनुसार केरल सरकार से अधीनस्थ ऋण के रूप में मान्यता प्राप्त है ।

कोच्ची मेट्रो रेल परियोजना के प्रथम चरण के लिए दूसरी लागत वृद्धि केरल सरकार के हिस्से की ओर, वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान क्रमशः 51,91 लाख रुपए की राशि (सरकारी आदेश (आरटी) संख्या 353/2020/ट्रांस दिनांकित 28.10.2020) और 88,44 लाख रुपए (सरकारी आदेश (आरटी) संख्या 358/2021/ट्रांस दिनांकित 26.10.20) 2021) के तहत प्राप्त हुआ, जिसका समझौता ज्ञापन की शर्तों के अनुसार, केरल सरकार से अधीनस्थ ऋण के रूप में मान्यता प्राप्त है ।

34.5.4 केरल सरकार ने पेट्टा से एस एन जंक्शन तक मेट्रो लाइन के चरण I के विस्तार के लिए सरकारी आदेशा (एमएस) संख्या 73/2014/ट्रांस दिनांकित 17/10/2014 के तहत 359,00 लाख रुपए की प्रशासनिक मंजूरी प्रदान की । दिनांक 15.7.2019 के जी.ओ. (एमएस) सं. 36/2019/ट्रांस के तहत 97,38 लाख रुपए के भूमि लागत सहित परियोजना लागत को संशोधित कर 710,92 लाख रुपए कर दिया गया है ।

सरकारी आदेश (एमएस) संख्या 63/2018/ट्रांस दिनांकित 23.10.2018 के तहत 97.38 लाख रुपए में से 58.11 लाख रुपए केरल सरकार ने भूमि अधिग्रहण के लिए सीधे विशेष तहसीलदार एल.ए. को जारी किए गए, जिसका अधीनस्थ ऋण के रूप में मान्यता प्राप्त है ।

केरल सरकार के भूमि अधिग्रहण के लिए आवश्यक शेष राशि के लिए सरकारी आदेश (आरटी) संख्या 112/2020/ट्रांस दिनांकित 17.03.2020 के द्वारा निर्देशित कंपनी ने मैसर्स हडको से ऋण लिया । वर्ष 2020-21 के दौरान मैसर्स हडको से लिए गए 39.27 लाख रुपए के ऋण के बराबर राशि को स्वीकृत परियोजना निधीकरण पैटर्न के हिस्से के रूप में, अधीनस्थ ऋण का केरल सरकार का हिस्सा होने के नाते केरल सरकार से अधीनस्थ ऋण के रूप में मान्यता प्राप्त है ।

34.5.5 केरल सरकार ने सरकारी आदेश सं. (एमएस) 27/2019/ट्रांस दिनांकित 14/06/2019 के तहत एस.एन जंक्शन से त्रिपुनित्तुरा रेलवे स्टेशन/बस डिपो तक के मेट्रो लाइन के चरण I के विस्तार के लिए 356.00 लाख रुपए की प्रशासनिक मंजूरी प्रदान की । सरकारी आदेश सं. (एमएस) 2/2021/ट्रांस, दिनांकित 16.01.2021 के तहत, 135.86 लाख रुपए की भूमि लागत सहित परियोजना लागत को संशोधित कर 448.33 लाख रुपए किया गया है ।

दिनांक 11.10.2021 के सरकारी आदेश सं. (आरटी) 347/2021/ट्रांस के तहत केरल सरकार ने भूमि अधिग्रहण के लिए 135.86 लाख रुपए में से, 92.63 लाख रुपए जारी किए गए, जिसका केरल सरकार से अधीनस्थ ऋण के रूप में मान्यता प्राप्त है । भूमि अधिग्रहण के लिए आवश्यक शेष निधि के लिए, केरल सरकार द्वारा दिनांक 17.03.2020 के सरकारी आदेश (आरटी) सं.112/2020/ट्रांस के तहत जारी निर्देश के अनुसार, कंपनी ने मेसर्स हडको से ऋण लिया । 2021-22 के दौरान मैसर्स हडको से 43.23 लाख रुपए के ऋण के समतुल्य राशि को अनुमोदित परियोजना वित्तपोषण पैटर्न के हिस्से के रूप में अधीनस्थ ऋण में केरल सरकार का हिस्सा होने के नाते इसे केरल सरकार से अधीनस्थ ऋण के रूप में मान्यता प्राप्त है ।

34.5.6 केरल सरकार ने सरकारी आदेश (आरटी) संख्या 24 /2021/ट्रांस दिनांकित 16.01.2011 के तहत, कंपनी की गैर-मोटर चालित परिवहन पहल के लिए 239.00 लाख रुपए की राशि के लिए संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की यानि, भारत सरकार से पास थ्रू सहायता के रूप में 202 54 लाख रुपए और केरल सरकार से अधीनस्थ ऋण के रूप में 36 46 लाख रुपए ।

कंपनी ने 31 मार्च, 2024 तक अधीनस्थ ऋण के रूप में कंपनी की गैर-मोटर चालित परिवहन (एनएमटी) पहलों के लिए केरल सरकार से अधीनस्थ ऋण के रूप में प्राप्त रु.36.45 लाख रुपए (पिछले वर्ष रु.36.45 लाख तक) की संचयी राशि को मान्यता दी ।

34.5.7 दिनांक 4 नवंबर 2013 को भारत सरकार, केरल सरकार और कंपनी के बीच हुए के समझौता ज्ञापन के खंड 12.26 के अनुसार, नकद घाटे के कारण, यदि कंपनी वह वरिष्ठ अवधि ऋण (जैसा भी देय हो) को चुकाने का दायित्व केरल सरकार का है ।

कंपनी ने दिनांक 31 मार्च, 2022 तक केनरा बैंक और यूनियन बैंक को ब्याज चुकाने के लिए केरल सरकार से प्राप्त 695.55.76 लाख रुपए (पिछले वर्ष 511.94.76 लाख रुपये तक) की संचयी राशि को अधीनस्थ ऋण के रूप में मान्यता दी ।

कंपनी ने 31 मार्च, 2024 तक, एएफडी, फ्रांस के लिए भारत सरकार को ब्याज और मूलधन की अदायगी के लिए केरल सरकार से प्राप्त 397 87.91 लाख रुपये (पिछले वर्ष 289 59 लाख रुपये) की संचयी राशि को केरल सरकार से अधीनस्थ ऋण के रूप में मान्यता दी है ।

34.5.8 भारत सरकार, केरल सरकार और कंपनी के बीच दिनांक 4 नवंबर 2013 को हुए समझौता ज्ञापन के खंड 12.19 के अनुसार, यदि कंपनी नकद घाटे के कारण वरिष्ठ अवधि ऋण चुकाने में सक्षम नहीं है, तो नकद घाटे के कारण वरिष्ठ अवधि ऋण (जब भी देय हो) चुकाना केरल सरकार का दायित्व है ।

कंपनी ने दिनांक 31 मार्च, 2022 तक केरल सरकार से अधीनस्थ ऋण के रूप में शुद्ध परिचालन नकदी हानि की ओर प्राप्त 199.48 लाख रुपए (पिछले वर्ष तक रु.199.48 लाख) की संचयी राशि को मान्यता दी ।

अधीनस्थ ऋण को उचित मूल्य पर मापा जाता है और सरकारी अनुदान, लाभ होने के नाते, भारतीय लेखा मानक 109- वित्तीय साधनों और उचित मूल्य के अनुसार निर्धारित प्रारंभिक वहन मूल्यों के बीच अंतर के रूप में मापा जाता है और भारतीय लेखा मानक 20-अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स के अनुसार अनुदान के रूप में मान्यता प्राप्त है ।

34.5.9 भारत सरकार ने एफ.सं.के-14011/08/2015-एमआरटीएस-IV दिनांकित 21 नवंबर, 2022 के तहत जेएलएन स्टेडियम से इन्फोपार्क से होकर कक्कानाड तक मेट्रो लाइन के दूसरे चरण के लिए 1957 05 लाख रुपये की प्रशासनिक मंजूरी प्रदान की । केरल सरकार ने जी ओ (एमएस) सं..23/2023/ट्रांस दिनांकित 03/04/2023 के तहत चरण II के लिए 1957 05 लाख रुपये की संशोधित प्रशासनिक मंजूरी प्रदान की ।

1957 05 लाख रुपये में से 82.68 लाख रुपये आर एंड आर लागत सहित भूमि अधिग्रहण लागत के लिए हैं । दिनांक 17.03.2020 के जी ओ (आरटी) सं. 112/2020/ट्रांस के तहत केरल सरकार के निर्देशानुसार कंपनी ने मेसर्स हडको से ऋण लिया । वर्ष 2023-24 के दौरान मेसर्स हडको से लिए गए ऋण के बराबर की राशि, जो कि रु. 69 69 लाख है, को अनुमोदित परियोजना निधीकरण पैटर्न के हिस्से के रूप में, केरल सरकार से अधीनस्थ ऋण के रूप में मान्यता दी गई है, जो अधीनस्थ ऋण में केरल सरकार का हिस्सा है ।

34.6 राज्य करों की प्रतिपूर्ति

भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय के आदेश संख्या के-14011/37/2005-एमआरटीएस-IV दिनांकित 12 जुलाई 2012 द्वारा कोच्ची मेट्रो रेल परियोजना को मंजूरी देते हुए यह संकेत दिया गया था कि राज्य करों के रूप में 237.33 लाख रुपये की राशि केरल सरकार द्वारा वित्त पोषित की जाएगी । तदनुसार, दिनांक 3 मई 2019 के जी.ओ. (एमएस) सं.170/2019/वित्त. के तहत कोच्ची मेट्रो परियोजना के कार्यान्वयन के लिए केएमआरएल/डीएमआरसी द्वारा भुगतान किए गए राज्य कर की प्रतिपूर्ति के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई ।

राज्य सरकार ने केवीएटी और एसजीएसटी के 237.33.52 लाख रुपये की पूरी राशि की प्रतिपूर्ति की । राशि को अन्य इक्विटी के तहत आस्थगित आय के रूप में मान्यता प्राप्त है और परिसंपत्ति के अपेक्षित उपयोगी जीवन पर लाभ और हानि के विवरण में स्थानांतरित किया गया है ।

34. 7. चरण 1ए के लिए भारत सरकार से अनुदान

भारत सरकार के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के आदेश संख्या के-14011/08/2019-एमआरटीएस-IV दिनांक 06 फरवरी 2023 के अनुसार, पेट्टा से एस एन जंक्शन तक कोच्ची मेट्रो रेल परियोजना चरण Iए को मंजूरी देते समय, कुल परियोजना लागत 710.92.00 लाख रुपये में से यह संकेत दिया गया कि 46.74.00 लाख रुपये की राशि भारत सरकार द्वारा अनुदान के रूप में दी जाएगी । भारत सरकार, केरल सरकार और कंपनी के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने पर धनराशि जारी की जाएगी ।

तदनुसार, दिनांक 28 मार्च 2023 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए और वर्ष 2022-23 के दौरान भारत सरकार द्वारा धनराशि जारी की गई । राशि को अन्य इक्विटी के तहत आस्थगित आय के रूप में मान्यता दी है और परिसंपत्ति के अपेक्षित उपयोगी जीवन पर लाभ और हानि के विवरण में स्थानांतरित कर दिया गया है ।

34.8 गैर-मौद्रिक अनुदान -काक्कनाड में भूमि का हस्तांतरण

केरल सरकार के सरकारी आदेश (एमएस) संख्या 140/2019/आरडी दिनांकित 22 मई 2019 के तहत लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के कब्जे वाली भूमि को को रजिस्ट्री पर केएमआरएल को मुफ्त में सौंपने की मंजूरी दी, ताकि उक्त भूमि पर संपत्ति विकास कार्य किया जा सके।केएमआरएल को नि:शुल्क रजिस्ट्री पर आबंटित करने और उक्त भूमि पर संपत्ति का विकास करने के लिए मंजूरी प्रदान की । मार्च 2020 में कंपनी को 17.430 एकड़ भूमि को रजिस्ट्री पर सौंपा गया । भारतीय लेखा मानक 20 के अनुसार भूमि पार्सल का मूल्य गैर-मौद्रिक अनुदान के रूप में माना जाता है । अनुदान को आस्थगित आय के रूप में स्थापित किया गया है और इसे अंतर्निहित परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाएगी ।

केरल सरकार ने दिनांक 24.06.2022 के जीओ संख्या 169/2022/आरडी के तहत संपत्ति विकास परियोजना के लिए काक्कनाड में पीडब्ल्यूडी विभाग से संबंधित अतिरिक्त 14 एकड़ भूमि को निःशुल्क हस्तांतरित करने की अनुमति दी । कंपनी को अभी तक ज़मीन की रजिस्ट्री नहीं सौंपी गई है।

34.9 मेट्रो रेल परियोजना और प्रारंभिक एवं अन्य परियोजना कार्यों के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु जिलाधीश को अग्रिम राशि और शेष राशि 31 मार्च 2024 तक उपलब्ध है ।

मेट्रो रेल परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण ***रुपए (रुपए लाखों में)***

विवरण	दिनांक 31 मार्च, 2024 को	दिनांक 31 मार्च, 2023 को
चरण I (आलुवा से पेट्टा तक)	38 11.69	44 52.17
चरण Iए (पेट्टा से एस एन जंक्शन तक)	0.95	0.95
चरण Iबी (एस एन जंक्शन से त्रिप्पुनित्तुरा तक)	9 68.90	9 69.40
चरण II (जेएलएन स्टेडियम से काक्कनाड होकर इन्फोपर्क तक)	70 19.25	50.00
कुल	118 00.79	54 72.52

प्रारंभिक और अन्य परियोजना कार्य के लिए भूमि अधिग्रहण

विवरण	दिनांक 31 मार्च, 2024 को	दिनांक 31 मार्च, 2023 को
वैट्टिला-पेट्टा रोड चौड़ीकरण	5.19	5.19
नई मेट्रो लाइन की तैयारी का कार्य - जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से इन्फोपार्क से होकर काक्कनाड तक	19 03.10	38 11.39
नई मेट्रो लाइन की तैयारी का कार्य- सीपोर्ट एयरपोर्ट रोड का चौड़ीकरण	4 06.74	4 06.74
एकीकृत जल मेट्रो परिवहन प्रणाली	9 00.90	9 95.07
कुल	**32 15.93**	**52 18.39**

34.10 एकीकृत जल परिवहन प्रणाली

केरल सरकार (जीओके) ने जी.ओ (एमएस) सं. 73/2015/ट्रांस दिनांकित 19/11/2015 के तहत कोच्ची में एक एकीकृत जल परिवहन प्रणाली की अवधारणा के लिए 682 01 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर मंजूरी प्रदान की । इस परियोजना को जर्मन फंडिंग एजेंसी "क्रेडिटनस्टाल्ट फर विडेराउफबाउ" (केएफडब्ल्यू) द्वारा भारत-जर्मन द्विपक्षीय सहयोग के तहत "जलवायु अनुकूल शहरी गतिशीलता" पहल के हिस्से के रूप में, और केरल सरकार द्वारा 102 30 लाख रुपए की सीमा तक ऋण के माध्यम से वित्तपोषित किया गया है । परियोजना के सभी वित्तीय और परिचालन संबंधी जोखिम, परियोजना के कानूनी मालिक के रूप में केरल सरकार के पास निहित होंगे और केएमआरएल, परियोजना निष्पादन एजेंसी होगी ।

केरल सरकार ने दिनांक 18.6.2021 के सरकारी आदेश (एमएस) सं.14/2021/ट्रांस के तहत 72 00 लाख रुपए की भूमि अधिग्रहण लागत को छोड़कर 1064 83 लाख रुपए की संशोधित परियोजना लागत के लिए प्रशासनिक मंजूरी प्रदान की । संशोधित निधीकरण पैटर्न के अनुसार, केरल सरकार का योगदान 156 07 लाख रुपए और केएफडब्ल्यू का योगदान 908 76 लाख रुपए हैं । अतिरिक्त निधीकरण केलिए केएफडब्ल्यू से मंजूरी की प्रतीक्षा में है ।

वर्ष 2023-24 के दौरान, केरल सरकार ने शून्य (पिछले वर्ष 15 00 लाख रुपए) राशि जारी की और केएफ़डबल्यू ने 93 94.99 लाख रुपए (पिछले वर्ष – 62 31.10 लाख रुपए) की राशि जारी की । दिनांक 31.3.2024 तक जारी संचयी निधि 468 89.02 लाख रुपए है (जिसमें केरल सरकार का योगदान 164 30 लाख रुपए और केएफ़डबल्यू का 295 59.02 लाख रुपए है) ।

दिनांक 31.03.2022 तक का कुल व्यय 489 10.72 लाख रुपए (पिछले वर्ष तक 377 04.60 लाख रुपए) है । ठेकेदारों को दिनांक 31.03.2024 तक अग्रिम के रूप में 65 19.59 लाख रुपए (पिछले वर्ष 48 81.54 लाख रुपए) की राशि का भुगतान किया गया ।

केरल सरकार ने जून 2025 तक केएफ़डबल्यू ऋण आहरण अवधि के विस्तार के लिए अनुरोध किया है । केएफडब्ल्यू ने संवितरण अवधि को 30 जून 2025 तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की ।

केरल सरकार ने दिनांक 23/10/2020 के सरकारी आदेश (एमएस) सं.26/2020/ट्रांस के तहत कोच्ची वाटर मेट्रो परियोजना के संचालन और रखरखाव के उद्देश्य से एसपीवी (विशेष प्रयोजन वाहन) के गठन के लिए 4,90 रुपए की अधिकृत शेयर पूंजी के साथ केरल सरकार द्वारा 74% इक्विटी और केएमआरएल द्वारा 26% स्वेट इक्विटी के साथ मंजूरी प्रदान की । इक्विटी अंशदान को सरकार से प्राप्त किया जाना है । धन प्राप्त न होने के कारण, केएमआरएल ने 26% निवेश किया और इसको अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्ति-निवेश के रूप में मान्यता दी गई । तदनुसार, मेसर्स कोच्ची वाटर मेट्रो लिमिटेड (केडब्ल्यूएमएल) को दिनांक 14 जुलाई, 2021 को निगमित किया गया । कंपनी ने कंपनी और केरल सरकार के दायित्वों को रेखांकित करते हुए केरल सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर भी हस्ताक्षर किया ।

34.11 बैंकों/वित्तीय संस्थानों से उधार

राशि (रुपए लाखों में)

क्रम सं.	बैंक/वित्तीय संस्थानों का नाम	पुनर्भुगतान की अवधि	पुनर्भुगतान प्रारंभ करने की तारीख	पुनर्भुगतान समाप्त करने की तारीख	वर्ष 23-24 के दौरान भुगतान किया गया ब्याज	प्रतिवर्ष ब्याज की दर प्रतिशत	दिनांक 31.03.2024 को राशि	दिनांक 31.03.2023 को राशि
क	केनरा बैंक - चरण I	54 त्रैमासिक किस्तें	तिमाही 2, 2023-24	तिमाही 3, 2036-37	109 30.36	9.50% तक 06.07.2023 9.00% तक 17.02.2024 9.35% तक 18.3.2024 10.35% से 19.3.2024	1181 11.79	1189 89.70
ख	केनरा बैंक - प्रथम चरण (अतिरिक्त उधार)	54 त्रैमासिक किस्तें	तिमाही 2, 2023-24	तिमाही 3, 2036-37	15 44.22	8.00 % तक 17.07.2023 8.65% तक 18.03.2024 9.65% से 19.03.2024	181 38.19	182 73.19
ग	केनरा बैंक – चरण 1 विस्तार	56 त्रैमासिक किस्तें	तिमाही 2, 2026-27	तिमाही 1, 2040-41	34 37.83	9.35 % तक 15.3.2024 9.65% तक 18.03.2024 10.65% से 19.3.2024	395 57.65	337 83.31
घ	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया -चरण 1 विस्तार	56 त्रैमासिक किस्तें	तिमाही 2, 2026-27	तिमाही 1, 2040-41	24 14.41	9.35 % तक 15.3.2024 9.65% तक 18.03.2024 10.65% से 19.3.2024	276 60.11	236 22.49
ङ	केरल राज्य सहकारी बैंक (भूमि अधिग्रहण)	10 वार्षिक किस्तें	मार्च,2018	मार्च, 2027	33 21.00	9.75%	109 80.00	146 40.00
च	केरल राज्य सहकारी बैंक (भूमि अधिग्रहण - वैट्टिला - पेट्टा रोड)						31 20.00	41 60.00

क्रम सं.	बैंक/वित्तीय संस्थानों का नाम	पुनर्भुगतान की अवधि	पुनर्भुगतान प्रारंभ करने की तारीख	पुनर्भुगतान समाप्त करने की तारीख	वर्ष 23-24 के दौरान भुगतान किया गया ब्याज	प्रतिवर्ष ब्याज की दर प्रतिशत	दिनांक 31.03.2024 को राशि	दिनांक 31.03.2023 को राशि
छ	1) केनरा बैंक - कार्यशील पूँजी माँग ऋण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	39.40	8.60% तक 27.11.2023 9.25% तक 18.03.2024 10.25% से 19.03.2024	9 32.05	2 45.34
ज	बी) केनरा बैंक- कार्यशील पूंजी मांग ऋण-कार्यशील पूंजी सीमा की उपसीमा	1 महीना	लागू नहीं	14.04.2024	1 43.32	9.50% (अवधि आधारित एमसीएलआर प्लस 0.25% मार्जिन)	17 00.00	33 00.00
झ	हडको-प्रारंभिक कार्य/भूमि अधिग्रहण	52 त्रैमासिक किस्तें	फरवरी -2022	नवंबर - 2034	24 07.09	भूमि अधिग्रहण के लिए : 9.75% तक 13.11.2023 9.43% से 14.11.2023 सिविल कार्य हेतु : 8.90% तक 13.11.2023 8.87% से 14.11.2023	333 87.11	2 60 99.83
न	हडको- चरण I	58 त्रैमासिक किस्तें	फरवरी-2021	मई -2035	23 80.19		2 43 74.00	2 70 66.00
	कुल						**2779 60.90**	**27 01 79.86**

वित्तीय विवरणों में उपरोक्त ऋणों की प्रस्तुति *राशि (रुपए लाखों में)*

विवरण	संदर्भ टिप्पणी संख्या	दिनांक 31.03.2024 को राशि	दिनांक 31.03.2023 को राशि
बैंकों से सावधि ऋण (सुरक्षित) का गैर-चालू भाग	16क	2101 67.74	2077 54.69
वित्तीय संस्थानों से सावधि ऋण (असुरक्षित) का गैर-चालू भाग	16क	505 33.11	459 37.83
कार्यशील पूंजी ऋण (सुरक्षित)	21क	26 32.05	35 45.34
बैंकों और वित्तीय संस्थानों से सावधि ऋण की चालू परिपक्वता	21क		
बकाया		0.00	0.00
बकाया नहीं		146 28.00	129 42.00
कुल		**2779 60.90**	**2701 79.86**

उपरोक्त ऋणों का विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है;

क) केनरा बैंक- चरण I

कंपनी ने केनरा बैंक के साथ 1170 00 लाख रुपए की राशि के लिए एक सावधि ऋण समझौता किया । केएमआरएल के अनुरोध के अनुसार, मार्च 2020 से छह महीने की अवधि के लिए ब्याज सर्विसिंग के लिए स्थगन की मंजूरी दी गई । कंपनी ने ब्याज स्थगन का लाभ उठाया और तदनुसार, सावधि ऋण (पुनर्भुगतान का शुद्ध) पर प्रोद्भूत ब्याज को कोविड़-19 सहायता के रूप में जोड़ दिया गया । लागू ब्याज दर वार्षिक अंतराल में मार्जिन के साथ एक साल की एमसीएलआर (उधार दरों के आधार पर निधि की सीमांत लागत) है और कंपनी की सभी परिसंपत्तियाँ परिपासु प्रभार द्वारा सुरक्षित किया है ।

ख) केनरा बैंक- चरण I (अतिरिक्त उधार)

कोच्ची मेट्रो रेल परियोजना के चरण I की लागत वृद्धि को पूरा करने के लिए कंपनी ने केनरा बैंक के साथ दिनांक 18.7.2019 को 179 00 लाख रुपए की राशि के लिए सावधि ऋण का समझौता किया । केरल सरकार ने जीओ (आरटी) संख्या 323/2019/ट्रांस दिनांकित 18.7.2019 के तहत मूलधन और ब्याज के पुनर्भुगतान के लिए गारंटी जारी की । केएमआरएल के अनुरोध के अनुसार,मार्च 2020 से छह महीने की अवधि के लिए ब्याज सेवा के लिए स्थगन के लिए मंजूरी दी गई । कंपनी ने ब्याज स्थगन का लाभ उठाया और तदनुसार, बकाया सावधि ऋण (पुनर्भुगतान का शुद्ध) पर प्रोद्भूत ब्याज को कोविड -19 सहायता के रूप में जोड़ दिया गया । लागू ब्याज दर वार्षिक अंतराल में मार्जिन के साथ एक साल की एमसीएलआर (उधार दरों के आधार पर निधि की सीमांत लागत) है और कंपनी की सभी परिसंपत्तियों पर परिपासु प्रभार द्वारा सुरक्षित किया है और ब्याज और मूलधन के भुगतान के लिए राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत किया है ।

ग एवं घ) केनरा बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बीच कंसोर्टियम ऋण - चरण I का विस्तार

कंपनी ने चरण I के विस्तार के लिए केनरा बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कंसोर्टियम से सावधि ऋण लिया । कंसोर्टियम ऋण समझौता दिनांक 25.05.2020 को निष्पादित किया गया । समझौते के अनुसार, केनरा बैंक 730 67 लाख रुपए के सावधि

ऋण के साथ चरण Iए और चरण Iबी की परियोजना के वित्तपोषण के लिए अग्रणी बैंकर होगा, जिसमें केनरा बैंक द्वारा रु. 430.00 लाख और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा रु. 300.67 लाख के अनुपात में साझा किया जाएगा। लागू ब्याज दर वार्षिक अंतराल में मार्जिन के साथ एक साल की एमसीएलआर है। चरण I विस्तार की चल और अचल परिसंपत्ति पर पारिपासु शुल्क द्वारा ऋण सुरक्षित किया जाता है और ब्याज और मूलधन के भुगतान के लिए राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत है। केरल सरकार ने (आरटी) सं.211/2020/ट्रांस दिनांकित 18.6.2020 के तहत ऋण के ब्याज और मूलधन की अदायगी के लिए गारंटी जारी की। 391.04 लाख रु. 1 15.37 लाख क्रमशः गारंटी कमीशन और गारंटी कमीशन पर ब्याज की राशि है, इसे इसे दिनांक 31.3.2024 तक केरल सरकार से प्राप्य के रूप में भी मान्यता दी गई है (पिछले वर्ष क्रमशः गारंटी कमीशन और गारंटी कमीशन पर ब्याज के लिए 86.56 लाख रुपये और 41.02 लाख रुपये) क्योंकि परियोजना को जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाना है।

ङ) केरल राज्य सहकारी बैंक (पूर्व में एरणाकुलम जिला सहकारी बैंक के रूप में जाने जाते थे (ईडीसीबी) (भूमि अधिग्रहण)

शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या के -14011/37/2005-एमआरटीएस-IV दिनांकित 12 जुलाई 2012 के तहत कोच्ची मेट्रो रेल परियोजना का अनुमोदन करते हुए यह संकेत दिया गया था कि केरल सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण की लागत के लिए 672 00 लाख रुपए ब्याज मुक्त उप ऋण के रूप में प्रदान किए जाएंगे। केरल सरकार ने दिनांक 31 मार्च 2017 तक कुल 672 लाख रुपए में से 306.25 लाख रुपए राशि जारी की। बकाया राशि के लिए, केरल सरकार ने निर्णय लिया कि उप ऋण योगदान के रूप में 366 00 लाख रुपए की राशि का ऋण केरल सरकार द्वारा प्रदान करेगी, उसे केएमआरएल केरल सरकार की ओर से प्राप्त करेगा।

केरल सरकार ने जी.ओ.(एमएस)सं.20/2015/ट्रांस दिनांकित 25.03.2015 के तहत, भूमि अधिग्रहण के लिए केरल राज्य सहकारी बैंक से 366 00 लाख रुपये का सावधि ऋण प्राप्त करने की अनुमति प्रदान की। तदनुसार, कंपनी ने दिनांक 20 जनवरी 2015 को आयोजित 19 वीं बोर्ड की बैठक में अनुमोदित के अनुसार ईडीसीबी के साथ सावधि ऋण समझौता किया, जैसा कि 20 जनवरी 2015 को इसकी 19वीं बोर्ड बैठक में अनुमोदित किया गया था। सरकारी आदेश के अनुसार, ऋण की अवधि दो वर्ष की अधिस्थगन के साथ 12 वर्ष की होगी और पुनर्भुगतान दस वर्षों में वार्षिकी आधार पर होगी जो कंपनी की सभी परिसंपत्तियों पर परिपासु प्रभार द्वारा सुरक्षित होगी। ब्याज की दर भारतीय स्टेट बैंक की आधार दर से 0.05% कम होगी, जो तिमाही अंतराल पर संयोजित होगी। ब्याज दर हर तीन साल में फिर से निर्धारित की जाएगी और दिनांक 1 अप्रैल 2020 से इसे प्रतिवर्ष 9.95% से 9.75% तक घटा दिया गया। ब्याज सहित ऋण की अदायगी केरल सरकार द्वारा बैक-टू-बैक आधार पर की जाती है और जब भी देय हो, को केरल सरकार से प्राप्त के रूप में मान्यता प्राप्त है। वर्ष 2014-15 के दौरान कंपनी ने केरल सरकार के निर्देशानुसार 366 00 लाख रुपए की पूरी ऋण राशि को आहृत किया है।

च) केरल राज्य सहकारी बैंक (पूर्व में एरणाकुलम जिला सहकारी बैंक (ईडीसीबी) के रूप में जाना जाता था (भूमि अधिग्रहण-वैट्टिला पेट्टा रोड)

केरल सरकार ने वैट्टिला-पेट्टा रोड़ की चौडीकरण के लिए भूमि अधिग्रहण की लागत को पूरा करने हेतु जीओ (एमएस) संख्या 24/2015/ट्रांस दिनांकित 30.04.2015 के तहत केरल राज्य सहकारी बैंक से 104 00 लाख रुपए के सावधि ऋण लेने के लिए अनुमोदन प्रदान किया। तदनुसार, कंपनी ने दिनांक 20 जनवरी 2015 को आयोजित अपनी 19 वीं बोर्ड की बैठक में अनुमोदित के अनुसार केरल राज्य सहकारी बैंक के साथ सावधि ऋण समझौता किया। ऋण की अवधि दो वर्ष की अधिस्थगन के

साथ 12 वर्ष की होगी और पुनर्भुगतान दस वर्षों में वार्षिकी आधार पर होगी जो कंपनी की सभी परिसंपत्तियों पर परिपासु प्रभार द्वारा सुरक्षित होगी। ब्याज की दर भारतीय स्टेट बैंक की आधार दर से 0.05% कम होगी, जो तिमाही अंतराल पर संयोजित होगी। ब्याज दर हर तीन साल में फिर से निर्धारित की जाएगी और दिनांक 1 अप्रैल 2020 से उसी को प्रतिवर्ष 9.95% से 9.75% तक घटा दिया गया। ब्याज सहित ऋण की अदायगी का दायित्व केरल सरकार द्वारा बैक-टू-बैक आधार पर लिया जाता है और जब देय हो, को केरल सरकार से प्राप्त के रूप में मान्यता प्राप्त है। वर्ष 2015-16 के दौरान कंपनी ने केरल सरकार के निर्देशानुसार 104,00 लाख रुपए की पूरी ऋण राशि को आहृत किया है।

वर्ष के दौरान, कंपनी ने 80 21.00 लाख रुपए, (पिछले वर्ष 85 93.23 लाख रुपए, छठी किस्त) ऋण के सातवीं किस्त का भुगतान मार्च 2024 में किया।

छ) केनरा बैंक- कार्यशील पूँजी ऋण और कार्यशील पूँजी माँग ऋण

कंपनी ने दिनांक 30.09.2019 को केनरा बैंक के साथ क्रमशः 90 00 लाख रुपए और 5 00 लाख रुपए की राशि के लिए एक निधि आधारित कार्यशील पूँजी सुविधा और गैर-निधि आधारित बैंक गारंटी सीमा में दाखिल किया और वार्षिक आधार पर नवीनीकृत किया। कार्यशील पूंजी सुविधा के लिए लागू ब्याज दर वार्षिक अंतराल में एक साल की एमसीएलआर (उधार दरों के आधार पर निधि की सीमांत लागत) है और कंपनी की सभी परिसंपत्तियों को परिपासु प्रभार द्वारा सुरक्षित किया है।

केनरा बैंक ने अवधि आधारित एमसीएलआर + 0.25% की ब्याज दर के साथ कार्यशील पूंजी सुविधा की उप-सीमा के रूप में रु.90 00 लाख कार्यशील पूंजी मांग ऋण (डबल्यूसीडीएल) की पेशकश की। मौजूदा सुविधा की तुलना में ब्याज दर कम होने के कारण कंपनी इस सुविधा का लाभ उठा रही है। दिनांक 31.3.2024 तक, कंपनी द्वारा 17 00.00 लाख रुपये का डबल्यूसीडीएल लिया गया है (गत वर्ष 33 00 लाख रुपये)

ज) हडको - प्रारंभिक कार्य/भूमि अधिग्रहण

कंपनी ने कोच्ची मेट्रो रेल परियोजना के चरण I, चरण Iए, चरण Iबी और चरण II के भूमि अधिग्रहण और प्रारंभिक कार्यों के लिए दिनांक19.3.2020 को 589.82 लाख रुपए की राशि के लिए हडको के साथ एक सावधि ऋण समझौता किया। इस पर दिनांक 31 मार्च, 2024 तक कंपनी को हडको द्वारा 437.13.00 रुपए (पिछले वर्ष तक 318.81 लाख रुपये) की राशि वितरित की गई। मूल राशि के पुनर्भुगतान के लिए अधिस्थगन अवधि फरवरी 2022 तक थी। दिनांक 31 मार्च 2024 तक 103.25.89 लाख रुपए का भुगतान किया गया (पिछले वर्ष तक 57.81.17 लाख रुपये)। ऋण जीओ (आरटी) सं.112/2020/ट्रांस दिनांकित 17.3.2020 के तहत, ब्याज के भुगतान और मूलधन की अदायगी के लिए सरकारी गारंटी द्वारा सुरक्षित है।

चूँकि कंपनी द्वारा भूमि अधिग्रहण और प्रारंभिक कार्यों के लिए ऋण लिया है, ऋण प्रसंस्करण शुल्क और गारंटी कमीशन सहित ब्याज और मूलधन का पुनर्भुगतान केरल सरकार से प्राप्य के रूप में मान्यता प्राप्त है। तदनुसार, दिनांक 31 मार्च 2024 तक 1,23.90 लाख रुपए और 9,45.92 लाख रुपए की राशि, क्रमशः ऋण प्रसंस्करण शुल्क और गारंटी आयोग की राशि के रूप में, (पिछले वर्ष क्रमशः ऋण प्रसंस्करण शुल्क, गारंटी कमीशन और गारंटी कमीशन पर ब्याज के रूप में रु. 1,23.90 लाख, रु. 6,93.53 लाख और रु. 56.36 लाख थे) केरल सरकार से प्राप्य के रूप में मान्यता प्राप्त है।

ट) हडको - चरण I

कंपनी ने दिनांक 26.06.2020 को परियोजना के गैप फंडिंग हेतु 390 00 लाख रुपए की राशि के लिए हडको के साथ एक सावधि ऋण समझौता किया । इस पर, हडको द्वारा कंपनी को 331.23 लाख रुपए की राशि वितरित की गई और दिनांक 31 मार्च, 2024 तक 87.49 लाख रुपए (पिछले वर्ष तक 60.57 लाख रुपए)की राशि का भुगतान किया गया ।

शासनादेश (आरटी) 215/2020/ट्रांस दिनांकित 22.06.2020 के तहत, केरल सरकार ने ऋण और ब्याज के पुनर्भुगतान के संबंध में पर्याप्त बजट प्रावधान प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की है । तदनुसार, ऋण प्रसंस्करण शुल्क और गारंटी कमीशन सहित ब्याज और मूलधन का पुनर्भुगतान केरल सरकार से प्राप्य के रूप में मान्यता दी गई है । तदनुसार, 123.90 लाख रुपये और 859.07 लाख रुपये की राशि (पिछले वर्ष क्रमशः ऋण प्रसंस्करण शुल्क गारंटी कमीशन और गारंटी कमीशन पर ब्याज के लिए रु.123.90 लाख, रु.674.76 लाख और रु.42.32 लाख) को ऋण प्रसंस्करण शुल्क और गारंटी कमीशन की राशि को दिनांक 31 मार्च 2024 तक केरल सरकार से प्राप्य के रूप में मान्यता प्राप्त है ।

ठ) दिनांक 16 अक्तूबर 2004 के शासनादेश (एमएस) सं. 487/04 /वित्त के खंड 4 (i) के अनुसार, देय गारंटी कमीशन पिछले वर्ष के 31 मार्च को ब्याज, दंडात्मक ब्याज आदि सहित बकाया ऋण की वास्तविक शेष राशि का 0.75% होगा । एक वर्ष में देय राशि का भुगतान दो समान किश्तों में किया जाएगा, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक 01 अप्रैल को और दूसरा 1अक्टूबर को ।

कंपनी द्वारा भुगतान किए गए गारंटी कमीशन का विवरण नीचे संक्षेप में दिया गया है;

राशि (रुपए लाखों में)

क्रम सं.	गारंटी कमीशन	देय और 31.3.2024 तक भुगतान किया गया	31.3.2024 को देय नहीं है	31.3.2024 तक देय नहीं	कुल
1	केनरा बैंक - चरण I, कोच्ची मेट्रो रेल परियोजना के पहले चरण के लिए (अतिरिक्त उधार)	2 63.11	2 74.58	1 36.34	6 74.03
2	केनरा बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बीच कंसोर्टियम लोन - चरण I का विस्तार	1 59.31	7 27.25	5 04.49	13 91.05
3	हडको - प्रारंभिक कार्य/भूमि अधिग्रहण	2 63.75	4 29.78	2 52.39	9 45.92
4	हडको - कोच्ची मेट्रो रेल परियोजना के चरण I के लिए अंतर वित्तपोषण	2 45.29	4 29.47	1 84.31	8 59.07
	कुल	9 31.46	18 61.08	10 77.53	38 70.07

34.12 बैंकों और वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋण के प्रति केरल सरकार से प्राप्य

राशि (रुपए लाखों में)

विवरण	विस्तृत टिप्पणी संदर्भ संख्या	31-मार्च-24 तक की राशि			31-मार्च-23 तक की राशि		
		चालू	गैर-चालू	कुल	चालू	गैर-चालू	कुल
केरल राज्य सहकारी बैंक से लिए गए ऋण पर	34.11.ङ एवं 34.11.च	47 00.00	93 94.81	140 94.81	47 00.00	140 94.81	187 94.81
केरल राज्य सहकारी बैंक से ऋण के लिए प्राप्य ब्याज पर		10 07.45	20 15.50	30 22.95	10 07.45	30 22.96	40 30.41
हडको से लिए गए ऋण पर	34.11.ज एवं 34.11.ट	100 54.57	48 468.65	58 523.22	100 55.03	411 75.81	512 30.84
गारंटी कमीशन पर, गारंटी कमीशन और प्रसंस्करण शुल्क पर ब्याज	34.11.ग,घ,छ & ज	37 48.94	0.00	37 48.94	26 42.35	0.00	26 42.35
कुल		**19 510.96**	**598 78.96**	**79 389.93**	**184 04. 83**	**582 93.58**	**766 98.41**

34.13 भारत सरकार की ओर से पास थ्रू सहायता

राशि (रुपए लाखों में)

क्रम सं.	बैंकों/वित्तीय संस्थानों का नाम	पुनर्भुगतान की अवधि	पुनर्भुगतान प्रारंभ तिथि	पुनर्भुगतान समाप्त तिथि	23-24 के दौरान चुकाया गया ब्याज	ब्याज की दर	31.03.2024 को राशि*	31.03.2023 को राशि
क	चरण I के लिए पास थ्रू सहायता	40 अर्धवार्षिक किश्तें	सितंबर, 2019	मार्च ,2039	53 94.62*	6 मासिक यूरिबोर के साथ 155 आधार अंकों का मार्जिन	995 33.08	1061 68.62
ख	एनएमटी के लिए पास थ्रू सहायता	20 अर्धवार्षिक किश्तें	मई ,2025	नवंबर , 2034	1 49.94**	सूचकांक दर + 1.52% या 6 महीने यूरिबोर + 1.35% (मार्जिन)	24 46.67	24 46.67
	कुल						**11 52 50.82**	**12 18 86.36**

* 53 94.62 लाख रुपये में 15.03.2024 को देय ब्याज की सेवा के लिए भारत सरकार को देय 29 06.62 लाख रुपये की राशि शामिल है ।

** 1 49.94 लाख रुपये को पीटीए ऋण पर ब्याज की अदायगी के लिए केरल सरकार को देय दर्शाया गया है ।

वित्तीय विवरणों में भारत सरकार की ओर से पास-थ्रू सहायता की प्रस्तुति

राशि (रुपए लाखों में)

विवरण	संदर्भ टिप्पणी संख्या	31.03.2024 तक राशि	31.03.2023 तक राशि
पास-थ्रू सहायता का गैर-चालू हिस्सा - भारत सरकार	16. क	953 44.21	1019 79.75
पास-थ्रू सहायता का चालू हिस्सा - भारत सरकार	21. क	66 35.54	66 35.54
कुल		**1019 79.75**	**1086 15.29**

चरण I कोच्ची मेट्रो रेल परियोजना के लिए 180 मिलियन यूरो की भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई पास थ्रू सहायता (पीटीए), ऋणदाता के रूप में एजेंस फ्रैन्काइज़ डी डेवलपमेंट (एएफ़डी), एक फ्रांसीसी सार्वजनिक वित्त पोषण एजेंसी, और उधारकर्ता के रूप में भारत सरकार (जीओआई) के बीच क्रेडिट सुविधा समझौते पर आधारित है । ऋण भारत सरकार द्वारा सॉवरेन गारंटी के माध्यम से सुरक्षित है । 1327,10.77 लाख रुपए के बराबर के 180 मिलियन यूरो की संपूर्ण ऋण राशी, एएफडी द्वारा भारत सरकार को जारी कर दी गई है । केएमआरएल को भारत सरकार के बजटीय प्रावधानों के अनुसार कई चरणों में भारतीय रुपए में राशि वितरित की गई ।

वर्ष 2023-24 के दौरान, भारत सरकार द्वारा केरल सरकार के बजटीय आबंटन से 108 28.91 लाख रुपये की राशि वसूल की गई है, जो मार्च 2023 और सितंबर 2023 से संबंधित एएफडी ऋण सेवा के लिए भारत सरकार द्वारा भुगतान की गई राशि है। इसके अलावा, इस राशि का समायोजन अभी भी केरल सरकार से नहीं हो जाने के कारण इसके अलावा, मार्च 2024 में एएफडी को ऋण सेवा के लिए भारत सरकार द्वारा भुगतान की गई राशि 62 24.39 लाख रुपये (मूलधन 33 17.77 लाख रुपये और ब्याज 29 06.62 लाख रुपये) को भारत सरकार को देय राशि के रूप में दिखाई गई है ।

केएमआरएल की गैर-मोटर चालित परिवहन पहलों के लिए केरल सरकार के माध्यम से भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई 27 मिलियन यूरो की राशि पास-थ्रू सहायता (पीटीए), , ऋणदाता के रूप में फ्रांसीसी सार्वजनिक वित्त पोषण एजेंसी, एजेंस फ्रैंकेइस डी डेवलपमेंट (एएफडी) और उधारकर्ता के रूप में भारत सरकार (जीओआई) के बीच ऋण सुविधा समझौते पर आधारित है । ऋण भारत सरकार द्वारा सोवरेन गारंटी द्वारा सुरक्षित है ।

वर्ष 2023-24 के दौरान, आर्थिक मामलों के विभाग के माध्यम से एनएमटी के लिए एएफडी से जारी ऋण में से 36 54.96 लाख रुपये (पिछले वर्ष शून्य) की राशि केरल सरकार को जारी की गई थी । बाद में यह राशि जीओ (आरटी) सं. 153/2024/ट्रांस दिनांकित 22/04/2024. के तहत केएमआरएल को हस्तांतरित कर दिया गया ।

दिनांक 31.3.2024 तक, एनएमटी के लिए एएफडी से केरल सरकार के माध्यम से केएमआरएल को प्राप्त संचयी निधि 24.46.67 लाख रुपए है ।

34.14 भारतीय लेखा मानक-19, "कर्मचारी लाभ" से संबंधित प्रकटीकरण

भविष्य निधि और पेंशन निधि: कंपनी के पात्र कर्मचारी भविष्य निधि (पीएफ) योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं, जिसमें कर्मचारी और कंपनी दोनों कवर किए गए कर्मचारियों के वेतन के निर्दिष्ट प्रतिशत पर मासिक योगदान करते हैं। अंशदान का भुगतान क्षेत्रीय भविष्य निधि खाते में किया जाता है। कंपनी की पेंशन योजना भविष्य निधि योजना से जुड़ी हुई है। भविष्य निधि योजनाओं के तहत कंपनी के सभी पात्र कर्मचारियों को कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) के तहत भी शामिल किया गया है, कंपनी के उन कर्मचारियों को छोड़कर जो 1 सितंबर 2014 के बाद भविष्य निधि (पीएफ) के सदस्य बन गए हैं और जिनका वेतन प्रति माह 15,000/- रुपए से अधिक है। ऐसे कर्मचारी ईपीएस योजना के तहत कवर होने के लिए अर्ह नहीं हैं। उक्त लाभ केवल तभी बढ़ाया जाता है, जब कर्मचारी केएमआरएल में शामिल होने के दौरान पीएफ योजना का मौजूदा सदस्य हो। उपरोक्त पेंशन योजना के तहत, कर्मचारियों से योगदान नहीं लिया जाता है और पूरी तरह से नियोक्ता के योगदान से भुगतान किया जाता है।

उपदान: उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 के अनुसार प्रत्येक कर्मचारी को उपदान देय है, जिसने पांच साल या उससे अधिक की निरंतर सेवा प्रदान की हो। उपदान योजना के संबंध में देयताओं को प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख में भारतीय लेखा मानक 19 द्वारा अपेक्षित अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके एक स्वतंत्र बीमांकक द्वारा निष्पादित बीमांकिक मूल्यांकन द्वारा निर्धारित किया जाता है। खाता बहियों में उपदान के लिए बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार प्रावधान किए गए हैं। बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार हालांकि नियोजित परिसंपत्तियाँ दिखाई जाती हैं, कंपनी ने खाता बहियों में परिसंपत्ति को मान्यता नहीं दी है, चूँकि कंपनी ने फंड ट्रस्ट नहीं बनाया है।

अर्जित और अर्ध-वेतन छुट्टी: कंपनी कर्मचारियों को मानव संसाधन नीति के अनुसार अर्जित छुट्टी लाभ और अर्ध-वेतन छुट्टी प्रदान करती है। इस खाते की देयता को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है।

छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी): कंपनी के अनुमोदित नीति के अनुसार कर्मचारियों को उनके गृहनगर के साथ-साथ भारत में किसी भी स्थान पर वास्तविक यात्रा के व्यय के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। संबंधित देयता कोअक्च्यूरियल मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है।

बीमा: कंपनी ने चालू वर्ष के दौरान अपने सभी पात्र कर्मचारियों के लिए चिकित्सा बीमा पॉलिसी भी ली है।

34.15 बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार लाभ और हानि विवरण और तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त विभिन्न परिभाषित लाभों की संक्षिप्त स्थिति निम्नानुसार है:

दिनांक 31 मार्च 2024 को बीमांकिक रिपोर्ट के आधार पर परिभाषित लाभ योजनाओं अर्थात उपदान, अर्जित छुट्टीऔर अर्ध वेतन छुट्टी, छुट्टीयात्रा रियायत (गैर निधि योजना) के लिए प्रकटीकरण

राशि (रुपए लाखों में)

विवरण	उपदान पात्रता (गैर वित्तपोषित)		अर्जित छुट्टी नकदीकरण (गैर वित्तपोषित)		अर्ध वेतन छुट्टी नकदीकरण (गैर वित्तपोषित)		छुट्टी यात्रा रियायत (गैर वित्तपोषित)	
	31/03/2024 को	31/03/2023 को	31/03/2024 को	31/03/2023 को	31/03/2024 को	31/03/2023 को	31/03/2024 को	31/03/2023 को
वर्ष की शुरुआत में लाभ दायित्व	9 70.74	7 46.61	9 86.21	8 31.02	2 82.56	2 36.99	95.23	99.04
वर्तमान सेवा लागत	1 43.82	1 27.31	1 96.09	1 69.38	56.90	47.08	21.46	20.38
ब्याज लागत	70.60	53.55	69.09	56.77	20.88	17.26	6.31	6.98
भुगतान किए गए लाभ/वापस ले लिया गया प्रावधान	(38.50)	(49.74)	(110.28)	(1 31.99)	(2.26)	(8.70)	(15.98)	(9.94)
पिछली सेवा लागत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से बीमांकिक (लाभ) / हानि	25.44	10.33	24.88	10.12	7.02	2.89	1.87	0.56
दायित्वों पर बीमांकिक (लाभ) / हानि - अनुभव समायोजन और जनसांख्यिकीय मान्यताओं के कारण	42.77	82.68	21.84	50.91	(24.60)	(12.96)	(8.60)	(21.79)
वर्ष के अंत में लाभ दायित्व	12 14.87	9 70.74	11 87.83	9 86.21	3 40.50	2 82.56	1 00.29	95.23

राशि (रुपए लाखों में)

दिनांक 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कर्मचारी लाभ व्यय के तहत लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त राशियाँ निम्नानुसार हैं:

विवरण	उपदान पात्रता (गैर वित्तपोषित)		अर्जित छुट्टी नकदीकरण (गैर वित्तपोषित)		अर्ध वेतन छुट्टी नकदीकरण (गैर वित्तपोषित)		छुट्टी यात्रा रियायत (गैर वित्तपोषित)	
	31/03/2024 को	31/03/2023 को	31/03/2024 को	31/03/2023 को	31/03/2024 को	31/03/2023 को	31/03/2024 को	31/03/2023 को
वर्तमान सेवा लागत	1 43.82	1 27.31	1 96.09	1 69.38	56.91	47.08	21.46	20.38
ब्याज लागत	70.60	53.55	69.08	56.77	20.88	17.26	6.31	6.98
पिछली सेवा लागत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
प्रतिपूर्ति सेवा लागत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ब्याज आय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
प्रतिपूर्ति	0.00	0.00	46.72	61.03	(17.58)	(10.07)	(6.73)	(21.23)
कुल	2 14.42	1 80.86	3 11.89	2 87.18	60.21	54.27	21.04	6.13
घटाएं: बीमांकिक (लाभ)/सीडबल्यूआईपी को हस्तांतरित हानि/परियोजना निधि/अन्य	58.24	43.81	79.74	68.77	33.30	10.10	5.89	1.10
लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	1 56.18	1 37.05	2 32.15	2 18.41	26.91	44.17	15.15	5.03

राशि (रुपए लाखों में)

दिनांक 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के अन्य व्यापक आय विवरण में मान्यता प्राप्त राशियाँ निम्नानुसार हैं:

विवरण	उपदान पात्रता (गैर-वित्त पोषित)	
	31/03/2024 को	31/03/2023 को
निवल परिभाषित लाभ देयता/(परिसंपत्ति) का प्रतिपूर्ति		
वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन से एक्चुरियल (लाभ)/हानि	25.44	10.33
एक्चुरियल (लाभ)/हानि- अनुभव समायोजन और जनसांख्यिकीय धारणा के कारण	42.77	82.68
ओसीआई में कुल प्रतिपूर्ति	68.21	93.01
घटाएं: सीडब्ल्यूआईपी को हस्तांतरित एक्चुरियल लाभ/हानि	13.64	17.76
ओसीआई के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	54.57	75.25

दिनांक 31 मार्च, 2024 और 31 मार्च, 2023 तक उपदान, अर्जित छुट्टी नकदीकरण, अर्ध वेतन छुट्टी नकदीकरण और छुट्टी यात्रा रियायत लाभ दायित्वों को निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रमुख धारणाएँ इस प्रकार हैं:

विवरण	31/03/2024 को	31/03/2023 को
छूट की दर	7.24%	7.42%
वेतन वृद्धि दर - पहले 5 वर्ष	6.00%	6.00%

राशि (रुपए लाखों में)

तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त कुल परिसंपत्ति/देयता

विवरण	उपदान पात्रता (गैर वित्तपोषित)		अर्जित छुट्टी नकदीकरण (गैर वित्तपोषित)		अर्ध वेतन छुट्टी नकदीकरण (गैर वित्तपोषित)		छुट्टी यात्रा रियायत (गैर वित्तपोषित)	
	31/03/2024 को	31/03/2023 को	31/03/2024 को	31/03/2023 को	31/03/2024 को	31/03/2023 को	31/03/2024 को	31/03/2023 को
दायित्व का वर्तमान मूल्य	12 14.87	9 70.74	11 87.83	9 86.21	3 40.50	2 82.56	1 00.29	95.23
योजना परिसंपत्ति का उचित मूल्य	-	-	-	-	-	-	-	-
अंतर	12 14.87	9 70.74	11 87.83	9 86.21	3 40.50	2 82.56	1 00.29	95.23
गैर-मान्य ट्रांसिशनल देयता	-	-	-	-	-	-	-	-
गैर मान्य पिछली सेवा लागत - गैर निहित लाभ	-	-	-	-	-	-	-	-
तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त देयता	12 14.87	9 70.74	11 87.83	9 86.21	3 40.50	2 82.56	1 00.29	95.23

34.16 केरल सरकार (जीओके) की ओर से कंपनी द्वारा किए गए प्रारंभिक कार्यों/परियोजनाओं का विवरण, जो दिनांक 31 मार्च, 2024 तक प्रगति पर हैं ।

राशि (रुपए लाखों में)

क्रम सं	चालू किए गए प्रारंभिक कार्य/परियोजना का विवरण	परियोजना के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने का शासनादेश	अनुमोदित परियोजना लागत	दिनांक 31.03.2024 तक प्राप्त निधि			दिनांक 31.03.2024 तक व्यय की गई राशि
				निधि का स्रोत	प्राप्त राशि	कुल	
1	कुन्नरा पार्क से पेट्टा तक के1.5 किलोमीटर वैट्टिला-पेट्टा रोड का चौडीकरण	जी.ओ(एमएस) संख्या 13/2015/ट्रांस दिनांकित 10/03/2015	22 35.00	केरल सरकार	22 35.00	22 35.00	19 43.36
2	जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से इंफोपार्क होकर काक्कनाड तक नई मेट्रो लाइन का प्रारंभिक कार्य	जी.ओ(एमएस) संख्या 24/2023/ ट्रांस दिनांकित 03/04/2023	3 56 21. 90	केरल सरकार	1 22 53.29	303 74.45	303 74.45
				हडको से ऋण लिया है	1 76 20.58 5 00.58		
3	सीपोर्ट एयरपोर्ट रोड़ की चौडीकरण के लिए कोच्ची मेट्रो रेल परियोजना के II चरण के प्रारंभिक कार्य	जी.ओ(एमएस) संख्या 73/2018/ ट्रांस दिनांकित 17/12/2018	74 07.00	हडको से ऋण लिया है	39 03.91	39 03.91	39 03.91

4	इडपल्ली से जेएलएन स्टेडियम/कलूर तक इडपल्ली -हाई कोर्ट रोड के सुधार और जल निकासी व्यवस्था के उन्नयन के लिए प्रारंभिक कार्य	जी.ओ(एमएस) संख्या 56/2016/ ट्रांस दिनांकित 26/08/2016	39 41.40	केरल सरकार	34 00.00	34 00.00	16 08.92
5	त्रिप्पुनित्तुरा के पेट्टा से एसएन जंक्शन तक कोच्ची मेट्रो रेल परियोजना के विस्तार के लिए प्रारंभिक कार्य	जी.ओ(एमएस) संख्या 31/2016/ ट्रांस दिनांकित 31/03/2016	1 23 00.00	केरल सरकार	69 30.29	1 28 31.29	1 28 31.29
				हडको से ऋण लिया है	58 83.51		
				अन्य	17.49		
कुल			**6 15 05.30**			**527 44.65**	**506 61.93**

केरल सरकार (जीओके) की ओर से कंपनी द्वारा किए गए उपर्युक्त प्रारंभिक कार्यों और परियोजनाओं का कुल शेष राशि, जो दिनांक 31 मार्च, 2024 तक प्रगति पर हैं, केरल सरकार से प्राप्य/देय होने के कारण तुलन पत्र में टिप्पणी संख्या 5,11 और 23 में दिखाया गया है ।

34 .17 केरल सरकार की ओर से कंपनी द्वारा किए गए प्रारंभिक कार्यों / परियोजनाओं का विवरण, जो डीएमआरसी के माध्यम से निष्पादित किए जाते हैं

राशि (रुपए लाखों में)

क्रम सं.	लिया गया और पूरा किया गया प्रारंभिक कार्य/परियोजना का विवरण	केरल सरकार के प्रशासनिक मंजूरी आदेश	अनुमोदित परियोजना लागत	दिनांक 31.03.2024 तक प्राप्त निधि			दिनांक 31.03.2024 तक व्यय की गई राशि
				निधि का स्रोत	प्राप्त राशि	कुल	
1	प्रारंभिक कार्य	जी.ओ(एमएस) संख्या 110/2013/ ट्रांस दिनांकित 07-12-2013	242 47.00	केरल सरकार	220 45.27	220 45.27	199 62.28

2	पच्चालम रेल ओवर ब्रिज (आरओबी)	जी.ओ(एमएस) संख्या 23/2014/ ट्रांस दिनांकित 05/03/2014 and जी.ओ(एमएस) संख्या.56/2014/ ट्रांस दिनांकित 24/07/2014	52 59.00	केरल सरकार	52 59.00	52 59.00	23 67.17
3	इडप्पल्ली फ्लाईओवर	जी.ओ(आर टी) संख्या No.714/2013/PWD दिनांकित 13/05/2013	108 77.00	केरल रोड फंड बोर्ड (केआरएफबी)	34 43.55	34 43.55	35 28.25
4	चार लेन चंबक्करा पुल के निर्माण का प्रारंभिक कार्य	जी.ओ(एमएस) संख्या 68/2016/ ट्रांस दिनांकित 09/11/2016 and जी.ओ(एमएस) संख्या. 64/2018/ ट्रांस दिनांकित 11/11/2018	38 36.44	केरल सरकार हडको से ऋण	27 00.00 10 36.00	37 36.00	37 09.75
	कुल		442 19.44		344 83.82	344 83.82	295 67.45

केरल सरकार (जीओके) की ओर से कंपनी द्वारा किए गए उपर्युक्त प्रारंभिक कार्यों और परियोजनाओं का कुल शेष, जो डीएमआरसी के माध्यम से निष्पादित की जाती है, केरल सरकार से प्राप्य/देय को तुलन पत्र के टिप्पणी संख्या 5, 11 और 23 में दिखाया गया है ।

34.18 दिनांक 31 मार्च 2024 तक उपलब्ध प्रारंभिक और अन्य परियोजना कार्यों के लिए केरल सरकार से प्राप्त अग्रिम का विवरण ।

राशि (रुपए लाखों में)

विवरण	31-मार्च-24 को	31-मार्च-23 को
एकीकृत जल परिवहन प्रणाली	0.00	3 91.82
पांच प्रारंभिक कार्य	23 12.26	25 34.04
पच्चालम कार्य	28 91.83	28 91.83
इडपल्ली-हाई कोर्ट रोड का सुधार	17 91.08	18 04.09
कुन्नारा से पेट्टा तक के प्रारंभिक कार्य	2 91.64	2 91.64
कुल	72 86.81	79 13.42

34.19 आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (एमओएचयूए) और केरल सरकार (जीओके) से केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए)

क.कंपनी को शहरी विकास मंत्रालय (एमओयूडी) से शहरी परिवहन योजना स्कीम के तहत,केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) के रूप में निधि प्राप्त हुआ, जिसमें सभी प्रकार के यातायात और परिवहन अध्ययन आदि के लिए कुल व्यय का 80% एमओयूडी द्वारा और राज्य सरकार द्वारा 20% वहन किया जाएगा ।

वर्ष 2017-18 तक किए गए कुल व्यय के 226.73 लाख रुपए के कुल व्यय में से, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने अपना पूरा हिस्सा जारी कर दिया है, केरल सरकार से, और 45.35 लाख रुपए की शेष राशि केरल सरकार से बकाया है, जो कि उनकी वित्तीय सहायता का हिस्सा है, को जीओ(आरटी) संख्या 192/2020/ट्रांस दिनांकित 08.06.2020 के तहत प्राप्त निधि में से शून्य (पिछले वर्ष 32.61 लाख रुपये) की राशि को समायोजित किया और 12.74 लाख रुपए की कुल बकाया राशि को केरल सरकार से प्राप्य के रूप में दिखाया है ।

ख. केरल सरकार ने दिनांक 06.07.2023 के जी.ओ.(आरटी)सं.282/2023/ट्रान्स के तहत कंपनी द्वारा कोच्ची, तिरुवनंतपुरम और कोष़िक्कोड शहर के लिए व्यापक गतिशीलता योजना (सीएमपी) और वैकल्पिक विश्लेषण रिपोर्ट (एएआर) तैयार करने की मंजूरी दी गई । तदनुसार, मेसर्स यूएमटीसी को 5.28.16 लाख रुपये की राशि के लिए सीएमपी और एएआर की तैयारी करने के लिए सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। व्यय का 80% भारत सरकार द्वारा और 20% केरल सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति की जाएगी । इसी प्रकार, एएआर से संबंधित व्यय भारत सरकार और राजस्थान सरकार द्वारा समान रूप से प्रदान किया जाएगा । दिनांक 31.03.2024 तक व्यय की गई क्रमशः 350.34 लाख रुपये और 128.85 लाख रुपये की राशि भारत सरकार और केरल सरकार से प्राप्य मानी गई है ।

34.20 तिरुवनंतपुरम और कोष़िक्कोड मेट्रो में लाइट मेट्रो/मेट्रोलाइट परियोजनाएँ।

क. दिनांक 01/09/2022 के जीओ(एमएस) संख्या 43/2022/ट्रांस के तहत, केरल रैपिड ट्रांजिट कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा तिरुवनंतपुरम और कोष़िक्कोड जिलों में निष्पादित लाइट मेट्रो/मेट्रोलाइट परियोजनाओं और 3 फ्लाईओवरों का काम कंपनी को सौंप दिया गया ।

इसके अलावा, दिनांक 11/01/2023 के जीओ (एमएस) संख्या 3/2023/पीडब्ल्यूडी के तहत, केरल सरकार ने कंपनी को तिरुवनंतपुरम में लाइट मेट्रो परियोजना के हिस्से के रूप में श्रीकार्यम, उल्लूर और पट्टम में फ्लाईओवर के निर्माण के लिए एसपीवी के रूप

में नियुक्त किया । परियोजना को किफ़्बि द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा और श्रीकार्यम फ्लाईओवर के लिए भूमि अधिग्रहण को छोड़कर अनुमोदित परियोजना लागत 70 32 लाख रुपए हैं । कंपनी अनुमोदित परियोजना लागत के 3.25% की दर से सेंटेज के लिए पात्र है ।

ख. तिरुवनंतपुरम मेट्रो के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करना।

केरल सरकार द्वारा जीओ(एमएस) संख्या 43/2022/ट्रांस दिनांकित 01/09/2022 के तहत कंपनी को नए सीएमपी और एएआर के आधार पर तिरुवनंतपुरम शहर के लिए संशोधित डीपीआर तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत किया गया । तदनुसार, मेसर्स. डीएमआरसी को 4 16 लाख रुपये की राशि के लिए डीपीआर तैयार करने के लिए सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था, जिसमें सेमोबिलाइजेशन अग्रिम के रूप में 83.21 लाख रुपये का भुगतान किया गया है ।

34.21. भारतीय लेखा मानक-12, "आयकर" के संबंध में प्रकटीकरण

दिनांक 31.03.2024 (दिनांक 31.03.2023 को 959 67.76 लाख रुपए) तक अनवशोषित मूल्यह्रास और संचित हानियों के अस्तित्व पर कंपनी के पास 101625.51 लाख रुपए की आस्थगित कर परिसंपत्ति है । दिनांक 31.03.2024 को आस्थगित कर देयता 777 18.85 लाख रुपए (दिनांक 31.03.2023 को 457 66.39 लाख रुपए) है ।

दिनांक 31.03.2024 को कुल आस्थगित कर परिसंपत्ति 239 06.66 लाख रुपए (दिनांक 31.03.2023 को 502 01.37 लाख रुपए) है और प्रूडेंस के आधार पर, आस्थगित कर परिसंपत्ति खाता बही में मान्यता प्राप्त नहीं है ।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के संबंध में जैसा कि दिनांक 12.06.2024 को आयकर विभाग, भारत सरकार के सीबीडीटी पोर्टल में प्रदर्शित के अनुसार स्रोत पर कर कटौती को 26 लेखा मानक के आधार पर वित्तीय विवरणों में स्रोत पर कर कटौती को मान्यता दी गई है ।

34.22 केएमआरएल में गैर-मोटर चालित परिवहन (एनएमटी) पहल

केरल सरकार जीओ (आरटी) संख्या 24/2021/ट्रांस दिनांकित 16.01.2021 के तहत, कंपनी की गैर-मोटर चालित परिवहन पहल के लिए 239 00 लाख रुपए की राशि के लिए संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की यानि
202 54 लाख रुपए भारत सरकार से पास थ्रू सहायता के रूप में और 36 46 लाख रुपए केरल सरकार से अधीनस्थ ऋण के रूप में । एनएमटी योजना में स्टेशन-उन्मुख विकास, प्रमुख जंक्शन सुधार और शहरी स्थान बनाने वाली पैदल यात्री परियोजना आदि शामिल है ।

तदनुसार, दिनांक 27.12.2019 को कोच्ची मेट्रो रेल परियोजना की एनएमटी पहलों के वित्तपोषण के लिए भारत सरकार और एएफडी के बीच 27 मिलियन यूरो के लिए क्रेडिट सुविधा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए । भारत के राज्यों को विकास सहायता के हिस्से के रूप में, भारत सरकार द्वारा केएमआरएल को भारत सरकार द्वारा केरल सरकार के माध्यम से निधि उपलब्ध कराया जाएगा । दिनांक 05.02.2020 को केएमआरएल (अंतिम लाभार्थी) और एएफडी के बीच परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए गए ।

प्रत्येक भुगतान तिथि पर यानि प्रत्येक वर्ष 31 मई और 30 नवंबर को ब्याज देय होता है । मूलराशि की अदायगी बीस समान अर्धवार्षिक किश्तों में होगी और पहली किस्त दिनांक 31 मई, 2025 को देय है और अंतिम किश्त दिनांक 30 नवंबर 2034 को केरल सरकार द्वारा देय होगी ।

वर्ष 2023-24 के दौरान, आर्थिक मामलों के विभाग के माध्यम से केरल सरकार को 36 54.96 (पिछले वर्ष शून्य) की राशि जारी की गई । बाद में यह राशि वित्त वर्ष 2024-25 में सरकार द्वारा दिनांक 22/04/2024 के जीओ (आरटी) संख्या 153/2024/ट्रांस के के तहत केएमआरएल को हस्तांतरित कर दी गई ।

दिनांक 31.3.2024 तक, एनएमटी के लिए एएफडी से केरल सरकार के माध्यम से केएमआरएल को प्राप्त संचयी निधि 24.46.67 लाख रुपए है ।

34.23 भारतीय लेखा मानक - 23 "उधार लेने की लागत" की आवश्यकताओं के अनुसार प्रकटीकरण

वर्ष के दौरान, "उधार लागत" पर लेखा नीति के अनुरूप 29 99.36 रुपए की राशि (पिछले वर्ष 38 61.76 लाख रुपए) उधार लेने की लागत से पूंजीकृत किया गया और "उधार लागत" पर लेखांकन नीति के अनुरूप, क्रमश: 224 93.63 लाख रुपए (पिछले वर्ष रु. 163 97.90 लाख रुपए) तथा 18 54.29 लाख रुपए (पिछले वर्ष 19 84.92 लाख रुपए) राजस्व और सीडब्ल्यूआईपी के लिए प्रभारित किया गया है ।

34.24 भारतीय लेखा मानक -33, "प्रति शेयर आय" की आवश्यकताओं के अनुसार प्रकटीकरण

राशि (रुपए लाखों में)

विवरण	2023-24	2022-23
वर्ष के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (रुपए लाखों में)	(433 75.95)	(335 52.54)
वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या - बुनियादी - डिल्यूटड	15 07 46 000 16 07 46 000	15 07 46 000 15 17 59 699
प्रति शेयर मूल आय (रु. 100/- प्रति शेयर का अंकित मूल्य) (रु.)	(28.77)	(22.26)
प्रति शेयर डाइल्यूटड आय (रु. 100/- प्रति शेयर का अंकित मूल्य) (रु.)	(26.98)	(22.11)

34.25 भारतीय लेखा मानक -1, "वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति", भारतीय लेखा मानक 8, "लेखा नीतियाँ", लेखांकन अनुमानों और त्रुटियों के संबंध में प्रकटीकरण

क. पूँजी प्रबंधन

राशि (रुपए लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
(क) कुल ऋण	4642 15.49	4 464 04.90
(ख) कुल पूंजी	2160 60.61	2408 17.33
(ग) ऋण / इक्विटी अनुपात (क/ख)	2.15	1.85

कंपनी के पूंजी प्रबंधन की गणना के उद्देश्य से, पूंजी में जारी पूंजी और अन्य इक्विटी शामिल हैं ।

ऋण में दीर्घकालिक ऋण और अधीनस्थ ऋण शामिल हैं ।

ख. पिछले वर्ष के वित्तीय पुनर्कथन के कारण

पिछले वर्ष के वित्तीय विवरणों को निम्नलिखित कारणों से पुनर्कथित किया गया :

पिछले वर्ष के वित्तीय विवरणों को डीएमआरसी से ली गई परिचालन परिसंपत्तियों के मूल्य में अद्यतनीकरण के आधार पर पुनः प्रस्तुत किया गया, तथा ठेकेदारों के दावों के अंतिम निपटान के कारण केएमआरएल की मौजूदा परिसंपत्तियों के मूल्य में अद्यतनीकरण किया गया।

ऐसे पुनर्कथनों का शुद्ध प्रभाव नीचे संक्षेप में दिया गया है,

राशि (रुपए लाखों में)

विवरण	कुल प्रभाव
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में (वृद्धि)	10 22.97
2022-23 तक मूल्यह्रास में (वृद्धि)	1 47.12
अन्य इक्विटी में (कमी)	(147.12)
प्रति इक्विटी शेयर आय में (कमी)	0.02

34.26 भारतीय लेखा मानक -116, "पट्टे" के संबंध में प्रकटीकरण

34.26.1 कंपनी ने कर्मचारियों के लाभ के लिए कुछ परिसरों को पट्टे/किराए पर लिए हैं। ये पट्टा व्यवस्था आमतौर पर पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर नवीकरणीय होती है। वर्ष के दौरान कंपनी ने 5.13 लाख रुपए (गत वर्ष 9.56 लाख रुपए) की राशि का पट्टा किराए (वसूली का शुद्ध) का भुगतान किया है और इस प्रकार भुगतान किया गया पट्टा किराए को व्यय-कर्मचारी कल्याण व्यय शीर्ष के अंतर्गत शामिल किया गया है।

कंपनी ने पार्किंग सुविधा प्रदान करने के लिए 5 साल की अवधि पर केरल राज्य आवास बोर्ड से खाली ज़मीन पट्टे पर ली है।

दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए आरओयू परिसंपत्तियों के अग्रणीत मूल्य में परिवर्तन निम्नानुसार है:

राशि (रुपए लाखों में)

विवरण	वर्ष 2023-24 के दौरान	वर्ष 2022-23 के दौरान
प्रारंभ में बकाया	13.31	18.33
योग	-	-
विलोपन	-	-
मूल्यह्रास	5.02	5.02
अंत में बकाया	8.29	13.31

पट्टा देयताओं में उतार-चढ़ाव इस प्रकार है: ***राशि (रुपए लाखों में)***

विवरण	वर्ष 2023-24 के दौरान	वर्ष 2022-23 के दौरान
प्रारंभ में बकाया	14.57	19.11
परिवर्धन	-	-
अवधि के दौरान उपार्जित वित्त लागत	1.14	1.58

पट्टा देयताओं का भुगतान	(6.12)	(6.12)
अंत में बकाया	9.59	14.57

दिनांक 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार चालू और गैर- चालू पट्टा देयताओं का विवरण इस प्रकार है:

विवरण	वर्ष 2023-24 के दौरान	वर्ष 2022-23 के दौरान
वर्तमान पट्टा देयताएँ	5.46	4.98
गैर-चालू पट्टा देयताएँ	4.13	9.59
कुल	9.59	14.57

34.26.2 पट्टे जिसके अंतर्गत कंपनी सभी जोखिमों को काफी हद तक वहन करती है स्वामित्व प्रदान करना वित्तीय पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अधिग्रहित होने पर, ऐसी परिसंपत्तियों को उचित मूल्य या पट्टे की शुरुआत में न्यूनतम पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य, जो भी कम हो, पर पूंजीकृत किया जाता है। परिचालन पट्टों के तहत पट्टा भुगतान को पट्टा अवधि के दौरान लाभ और हानि के विवरण में सीधी रेखा के आधार पर व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

कंपनी ने अपनी विभिन्न परिसंपत्तियों को परिचालन पट्टे के आधार पर पार्टियों को लाइसेंस दिया है। परिचालन पट्टों से किराए की आय को आम तौर पर प्रासंगिक पट्टे की अवधि के दौरान सीधी रेखा के आधार पर मान्यता दी जाती है। जहां किराये को कंपनी की अपेक्षित मुद्रास्फीति लागत में वृद्धि की भरपाई के लिए अपेक्षित सामान्य मुद्रास्फीति के अनुरूप बढ़ने के लिए पूरी तरह से संरचित किया जाता है, ऐसी वृद्धि उस वर्ष में मान्यता प्राप्त होती है जिसमें ऐसे लाभ अर्जित होते हैं।

परिचालन पट्टे के तहत प्राप्त होने वाली भविष्य की न्यूनतम लाइसेंस राशि नीचे दी गई है;

राशि (रुपए लाखों में)

परिचालन पट्टा	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
एक वर्ष से अधिक नहीं	11 45.32	9 63.93
एक वर्ष से अधिक और पांच साल तक	44 63.60	42 79.91
पांच साल से परे	59 46.45	53 23.10

34.27 भारतीय लेखा मानक-24, "संबंधित पार्टी प्रकटीकरण" के संबंध में प्रकटीकरण

34.27.1 प्रमुख प्रबंधन व्यक्ति:

34.27.1.1 श्री मनोज जोशी, (16 मार्च 2024 तक अध्यक्ष एवं नामित निदेशक)

34.27.1.2 श्री अनुराग जैन, (16 मार्च 2024 से अध्यक्ष एवं नामित निदेशक)

34.27.1.3 श्रीमती नमिता मेहरोत्रा, (नामांकित निदेशक)

34.27.1.4 श्री जयदीप, (नामांकित निदेशक)

34.27.1.5 श्री डी. के. सैनी, (31 मई 2023 तक नामित निदेशक)

34.27.1.6 श्री किशोर कुमार (17 अगस्त 2023 से नामित निदेशक)

34.27.1.7 श्री. भूपेंद्र सिंह बोध, (नामित निदेशक)

34.27.1.8 डॉ. वी. पी. जॉय, (30 जून 2023 तक नामित निदेशक)

34.27.1.9 डॉ. वेणु वी. (25 जुलाई 2023 से नामित निदेशक)

34.27.1.10 श्री लोकनाथ बेहरा, (प्रबंध निदेशक)

34.27.1.11 श्रीमती अन्नपूरणी एस., (निदेशक - वित्त) और सीएफओ

34.27.1.12 श्री संजय कुमार, (निदेशक - सिस्टम 19 मई 2023 से)

34.26.1.13 डॉ. एम. पी. रामनवास, (निदेशक - परियोजनाएं)

34.27.1.14 डॉ. रेणु राज, (12 अप्रैल 2023 तक नामित निदेशक)

34.27.1.15 श्री. उमेश एन.एस.के., (12 अप्रैल 2023 से नामित निदेशक)

34.27.1.16 श्री बीजू प्रभाकर, (नामित निदेशक)

34.27.1.17 श्री. बिश्वनाथ सिन्हा, (18 जुलाई 2023 तक नामित निदेशक

34.27.1.18 श्री. रवींद्र कुमार अग्रवाल, (18 जुलाई 2023 से नामित निदेशक)

34.27.1.19 श्री. श्याम सुंदर अग्रवाल, (28 मार्च 2024 तक कंपनी सचिव)

34.27.1.20 श्री. लिस्टन पेरेरा (28 मार्च 2024 से कंपनी सचिव)

34.27.2 उन कंपनियों का विवरण जहाँ महत्वपूर्ण प्रभाव मौजूद है और जिनके साथ कंपनी ने लेनदेन किया था

34.27.2.1 कोच्ची वाटर मेट्रो लिमिटेड (सहयोगी कंपनी) ।

34.27.3 प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों के साथ कंपनी के लेनदेन का प्रकटीकरण:

राशि (रुपए लाखों में)

क्रम सं	विवरण	2023-24	2022-23
1	वेतन और भत्ते	1 83.95	1 61.84
2	भविष्य निधि और अन्य के लिए अंशदान	20.58	13.53
3	अन्य लाभ	30.51	45.95
	कुल (कर्मचारी लागत में शामिल किया गया है)	**2 35.04**	**2 21.32**

क) पूर्णकालिक निदेशकों को कंपनी की नीति के अनुसार वसूली के अधीन निजी यात्राओं के लिए कंपनी के वाहनों का उपयोग करने की अनुमति दी गई है ।

ख) उपरोक्त राशि में अक्च्यूरियल मूल्यांकन पर सुनिश्चित किए गए उपदान, छुट्टी नकदीकरण और छुट्टी यात्रा रियायत में योगदान के प्रावधान शामिल नहीं हैं । अतः वर्ष के दौरान किए गए वास्तविक भुगतान अन्य लाभों में शामिल किया है ।

34.27.4 कंपनियों के साथ कंपनी के लेनदेन का प्रकटीकरण:

केरल सरकार ने दिनांक 23/10/2020 के जीओ(एमएस) संख्या 26/2020/ट्रांस के तहत कोच्ची वाटर मेट्रो परियोजना के संचालन और रखरखाव के उद्देश्य से केरल सरकार द्वारा 74% इक्विटी और केएमआरएल द्वारा 26% इक्विटी, 4 90 लाख रुपये की अधिकृत शेयर पूंजी के साथ एक एसपीवी (विशेष प्रयोजन वाहन) के गठन को मंजूरी दी । तदनुसार, मेसर्स कोच्ची वॉटर मेट्रो लिमिटेड (केडबल्यूएमएल) को दिनांक 14 जुलाई, 2021 को शामिल किया गया । कंपनी ने केरल सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) भी किया, जिसमें कंपनी और केरल सरकार के दायित्वों को रेखांकित किया गया । कंपनी ने दिनांक 09/08/2021 से 5 वर्ष की अवधि के लिए संपत्ति के पट्टे के लिए कोच्ची वाटर मेट्रो लिमिटेड (केडब्ल्यूएमएल) के साथ एक समझौता किया ।

वर्ष के दौरान, कंपनी ने परिचालन के प्रारंभिक चरण के दौरान केडब्ल्यूएमएल को सहयोग प्रदान करने के लिए कोच्ची वाटर मेट्रो लिमिटेड (केडब्ल्यूएमएल) के साथ एक समझौता किया ।

वर्ष के दौरान सामान्य कारोबारी क्रम में कोच्ची वाटर मेट्रो लिमिटेड के साथ निम्नलिखित लेनदेन किए गए:

राशि (रुपए लाखों में)

लेन-देन की प्रकृति	2023-24	2022-23
के.डब्ल्यू.एम.एल की ओर से निधियों की प्राप्तियाँ	3 06.99	0.00
केडब्ल्यूएमएल की ओर से निधियों की प्राप्तियां	37.44	40.65
केडब्ल्यूएमएल को व्यय की प्रतिपूर्ति	0.00	3.04
प्रदान की गई सेवाएँ	0.81	0.12
केडब्लूएमएल टर्मिनलों से जारी पीरियड पास से केएमआरएल का राजस्व	0.09	0.00
केएमआरएल स्टेशनों से जारी पीरियड पास से केडब्ल्यूएमएल का राजस्व	0.03	0.00

दिनांक 31 मार्च 2024 तक कोच्ची वाटर मेट्रो लिमिटेड के पास बकाया शेष राशि निम्नलिखित है ।

राशि (रुपए लाखों में)

विवरण	2023-24	2022-23
व्यय की प्रतिपूर्ति से केडबल्यूएमएल से प्राप्य	7.18	40.65
प्रदान की गई सेवाओं के बदले प्राप्य	0.00	0.12
देय - केडबल्यूएमएल की ओर से प्राप्त निधि	2.29	0.00
व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए केडबल्यूएमएल को देय	0.00	3.04

*सभी बकाया शेष राशि असुरक्षित हैं और नकद में देय हैं।

34.28 भारतीय लेखा मानक -36 (परिसंपत्तियों की हानि) के संबंध में प्रकटीकरण

परिसंपत्तियों पर क्षति हानि, वर्ष के दौरान शून्य (पिछले वर्ष शून्य) राशि के लिए मान्यता प्राप्त है ।

34.29 भारतीय लेखा मानक -37 "प्रावधानों, आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक परिसंपत्तियों" के संबंध में प्रकटीकरण

क) प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक परिसंपत्तियाँ

राशि (रुपए लाखों में)

विवरण	01.04.2023 को प्रारंभिक शेष राशि	वर्ष के दौरान परिवर्धन/हस्तांतरण/उपयोग	दिनांक 31.03.2024 को अंथ शेष
प्रावधान	68 27.95	1 24.49	69 52.44
आकस्मिक देयताएँ			
क. कोच्ची मेट्रो रेल परियोजना की ओर			
i. भूमि अधिग्रहण संबंधी दावे	342 27.28	271 46.88	613 74.16
ii. जिला कलेक्टर को स्थापना एवं आकस्मिकता प्रभार*	92 29.58	0.00	92 29.58
iii. मध्यस्थता दावे	72 59.52	147 25.77	219 85.29
iv. अन्य	140 02.02	68 03.79	208 05.81
ख. केरल सरकार की ओर से केएमआरएल द्वारा किए जा रहे प्रारंभिक कार्यों के लिए	263 62.29	90 45.04	354 07.33
ग. संवैधानिक प्राधिकरण	6 95.73	0.00	6 95.73

*जिला कलेक्टर द्वारा प्रारंभिक कार्यों से संबंधित स्थापना और आकस्मिक शुल्क के लिए दावा की गई राशि को छोड़कर,चूंकि प्रारंभिक कार्य के लिए भूमि राज्य सरकार के नाम पर अधिग्रहित की जाती है।

दिनांक 31 मार्च 2024 तक, परियोजनाओं से संबंधित कुछ भूमि अधिग्रहण मामले उप-न्यायालय एरणाकुलम और अतिरिक्त जिला न्यायालय एरणाकुलम के पास लंबित हैं । याचिकाकर्ताओं द्वारा दावा विवरण दायर किए गए संवर्धित मुआवजे के कारण हुए अनुमानित अतिरिक्त 613 74.16 लाख रुपए हैं । यह आकस्मिक देयताओं के तहत सम्मिलित है ।

इसके अलावा, उप-न्यायालय एरणाकुलम और अतिरिक्त जिला न्यायालय एरणाकुलम के साथ लंबित प्रारंभिक कार्यों से संबंधित भूमि अधिग्रहण के मामले, जिसका याचिकाकर्ताओं द्वारा 354 07.33 लाख रुपए की अनुमानित देयताओं के लिए दावा बयान किया गया है, वह भी आकस्मिक देयताओं के तहत शामिल किया गया है।

शेष मामलों के लिए, याचिकाकर्ताओं द्वारा दावा विवरण अभी तक दाखिल नहीं किया गया है और अतः ऐसे संदर्भों के कारण कंपनी वर्तमान देयता को निर्धारित करने में असमर्थ है । न्यायालयों में लंबित इन मामलों के संबंध में देयताएं, यदि कोई हों, कानूनी कार्यवाही पूरी होने के बाद या अंतिम आदेश प्राप्त होने पर प्रदान की जाएंगी ।

प्रारंभिक कार्यों के दावों के संबंध में, ऐसे प्रारंभिक कार्यों को निष्पादित करने के लिए केरल सरकार से प्राप्त धन से निपटारा किया जाएगा ।

भूमि अधिग्रहण पुनर्वास पुनः स्थापन (केरल) नियम 2015 में उचित मुआवजा और पारदर्शिता के अधिकार के नियम 4(2) और नियम 4(3) के तहत, भूमि अधिग्रहण लागत के क्रमशः 30% और 5% की दर से स्थापना और आकस्मिकता शुल्क, जिला कलेक्टर को अग्रिम भुगतान किया जाना है । चूंकि भूमि अधिग्रहण दिनांक 04.11.2013 को किए भारत सरकार, केरल सरकार और केएमआरएल के बीच के समझौता ज्ञापन के अनुसार केरल सरकार का दायित्व है, केएमआरएल ने कई मौकों पर राजस्व विभाग से इस तरह के स्थापना शुल्क और आकस्मिकता को अधित्यजन करने का अनुरोध किया है । ऐसी पुष्टि लंबित होने पर, स्थापना शुल्क और आकस्मिकता के कारण राशि (अग्रिम/प्रावधान, यदि कोई हो का शुद्ध) को आकस्मिक देयताओं के अंतर्गत शामिल किया गया है ।

34.30 निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अनुसार, निश्चित सीमा को पूरा करने वाली कंपनी को अपने औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2% पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए निगमित सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) गतिविधियों पर खर्च करने की आवश्यकता है । हालांकि सीएसआर प्रावधान केएमआरएल पर लागू होते हैं, कंपनी नुकसान में होने के कारण सीएसआर पर अनिवार्य रूप से कोई राशि खर्च करने की आवश्यकता नहीं है । अतः, कंपनी ने सीएसआर गतिविधियों के लिए कोई व्यय नहीं किया है ।

34.31 भारतीय लेखा मानक - 107 "वित्तीय साधन: प्रकटीकरण" के संबंध में प्रकटीकरण

34.31.1 श्रेणियों के अनुसार वित्तीय साधन

राशि (रुपए लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2024 को			31 मार्च 2023 को		
	परिशोधन लागत	एफ़वीटीपीएल	एफ़वीओसीआई	अमूर्त लागत	एफ़वीटीपीएल	एफ़वीओसीआई
वित्तीय परिसंपत्तियाँ						
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ (टिप्पणी संख्या 5 और 11 देखें)	840 13.17	-	-	785 77.78	-	-
प्राप्य व्यापार (टिप्पणी संख्या 8 देखें)	7 31.47	-	-	13 45.31	-	-
कुल	**847 44.64**	-	-	**799 23.09**	-	-
वित्तीय देयताएं						
उधार (टिप्पणी संख्या 16क एवं 21क देखें)	4642 15.49	-	-	4464 04.90	-	-
अन्य वित्तीय देयताएं (टिप्पणी संख्या 17 एवं 23 देखें)	487 58.74	-	-	443 96.59	-	-
कुल	**5129 74.23**	**-**	**-**	**4908 01.49**	**-**	**-**

34.31.2 वित्तीय जोखिम प्रबंधन

कंपनी वित्तीय साधनों के संबंध में विभिन्न जोखिमों के संपर्क में है । कंपनी की वित्तीय परिसंपत्ति और देयताओं को श्रेणी के अनुसार ऊपर संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है । मुख्य प्रकार के जोखिम बाजार जोखिम, ऋण जोखिम और लिक्विडिटी जोखिम हैं । कंपनी का जोखिम प्रबंधन अस्थिर वित्तीय बाजारों में जोखिम को कम करके कंपनी के लघु से मध्यम अवधि के नकद प्रवाह को सक्रिय रूप से सुरक्षित करने पर केंद्रित है ।

कंपनी के समक्ष आने वाले सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय जोखिमों का वर्णन नीचे किया गया है;

क. बाजार ज़ोखिम

कंपनी को बाजार जोखिम के रूप में विदेशी मुद्रा जोखिम और ब्याज दर जोखिम है । साथ ही कंपनी के पास मूल्य जोखिम नहीं है चूंकि कंपनी के पास कोई व्युत्पन्न वित्तीय परिसंपत्ति नहीं है ।

ख. ऋण जोखिम

ऋण जोखिम का तात्पर्य प्रतिपक्ष द्वारा अपने दायित्व पर चूक के जोखिम से है जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय नुकसान होता है । कंपनी विभिन्न वित्तीय साधनों के लिए इस जोखिम के संपर्क में है, उदाहरण के लिए कर्मचारियों को अग्रिम देना, ग्राहकों से प्राप्तियां, सुरक्षा जमा आदि । रिपोर्टिंग तिथि पर ऋण जोखिम का अधिकतम जोखिम मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रकार की वित्तीय परिसंपत्तियों की वहन राशि से है ।

- व्यापार प्राप्तियाँ

- परिशोधित लागत पर मापी गई अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ

कंपनी व्यक्तिगत रूप से या कंपनी द्वारा पहचाने गए ग्राहकों और अन्य प्रतिपक्षों की चूक की लगातार निगरानी करती है और इस जानकारी को अपने ऋण जोखिम नियंत्रण में सम्मिलित करती है । जहाँ उचित लागत पर उपलब्ध हो, बाहरी क्रेडिट रेटिंग और/या ग्राहकों और अन्य प्रतिपक्षों पर रिपोर्ट प्राप्त की जाती है और उनका उपयोग किया जाता है ।

ग. लिक्विडिटी जोखिम

कंपनी की लिक्विडिटी आवश्यकताओं की निगरानी मासिक और वार्षिक अनुमानों के आधार पर की जाती है । कंपनी के लिक्विडिटी के प्रमुख स्रोत परिचालन से उत्पन्न राजस्व, वाणिज्यिक दीर्घकालिक उधार, ब्याज मुक्त अधीनस्थ ऋण, शेयर पूंजी और अनुदान हैं ।

कंपनी नकद प्रवाह की निरंतर निगरानी और पर्याप्त नकद और नकद समकक्ष बनाए रखकर अपनी लिक्विडिटी की जरूरतों का प्रबंधन करती है । किसी भी कमी को निर्धारित करने के लिए शुद्ध नकद आवश्यकताओं की तुलना उपलब्ध नकद से की जाती है ।

अल्पकालिक लिक्विडिटी आवश्यकताओं में मुख्य रूप से विविध लेनदार, देय व्यय, कर्मचारी देय, वैधानिक बकाया, वर्तमान परिपक्वता और बाहरी उधार पर ब्याज और प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार व्यवसाय के सामान्य प्रकार के दौरान उत्पन्न होने वाली जमा राशि आदि शामिल है । कंपनी अपनी अल्पकालिक लिक्विडिटी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नकद और नकद समकक्षों और अन्य बैंक बकाया राशि में पर्याप्त बकाया राशि बनाए रखती है ।

कंपनी समय-समय पर दीर्घकालिक लिक्विडिटी आवश्यकताओं का आकलन करती है और आंतरिक संचय के माध्यम से उनका प्रबंधन करती है । कंपनी की गैर-चालू देयताओं में उधार का पुनर्भुगतान, ब्याज मुक्त अधीनस्थ ऋण, प्रतिधारण और जमा और कर्मचारी लाभ के लिए देयताएँ आदि शामिल हैं ।

घ. क्रेडिट जोखिम प्रबंधन

i. व्यापार प्राप्तियाँ

दिनांक 31 मार्च, 2024 और 31 मार्च, 2023 तक कंपनी की बकाया व्यापार प्राप्य (सकल) राशि क्रमशः 12 57.52 लाख रुपए और 15 30.05 लाख रुपए हैं। व्यापार प्राप्य आम तौर पर असुरक्षित होते हैं और यह ग्राहकों से अर्जित राजस्व से प्राप्त होते हैं। व्यापार प्राप्तियों से संबंधित ऋण जोखिम ग्राहकों से सुरक्षा जमा लेने से कम हो जाते हैं। कंपनी देयताओं की क्रेडिट योग्यता पर बारीकी से निगरानी करती है और केवल क्रेडिट योग्य पार्टियों के साथ व्यवहार करता है। कंपनी के आंतरिक प्रणाली ग्राहकों की क्रेडिट सीमा को परिभाषित करने के लिए विन्यस्त किए गए हैं, जिससे क्रेडिट जोखिम पूर्व-गणना की गई राशि तक सीमित हो जाता है।

ii. अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ

अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ, जिनमें कर्मचारियों और अन्य लोगों को ऋण और अग्रिम शामिल हैं, जिसे परिशोधन लागत पर मापा जाता है।

ङ. प्रत्याशित ऋण हानि - कंपनी निम्नलिखित के आधार पर प्रत्याशित ऋण हानि प्रदान करती है:

व्यापार प्राप्तियाँ:

व्यापार प्राप्तियों को तब क्षतिग्रस्त माना जाता है जब व्यक्तिगत व्यापार प्राप्तियों के लिए कंपनी द्वारा किए गए वसूली विश्लेषण के आधार पर वसूली को संदिग्ध माना जाता है। कंपनी का मानना है कि उपरोक्त सभी वित्तीय परिसंपत्तियां जो खराब नहीं हैं और समीक्षाधीन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथियों के लिए बकाया हैं, अच्छी क्रेडिट गुणवत्ता की हैं। कंपनी ने व्यापार प्राप्तियों पर अपेक्षित ऋण हानि के लिए 5 26.05 लाख रुपए (पिछले वर्ष 1 84.74 लाख रुपए) की राशि का अनुमान लगाया है।

प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर व्यापार प्राप्तियों का आयु विश्लेषण निम्नानुसार संक्षेपित है:

राशि (रुपए लाखों में)

विवरण		भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया					कुल
		6 महीने से कम	6 महीने -1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
निर्विवाद व्यापार प्राप्य - अच्छा माना जाता है	31 मार्च 2024 तक	469.63	59.15	56.37	0.05	1 46.27	731.47
	31 मार्च 2023 तक	8 81.29	1 66.05	1 55.50	10.82	1 31.65	13 45.31
निर्विवाद व्यापार प्राप्य - जिसमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होती है	31 मार्च 2024 तक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	31 मार्च 2023 तक	.00	.00	.00	.00	.00	.00

विवरण		भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया					कुल
		6 महीने से कम	6 महीने -1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
निर्विवाद व्यापार प्राप्य - ऋण क्षति	31 मार्च 2024 तक	1 13.72	24.60	47.50	2.92	1 10.21	2 98.95
	31 मार्च 2023 तक	6.89	4.86	.02	.00	.00	11.77
विवादित व्यापार प्राप्य - अच्छा माना जाता है	31 मार्च 2024 तक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	31 मार्च 2023 तक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
विवादित व्यापार प्राप्य - जिसमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होती है	31 मार्च 2024 तक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	31 मार्च 2023 तक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
विवादित व्यापार प्राप्य - ऋण हानि	31 मार्च 2024 तक	14.29	16.02	23.82	0.00	1 72.97	2 27.10
	31 मार्च 2023 तक	0.00	0.00	0.00	0.00	1 72.97	1 72.97
कुल	31 मार्च 2024 तक	597.64	99.77	127.69	2.97	429.45	12 57.52
	31 मार्च 2023 तक	8 88.18	1 70.91	1 55.52	10.82	3 04.62	15 30.05

जहां भुगतान की देय तिथि उपलब्ध नहीं है, वहां लेनदेन की तिथि पर विचार किया गया है।

अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों को परिशोधन लागत पर मापा जाता है ।

इन अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों से संबंधित ऋण जोखिम का प्रबंधन ऐसी राशियों की लगातार वसूली योग्यता की निगरानी करके किया जाता है, जबकि एक ही समय में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि यह राशियाँ निर्धारित सीमा के भीतर हों । कंपनी ने अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों पर ऋण हानि के लिए 84.69 लाख रुपये (पिछले वर्ष 84.69 लाख रुपये) की राशि का अनुमान लगाया है ।

क्रेडिट हानि के हिस्टोरिकल पैटर्न के अतिरिक्त, कंपनी ने कोविड-19 के कारण हुए उभरती स्थितियों पर भी विचार

किया । यह मूल्यांकन किसी गणितीय मॉडल पर आधारित नहीं है, बल्कि उन ग्राहकों की वित्तीय ताकत पर विचार करते हुए एक आकलन है, जिनके संबंध में राशि प्राप्य है ।

परिसंपत्तियों के प्रकार के आधार पर, प्रबंधन की राय है कि ऊपर बताए गए के अलावा परिसंपत्ति के वहन मूल्य पर कोई संभावित प्रभाव नहीं है । कंपनी समीक्षा करना जारी रखेगी और जब भी कोई आवश्यकता होगी, उस समय हानि के प्रावधान पर विचार किया जाएगा ।

34.32 भारतीय लेखा मानक -108, "ऑपरेटिंग सेगमेंट" के संबंध में प्रकटीकरण

कंपनी के पास केवल एक रिपोर्ट योग्य व्यवसाय खंड है, जो कोच्ची शहर में मेट्रो रेल सुविधा के निर्माण, संचालन और रखरखाव को कार्यान्वित कर रहा है और सेवाओं की प्रकृति, जोखिम और रिटर्न, संगठन संरचना और आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली के आधार पर एकल ऑपरेटिंग सेगमेंट में संचालित होता है । कंपनी की अन्य सभी गतिविधियाँ इसी मुख्य व्यवसाय के अनुरूप है । संपत्ति विकास परिसंपत्तियों के संबंध में पट्टे की जगह (स्टेशनों और स्टेशनों के बाहर) से अर्जित परामर्श आय और किराए की आय सहित,अन्य परिचालन राजस्व कंपनी के आंतरिक निर्णय लेने और प्रदर्शन मापन प्रक्रिया के तहत कंपनी के प्राथमिक व्यवसाय का एक अभिन्न अंग माना जाता है ।

भारतीय लेखा मानक 108 के अनुसार, परिचालन खंड को मुख्य परिचालन निर्णय लेनेवाले चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर को प्रदान की गई आंतरिक रिपोर्टिंग के अनुरूप रिपोर्ट किया जाना है । चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर एक सेगमेंट के रूप में पूरी कंपनी के ऑपरेटिंग परिणाम की निगरानी और समीक्षा करता है । इसलिए कंपनी का एकमात्र परिचालन खंड "मेट्रो संचालन" है। इस प्रकार, जैसा कि भारतीय लेखा मानक108 "ऑपरेटिंग सेगमेंट" में पहचाना गया है कंपनी का पूरा कारोबार एक ऑपरेशन सेगमेंट के अंतर्गत आता है और अतः भारतीय लेखा मानक 108 के तहत कोई अतिरिक्त प्रकटीकरण प्रदान नहीं किया जाना है ।

34.33 पूंजी और अन्य प्रतिबद्धताओं के संबंध में प्रकटीकरण

राशि (रुपए लाखों में)

पूंजी और अन्य प्रतिबद्धताएं	31.03.2024 को	31.03.2023 को
केएमआरएल की ओर से डीएमआरसी द्वारा किए गए मूर्त परिसंपत्ति अनुबंधों की अनुमानित राशि (अग्रिमों के कुल विदेशी मुद्रा अनुबंधों सहित) निष्पादित किया जाना बाकी है और इसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है ।	13 43.92	19 38.42
केएमआरएल द्वारा किए गए अनुबंधों की अनुमानित राशि (अग्रिम का शुद्ध) को निष्पादित किया जाना बाकी है और इसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है ।		
क. मूर्त परिसंपत्तियाँ	124 46.88	141 69.79
कुल	**137 90.80**	**161 08.21**

34.34 कंपनी के पास बैंकों और अन्य पक्षों के शेष की आवधिक पुष्टि प्राप्त करने की प्रणाली है । बैंक खातों के संबंध में कोई अपुष्ट शेष राशि नहीं है ।

व्यापार प्राप्तियों के संबंध में, कंपनी ग्राहकों को नियमित चालान/पुष्टि पत्र भेजती है और बकाया राशि की अवधि के बावजूद वसूली की अनिश्चितता होने पर प्रावधान किए जाते हैं और अवास्तविकता स्थापित होने पर बट्टे खाते में डाल दिया जाता है । जहां तक व्यापार/अन्य देय और ऋण और अग्रिम का संबंध है, पार्टियों को शेष राशि पुष्टि पत्र भेज देते हैं । कुछ शेष राशि यदि कोई हो, पुष्टि/समाधान, समायोजन के अधीन हैं, को पुष्टि/समायोजन पर लेखांकित लगाया जाएगा, जिसका प्रबंधन की राय में कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं होगा ।

34.35 सूक्ष्म, मध्यम और लघु उद्यमों को बकाया

दिनांक 31 मार्च, 2024 तक 501.48 लाख रुपए (पिछले वर्ष 251.71 लाख रुपए) की राशि बकाया है, लेकिन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को देय नहीं है । इस पर कोई ब्याज देय या बकाया नहीं है ।

सूक्ष्म, मध्यम और लघु उद्यमों को देय राशि

राशि (रुपए लाखों में)

विवरण	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
प्रत्येक लेखांकन वर्ष के अंत में किसी भी आपूर्तिकर्ता को मूल राशि और उस पर देय ब्याज का भुगतान नहीं किया जाता है ।		
सूक्ष्म और लघु उद्यमों को देय मूल राशि	शून्य	शून्य
उपर्युक्त को देय ब्याज	शून्य	शून्य
एमएसएमईडी अधिनियम 2006 की धारा 16 के संदर्भ में खरीदार द्वारा भुगतान की गई ब्याज की राशि के साथ-साथ प्रत्येक लेखा वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि	शून्य	शून्य
एमएसएमईडी अधिनियम 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए देय और देय ब्याज की राशि (जो भुगतान किया गया है लेकिन वर्ष के दौरान नियत दिन से परे)	शून्य	शून्य
प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में अर्जित और अप्रदत्त शेष ब्याज की राशि	शून्य	शून्य
एमएसएमईडी अधिनियम 2006 की धारा 23 के तहत कटौती योग्य व्यय के रूप में अस्वीकृति के उद्देश्य के लिए उस तिथि तक जब तक ऊपर के रूप में बकाया ब्याज का वास्तव में भुगतान नहीं किया जाता है, तब तक आगामी वर्षों में बकाया और देय ब्याज की राशि	शून्य	शून्य
कुल	**शून्य**	**शून्य**

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के बारे में उपरोक्त जानकारी कंपनी के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर ऐसी पार्टियों की पहचान की सीमा तक निर्धारित की गई है । इसे लेखा परीक्षकों ने विश्वास में लिया है ।

देय व्यापार लेखा तालिका

राशि (रुपए लाखों में)

विवरण	अवधि	एक वर्ष से कम *	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
एमएसएमई	31.03.2024 को	11.70	शून्य	शून्य	शून्य	11.70
	31.03.2023 को	1.36	शून्य	शून्य	शून्य	1.36
अन्य	31.03.2024 को	7 34.46	0.09	17.37	2.00	7 53.92
	31.03.2023 को	3 38.86	8.58	29.83	0.69	3 77.96
विवादित बकाया - एमएसएमई	31.03.2024 को	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	31.03.2023 को	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
विवादित बकाया - अन्य	31.03.2024 को	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	31.03.2023 को	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

*** ऐसी राशि शामिल है जो बकाया नहीं है।**

बिल न किया गया देय

राशि (रुपए लाखों में)

विवरण	अवधि	एक वर्ष से कम/देय नहीं	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
बिल न किया गया देय	31.03.2024 को	3 82.75	शून्य	शून्य	61.44	4 44.19
	31.03.2023 को	7 08.33	शून्य	1 15.58	61.44	8 85.35

34.36 इक्विटी लेखाबद्ध निवेशकों में निवेश

केएमआरएल ने कोच्ची वाटर मेट्रो लिमिटेड में 26% के इक्विटी शेयर के लिए .127.40 लाख रुपये (प्रत्येक रु.100/- के 1,27,400 शेयर) का निवेश किया ।

समेकन में शामिल सहयोगी कंपनी और उसमें कंपनी की होल्डिंग निम्नानुसार है:

कंपनी का नाम	कोच्ची वाटर मेट्रो लिमिटेड
व्यापार का मुख्य केंद्र	कोच्ची , भारत
दिनांक 31.03.2024 को होल्डिंग प्रतिशत	26%

इक्विटी पद्धति का उपयोग करके कंपनी के सहयोगियों के संबंध में वित्तीय जानकारी नीचे दी गई है ।

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023* को
कोच्ची वाटर मेट्रो लिमिटेड के इक्विटी उपकरणों में निवेश (लागत पर)	1 27.40	1 27.40
घटाएँ : सहयोगियों में कुल व्यापक आय में कंपनी का हिस्सा	(8.59)	17.90
कुल	**1 18.81**	**1 45.30**

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के तहत सहायक/सहयोगी/संयुक्त उद्यमों सहयोगी-भारतीय (इक्विटी पद्धति के अनुसार निवेश) के रूप में समेकित उद्यमों की संख्या

उद्यम का नाम: कोच्ची वाटर मेट्रो लिमिटेड

विवरण		31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक*
शुद्ध परिसंपत्तियाँ, अर्थात कुल परिसंपत्तियों को घटाकर कुल देयताएँ	समेकित शुद्ध परिसंपत्तियों के % के रूप में	0.004%	0.007%
	राशि (लाख रुपए में)	(8.59)	17.90
लाभ या हानि में हिस्सा	समेकित लाभ या हानि के % के रूप में	0.06%	0.06%
	राशि (लाख रुपए में)	(26.49)	19.09
अन्य व्यापक आय में हिस्सा	समेकित अन्य व्यापक आय के % के रूप में	-	-
	राशि (लाख रुपए में)	-	-
कुल व्यापक आय में हिस्सा	कुल व्यापक आय के % के रूप में	0.06%	0.06%
	राशि (लाख रुपए में)	(26.49)	19.09

*केडब्ल्यूएमएल के पुनः घोषित वित्तीय विवरण पर आधारित

34.37 हाल की लेखा घोषणाएँ

कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय ("एमसीए") समय-समय पर जारी किए गए कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियमों के तहत नए मानक या मौजूदा मानकों में संशोधनों को अधिसूचित करता है। 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए, एमसीए ने कंपनी पर लागू किसी भी नए मानक या मौजूदा मानकों में संशोधन को अधिसूचित नहीं किया है ।

34.38 अन्य वैधानिक जानकारी

(i) सभी अस्थाई संपत्तियों के शीर्षक विलेख,(अस्थाई परिसंपत्तियों के अलावा जहाँ कंपनी पट्टेदार है और पट्टे के समझौते कंपनी के पक्ष में विधिवत निष्पादित किए गए हैं) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और पूंजी कार्य-प्रगति में शामिल वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है, कंपनी के नाम पर तुलन पत्र की तारीख (टिप्पणी सं. 2 और 3 के बिंदु संख्या 2.3 और टिप्पणी सं. 34.4 देखें) के रूप में आयोजित किए जाते हैं ।

(ii) कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के तहत बंद की गई कंपनियों के साथ कंपनी का कोई महत्वपूर्ण लेन-देन नहीं हुआ ।

(iii) वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है ।

(iv) कंपनी ने कंपनी (लयर्स की संख्या पर प्रतिबंध) नियम, 2017 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (87) के तहत निर्धारित लयर्सों की संख्या की आवश्यकताओं का अनुपालन किया है ।

(v) कंपनी विदेशी संस्थाओं (मध्यस्थों) सहित किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या इकाई (यों) को अग्रिम या उधार या निवेश नहीं किया है इस समझ के साथ कि मध्यस्थ ने :

1. कंपनी (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार या निवेश करें या

(vi) अंतिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या अन्य समान चीजें प्रदान करना । कंपनी ने किसी भी व्यक्ति या संस्था (संस्थाओं) से, कंपनी को विदेशी संस्थाओं (फंडिंग पार्टी) सहित किसी भी व्यक्ति (व्यक्तियों) या संस्था (यों) से कोई निधि प्राप्त नहीं हुआ है, इस समझ के साथ (चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा) कि कंपनी:

1. वित्तपोषण करने वाले पार्टी (अंतिम लाभार्थियों) या की ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देना या निवेश करना या
2. अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की अन्य चीजें प्रदान करना ।

(vii) कंपनी ने विशिष्ट उद्देश्य के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों से प्राप्त किया गया उधार का उपयोग किया है ।

(viii) कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान क्रिप्टो मुद्रा या वास्तविक मुद्रा में व्यापार या निवेश नहीं किया है ।

(ix) कंपनी के पास कोई बेनामी संपत्ति नहीं है, जहां बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम, 1988 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही की गई है या लंबित है ।

(x) कंपनी के पास कोई शुल्क या ऋणमुक्ति नहीं है जो अभी तक वैधानिक अवधि से परे आरओसी के साथ पंजीकृत होना बाकी है ।

(xi) कंपनी के पास ऐसा कोई लेनदेन नहीं है जो या वर्ष के दौरान जो लेखा पुस्तकों में दर्ज न हो, जिसे आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर आकलन में (जैसे, खोज या सर्वेक्षण या आयकर अधिनियम, 1961 के किसी अन्य प्रासंगिक प्रावधान) में आय के रूप में प्रकट किया गया है ।

(xii) कंपनी के नाम पर न रखी गई अचल संपत्ति के स्वामित्व विलेख ।

परिसंपत्ति का विवरण	मद संपत्ति का विवरण	सकल वहन मूल्य (लाख रुपए में)	क्या टाइटल डीड धारक प्रमोटर, निदेशक या प्रमोटर/निदेशक का रिश्तेदार या प्रमोटर/निदेशक का कर्मचारी है	के नाम पर स्वामित्व विलेख	संपत्ति किस तारीख से धारण की गई है	कंपनी के नाम पर न रखे जाने का कारण
संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण	भूमि (फ्रीहोल्ड)	25.44	नहीं	सुश्री फ़रीदा अहमद मूसा पटेल	दिनांक 31.03.2021 से अब तक	स्वामित्व विलेख/पुरस्कार के पंजीकरण की प्रक्रिया अभी पूरी होनी बाकी है।

34.39 इंड105 के संबंध में प्रकटीकरण - बिक्री के लिए रखी गई गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां और बंद परिचालन

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, केरल राज्य के एरणाकुलम जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66 (पुराना एनएच 17) के विकास के हिस्से के रूप में, एनएच अधिनियम 1956 की धारा 3डी के तहत कंपनी द्वारा कब्जा की गई भूमि के अधिग्रहण की घोषणा की । ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन पर, भूमि सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त होकर पूर्णतः केंद्र सरकार के अधीन हो जाती है । कुल अधिग्रहण 0.0315 हेक्टेयर के लिए है और इसे 2.58.01 लाख रुपये के मूल्य पर "बिक्री के लिए रखे गए" के रूप में वर्गीकृत किया गया है, क्योंकि वे भारतीय लेखा मानक 105 के तहत निर्धारित मानदंडों को पूरा करते हैं ।

34.40 निवेश संपत्ति

दिनांक 31 मार्च 2024 तक कंपनी के पास निर्माणाधीन निवेश संपत्ति निम्नानुसार है:

राशि (रुपए लाख में)

विवरण	वर्ष 2023-24 के दौरान	वर्ष 2022-23 के दौरान
प्रारंभ में बकाया	28.00	-
परिवर्धन	7 30.34	28.00
विलोपन/संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में स्थानांतरण	-	-
अंत में बकाया	7 58.34	28.00

दिनांक 31 मार्च 2024 तक, कंपनी निर्माणाधीन निवेश संपत्ति के उचित मूल्य को विश्वसनीय रूप से मापने की स्थिति में नहीं है और इसलिए इसका खुलासा नहीं किया गया है ।

34.41 पिछले वर्ष के आंकड़ों को, जहां भी आवश्यक हो, पुनः समूहीकृत/पुनः व्यवस्थित/पुनः वर्गीकृत किया गया है, ताकि उन्हें चालू वर्ष की प्रस्तुति के साथ तुलनीय बनाया जा सके।

समसंख्यक तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार संलग्न है ।

कृते जी जोसेफ एंड एसोसिएट्स
शासनपत्रित लेखाकार
एफआरएन: 006310 एस
यूडीआईएन: 24211364BJZWMD5962

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

ह()/-
उमेश एल भट
सहयोगी
सदस्यता संख्या: 211364

ह()/-
लोकनाथ बेहरा
प्रबंध निदेशक
(डीआईएन: 09406020)

ह()/-
अन्नपूरणी.एस
निदेशक (वित्त) और सीएफओ
(डीआईएन: 09662978)

ह()/-
लिस्टन परेरा
कंपनी सचिव

स्थानः कोच्ची
दिनांक: 24.07.2024

स्थानः कोच्ची
दिनांक: 24.07.2024

टिप्पणी :केएमआरऐल की वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 का हिंदी अनुवाद अत्यंत सावधानी से किया गया है, हालाँकि अगर किसी हिस्से के बारे में कोई अस्पष्टता है, तो उस हिस्से से सम्बन्धित अंग्रेजी रिपोर्ट को पढ़ने का विनम्र अनुरोध है।

दिनांक 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (4) के साथ पठित धारा 143 (6) (बी) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ ।

कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के अनुसार दिनांक 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है । अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143 के तहत निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार किए गए स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है । यह उनके द्वारा दिनांक 24.07.2024 की अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के द्वारा किया गया, ऐसा बताया गया है ।

मैंने भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143(6) (ए) के तहत दिनांक 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों का अनुपूरक लेखापरीक्षा किया है । यह अनुपूरक लेखापरीक्षा वैधानिक लेखा परीक्षकों के कामकाजी कागज़ात तक के पहुँच के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और मुख्य रूप से सांविधिक लेखा परीक्षकों और कंपनी कर्मियों की पूछताछ और कुछ लेखा अभिलेखों की चुनिंदा जाँच तक सीमित है ।

मेरे अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर, मैं अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143(6)(बी) के तहत मेरे ध्यान में आए, और जो मेरे विचार में वित्तीय विवरण और संबंधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट की बेहतर समझ को सक्षम करने के लिए आवश्यक हैं, निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों को उजागर करना चाहता हूँ ।

क. समेकित लाभप्रदता पर टिप्पणियाँ
31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण
IV. व्यय- अन्य व्यय (टिप्पणी संख्या 32) 9477.59 लाख रु.

उपरोक्त में एशियाई विकास बैंक (एडीबी) द्वारा लागू जीएसटी के साथ जुटाए गए 104.45 लाख रुपए (यूएसडी 107,164.73) का अंतरिम दावा शामिल नहीं है । शुल्क और व्यय के भुगतान के लिए एडीबी के इस दावे को कंपनी द्वारा आकस्मिक देयता के रूप में माना गया। सहमत शर्तों के अनुसार, कंपनी एडीबी द्वारा प्रारंभिक गतिविधियों के लिए किए गए शुल्क और व्यय का भुगतान करने के लिए बाध्य है, चाहे एडीबी कोच्ची मेट्रो परियोजना को कोई वित्तपोषण प्रदान करें या नहीं ।

इसके परिणामस्वरूप अन्य व्यय, चालू देयता (प्रावधान) और वर्ष के लिए हानि को 104.45 लाख रुपए कम दर्शाया गया

ख. समेकित वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाले नोट्स पर टिप्पणियाँ

वर्ष के दौरान, के.एम.आर.एल ने कंपनी द्वारा केरल सरकार की ओर से सरकारी गारंटी के साथ लिए गए ऋणों पर हडको को मूलधन (रु. 18.07 करोड़) और ब्याज (रु. 12 करोड़) की ओर 30.07 करोड़ रुपए के तिमाही पुनर्भुगतान में चूक की । पुनर्भुगतान 22 दिनों की देरी के बाद किया गया था । चूक के कारण और ऋण अनुबंधों के अनुसार, हडको ने ऋणों

के लिए एक तिमाही पुनर्भुगतान (मूलधन और ब्याज) को समर्पित पुनर्भुगतान खातों में ऋण सेवा रिजर्व के रूप में बनाए रखने का निर्देश दिया ।

तथापि, कंपनी वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाले नोटों में चूक के बारे में तथा भारतीय लेखा मानक 107 के पैरा 18 (ए) और (सी) के अनुपालन में ऋण सेवा आरक्षित निधि बनाए रखने के लिए हडको द्वारा किए गए अनुरोध के बारे में खुलासा करने में विफल रही है ।

कृते एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से

ह()/-

स्थान: चेन्नई **(एस. वेल्लियनगिरी)**

दिनांक: 27 सितंबर 2024 **वाणिज्यिक लेखा परीक्षा के प्रधान निदेशक**

समेकित वित्तीय विवरणों पर सीएजी की टिप्पणियों का उत्तर / स्पष्टीकरण

सी व एजी की टिप्पणियाँ	प्रबंधन का उत्तर
क. लाभप्रदता पर टिप्पणियाँ **दिनांक 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लाभ और हानि का विवरण** **IV. व्यय - अन्य व्यय (टिप्पणी संख्या 32) 9477.59 लाख रुपए** उपरोक्त में एशियाई विकास बैंक (एडीबी) द्वारा लागू जीएसटी के साथ जुटाए गए 104.45 लाख रुपए (यूएसडी 107,164.73) का अंतरिम दावा शामिल नहीं है । शुल्क और व्यय के भुगतान के लिए एडीबी के इस दावे को कंपनी द्वारा आकस्मिक दायित्व के रूप में माना गया है। सहमत शर्तों के अनुसार, कंपनी प्रारंभिक गतिविधियों के लिए एडीबी द्वारा किए गए शुल्क और खर्च का भुगतान करने के लिए बाध्य है, चाहे एडीबी कोच्ची मेट्रो परियोजना के लिए कोई वित्तपोषण प्रदान करे या नहीं । इसके परिणामस्वरूप अन्य व्यय, चालू देयता (प्रावधान) और वर्ष के लिए हानि को 104.45 लाख रुपए कम दर्शाया गया ।	एडीबी के गैर-सॉवरेन ऋण संबंधी प्रस्ताव को आगे नहीं बढ़ाया गया, क्योंकि बोर्ड ने कंपनी को सॉवरेन/वाणिज्यिक ऋण लेने का निर्देश दिया था। इसके बाद एडीबी के साथ गैर-सॉवरेन ऋण पर चर्चा बंद कर दी गई । कंपनी ने कंसोर्टियम ऋण से प्राप्त धनराशि से परियोजना का काम जारी रखा । चरण Iए और Iबी परियोजना अब वाणिज्यिक रूप से चालू है अतः किसी और निधीकरण की आवश्यकता नहीं है । चूंकि गतिविधि बंद होने के कारण, दावे को स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की अतिरिक्त जानकारी के 34.29.A.iv के तहत आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट किया गया है ।
ख. वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाले नोट्स पर टिप्पणियाँ वर्ष के दौरान, केएमआरएल ने सरकारी गारंटी के साथ केरल सरकार की ओर से कंपनी द्वारा लिए गए ऋण पर हडको को मूलधन (18.07 करोड़ रुपए) और ब्याज (12 करोड़ रुपए) के रूप में 30.07 करोड़ रुपए की तिमाही चुकौती में चूक की । पुनर्भुगतान 22 दिनों के बाद किया गया । चूक के कारण और ऋण अनुबंधों के अनुसार, हडको ने समर्पित पुनर्भुगतान खातों में ऋण सेवा आरक्षित के रूप में ऋणों के लिए एक-चौथाई पुनर्भुगतान (मूलधन और ब्याज) बनाए रखने का निर्देश दिया । तथापि, कंपनी ने वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाले टिप्पणियों में चूक के बारे में तथा भारतीय लेखा मानक 107 के पैरा 18 (क) और (ग) के अनुपालन में ऋण सेवा आरक्षित निधि बनाए रखने के लिए हडको द्वारा किए गए अनुरोध के बारे में खुलासा करने में विफल रही है ।	लेखापरीक्षा द्वारा की गई टिप्पणियों को भविष्य की अनुपालन हेतु नोट कर लिया गया है । यहाँ यह उल्लेख करना उचित है कि पुनर्भुगतान में देरी सूचना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142(11) के संदर्भ में स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अनुलग्नक क, पैरा (ix) (क) के तहत और वित्तीय वर्ष 2023-24 के बोर्ड की रिपोर्ट के पैरा 1.4 में उल्लेख की गई है ।

KOCHI METRO RAIL LIMITED

KOCHI METRO RAIL LIMITED

Kochi Metro Rail Limited

A Joint Venture of Government of India and Government of Kerala

Registered Office : 4th Floor, JLN Stadium Metro Station,
Kaloor, Ernakulam, Kerala - 682017
Phone no. 0484 2846 700/770

www.kochimetro.org